


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

वर्ष 2011-12 के लिए

संघ सरकार  
संघ सरकार के लेखे  
2013 की प्रतिवेदन सं.1  
(वित्तीय लेखापरीक्षा)





## विषय सूची

अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	ix
	विशिष्टताएं	xi
<b>1.</b>	<b>संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2011-2012 का विहंगावलोकन</b>	<b>1</b>
1.1	प्रस्तावना	1
1.1.2	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में मुख्य वित्तीय पैरामीटरों पर वर्तमान वर्ष में निष्पादन	3
1.2	संसाधन का सृजन	4
1.2.1	राजस्व प्राप्तियाँ	4
1.2.2	मुख्य राजस्व संबंधित पैरामीटरों के बजट अनुमानों तथा वित्त लेखों के बीच अंतराल	4
1.2.3	कर राजस्व	5
1.2.4	गैर-कर राजस्व	6
1.2.5	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ	8
1.3	व्यय विश्लेषण	9
1.3.1	राजस्व तथा पूंजीगत व्यय	13
1.3.2	योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय	14
1.3.3	राजस्व व्यय का विश्लेषण	15
1.3.3(क)	राजस्व व्यय का अधिक्य	15
1.3.3(ख)	राजस्व व्यय के प्रमुख घटक	17
1.3.4	पूंजीगत व्यय का विश्लेषण	21
1.3.5	योजनागत व्यय का विश्लेषण	22
1.3.6	सरकार के मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम - पिछले तीन वर्षों में वास्तविक व्यय	23
1.3.7	योजनागत व्यय के मुख्य घटक	24
1.3.8	मुख्य मंत्रालयों में योजनागत व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात	25
1.3.9	राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना सहायता की सुपुर्दगी की पद्धति	26
1.3.10	विगत पांच वर्षों के लिए व्यय का विषय शीर्ष-वार विश्लेषण	28
1.4	व्यय का समय विश्लेषण	30
1.5	ऋण एवं घाटे के सूचक	34

अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
1.5.1	राजस्व घाटा	36
1.5.2	राजकोषीय घाटा	37
1.5.3	बाह्य ऋण: अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता	39
1.6	संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि	40
2.	<b>लेखाओं पर टिप्पणियाँ</b>	<b>43</b>
2.1	पारदर्शिता का मुद्दा	43
2.1.1	संघ के वित्त लेखाओं में बारहवें तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों/सूचनाओं का समावेश न होना	43
2.1.2	सरकारी लेखाओं में अपारदर्शिता	44
2.1.3	सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ	46
2.1.4	सीमाशुल्क प्राप्तियों को कम बताया जाना तथा राज्यों को कम आवंटन	47
2.2	लोक लेखे के संबंध में अभ्युक्तियाँ	47
2.2.1	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	47
2.2.2	अनुसंधान तथा विकास उपकर निधि के अंतर्गत एकत्रित उपकर का कम उपयोग	50
2.2.3	बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में विसंगतियाँ तथा निरंतर प्रतिकूल शेष	52
2.2.4	नवीकरण आरक्षित निधि को अंतरण का गलत दर्शाया जाना	53
2.2.5	स्वच्छ ऊर्जा उपकर का निधि में क्रेडिट न करना	54
2.2.6	राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.)	55
2.2.7	प्रतिबलित परिसम्पत्ति स्थिरीकरण निधि (प्र.प.स्थि.नि.)	56
2.2.8	आयकर कल्याण निधि का सृजन	57
2.2.9	चिन्हित निधियों को उपकर का कम अंतरण	58
2.2.10	संसद द्वारा विघटित एक निधि के अप्रयुक्त शेष का भारत की समेकित निधि में क्रेडिट न किया जाना	59
2.3	सत्यता एवं समाधान संबंधी मुद्दे	60
2.3.1	कर्मचारी पेंशन निधि के शेष में असंगति	60
2.3.2	कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा के शेषों में अशुद्धियाँ	61
2.3.3	प्रतिभूति विमोचन निधि को राशि क्रेडिट न करना	62
2.3.4	निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ/जमा/अन्य निधियाँ	63
2.3.5	बाह्य ऋण का लेखांकन कम बताना	63
2.3.6	वर्तमान दर पर बाह्य ऋण को असंगत रूप में दर्शाना	64
2.3.7	संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों को दर्शाया न जाना	65
2.3.8	बंद किए गए लघु शीर्ष का प्रचालन	65
2.3.9	गारंटी विमोचन निधि का अद्यतन न करना	66
2.3.10	अन्य विसंगतियाँ	66
2.4	लेखाओं की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक	68
2.4.1	मुख्य उच्चत लेखे के अंतर्गत बकाया शेष	69


अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
2.4.2	ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष	76
2.4.3	“चैक एवं बिल” शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	76
2.4.4	प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की समीक्षा न किया जाना	78
2.4.5	विभागीय प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति	79
2.4.6	हानियाँ तथा गैर-वसूलनीय प्राप्त्तों को बट्टे खाते में डालना/स्थगित करना	79
<b>3.</b>	<b>विनियोग लेखे: 2011-12</b>	<b>81</b>
3.1	संवैधानिक प्रावधान	81
3.2	कुल प्रावधान/वास्तविक संवितरणों का सारांश	82
3.3	प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण	84
	<b>विनियोग लेखे 2011-12: एक विश्लेषण</b>	<b>85</b>
3.4	अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग	85
3.5	अनुदानों में लगातार आधिक्य	89
3.6	लघु/उप-शीर्ष-वार आधिक्य व्यय	91
3.7	₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत (क्षेत्र-वार)	91
3.7.1	दोषपूर्ण बजट प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹10,000 करोड़ की बचत	93
3.8	बचतों का अभ्यर्पण (अनुदान वार)	94
3.9	31 मार्च को बचतों का अभ्यर्पण	95
3.10	लघु/उपशीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	95
3.11	लघु/उपशीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	95
3.12	अवास्तविक बजटीय अनुमान के कारण विशाल अनुपूरक अनुदानें	95
3.13	अनावश्यक नकद अनुपूरक अनुदान	97
3.14	उप-शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किए गए अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	98
3.15	निरन्तर बचत (उप-शीर्ष वार)	98
3.16	सम्पूर्ण प्रावधान की बचत (उप-शीर्ष वार)	98
3.17	एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचत	99
3.18	बजट प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक की ₹50 करोड़ या अधिक की बचत (लघु/उप-शीर्ष वार)	101
3.19	मार्च के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अंधाधुंध व्यय	102
3.20	डाक सेवाएं (अनुदान सं. 13)	104
3.21	रक्षा सेवाएं	105
3.21.1	बचतों का अभ्यर्पण	107
3.21.2	उपलब्ध प्रावधान से अधिक लगातार अतिरिक्त व्यय	108
3.21.3	वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत निधियों से अधिक निधियों का अभ्यर्पण	109
<b>4.</b>	<b>विनियोग लेखे: लेखाओं पर एक टिप्पणी</b>	<b>110</b>
4.1	अनुदान सं.25-रक्षा आयुध कारखानों में व्यय हेतु संसद से गलत प्राधिकरण प्राप्त किया जाना	110
4.2	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) का लगातार उल्लंघन-के.प्र.क.बो. द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय	111
4.3	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) का उल्लंघन-के.उ.सी.शु.बो. द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय	112

अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
4.4	सरकार के बाहर से दो प्राधिकरणों का निधिकरण	113
4.5	बजट सीमा के बिना किया गया व्यय	115
4.6	विषय-शीर्ष 'सहायता अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन	117
4.7	विषय-शीर्ष 'पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का आवर्धन	120
4.8	विषय-शीर्ष 'सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का आवर्धन	121
4.9	युवा मामले तथा खेलकूद मंत्रालय द्वारा एक शुद्धिपत्र के माध्यम से सहायता अनुदान प्रावधान का आवर्धन	122
4.10	विषय-शीर्ष 'आर्थिक सहायता' को प्रावधान का आवर्धन	123
4.11	विषय-शीर्ष 'ऋण एवं अग्रिम' के लिए प्रावधान का आवर्धन	125
4.12	वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रावधान का आवर्धन	125
4.13	पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	128
4.14	राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	131
4.15	पूँजी प्रभाग में व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण पर व्यय को गलत दर्ज किया जाना	133
4.16	गलत वर्गीकरण के अन्य मामले	134
4.17	भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना	136
4.18	विषय शीर्ष सहायता अनुदान वेतन का गैर-परिचालन	137
4.19	अनुदान के समान प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्षों में गलत वर्गीकरण	140
4.20	गृह मंत्रालय में गैर-कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत व्यय का गलत दर्ज करना	144
4.21	परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा पूर्व प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	145
4.22	विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा गलत पुनर्विनियोग के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन	146
4.23	उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधानों से प्राप्त दु.सं.वि. में क्रियात्मक शीर्षों के अलावा निधियों का पुनर्विनियोग	147
4.24	रक्षा सेवाएं: बचत/आधिक्य की राशियों का गलत प्रकटीकरण	148
4.25	अंतरिक्ष विभाग में त्रुटिपूर्ण संस्वीकृति आदेश जारी करना	149
4.26	एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने से अप्राधिकृत आवर्धन	150
4.27	एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान का प्राप्त करना	152
4.28	विषय शीर्षों के अंतर्गत एकमुश्त प्रावधान प्राप्त करना	152
4.29	अंतरिक्ष विभाग में निधियों के पर्याप्त प्रावधानों के बिना व्यय	153
4.30	दूरसंचार विभाग में निधियों का पर्याप्त प्रावधान किए बिना व्यय	155
4.31	डाक विभाग	155
4.31.1	बजट लाइन के बिना किया गया व्यय	156
4.31.2	डाक विभाग द्वारा वित्तीय अनुशासनहीनता	157
4.31.3	पुनर्विनियोग आदेशों का जारी न किया जाना	157

अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
5.	चयनित अनुदानों की समीक्षा	159
	अनुदान सं. 27- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	159
5.1	प्रस्तावना	159
5.2	बजट एवं व्यय	159
5.3	बजट प्रावधान का विरूपण	160
5.4	अनुदान से संबंधित व्यय के मुख्य घटक	161
5.5	बचतों का अभ्यर्पण	162
5.6	निरंतर बचतें	163
5.7	₹100 करोड़ तथा अधिक की बचतें	163
5.8	अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	163
5.9	व्यय का समय विश्लेषण	164
5.10	वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में अन्धाधुन्ध व्यय	165
	अनुदान सं. 81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	165
5.11	प्रस्तावना	165
5.12	बजट एवं व्यय	165
5.13	कुल व्यय का विषय शीर्ष-वार विश्लेषण	166
5.14	31 मार्च को अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण	167
5.15	बचतें जो अभ्यर्पित नहीं की गईं तथा व्ययगमन को अनुमत हुईं	167
5.16	निरंतर बचतें	168
5.17	पूर्ण प्रावधान का गैर उपयोग	168
5.18	₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें	168
5.19	एक उपशीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचतें	169
5.20	पूंजीगत(दत्तमत) वर्ग में अनावश्यक अनुपूरक अनुदानें	169
5.21	उपशीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक अनुदानें	169
5.22	अवास्तविक बजटीकरण के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदान	170
5.23	उपशीर्षों को निधियों का अतार्किक पुनर्विनियोजन	170
5.24	राजस्व व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण	171
5.25	पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व का गलत वर्गीकरण	171
5.26	'00-वस्तु शीर्ष' के साथ व्यय को दर्ज करना	172
5.27	पुनर्विनियोग की तिथि से पूर्व किया गया व्यय	172
5.28	निधियों को सरकारी लेखे से बाहर रखा जाना	173
5.29	व्यय की प्रवृत्ति	173
5.30	अन्धाधुन्ध व्यय	174
5.31	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन भारी व्यय	175
5.32	त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा	175
	अनुदान सं. 105 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	176
5.33	प्रस्तावना	176
5.34	बजट एवं व्यय	176

अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
5.35	व्यय का गैर-समाधान	176
5.36	व्यय के मुख्य घटक	177
5.37	बचतों का अभ्यर्पण	178
5.38	निरंतर बचतें	178
5.39	पूर्ण प्रावधान का गैर-उपयोग	182
5.40	एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत	185
5.41	अवास्तविक बजटीय प्रावधानों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदानें	185
5.42	पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	186
5.43	एकमुश्त प्रावधान के ब्यौरे प्रकट न करना	187
5.44	अन्धाधुन्ध व्यय	187
5.45	त्रुटिपूर्ण रोकड़ प्रबन्धन: मा.व्य.यो. अनुदेशों की गैर-अनुपालना	189
5.46	त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा	190
5.47	बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र	191
6	<b>सहायता अनुदान एक विश्लेषण</b>	<b>194</b>
6.1	प्रस्तावना	194
6.2	व्यय की प्रवृत्ति	194
6.2.1	प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदान	196
6.2.2	योजनागत एवं गैर-योजनागत अनुदान	197
6.3	योजनागत सहायता अनुदान व्यय की बदलती प्रकृति	198
6.3.1	कार्यान्वयन अभिकरणों (का.अ.) के लेखों में अनिर्धारणीय अव्ययित शेष	200
6.3.2	सहायता अनुदान व्यय के मामले में नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रबंधन	201
6.3.3	योजनागत व्यय डाटा: समग्रता तथा उपलब्धता के मामले	204
6.4	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	207
6.5	उपयोग प्रमाण पत्र (उ.प्र.)	208
	<b>अनुबंध</b>	
	<b>अध्याय-1 के लिए अनुबंध</b>	
	अनुबंध I-क	211
	अनुबंध I-ख	221
	<b>अध्याय-2 के लिए अनुबंध</b>	
	अनुबंध -II-क	232
	अनुबंध -II-ख	233
	अनुबंध -II-ग	236
	अनुबंध -II-घ	237
	अनुबंध -II-ङ	238
	अनुबंध -II-च	240
	अनुबंध -II-छ	247
	<b>अध्याय-3 के लिए अनुबंध</b>	
	अनुबंध -III-क	248

अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
	अनुबंध -III-ख	250
	अनुबंध -III-ग	251
	अनुबंध -III-घ	252
	अनुबंध -III-ङ	256
	अनुबंध -III-च	259
	अनुबंध -III-छ	262
	अनुबंध -III-ज	263
	अनुबंध III-झ	266
	अनुबंध III- ञ	267
	अनुबंध -III-ट	268
	अनुबंध III- ठ	269
	अनुबंध III-ड	271
	अनुबंध III-ढ	273
	अनुबंध III-ण	278
	अनुबंध III-त	287
	<b>अध्याय-4 के लिए अनुबंध</b>	
	अनुबंध IV-क	290
	अनुबंध IV-ख	291
	अनुबंध IV-ग	296
	अनुबंध IV-घ	297
	अनुबंध IV-ङ	298
	<b>अध्याय-5 के लिए अनुबंध</b>	
	अनुबंध V-क	301
	अनुबंध V-ख	303
	अनुबंध V-ग	305
	अनुबंध V-घ	308
	अनुबंध V-ङ	309
	अनुबंध V-च	310
	अनुबंध V-छ	313
	अनुबंध V-ज	314
	अनुबंध V-झ	315
	शब्दावली	316






## प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।

मंत्रालयों के विभिन्न वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। संघ सरकार के लिए, स्वायत्त निकायों, रक्षा सेवाएं-सेना तथा आयुध कारखाने, रक्षा सेवाएं-वायु सेना एवं नौ सेना, रेलवे, अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा प्रत्यक्ष कर पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।



## संघ सरकार की वित्त व्यवस्था एवं लेखे: 2011-12

यह प्रतिवेदन संघ के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर चर्चा करता है तथा वर्ष 2011-12 के लिए संघ सरकार की वित्त व्यवस्थाओं का विश्लेषण भी करता है। इसमें विनियोग लेखे का विश्लेषण तथा वर्ष 2011-12 के संघ सरकार के लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां भी सम्मिलित की गई हैं।

### विशिष्टताएं

#### संघ सरकार के लेखों पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियां

- 2011-12 में संघ सरकार की वित्तीय स्थिति को प्राथमिक रूप से पूर्वगामी वर्ष में तीव्रवृद्धि के पश्चात गैर-कर प्राप्तियों में पर्याप्त कमी के कारण राजस्व प्राप्तियों में 2.40 प्रतिशत की कमी के द्वारा वर्णित किया गया था।

(पैरा 1.1.1 एवं 1.2.4)

- पूंजीगत व्यय, तेरहवें वित्त आयोग की राजकोषीय समेकन योजना में वर्ष के लिए निर्धारित 3.1 प्रतिशत के स्तर से बहुत नीचे स.घ.उ. का 2.01 प्रतिशत था। कुल पूंजीगत व्यय में से 38 प्रतिशत रक्षा द्वारा दर्ज किया गया था।

(पैरा 1.1.2 एवं 1.3.4)

- सिविल मंत्रालयों के योजनागत व्यय के विश्लेषण ने प्रकट किया कि कुल योजनागत व्यय का 75 प्रतिशत सहायता अनुदान भुगतान के रूप में था। सबसे अधिक योजनागत व्यय कर रहे 10 मंत्रालयों/विभागों में से तीन में 99 प्रतिशत सहायता अनुदान के संवितरण के रूप में था।

(पैरा 1.3.7 एवं 1.3.8)

- दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान सार्वभौमिक पहुँच उगाही के प्रति ₹ 6,723.57 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से सार्वभौमिक सेवा निधि (सा.से.दा. निधि) को केवल ₹ 1,687.96 करोड़ का अंतरण एवं संवितरण किया। इसका परिणाम वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए सा.से.दा. निधि के अंत शेष के ₹ 5,035.61 करोड़ तक कम कथन में हुआ। परिणामतः 31 मार्च 2012 को ग्रामीण बाध्यता को पूरा करने के लिए 2002-03 से 2005-06 की अवधि से कुल ₹ 6,948.64 करोड़ की राशि भ.स.नि.लि. को लाईसेंस शुल्क तथा स्पोर्ट्स प्रभागों की प्रतिपूर्ति हेतु सा.से.दा. निधि के अंतः शेष में ₹ 21,839.45 करोड़ का कुल कम कथन था।

(पैरा 2.2.1)



- कुल ₹ 3,453.55 करोड़ के अनुसंधान तथा विकास उपकर का 1996-97 से 2011-12 की अवधि के दौरान संग्रहण किया गया था। इसमें से केवल ₹ 506.41 करोड़ (14.66 प्रतिशत) का उपयोग कथित उपकर के उगाही के उद्देश्यों के प्रति किया गया था।

(पैरा 2.2.2)

- प्राप्तियों से काफी अधिक में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि (निधि) से व्यय होने के कारण वर्षों से निधि में शेष प्रतिकूल हो गया था। 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष था जो 2007-08 में (-) ₹ 24.56 करोड़ से 2011-12 में (-) ₹ 205.75 करोड़ तक लगातार बढ़ा।

(पैरा 2.2.3)

- 2008-12 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.) में पड़ी राशियों के निवेश से अर्जित तथा भारत की समेकित निधि में क्रेडिट की गई ₹ 708.27 करोड़ की कुल आय में से पूर्व-चयनित पहलों पर व्यय को पूरा करने के लिए भारत की समेकित निधि में ₹ 288.90 करोड़ की शेष राशि छोड़ते हुए लोक लेखे में केवल ₹ 419.37 करोड़ का अंतरण किया गया था।

(पैरा 2.2.6)

- कर निर्धारितियों से ₹ 252.28 करोड़ राशि के अग्रिम भुगतानों की प्राप्तियों का लोक लेखे से भारत की समेकित निधि (भा.स.नि) में अंतरण न होने के परिणामस्वरूप भारत सरकार की वर्ष 2011-12 में इसके समकक्ष राशि की सीमाशुल्क प्राप्तियों को कम बताया गया। चूँकि सीमाशुल्क प्राप्तियां केन्द्र तथा राज्यों के बीच बांटे जाने वाले करों का विभाज्य संचय का भाग बनती है, इसलिए भा.स.नि. में राशि जमा न करने से वर्ष 2011-12 के दौरान राज्यों को बांटे जाने वाले करों में अल्प अंतरण निहित रहता है।

(पैरा 2.1.4)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत की समेकित निधि से कानून द्वारा किए गए विनियोजनों के अलावा, कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। तथापि, 2011-12 के दौरान सिविल मंत्रालयों के पाँच अनुदानों के छः खंडों में ₹ 6,545 करोड़, रेलवे मंत्रालय के तीन अनुदानों/विनियोजनों के चार खंडों में ₹ 1,048 करोड़, डाक विभाग के एक अनुदान के दो खण्डों में ₹ 400 करोड़, तथा रक्षा सेवाओं की एक अनुदान के एक खंड में ₹ 568 करोड़ के अधिक संवितरण किए गए थे जिसका संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अंतर्गत नियमतीकरण करने की आवश्यकता थी।

(पैरा 3.4)



- अनुदान अथवा विनियोग में बचत घटिया बजट बनाने तथा निष्पादन में कमी का सूचक है। 75 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाएं) के 93 मामलों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी जिसके लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। 93 मामलों में कुल मिलाकर बचतें ₹ 1,92,470 करोड़ की थी।

(पैरा 3.7 एवं परिशिष्ट III-ड)

- पिछले तीन वर्षों (2009-2012) के दौरान 29 अनुदानों/विनियोगों के 36 अनुभागों में ₹ 100 करोड़ तथा अधिक की निरन्तर बचतें थी। तीन वर्षों की अवधि के दौरान कुछ अनुदान/विनियोगों बड़ी निरन्तर बचतें ऋण का पुनर्भुगतान (₹ 7,74,983 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹ 71,430 करोड़), राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण (₹ 43,105 करोड़), आर्थिक कार्य विभाग (28,699 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹ 10,557 करोड़) तथा पुलिस (₹ 8,606 करोड़) में थी।

(पैरा 3.7 परिशिष्ट III-च)

- रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आयुध कारखानों के अनुदान में वर्ष 2011-12 के लिए विनियोग अधिनियम के माध्यम से प्राप्त प्राधिकार ₹ 12,509.52 करोड़ की राशि के बजाए ₹ 1,665.21 करोड़ की राशि के लिए था जिसने सकल व्यय प्रावधान संघटित किया। इसने ₹ 10,844.31 करोड़ के कम प्राधिकार को भारत की समेकित निधि से पूरा किए जाने का भार डाला।

(पैरा 4.1)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 (3) में यह व्यवस्था है कि भारत की समेकित निधि से कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अलावा, कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2011-12 के दौरान संसद के अनुमोदन के बिना ₹ 6,486 करोड़ राशि के प्रतिदायों के ब्याज पर व्यय किया। पिछले पांच वर्षों से आवश्यक विनियोजनों के माध्यम से संसद से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ब्याज भुगतानों पर ₹ 34,083 करोड़ का व्यय किया गया था। इसी प्रकार, पिछले तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर ₹ 29.19 करोड़ को इसे राजस्व में कटौती के रूप में मानते हुए व्यय किया गया।

(पैरा 4.2 एवं 4.3)



- महानिदेशक हाइड्रोकार्बन (म.नि.हा.) तथा पेट्रोलियम योजना तथा विश्लेषण सैल (पे.यो.वि.सै.) विधि द्वारा किए गए विनियोग के माध्यम से प्राप्त निधियों की बजाए तेल उद्योग विकास बोर्ड (ते.उ.वि.बो.), जो सरकार के बाहर एक निकाय निगम है, से प्राप्त निधियों से व्यय कर रहे थे। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान म.नि.हा. तथा पे.यो.वि.सै. द्वारा ₹ 67.35 करोड़ का व्यय किया गया था जो कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान के माध्यम से प्राधिकृत नहीं था।

(पैरा 4.3)

- किसी निकाय अथवा प्राधिकरण को 'सहायता अनुदान' हेतु विषय शीर्ष में भारत की समेकित निधि से पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन सभी मामलों में केवल संसद की पूर्वानुमति से ही किया जा सकता है। 25 अनुदानों/विनियोगों के 43 मामलों में वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा बिना संसदीय पूर्वानुमति के विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अन्तर्गत प्रावधान का आवर्धन करके ₹ 76.92 करोड़ का व्यय किया गया था। इसी प्रकार, पांच अनुदानों के सात मामलों में, ₹ 180.91 करोड़ का वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में तथा बिना संसदीय पूर्वानुमति के विषय शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों' को आवर्धन किया गया था।

(पैरा 4.6 तथा 4.7)

- विषय शीर्ष 'आर्थिक सहायता' में पुनर्विनियोजन द्वारा वर्तमान विनियोग में प्रावधान के आवर्धन हेतु संसद की पूर्वानुमान आवश्यक होती हैं यदि अतिरिक्तता संसद द्वारा पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹ 10 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक हो। चार अनुदानों/विनियोगों के सात मामलों में वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान संसदीय पूर्वानुमति लिए बगैर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा ₹ 5833.81 करोड़ का विषय शीर्ष 'आर्थिक सहायता' के अन्तर्गत प्रावधान का आवर्धन करने हेतु व्यय किया गया था।

(पैरा 4.10)

- विषय शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी तथा उपकरण' में पुनर्विनियोजन द्वारा वर्तमान विनियोग में प्रावधान के आवर्धन हेतु संसद की पूर्वानुमान आवश्यक होती हैं यदि अतिरिक्तता संसद द्वारा पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹ 2.5 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक हो। 15 अनुदानों में वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान संसदीय पूर्वानुमति लिए बगैर



विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा ₹ 421.21 करोड़ का विषय शीर्ष 'आर्थिक सहायता' के अन्तर्गत प्रावधान का आवर्धन करने हेतु व्यय किया गया था।

(पैरा 4.10)

- विभिन्न विभागों/मंत्रालयों ने पूंजीगत व्यय के रूप तथा विपरीत में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण किया। गलत वर्गीकरण का परिणाम ₹ 429.11 तक पूंजीगत व्यय के अतिकथन तथा ₹ 2138.02 करोड़ तक पूंजीगत व्यय के कम बताए जाने में हुआ। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹ 1708.91 करोड़ के पूंजीगत व्यय का कम बताया जाना था। संगत रूप से राजस्व घाटे को वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 1708.91 करोड़ की समान राशि तक अधिक बताया गया था।

(पैरा 4.13, 4.14, 4.15 तथा 4.16)

- वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 (वि.श.प्र.नि.) का नियम 8 छठी श्रेणी अर्थात् विषय शीर्ष तक व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं सहित विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों को निर्धारित करता है। 18 अनुदानों/विनियोगों के 23 मामलों में ₹ 69,759.64 करोड़ को विनियोग की इन प्राथमिक इकाईयों में गलत वर्गीकृत किया गया था।

(पैरा 4.19)

- अंतरिक्ष विभाग द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश, जो व्यय करने को प्राधिकृत करता है, राजस्व एवं पूंजीगत लेखों के अंतर्गत योजनागत एवं गैर-योजनागत को अलग से डेबिट किए जाने वाले व्यय की राशि को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट नहीं करता है। संस्वीकृति आदेश वर्गीकरण का छठी श्रेणी तक पूर्ण निर्देश प्रदान करने की बजाए केवल उप-शीर्ष स्तर अर्थात् वर्गीकरण की चौथी श्रेणी तक वर्गीकृत किए जाने वाले व्यय की राशि को विनिर्दिष्ट करता है। इस प्रकार, अंतरिक्ष विभाग में प्राधिकारियों द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि वह व्यय की उचित बुकिंग तथा वर्गीकरण के संबंध में स्पष्ट निर्देश प्रदान नहीं करते थे।

(पैरा 4.25)

- जहां आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने हेतु तुरन्त उपाय किये जाने हों अथवा ऐसी किसी परियोजना/योजना जिसे वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारम्भ किये जाने हेतु सैधान्तिक स्वीकृति दी जा चुकी हो, पर प्रारम्भिक व्यय की पूर्ति की जानी हो, को छोड़कर किसी भी अन्य स्थिति में बजट में एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। तीन अनुदानों में एक मुश्त अनुपूरक प्रावधान सामान्य वित्तीय



नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में प्राप्त किए गए थे तथा अतिरिक्तताओं को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा योजनाओं को, जिनके पास अनुदानों हेतु विस्तृत मांग में अलग बजट लाईन हैं, संवितरित किया गया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि आवर्धन (₹ 308 करोड़) वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान सामान्य' तथा 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों' को किए गए थे इसलिए इन्हें संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है।

(पैरा 4.26)

- सार्वजनिक सेवा वितरण के विवर्ती उदाहरण, ऋण पुनर्भुगतानों की छूट सहित, अनुदान हेतु व्यय की सबसे बड़ी मद स्थापित करने हेतु सहायता अनुदान व्यय में लगातार वृद्धि के कारण बना है। समितियों, गै.स.सं., ट्रस्टों को योजनागत सहायता अनुदान व्यय की पर्याप्त राशि हेतु नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा की छूट न तो उन्मुक्त और न ही अप्रतिबंधित है। पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने हेतु नि.म.ले.प. के (क.श.से.श.) अधिनियम 1971 का प्रस्तावित संशोधन नवम्बर 2009 से सरकार के विचाराधीन हैं।

(पैरा 1.3.10, 6.1 एवं 6.3.2)

- वर्ष 2011-12 के लिए, संघ सरकार ने राज्य सरकार के बजट के बाहर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सीधे ₹ 1,09,173 करोड़ की केन्द्रीय योजनागत सहायता का अंतरण किया। सरकारी लेखे के बाहर अनुरक्षित इनके लेखों में अव्ययित शेषों की कुल राशि अनिर्धारणीय थी। इसलिए, सरकारी व्यय, जैसा कि लेखों में दर्शाया गया था, को उस सीमा तक अधिक बताया गया।

(पैरा 6.3.1)

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ₹ 29,189.77 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के परिचालन के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत दर्ज किया। चूंकि निर्माण कार्यों की बड़ी संख्या का परिणाम परिसम्पत्तियों के सृजन में नहीं हुआ तथा ध्यान रोजगार सृजन अथवा विद्यमान परिसम्पत्तियों के लघु सुधारों पर था इसलिए इस ध्वजपोत योजना में 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' अंतर्गत पूर्ण राशि को वर्गीकृत न किए जाने का ठोस मामला है।

(पैरा 6.4)



## अध्याय 1

### संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2011-2012 का विहंगावलोकन

#### 1.1 प्रस्तावना

संसद में संघ सरकार के वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए गए, जिसमें वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे सम्मिलित हैं। वित्त लेखे प्राप्तियों की विवरणी तथा समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे से भुगतानों को दर्शाते हैं जबकि विनियोग लेखे बजट प्रावधानों, व्यय तथा प्रत्येक अनुदान /विनियोग के अन्तर्गत परिणामतः आधिक्य/बचत को दर्शाते हैं।

#### बॉक्स 1.1: संघ सरकार की निधियां और लोक लेखे

समेकित निधि	आकस्मिकता निधि
संघ सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राजकोषीय बिलों के निर्गम द्वारा उठाए गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के प में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत स्थापित की गई "भारत की समेकित निधि" शीर्षक एक समेकित निधि बनाएंगे।	संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में हैं जो उन्हें, संसद के लंबित प्राधिकार के रहते अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है। ऐसे व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है तत्पश्चात आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की निधि से प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।
<b>लोक लेखा</b> समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार, प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण उसमें से भी किए जाते हैं।	

**1.1.1** वर्ष 2011-12 की विशेषता आर्थिक विकास में ह्रास था जैसा कि पिछले वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.)<sup>1</sup> द्वारा वृद्धि 6.9 प्रतिशत मापी गई थी। वर्ष के दौरान मुख्य आर्थिक चिन्ताओं में औद्योगिक विकास में कमी, उच्च मुद्रास्फिति (खाद्योत्तर विनिर्माण वस्तुओं के कारण) तथा प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक वातावरण शामिल हैं।

इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, यह अध्याय वित्त लेखे में लिए गए आंकड़ों पर आधारित संघ सरकार के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषणात्मक विहंगावलोकन प्रदत्त करता है। **तालिका 1.1** वर्ष 2011-12 के लिए संघ सरकार की प्राप्तियों संवितरणों तथा उधारों की स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है।

<sup>1</sup> 31 मई 2012 को सी.एस.ओ. द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, 2004-05 के मूल्यों पर बाजारी मूल्यों पर स.घ.उ. के संशोधित अनुमान पिछले वर्ष से 6.9 प्रतिशत तक बढ़े जबकि वर्तमान मूल्यों पर यह 15.4 प्रतिशत तक बढ़े। स.घ.उ. के संशोधित अनुमानों को पिछले वर्ष के प्रतिवेदनों के साथ तुलना के उद्देश्य से अपनाया गया।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

तालिका 1.1: चालू वर्ष के प्रचालन का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां		व्युत्पन्न मापदण्ड	संवितरण	
<b>भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)</b>				
राजस्व प्राप्तियां	910277 (932686)	राजस्व घाटा <b>394918</b> (253429)	राजस्व व्यय	1305195 (1186115)
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	18088 (22846)		पूंजीगत व्यय	139465 (140671)
कर्जों की वसूली	36818 (29253)		ऋण तथा अग्रिम	38404 (40641)
कुल गैर-ऋण प्राप्तियां	965183 (984785)	राजकोषीय घाटा <b>517603</b> (382642)	वास्तविक व्यय	1483064 (1367427)
लोक ऋण	4063177 (3177106)		लोक ऋण	3495929 (2814774)
भा.स.नि.में कुल प्राप्तियां	5028360 (4161891)	भा.स.नि. में अधिशेष <b>49367</b> (घाटा 20310)	भा.स.नि. में कुल व्यय	4978993 (4182201)
<b>आकस्मिकता निधि</b>				
प्राप्तियां	0		विनियोग	0
<b>लोक लेखा</b>				
लघु बचतें	372828 (403485)		लघु बचतें	358502 (409615)
आरक्षित एवं निक्षेप निधि	108076 (120833)		आरक्षित एवं निक्षेप निधि	102402 (119886)
जमा	92993 (105341)		जमा	93552 (96979)
अग्रिम	35290 (52360)		अग्रिम	40209 (49290)
उचन्त लेखे	4894 (18762)		उचन्त लेखे	56477 (14209)
प्रेक्षण	6586 (6141)		प्रेक्षण	2901 (5800)
कुल लोक लेखे	620667 (706922)	लोक लेखे में घाटा <b>33376</b> (अधिशेष 11143)	कुल लोक लेखे	654043 (695779)
अथ नकद	1449 (10616)	नकद में कमी <b>15991</b> (घाटा 9167)	अन्तः नकद	17440 (1449)
लोक लेखा घाटा (मांग)		33376	(भा.स.नि.) में अधिशेष-रोकड़ में वृद्धि	
वार्षिक देयताएं (आपूर्ति)		586689	(ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा) का अधिशेष	
वार्षिक देयताएं (मांग)		586689	राजकोषीय घाटा (-) रोकड़ में वृद्धि (+) (अग्रिम+उचन्त+प्रेक्षण) का निवल संवितरण	

\*राज्य को सौंपे गये करों एवं शुल्कों के आंकड़ों को शामिल नहीं करता (2011-12 के लिए ₹ 2,55,414 करोड़)

नोट: (1) कोष्ठक में आंकड़े वर्ष 2010-11 के लिए अनुरूप आंकड़ों को दर्शाते हैं।



(2) 2011-12 के लिए राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय को, करों की वापसी पर ब्याज पर किये गये व्यय को व्यय की बजाय "कम किया राजस्व" के रूप में दर्शाने के कारण ₹6,494 करोड़ से कम बताया गया है। विवरण के लिए कृपया पैरा 4.2 एवं 4.3 का संदर्भ लें।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा गया, भारतीय समेकित निधि (भा.स.नि.) में, पिछले वर्ष में घाटे की तुलना में अधिशेष था। गैर-ऋण प्राप्तियों में 1.99 प्रतिशत के गिरावट तथा सरकार के वास्तविक व्यय में ₹ 1,15,637 करोड़ (8.46 प्रतिशत) की वृद्धि के बावजूद अधिशेष प्राप्त किया गया था। अधिशेष के मुख्य योगदानकर्ता सरकार की लोक ऋण प्राप्ति में ₹ 8,86,071 करोड़ (27.89 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण वृद्धि और पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को शामिल करते हुए) में ₹ 3,443 करोड़ की कमी थी। इस अध्याय के अनुवर्ती पैराग्राफों में इन लेन-देनों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। आकस्मिकता निधि में कोई परिवर्तन नहीं था। लोक लेखे के मामले में, जहाँ सरकार लोक जमाओं हेतु एक बैंकर के रूप में कार्य करती है, पिछले वर्ष के अधिशेषों की तुलना में इस वर्ष घाटा हुआ था।

### 1.1.2 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में मुख्य वित्तीय पैरामीटरों पर वर्तमान वर्ष में निष्पादन

सकल घरेलू उत्पाद (स.उ.घ.) की प्रतिशतता के रूप में संघ सरकार हेतु मुख्य राजकोषीय सकल तथा तेरहवें वित्त आयोग (13वें वि.आ.) की रिपोर्ट द्वारा तैयार स्पर्खा को नीचे तालिका बद्ध किया गया है:

तालिका 1.2 केन्द्र हेतु राजकोषीय समेकन मार्ग का सारांश (तेरहवां वित्त आयोग)

(स.घ.उ. की प्रतिशतता)

पैरामीटर	2010-11	2014-15	वित्तीय लेखे 2010-11 के अनुसार वास्तविक निष्पादन	
			2010-11	2011-12
राजस्व घाटा	2.3	-0.5	3.30	4.46
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.6	1.0	0.68	0.62
पूंजीगत व्यय	3.1	4.5	2.36	2.01 <sup>2</sup>
राजकोषीय घाटा	4.8	3.0	4.99	5.85
ऋण (वर्ष के अंत की समायोजन देयताएं)	52.5	44.8	46.03	46.88

जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के अलावा वित्तीय मापदंडों में से अन्य कोई 13वें वि.आ. द्वारा 2011-12 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के समीप नहीं था। वस्तुतः वर्ष 2011-12 का राजस्व घाटा 13वें वि.आ. द्वारा स्थापित लक्ष्य से दुगुने के करीब है। दिलचस्प रूप से, जब हम पिछले वर्ष से वित्तीय मापदंडों की तुलना करते हैं, पूंजीगत व्यय को छोड़कर अन्य सभी ने सुधार के स्थान पर अपकर्ष दिखाया।

<sup>2</sup> तुलनात्मक उद्देश्यों हेतु, तालिका में दिया गया वास्तविक व्यय बारहवें वित्त आयोग द्वारा तय किए गए आधार के अनुक्रम है।

## 1.2 संसाधन का सृजन

राजस्व की स्थिति (लोक लेखे में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा सकल प्रोद्भूत) का विश्लेषण निम्नलिखित को दर्शाता है:

### 1.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष को सकल राजस्व प्राप्तियों में 1.19 प्रतिशत के समान वृद्धि (2010-11 में 32.51 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि की तुलना में) द्वारा बताया गया है। सकल ऋण प्राप्तियों में 27.89 प्रतिशत वृद्धि के कारण कुल प्राप्तियों में सकल राजस्व प्राप्तियों का अंश पिछले वर्ष में 22.64 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 19.74 प्रतिशत तक बढ़ा जो बजट को संतुलित करने हेतु ऋणों पर निर्भरता में अधिकता को दर्शाता है।

तालिका 1.3: स.घ.उ. में प्राप्तियों का अंश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल राजस्व प्राप्तियाँ* (1)	गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (2)	सकल ऋण प्राप्तियाँ (3)	लोक लेखे में सकल उपाजर्ज (4)	सकल प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	निवल ऋण प्राप्तियाँ @ (5)	खजाना बिलों से निवल प्राप्तियाँ (6)	निवल लोक लेखे उपाजर्ज (7)	निवल प्राप्तियाँ (1+2+5+6+7)	सकल प्राप्तियाँ /स.घ.उ. @@ (8)	निवल प्राप्तियाँ /स.घ.उ. @@ (9)
2007-08	801226	49187	1868102	460981	3179496	633418	29154	35721	1548706	64	31
2008-09	814026	14075	2395765	584478	3808344	671488	30033	68862	1598484	68	29
2009-10	869355	37314	3405327	660401	4972397	882979	(-)2995	28268	1814921	77	28
2010-11	1151989	52099	3177106	706922	5088116	855104	7432	11143	2077767	66	27
2011-12	1165970	54905	4063177	620667	5904719	1276101	(-)5300	(-)33655	2458021	67	28

\*राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं 2011-12 के लिए, (₹2,55,414 करोड़)। इस घटक का अपवर्जन ₹9,10,277 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्ति देता है जैसा तालिका 1.1 में दिखाया गया है।

@ यह सकल ऋण प्राप्तियाँ 14 दिनों के खजाना बिलों तथा भा.रि.बैं. से प्राप्त अर्थोपाय पेशगियों से प्राप्तियों का निवल है।


@@ केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (के.सां.सं.), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन ब्यूरो मंत्रालय प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2012 ने दर्शाया है कि वर्ष 2011-12 हेतु वर्तमान मूल्यों/बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के संशोधित अनुमानित आंकड़े ₹88,55,797 करोड़ हैं। वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 तथा 2010-11 की सम्बन्धित राशियाँ क्रमशः ₹49,47,857 करोड़, ₹55,82,623 करोड़ तथा ₹64,57,352 करोड़ तथा ₹76,74,148 करोड़ हैं। आंकड़ों का के.सां.सं. द्वारा लगातार संशोधन किया जा रहा है तथा यह डाटा वृहत अर्थव्यवस्था निष्पादन के साथ राजकोषीय निष्पादन की एक संकेतिक तुलना हेतु है।

### 1.2.2 मुख्य राजस्व संबंधित पैरामीटरों के बजट अनुमानों तथा वित्त लेखे के बीच अंतराल

वास्तविक बजटीय अनुमानों का सूत्रीकरण व्यय नियंत्रण तथा रोकड़ एवं ऋण प्रबन्धन हेतु महत्वपूर्ण है। चार्ट 1.1 दर्शाता है कि सेवा कर के अलावा सभी कर बजट प्रक्षेपणों से कम थे। सेवा कर एवं आय व लाभांश दोनों के अंतर्गत प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से 19 प्रतिशत तक अधिक थीं। ब्याज प्राप्तियाँ भी बजट अनुमानों से 34 प्रतिशत अधिक थीं। आयकर एवं सीमा शुल्क से संबंधित प्राप्तियों के मामले, वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों के काफी करीब थीं।



चार्ट 1.1: बजट अनुमानों से सकल वास्तविक प्राप्तियों का विचलन



### 1.2.3 कर राजस्व

तालिका 1.4: कर राजस्व के घटक (सकल)

(करोड़ ₹ में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व #	निगम कर	आय कर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य *	स.घ.उ.
X वीं योजना (2002-07) औसत	323047	87602	51720	60497	100210	17373	5645	3317483
XI वीं योजना (2007-12)	701080	254507	126956	114493	123563	67838	13723	6703555
2007-08	593147	192911	102659	104119	123611	51302	18545	4947857
2008-09	605298	213395	106075	99879	108613	60941	16395	5582623
2009-10	624528	244725	122417	83324	102991	58422	12649	6457352
2010-11	793308	298688	139102	135813	137701	71016	10988	7674148
2011-12	889118	322816	164525	149328	144901	97509	10039	8855797
वृद्धि की औसतन वार्षिक दर (प्रतिशत)								
X वीं योजना (2002-07)	21.31	31.59	18.83	17.36	9.60	73.21	68.93	14.18
XI वीं योजना (2007-12)	11.41	14.64	12.91	10.83	5.71	15.46	(-)15.02	15.98
2007-08	25.27	33.67	36.71	20.61	5.10	36.45	47.62	15.50
2008-09	2.05	10.62	3.33	(-)4.07	(-)12.13	18.79	(-)11.59	12.83
2009-10	3.18	14.68	15.41	(-)16.58	(-)5.18	(-)4.13	(-)22.85	15.67
2010-11	27.03	22.05	13.63	62.99	33.70	21.56	(-)13.13	18.84
2011-12	12.08	8.08	18.28	9.95	5.23	37.31	(-) 8.64	15.40


# राज्यो/सं.शा.क्षे. को दिए गए करों/शुल्कों के आंकड़े शामिल हैं।

\*अन्य करों में होटल प्राप्ति कर, ब्याज कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर, फ्रीज लाभ कर, प्रतिभूति लेन-देन कर, बैंकिंग शैकड़ लेन-देन कर आदि शामिल हैं।

जैसा कि तालिका 1.4 से देखा जा सकता है जबकि चालू वर्ष में समग्र कर राजस्व 12.08 प्रतिशत तक बढ़ा, फिर भी सेवा कर में सार्थक वृद्धि थी जो 37.31 प्रतिशत तक बढ़ा था। सकल

करों की वृद्धि चालू वर्ष के स.घ.उ. से कम थी, जो पिछले वर्ष के प्रवृत्ति में उत्कमण का संकेत करती है। यदि हम करों के वृद्धि की दर को संपूर्ण दसवीं और ग्यारहवीं योजना अवधि में स.घ.उ. से तुलना करें तो हम देखते हैं कि ग्यारहवीं योजना में कर वृद्धि की दर स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम रही है। यह सेवा कर, निगम कर एवं आयकर के संकलन के वृद्धि दर में महत्वपूर्ण गिरावट के कारण हुआ था।

चार्ट 1.2: कर राजस्व के घटक



दसवीं योजना तथा ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कर राजस्व के सापेक्ष अंश की तुलना जैसा कि उक्त चार्ट 1.2 में दिया गया है, निगम कर (नौ प्रतिशत) तथा सेवा कर (पांच प्रतिशत तक) के सापेक्ष अंश के महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाती है तथा दूसरी तरफ उत्पाद शुल्क के अंश में कमी थी (13 प्रतिशत तक)।

#### 1.2.4 गैर-कर राजस्व

तालिका 1.5 दर्शाती है कि वर्ष 2011-12 के दौरान गैर-कर राजस्व (57 प्रतिशत) का सबसे बड़ा अंश विभिन्न विभागों द्वारा उद्ग्रहित उपभोक्ता प्रभारों से आता है जो आम जनता को आर्थिक सेवाएं प्रदान करते हैं। ब्याज प्राप्तियों ने गैर-कर राजस्व का 15 प्रतिशत संघटित किया जबकि लाभांश तथा लाभ लगभग 18 प्रतिशत तक दर्ज किए गए थे। चालू वर्ष के दौरान गैर-कर राजस्व में महत्वपूर्ण नकारात्मक वृद्धि (22.89 प्रतिशत) थी। यह मुख्यतः आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों में भारी कमी (36.24 प्रतिशत) बेतार और नियोजन समन्वयन संगठन की प्राप्तियों में 2010-11 में ₹ 1,09,698 करोड़ से 2011-12 में ₹ 5,183 करोड़ की कमी के कारण थी।

जब हम दसवीं योजना (2002-07) और ग्यारहवीं योजना (2007-12) में गैर-कर राजस्व के घटक के सापेक्ष हिस्सों की तुलना करते हैं, हम देखते हैं कि आर्थिक सेवाओं के हिस्सों में 50 से लेकर 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि ब्याज प्राप्तियों में 24 से लेकर 14 प्रतिशत की संगत गिरावट आयी है। लाभांशों और लाभों के हिस्से दोनों योजना अवधियों में स्थिर रहे।



तालिका 1.5: गैर-कर राजस्व - उप-संघटकों तथा प्रवृत्तियों की सापेक्ष संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैरकर राजस्व #	ब्याज प्राप्तियां	लाभ एवं लाभांश	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	प्रधान तथा अन्य कार्य **
<b>Xवी योजना (2002-07) औसत</b>	<b>154419</b>	<b>37023</b>	<b>24018</b>	<b>687</b>	<b>77953</b>	<b>14738</b>
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	24	16	नगण्य	50	10
<b>XIवी योजना (2007-12)</b>	<b>259378</b>	<b>35332</b>	<b>44392</b>	<b>759</b>	<b>155743</b>	<b>23151</b>
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	14	17	नगण्य	60	9
2007-08	208079	34612	34500	742	120998	17227
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	17	17	नगण्य	58	8
2008-09	208728	30846	38608	540	118146	20588
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	15	19	नगण्य	57	10
2009-10	244827	35849	50250	713	133038	24977
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	15	21	नगण्य	54	10
2010-11	358681	35299	47993	814	248252	26323
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	10	14	नगण्य	69	7
2011-12	276573	40054	50609	988	158283	26639
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	15	18	नगण्य	57	10
<b>वृद्धि की औसत वार्षिक दर</b>						
<b>X वी योजना (2002-07)</b>	<b>4.86</b>	<b>(-) 13.56</b>	<b>8.65</b>	<b>16.07</b>	<b>13.07</b>	<b>5.59</b>
<b>XI वी योजना (2007-12)</b>	<b>11.75</b>	<b>4.36</b>	<b>10.34</b>	<b>10.33</b>	<b>13.65</b>	<b>11.82</b>
2007-08	20.83	30.35	17.71	58.89	20.44	11.75
2008-09	0.31	(-)10.88	11.91	(-)27.22	(-)2.36	19.51
2009-10	17.29	16.22	30.15	32.04	12.60	21.32
2010-11	46.50	(-)1.53	(-)4.49	14.17	86.60	5.39
2011-12	(-)22.89	13.47	5.45	21.38	(-)36.24	1.20

टिप्पणी: सापेक्ष अंशों को दर्शाते हुए आंकड़ों को पूर्णांक के समीप पूर्णांकन कर दिया गया है इसलिए कुल योग को हमेशा 100 में न जोड़ा जाए। नगण्य उस आंकड़ों संदर्भित करता है जहां उप-घटक का अंश गैर कर राजस्व से 0.5 प्रतिशत से कम है।

# अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल है।


सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल है।

आर्थिक सेवाओं में डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वन, वृक्षारोपण, खाद्य भण्डारण तथा गोदाम, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, सा.क्षे.उ. तथा रेलवे, डाक, जहाजरानी आदि जैसे सरकारी उपक्रमों की प्राप्ति शामिल हैं।

\*\* राजकोषीय सेवाएं तथा अन्य सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण आदि)

गैर-कर राजस्व के घटकों के सापेक्ष अंश निम्न चार्ट 1.3 में नीचे दर्शाए गये हैं। यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान आर्थिक सेवाओं से प्राप्ति ने गैर-कर राजस्व मुख्य भाग बनाया।

चाट 1.3 : गैर-राजस्व के घटक



### 1.2.5 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति, विविध पूंजीगत प्राप्ति (बोनस अंश, विनिवेश आदि) तथा ऋण एवं पेशगियों की वसूली से बनती हैं। तालिका 1.6 विनिवेश से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति तथा राज्य तथा संघ क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियों की वसूली का विवरण प्रस्तुत करती हैं। जैसा कि तालिका पिछले दो वर्षों अर्थात् 2010-11 और 2011-12 में दर्शाती है, विनिवेश से वास्तविक प्राप्ति बजट अनुमानों से काफी कम थी। तथापि, ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान ऋण एवं पेशगियों की वास्तविक वसूली बजट अनुमानों से अधिक थी।

तालिका 1.6: ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विनिवेश से प्राप्ति तथा कर्जों की वसूली

अवधि	विनिवेश			ऋणों की वसूली		
	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक प्राप्ति (वा.प्रा.)	वा.प्र. से ब.अ. की प्रतिशतता	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक प्राप्ति (वा.प्रा.)	वा.प्र. से ब.अ. की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
2007-08	1651	4387	265.72	3030	10391	342.94
2008-09	1165	22	1.89	5993	13509	225.41
2009-10	1120	23599	2107.05	5720	12733	222.61
2010-11	40000	22277	55.69	6624	29253	441.62
2011-12	40000	14027*	35.07	16510	36818	223.00

\* ₹ 4,060 करोड़ की सकल अन्य प्राप्ति तथा बोनस अंश से प्राप्ति शामिल नहीं हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त विनिवेश प्राप्ति का ब्यौरा नीचे तालिका 1.7 में दिया गया है :



तालिका 1.7: 2010-11 के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (के.सा.क्षे.उ.) में छोटी अंशधारिता की बिक्री से विनिवेश प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)


क्र.सं.	के.सा.क्षे.उ. का नाम	कुल प्राप्त मूल्य <sup>3</sup>
1.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	12749.50
2.	वित्त निगम लिमिटेड	1144.55
3.	विशाखापत्तनम स्टील परियोजना	100.00
4.	कोचीन शिपयार्ड लिमि.	20.00
5.	मेटालूरजिकल एवं इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट लि.	12.60
6.	स्लॉटर हाउस निगम	0.71
	<b>कुल</b>	<b>14027.36</b>

### 1.3 व्यय विश्लेषण

भारत सरकार की समेकित निधि से तथा लोक लेखे से कुल संवितरण ₹ 56,33,036 करोड़ था। जैसा कि **बाक्स 1.2**, में दर्शाया गया है कि कुल संवितरण के तीन मुख्य घटक हैं। ऋणों का पुनर्भुगतान कुल संवितरणों का सबसे बड़ा घटक है जो कुल संवितरण का 62 प्रतिशत है।

<sup>3</sup>महानियंत्रक लेखा तथा संघ के वित्त लेखे 2011-12 द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार


बॉक्स 1.2: कुल संवितरणों के घटक



2011-12 में, सरकार के कुल संवितरणों में 15.48 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई। वर्तमान वर्ष में, संघ सरकार ने ऋण पुनर्भुगतानों के रूप में अपने व्यय के 62 प्रतिशत का, लोक लेखा में भुगतान के प्रति 12 प्रतिशत का संवितरण किया तथा वर्तमान व्यय हेतु उनके पास वास्तविक व्यय का केवल 26 प्रतिशत ही बचा। उच्च ऋण पुनर्भुगतान बाध्यताओं का परिणाम चालू प्रचालनों हेतु उपलब्ध वास्तविक व्यय के निम्न अनुपात में हुआ।

बजट अनुमानों से तुलना करने पर वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से 18 प्रतिशत अधिक था। जैसा कि चार्ट 1.4 से देखा जा सकता है कि वास्तविक व्यय में आधिक्य हेतु आधिक्य गैर-योजनागत राजस्व व्यय ही एकमात्र जिम्मेदार था।

चार्ट 1.4: मुख्य व्यय पैरामीटरों पर बजट अनुमानों ('एक दृष्टि पर बजट' के अनुसार) तथा वित्त लेखे 2010-11 की एक तुलना




# एक दृष्टि पर बजट के अनुसार

टिप्पणी: योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय में कर्ज तथा पेशगियों का संवितरण शामिल है।

**चार्ट सं. 1.5** भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) से व्यय का विवरण जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है, कि भा.स.नि. से अधिकांश व्यय ऋण के पुनर्भुगतान के प्रति है। लोक ऋण का पुनर्भुगतान का सापेक्ष अंश 2010-11 से 67 प्रतिशत से 2011-12 में 71 प्रतिशत बढ़ गया। दूसरी तरफ अनुदान सहायता (जिसमें पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन तथा वेतन हेतु अनुदान सहायता शामिल है,) में एक प्रतिशत की गिरावट आई तथा 2011-12 में भा.स.नि. के सात प्रतिशत पर रही।

चार्ट 1.5: भारत की समेकित निधि से व्यय का विभाजन



टिप्पणी: डाटा 'ई-लेखा'<sup>4</sup> पोर्टल से निकाला गया है। इसमें जर्नल की प्रविष्टियाँ शामिल नहीं हैं। गलत वर्गीकरण के कारण, ₹ 65000 करोड़ आर्थिक सहायता को गिना नहीं गया।

नीचे तालिका 1.8 सरकार द्वारा किए गए संवितरणों के मुख्य घटकों के अंश को दर्शाती है। जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है कि कुल संवितरण में ऋण के पुनर्भुगतान का अनुपात दसवीं योजना अवधि के दौरान 45.26 प्रतिशत से बारहवीं योजना अवधि में 59.63 प्रतिशत तक बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक व्यय के अंश को 33.10 प्रतिशत से 27.13 प्रतिशत तक कम किया। वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय 87.27 प्रतिशत से 88.37 प्रतिशत तक

<sup>4</sup>ई-लेखा एक केन्द्रक लेखांकन आई.टी. सोल्यूशन है जिसका प्रयोग महालेखा नियंत्रक द्वारा किया जाता है। लेखांकन समायोजनों के संदर्भ में जर्नल प्रविष्टियाँ लेखाओं के बंद करने से पहले किन्तु लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से पहले की जाती है।



सीमांतक रूप से बढ़ा है। वास्तविक व्यय के प्रति योजनागत व्यय का अनुपात दसवीं योजना में 24.17 प्रतिशत से ग्यारहवीं योजना में 26.30 प्रतिशत तक सीमांतक रूप से बढ़ा है।

तालिका 1.8: दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कुल संवितरण के घटक


विवरण	X योजना (2002-07)	XI योजना (2007-12)
कुल संवितरण (कु.सं.) (प्रतिशत में)	100.00	100.00
<b>कु.सं. की प्रतिशतता कु.सं. के घटक</b>		
ऋण का पुर्नभुगतान	45.26	59.63
लोक लेखा से संवितरण	21.64	13.24
वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	33.10	27.13
<b>वा.व्य. की प्रतिशतता में वा.व्य. के घटक</b>		
राजस्व व्यय (रा.व्य. (रा.व्य.))	87.27	88.37
पूंजीगत व्यय (पूं.व्य.)	8.19	9.60
कर्जे एवं पेशागियां (क.पे.)	4.54	2.03
<b>रा.व्य. की प्रतिशतता के रूप में रा.व्य. के घटक</b>		
योजनागत राजस्व व्यय	20.29	24.75
गैर-योजनागत राजस्व व्यय	79.71	75.25
<b>पूं.व्य. की प्रतिशतता के रूप में व्यय के घटक</b>		
योजनागत राजस्व व्यय	38.22	32.98
गैर-योजनागत राजस्व व्यय	61.78	67.02
<b>क.पे. की प्रतिशतता के रूप में क.पे. के घटक</b>		
योजनागत कर्जे	73.29	61.97
गैर-योजनागत कर्जे	26.71	38.03
<b>वा.व्य. की प्रतिशतता के रूप में योजनागत व्यय</b>	24.17	26.30
<b>वा.व्य. की प्रतिशतता के रूप में गैर योजनागत व्यय</b>	75.83	73.70

### 1.3.1 राजस्व तथा पूंजीगत व्यय

राजस्व व्यय वह वर्तमान व्यय है, जो परिसम्पत्तियों के सृजन का परिणाम नहीं होता। यह केवल सरकार के अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतानों, आर्थिक सहायताओं तथा अन्तरणों आदि के सामान्य रूप से चलते रहने के लिए होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य निकायों या प्राधिकरणों के दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में भी माना जाता है। पूंजीगत व्यय में परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान, शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशागियां शामिल हैं।

**चार्ट 1.6** पूंजीगत व्यय के उभर राजस्व व्यय की प्रभाविता को दर्शाता है।

चार्ट 1.6: पूंजीगत व्यय के साथ राजस्व व्यय की तुलना




\* ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं

### 1.3.2 योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय

वित्त लेखे व्यय को आगे योजनागत और योजनेत्तर में बांटने का प्रावधान करते हैं। योजनागत व्यय, सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर संवृद्धि विकासात्मक व्यय से संबंधित होता है तथा इसमें राजस्व तथा पूंजीगत व्यय दोनों समाविष्ट होते हैं। दूसरी ओर, योजनेत्तर व्यय का सामान्यतः पहले से प्राप्त सेवाओं के स्तरों को बनाए रखने के लिए उपयोग होता है। तथापि, योजनागत तथा योजनेत्तर व्यय दोनों में, राजस्व व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में वृद्धि को गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय माना जाता है क्योंकि इससे सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना नेटवर्क का विस्तार और पूंजी निर्माण होता है। चार्ट 1.7 सरकार के योजनागत और योजनेत्तर व्यय का ब्यौरा दर्शाती है। वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में योजनागत व्यय 2010-11 तथा 2011-12 में लगभग 28 प्रतिशत पर बना रहा था।

चार्ट 1.7: योजनागत व्यय एवं गैर-योजनागत व्यय का विश्लेषण




### 1.3.3 राजस्व व्यय का विश्लेषण

#### (क) राजस्व व्यय का आधिक्य

शासकीय व्यय का अधिकांश भाग राजस्व व्यय की तरफ जाता है जिससे प्रायः सरकार की नई परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता तथा इससे सरकारी मशीनरी का नियमित परिचालन तथा रखरखाव किया जाता है। 2011-12 का कुल राजस्व व्यय ₹ 13,05,195 करोड़ था। जैसाकि नीचे चार्ट 1.8 में दिया गया है। राजस्व व्यय का लगभग दो तिहाई तीन संघटकों अर्थात् सहायता अनुदान, ब्याज भुगतान तथा आर्थिक सहायता की ओर था।



चार्ट 1.8: राजस्व व्यय के मुख्य घटक



नोट: डाटा 'ई-लेखा' पोर्टल से प्राप्त किया गया है। जर्नल प्रविष्टियाँ शामिल नहीं है। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 65000 करोड़ की आर्थिक सहायता को गिना नहीं गया।

दसवीं योजना अवधि के दौरान, वास्तविक व्यय के प्रति राजस्व व्यय का औसतन अंश लगभग 87 प्रतिशत था जो ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 88 प्रतिशत की औसत से बढ़ गया। 2008-09 में राजस्व व्यय का अंश व्यय के लगभग 92 प्रतिशत तक बढ़ा तथा 2010-11 में धीरे-धीरे घटकर लगभग 87 प्रतिशत तथा वर्तमान वर्ष में 88 प्रतिशत के लगभग तक कम हुआ।

राजस्व व्यय 2010-11 के दौरान 12.16 प्रतिशत के प्रति वर्तमान वर्ष के दौरान 10.04 प्रतिशत तक बढ़ गया। वचनबद्ध तथा अनिवार्य व्यय जैसे कि ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन तथा रक्षा संबंधित व्यय राजस्व व्यय का मुख्य अंश लेता है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, ब्याज भुगतान 11.98 प्रतिशत औसत दर पर बढ़ा जो दसवीं योजना अवधि के दौरान वृद्धि दर (5.40 प्रतिशत) के दोगुना



से अधिक था, जिसने बजट को वित्तपोषित करने हेतु ऋण पर अधिक भरोसे को दर्शाया। वर्तमान वर्ष में ब्याज भुगतानों में भारी वृद्धि (17 प्रतिशत) हुई थी। छोटे वेतन आयोग के निर्णय का परिणाम 2008-09 (62 प्रतिशत) में वेतन एवं भत्तों में पर्याप्त वृद्धि में हुआ। तथापि, वर्तमान वर्ष में, इस शीर्ष के अंतर्गत 11 प्रतिशत की वृद्धि थी। रक्षा व्यय, जिसमें राजस्व व्यय का लगभग आठ प्रतिशत दर्ज किया गया था, वर्तमान वर्ष में 12 प्रतिशत तक बढ़ा।


**(ख) राजस्व व्यय के प्रमुख घटक**

**सहायता अनुदान:** सामान्य तथा पूंजी निर्माण दोनों के लिए सहायता अनुदान वे अनुदान होते हैं जो राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों, विदेशी सरकारों या भारत की समेकित निधि से बाहर निकायों/प्राधिकरणों/हस्तियों को दिए जाते हैं। अनुदानों को उसी उद्देश्य जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए हैं, उपयोग किया जाना होता है तथा शेष अप्रयुक्त राशियों को अभ्यर्पित अथवा आवर्ती अनुदानों के मामले में भविष्य में समायोजित किया जाना होता है। सार्वजनिक वितरण के नए मॉडलों के संदर्भ में सहायता अनुदानों को एक केन्द्रीयता की भूमिका के रूप में माना गया है। चार्ट 1.8 सहायता अनुदानों को, सिविल मंत्रालयों हेतु राजस्व व्यय के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक के रूप में दर्शाती है। राजस्व व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात 2007-08 में 27 प्रतिशत रहा, जो चालू वर्ष में बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया।

**ब्याज भुगतान:** चार्ट 1.8 के अनुसार, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का दूसरा बड़ा घटक है। यह लोक ऋण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों पर ब्याज तथा सरकार की अन्य ब्याज सहित देयताओं जिसमें बीमा तथा पेंशन निधियां, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज, तथा बाजार स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत उधारों पर ब्याज भुगतान शामिल थे, का भुगतान करने की व्यवस्था करता है। राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान का अनुपात वर्ष 2007-08 में 24.5 प्रतिशत था जो चालू वर्ष में 22 प्रतिशत तक कम हो गया।

जैसाकि चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है, आन्तरिक ऋण (₹ 2,42,569 करोड़) के प्रति ब्याज भुगतान कुल ब्याज भुगतानों (₹2,86,982 करोड़) का 84 प्रतिशत बनता है।

चार्ट 1.9: ब्याज व्यय के प्रमुख घटक



स्रोत: संघ सरकार के 2011-12 के वित्त लेखे

कुल ब्याज भुगतान ₹ 2,86,982 करोड़, आंतरिक ऋण ₹ 2,42,569 करोड़, बाह्य ऋण ₹ 3,501 करोड़, लघु बचत एवं भविष्य निधि ₹ 25,110 करोड़ पेट्रोलियम बंधपत्रों पर ब्याज ₹ 10,551 करोड़ अन्य ₹ 5,251 करोड़।

**आर्थिक सहायता:** आर्थिक सहायता, आर्थिक लाभ (यथा कर भत्ता या शुल्क छूट) या वित्तीय सहायता (यथा नकद अनुदान या आसान ऋण) को प्रदर्शित करती है जो सरकार द्वारा किसी वस्तु के बाजार मूल्य को इसके लागत मूल्य कम करने के लिए प्रदान की जाती हैं। **तालिका 1.9** आर्थिक सहायताओं, जिसे सरकार ने दसवीं योजना अवधि और ग्यारहवीं योजना के अवधि के दौरान सुस्पष्ट रूप से प्रदान किया था, की स्थिति दर्शाती है। वर्तमान वर्ष में कुल आर्थिक सहायताएं चालू वर्ष 2010-11 से 23 प्रतिशत तक बढ़ी।

तालिका 1.9: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक सहायताएं

(₹ करोड़ में)

अवधि	खाद्य	उर्वरक @ (यूरिया)	उर्वरक # (विनियंत्रित)	पेट्रोलियम आर्थिक सहायता **	अन्य *	कुल आर्थिक सहायताएं	आर्थिक सहायताएं (अ)	आर्थिक सहायताएं (ब)
<b>औसत वार्षिक मूल्य</b>								
X वी योजना (2002-07)	23941^^	10969	5717	3971	2596	47194	1.42	9.42
<b>XI वी योजना (2007-12)</b>								
2007-08	31328	19556^	12934	2820	4288	70926	1.43	9.65
2008-09	43751	28048^	48555	2852	6502	129708	2.33	12.84
2009-10	58443	22184	39452	2951	6692	129722	1.98	12.27
2010-11	63844	24337	41500	38371	9695	177747	2.26	14.99
2011-12	72822	33924	36108	68481	6567	217902	2.46	16.69

@ देशी एवं आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

# विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

\* अन्य में इमदादी ब्याज, नैफेड को दिए गए अनुदान, विनिमय हानि हेतु क्षतिपूर्ति, हज घोषणा-पत्र हेतु आर्थिक सहायता आदि शामिल हैं।

\*\*प्रशासनिक मूल्य तंत्र के अन्तर्गत उनके दावों के निपटान में एवं संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण वसूलियों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के प्रति तेल कम्पनियों को क्रमशः 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान जारी किए गए, ₹ 20,554 करोड़, ₹ 75,942 करोड़ एवं ₹ 10,306 करोड़ के पेट्रोलियम बन्ध-पत्रों को शामिल नहीं करता। 2009-10 के दौरान संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण कम वसूलियों के लिए क्षतिपूर्ति के प्रति ₹ 12000 करोड़ का व्यय भी शामिल नहीं है।


^उर्वरक आर्थिक सहायता के प्रति क्षतिपूर्ति के रूप में उर्वरक कम्पनियों को 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान जारी किए गए क्रमशः ₹ 7,500 करोड़ (यूरिया हेतु ₹ 3,500 करोड़, विनियंत्रित उर्वरक हेतु ₹ 4,000 करोड़) एवं ₹ 20,000 करोड़ (यूरिया हेतु ₹ 3,000 करोड़ तथा विनियंत्रित उर्वरक हेतु ₹ 17,000 करोड़) के विशेष बंधपत्र को शामिल नहीं किया गया है।

(अ) स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में (ब) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में

2011-12 में पेट्रोलियम आर्थिक सहायताओं (₹ 30,110 करोड़) में अधिक वृद्धि हेतु कारणों को मुख्य रूप से घरेलू एल.पी.जी. की बिक्री तथा मिट्टी के तेल (पी.डी.एस.) प्रचालनों के कारण क्षतिपूर्ति के प्रति कम वसूलियों हेतु ₹ 30,000 करोड़ तक की तेजी से वृद्धि को आरोपणीय है।

दसवीं योजना तथा ग्यारहवीं योजना में सरकार द्वारा दी गई स्पष्ट आर्थिक सहायता के घटक नीचे चार्ट 1.10 में भी दर्शाए गए हैं। जैसा कि चार्ट तथा ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, आर्थिक सहायताओं में दसवीं योजना में स.घ.उ. के औसतन 1.42 प्रतिशत से ग्यारहवीं योजना में 2.17 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वास्तव में, यदि 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 वर्षों के लिए पेट्रोलियम बंधपत्रों तथा उर्वरक बंधपत्रों पर व्यय को आर्थिक सहायता के रूप में गिना जाए, ग्यारहवीं योजना में स.घ.उ. आर्थिक सहायताओं के रूप में प्रतिशतता 2.17 प्रतिशत से 2.57 प्रतिशत बढ़ी। 2011-12 में, सरकार द्वारा प्रदान की गई सुस्पष्ट आर्थिक सहायता स.घ.उ. का 2.46 प्रतिशत बनी। खाद्य आर्थिक सहायता का हिस्सा दसवीं योजना में 51 प्रतिशत से गिरकर ग्यारहवीं योजना में 37 प्रतिशत हो गया। दूसरी तरफ पेट्रोलियम आर्थिक सहायता का हिस्सा 8 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक दोगुना हो गया है।

चार्ट 1.10: सुस्पष्ट आर्थिक सहायता के घटक




आर्थिक सहायता न केवल सुस्पष्ट रूप से, अर्थात बजट के माध्यम से प्रदान की जाती है, बल्कि लोगों को इमदादी लोक सेवा प्रदान करके भी उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार की आर्थिक सहायताओं को सामान्यतया अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के रूप में नामित किया जाता है। वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को बजटीय सहायता, लो.क्षे.उ. में इसके निवेश से अपर्याप्त वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता की श्रेणी में आती है। तालिका 1.9 में प्रदर्शित आर्थिक सहायताएं केवल 'स्पष्ट आर्थिक सहायताएं' से संबंधित हैं जिनके लिए संबंधित वर्षों के संघ बजट में आबंटन किए जाते हैं। इस प्रकार, यह प्रवृत्तियां आंशिक चित्र प्रस्तुत करती है क्योंकि ये जन हित में सरकार द्वारा लागू किए गए मूल्य नियंत्रण के कारण अपने उत्पादों की कम वसूलियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में संबंधित कम्पनियों को विशेष बंध-पत्र/प्रतिभूतियों को जारी करके संघ सरकार द्वारा सृजित अतिरिक्त बजटीय देयताओं से विशिष्ट हैं। अगर इन अतिरिक्त बजटीय देयताओं को भी आर्थिक सहायता के रूप में माना जाता है तो आर्थिक सहायताओं पर संघ सरकार का व्यय तीव्रता से बढ़ेगा तथा आर्थिक सहायताओं पर किए जाने वाले वास्तविक व्यय को अधिक सटीकता से प्रदर्शित करेगा।

पेंशन भुगतान - पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 2007-08 में ₹24,261 करोड़ से बढ़कर ग्यारहवीं योजना अवधि में ₹61,166 करोड़ हो गया जिसने ग्यारहवीं योजना अवधि में 152 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। चार्ट 1.11, 2007-12 की अवधि की स्थिति को दर्शाता है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विचाराधीन रक्षा पेंशनों, के मामले में, पेंशन भुगतानों में 146 प्रतिशत तक वृद्धि हुई तथा यह ₹37,569 करोड़ बना जो संघ सरकार द्वारा किए गए कुल पेंशन भुगतान का 61 प्रतिशत था। सिविल पेंशन ₹9,017 करोड़ रही जो ग्यारहवीं योजना अवधि में बढ़कर ₹23,597 करोड़ हो गई और उसमें ग्यारहवीं योजना अवधि में 162 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।



चार्ट 1.11: 2007-12 की अवधि के लिए पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय




**रक्षा व्यय:** रक्षा क्षेत्र के राजस्व व्यय में, थल सेना (₹ 71,795 करोड़), जल सेना (₹ 12,059 करोड़), वायु सेना (₹ 17,322 करोड़), आयुध कारखानों (₹1,127 करोड़) अनुसंधान एवं विकास (₹ 5,321 करोड़) रक्षा पेंशन (₹ 37,569 करोड़) तथा रक्षा मंत्रालय (₹ 14,920 करोड़) के व्यय शामिल हैं। 2010-11 में, यह केन्द्रीय सरकार के कुल राजस्व व्यय का 12 प्रतिशत हुआ।

#### 1.3.4 पूंजीगत व्यय का विश्लेषण

पूंजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) जो परिसम्पत्ति अर्जन पर किए गए व्यय का तथा मौजूदा परिसम्पत्तियों के उपयोग में वृद्धि करने का सूचक है, जो पिछले वर्ष में ₹ 3,443 करोड़ (2 प्रतिशत) तक घटा तथा 2011-12 में ₹ 1,177,869 करोड़ पर रहा।

चार्ट 1.12 पूंजीगत व्यय का आबंटन - मुख्य क्षेत्र (प्रतिशत में)



रक्षा सेवाएं: ₹67,902 करोड़, परिवहन: ₹10,713 करोड़, रेलवे: ₹23,013 करोड़, सामान्य आर्थिक सेवाएं: ₹25,480 करोड़ और अन्य: ₹50,761 करोड़

चार्ट 1.12 दर्शाता है कि रक्षा सेवाओं, परिवहन, रेलवे तथा सामान्य आर्थिक सेवाओं ने चालू वर्ष में पूंजीगत व्यय का 71 प्रतिशत व्यय लेखाबद्ध किया।

- सामान्य आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय मुख्य रूप से 'सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम' में निवेशित ₹ 12,095 करोड़ (अर्थात 47 प्रतिशत), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि को अभिदत्त ₹ 4,054 करोड़ (16 प्रतिशत) तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु प्रदान किए कर्जे के लिए ₹ 7,270 करोड़ (28 प्रतिशत से अधिक) को आरोपणीय था।
- 'अन्य' के मामले में, व्यय का मुख्य खण्ड राज्य सरकारों को कर्जे एवं पेशगियों (₹10,016 करोड़), लक्षित/सार्वजनिक संवितरण प्रणाली 'खाद्य भण्डारण एवं गोदाम' के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के प्रापण कार्यों हेतु कर्जे (₹10,000 करोड़), 'पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय' (₹5,524 करोड़) तथा दिल्ली/बेंगलोर/कोलकाता/चैन्नई मेट्रो रेल निगम शहरी विकास हेतु कर्जे (₹3,463 करोड़) को आरोपणीय है।


### 1.3.5 योजनागत व्यय का विश्लेषण

संघ का 2007-08 में कुल योजनागत व्यय ₹ 2,05,082 करोड़ था जो 2010-11 के दौरान बढ़कर ₹ 3,79,065 करोड़ हो गया। यह 2011-12 के दौरान और बढ़कर ₹ 4,12,394 करोड़ हो गया जो वास्तविक व्यय का 27.81 प्रतिशत बना। व्यय द्वारा प्रमुख 10 अनुदानों (चार्ट 1.16) ने 2011-12 में संघ सरकार के कुल योजनागत व्यय का 71.6 प्रतिशत दर्ज किया। जैसा कि पहले दर्ज किया गया था कि दसवीं योजना में वास्तविक व्यय 24.17 प्रतिशत से ग्यारहवीं योजना में 26.30 प्रतिशत तक बढ़ गया।

### 1.3.6 सरकार के मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम- पिछले तीन वर्षों में वास्तविक व्यय

संघ सरकार ध्वजपोत कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य विकास प्राथमिकताओं पर लक्ष्य कर रही है। नीचे **चार्ट 1.13** 2009-12 की अवधि के दौरान इन मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय को दर्शाता है।

**चार्ट 1.13: ग्यारहवीं योजना के दौरान ध्वजपोत कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय**



\* स.शि.अ.=सर्व शिक्षा अभियान, दो.भो.यो.=दोपहर के भोजन की योजना, रा.ग्रा.रो.आ.यो.=राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन योजना, रा.गा.ग्रा.वि.यो.=राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इं.आ.यो.=इंदिरा आवास योजना, प्र.मं.ग्रा.स.यो.=प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रा.ग्रा.स्वा.यो.=राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

उपर दर्शाई गई सात ध्वजपोत योजनाओं पर कुल व्यय 2009-10 में ₹93,143 करोड़ से 2010-11 में ₹1,18,649 करोड़ तथा चालू वर्ष में ₹1,09,379 करोड़ तक घट गया है। **चार्ट 1.13** तथा **तालिका 1.10** से यह देखा जा सकता है कि मा.गा.रा.ग्रा.रो.आ.यो., रा.गा.ग्रा.वि. यो., इं.आ.यो. तथा प्र.मं.ग्रा.स.यो. जैसी मुख्य योजनाओं में, जब उनकी पिछले वर्ष से तुलना की गई तथा बजट अनुमानों से तुलना में भी व्यय में गिरावट देखी गई।

**तालिका 1.10: पिछले तीन वर्षों में सरकार के कुल मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम - वास्तविक व्यय बनाम बजट अनुमान (ब.अ.)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रम	2009-10			2010-11			2011-12		
		ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)
1	स.शि.अ.	13100	12825	(-)2.10	15000	19637	30.90	20413	20841	2.10
2	दो.भो.यो.	8000	6932	(-)13.40	9440	9118	(-)3.40	10061	9891	(-)1.69
3	रा.ग्रा.रो.आ.यो.	39100	33538	(-)14.20	40100	35841	(-)10.60	40000	29213	(-)26.97




(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रम	2009-10			2010-11			2011-12		
		ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)
4	रा.गा.ग्रा.वि.यो.	6300	5000	(-)20.64	5500	5000	(-)9.10	6000	2237	(-)62.72
5	इं.आ.यो.	8800	8800	-	10000	10337	3.40	10000	9872	(-)1.28
6	प्र.मं.ग्रा.स.यो.	12000	11340	(-)5.50	12000	22400	86.70	20000	19342	(-)46.34
7	रा.ग्रा.स्वा.मि.	15534	14708	(-)5.32	17138	16316	(-) 4.80	19838	17983	(-)9.35
		<b>102834</b>	<b>93143</b>		<b>109178</b>	<b>118649</b>		<b>126312</b>	<b>109379</b>	

### 1.3.7 योजनागत व्यय के मुख्य घटक<sup>5</sup>

जैसा कि चार्ट 1.14 से देखा जा सकता है कि अनुदान सहायता, निवेश, कर्जे एवं आर्थिक सहायता योजनागत व्यय का 89 प्रतिशत बनते हैं। सिविल मंत्रालयों के मामले में 2011-12 के दौरान अनुदान सहायता कुल योजनागत व्यय का 75 प्रतिशत बनती है। पूंजीगत संबंधित योजनागत व्यय कुल योजनागत व्यय के 12 प्रतिशत तक निम्न था। योजनागत व्यय के मंत्रालय वार /अनुदान -वार घटक अनुबंध 1-क में दिए गए हैं

चार्ट 1.14 योजनागत व्यय के मुख्य घटक




टिप्पणी - 'ई-लेखा' पोर्टल से लिए गए डाटा (डाक एवं दूर संचार तथा रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा) जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।

<sup>5</sup>डाक तथा रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा



**चार्ट 1.15** ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कुल योजनागत व्यय के भाग के रूप में अनुदान सहायता (पूँजीगत निर्माण और वेतन हेतु अनुदान सहायता सहित) को दर्शाता है। अनुदान सहायता कुल योजनागत व्यय के 76 प्रतिशत तथा 79 प्रतिशत के बीच थी।

**चार्ट 1.15:** कुल योजनागत व्यय के अनुपात के रूप में सहायता अनुदान (पूँजीगत निर्माण हेतु सहायता अनुदान सहित)




टिप्पणी: 'ई-लेखा' पोर्टल से लिए गए डाटा (डाक तथा रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।

### 1.3.8 मुख्य मंत्रालयों में योजनागत व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात

नीचे **चार्ट 1.16** 2011-12 में वृहत योजनागत व्यय वाले 10 मंत्रालयों/विभागों हेतु योजनागत व्यय के भीतर सहायता अनुदान के अनुपात को दर्शाता है।

चार्ट 1.16: मुख्य मंत्रालयों/विभागों में कुल योजनागत व्यय के अनुपात के रूप में सहायता अनुदान (पूँजीगत निर्माण हेतु सहायता अनुदान सहित)



\* राशि ₹ करोड़ में

टिप्पणी: अ.स.=अनुदान सहायता, यो.व्य.=योजनागत व्यय, रा.सं.शा.क्षे.स.अ.=राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण, ग्रा.वि.=ग्रामीण विकास, स्कू.शि.सा.=स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, स.प.रा.=सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, स्वा.प.क.=स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृ.स.=कृषि एवं सहकारिता, म.बा.वि.=महिला एवं बाल विकास, वि.से.=वित्तीय सेवाएं, उ.शि.=उच्चतर शिक्षा, पे.ज.आ.=पेय जल आपूर्ति

टिप्पणी: 'ई-लेखा' पोर्टल से लिए गए डाटा (डाक तथा रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है।

जैसाकि स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, महिला एवं बाल विकास तथा पेय जलापूर्ति, ग्रामीण विकास, मंत्रालय/विभागों में लगभग समग्र योजनागत व्यय में निकायों/अप्राधिकरणों/ राज्य सरकारों को सहायता अनुदान का संवितरण शामिल था।

### 1.3.9 राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना सहायता की सुपुर्दगी की पद्धति

नीचे तालिका 1.11 दर्शाती है कि कुल योजनागत व्यय को केन्द्रीय योजना-सहायता के सीधे अंतरण का अनुपात 2007-08 में 26.71 प्रतिशत से 2011-12 में 26.47 प्रतिशत तक कुछ बढ़ा।

तालिका 1.11: राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना सहायता का सीधा अंतरण

(₹ करोड़ में)


वर्ष	सीधे अन्तरण की राशि (जैसा व्यय बजट, संस्करण-1, विवरणी सं. 18 में है)	कुल योजना व्यय	कालम 3 से कालम 2 की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)
2007-08	54776	205082	26.71

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सीधे अन्तरण की राशि (जैसा व्यय बजट, संस्करण-1, विवरणी सं. 18 में है)	कुल योजना व्यय	कालम 3 से कालम 2 की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)
2008-09	83224	275301	30.23
2009-10	90521	303593	29.82
2010-11	118740	379065	31.32
2011-12	109173	412394	26.47

सीधे अंतरण के साथ-साथ राज्य सरकार के माध्यम से अंतरण : अगर सीधे अंतरण के अनुपात को केन्द्रीय सरकार द्वारा ही गई सहायता अनुदान की कुल राशि के प्रति देखा जाता है तो 2011-12 में सीधा अंतरण कुल योजना अनुदान सहायता के 54 प्रतिशत पर रहा। इसे नीचे चार्ट (चार्ट 1.17) में दर्शाया गया है। यह स्पष्ट है कि निकायों/प्राधिकरणों को अन्तरण राज्य सरकारों को अनुदान के संवितरण की तुलना में अन्तरण संसाधन अन्तरण का एक अधिक पसंदीदा तरीका बन गया है।

चार्ट 1.17 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को अन्तरण बनाम सीधे अन्तरण का अनुपात



टिप्पणी : 'ई-लेखा' पोर्टल से लिए गए डाटा (डाक एवं रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियाँ शामिल नहीं होती।

जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि सहायता अनुदान में सीधे अंतरण का अंश ग्यारहवीं योजना अवधि में 55.05 प्रतिशत था। नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा बार-बार प्रकट किया मुख्य चिंता का विषय कि कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उपयोग की निधियों के लेखे शीघ्र ही उपलब्ध नहीं थे तथा यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या इन अभिकरणों के पास अप्रयुक्त निधियाँ पड़ी हैं। इस मुद्दे पर अध्याय-6 में विस्तृत रूप विचार-विमर्श किया गया है।



### 1.3.10 विगत पांच वर्षों के लिए व्यय का विषय शीर्ष-वार विश्लेषण

एक अनुदान अथवा विनियोजन मानक विषय के द्वारा वितरित की जाती है जिसके अंतर्गत इसे लेखाबद्ध किया जाएगा। प्रत्येक मानक विषय, जिसके प्रति व्यय हेतु प्रावधान प्रकट होता है, विनियोजन की एक प्राथमिक इकाई का गठन करता है। विनियोजन की यह प्राथमिक इकाई विषय शीर्ष कहलाती है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान जिन पाँच वस्तु शीर्षों पर सर्वाधिक व्यय हुआ उन्हें नीचे की तालिका 1.12 में दिया गया है तथा व्यय की प्रवृत्ति तालिका के बाद दिये गये चार्ट 1.18 में दर्शायी गयी है। उधारियों का पुनर्भुगतान और सहायता अनुदान वर्णित अवधि में वृहत वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.12: 2007-12 के दौरान वृहत व्यय वाले पाँच विषय शीर्ष

वस्तु शीर्ष	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
56- उधारियों के पुनर्भुगतान	16,04,110	21,64,561	30,85,792	28,02,774	34,95,929
सहायता अनुदान <sup>6</sup>	1,97,947	2,64,606	2,91,447	3,52,648	3,67,254
45- ब्याज	1,79,870	2,00,973	2,22,777	2,45,701	2,89,288
33- आर्थिक सहायता	94,523	1,67,461	1,46,437	1,57,817	1,70,132*
63- अंतर खाता अंतरण	56,444	73,663	1,02,073.78	1,13,943	89,436


₹ करोड़ में

टिप्पणी: डाटा स्रोत: 'ई-लेखा' (डाक एवं रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं होती हैं।

\* यह आंकड़ा अन्य प्रभागों के रूप में ₹ 65000 करोड़ गलत वर्गीकरण शामिल नहीं हैं।

<sup>6</sup> इसमें तीनों विषय शीर्षों अर्थात् 31-सहायता अनुदान सामान्य, 35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान, 36-सहायता अनुदान वेतन।

चार्ट 1.18: 2007-12 के दौरान पांच बड़े विषय शीर्षों हेतु प्रवृत्ति विश्लेषण



चार्ट 1.18 दर्शाता है कि भारत सरकार के व्यय का एकमात्र सर्वप्रमुख घटक इसकी उधारियों का पुनर्भुगतान, अर्थात् विषय शीर्ष 56 (चार्ट में द्वितीय अक्ष पर दर्शाया गया) है। उधारियों के पुनर्भुगतान पर व्यय वर्ष 2007-08 में ₹16,04,111 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹34,95,929 करोड़ यानी लगभग दुगुना हो गया। संघ सरकार के अन्य बड़े घटक सहायता अनुदान, ब्याज, आर्थिक सहायता तथा अंतर-खाता अन्तरण थे।

पिछले वर्षों से 2011-12 में व्यय के बुकिंग में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले विषय शीर्ष निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका: पिछले वर्षों से 2011-12 में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले पाँच विषय शीर्ष

विषय शीर्ष	2010-11 में व्यय	2011-12 में व्यय	प्रतिशत में वृद्धि
12- विदेश यात्रा व्यय	394.33	1,080.97	174%
42- एकमुश्त प्रावधान	135.69	312.74	130%
22- अस्त्र-शस्त्र	985.47	1,584.85	61%
50- अन्य प्रभार	54,595.71	79,423.84	45%
20- अन्य प्रशासनिक व्यय	645.69	927.87	44%

आगे विश्लेषण ने उजागर किया कि:


- विदेश यात्रा पर व्यय 174 प्रतिशत तक बढ़ा अर्थात वर्ष 2010-11 में ₹394.33 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹1,080.97 करोड़ हो गया। एक मंत्रालय/अनुदान-वार विश्लेषण उद्घाटित करता है कि मंत्रिमंडल से संबंधित अनुदान, विदेश यात्रा पर व्यय वर्ष 2010-11 के ₹51.68 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹677.54 करोड़ हो गये और अंततः एक वर्ष में समग्रतः करीब तिगुनी वृद्धि में योगदान दिया। जैसाकि पैरा 4.19 में दर्ज किया गया है कि विदेश यात्रा व्यय में अति विशिष्ट व्यक्ति यात्रा हेतु प्रयोग में लाए गए वायुयान के अनुरक्षण हेतु भुगतान पर विदेश यात्रा व्यय के रूप में ₹381.28 करोड़ का गलत वर्गीकृत व्यय भी शामिल है।
- एकमुश्त प्रावधान पर व्यय वर्ष 2010-11 के ₹135.69 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 312.74 करोड़ हो गया। इसका मुख्य कारण आर्थिक मामले विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में एकमुश्त प्रावधान पर ₹ 300.00 करोड़ का व्यय था। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में निहित निर्देशों के अनुसार एकमुश्त प्रावधान ₹ 10.00 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए और सभी अन्य मामलों में व्यय विवरण दिये जाने चाहिए।
- यह देखा गया था कि अस्त्र-शस्त्रों पर व्यय का 98 प्रतिशत से अधिक दोनों वर्षों में पुलिस से संबंधित अनुदान में दर्ज किया गया था, जो 2010-11 में ₹ 981 करोड़ से 2011-12 में ₹1,571 करोड़ तक बढ़ गया।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा पेंशन मंत्रालय ने विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत व्यय में 45 प्रतिशत बुकिंग वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया था। 2011-12 में ₹ 65,000 करोड़ का व्यय शामिल है जो 'आर्थिक सहायता' के स्थान पर 'अन्य प्रभारों' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया। जैसाकि पैरा 4.19 में चर्चा की गई है।
- अन्य प्रशासनिक व्ययों से संबंधित विषय शीर्ष के मामले में पिछले वर्ष से 44 प्रतिशत की वृद्धि थी जो सभी अनुदानों में वितरित की गई।

#### 1.4 व्यय का समय विश्लेषण

व्यय प्रबंधन का एक मुख्य पहलू वर्ष की समाप्ति की ओर व्यय के घनत्व से बचना है। वित्त मंत्रालय ने मार्च माह तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय को बजट अनुमानों के क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक सीमित करने हेतु सितम्बर 2007 में मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए। नीचे चार्ट 1.19 दर्शाता है कि कैसे कुल व्यय तथा योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय (रक्षा, रेलवे, डाक एवं दूरसंचार को छोड़कर) का वित्तीय वर्ष में संवितरण हुआ।



चार्ट 1.19: व्यय का माह वार प्रवाह (प्रतिशत में)



भा.स.नि. = भारत की समेकित निधि

टिप्पणी: 'ई लेखा' पोर्टल से लिए गए डाटा (रक्षा, डाक एवं संचार तथा रेलवे से संबंधित अनुदान एवं अनुदान सं. 37 अर्थात् ऋण का विनियोजन-पुनर्भुगतान के अलावा) जर्नल प्रविष्टियां अन्तः लेखा अंतरण तथा वसूलियां शामिल नहीं हैं।

# इस चार्ट में अन्तर लेखा अन्तरण को शामिल न किए जाने के कारण भा.स.नि. से माह-वार व्यय की प्रतिशतता अनुबंध 1-ख के साथ मेल नहीं खाती है।

सिविल मंत्रालयों<sup>7</sup> हेतु भारत की समेकित निधि से सरकार के कुल व्यय का विश्लेषण दर्शाता है कि कुल वार्षिक व्यय का 18 प्रतिशत मार्च 2012 एवं 34 प्रतिशत वर्ष 2011-12 के अंतिम तिमाही में किया गया था। इसका मुख्य कारण मार्च 2012 में योजनागत व्यय में तीव्र वृद्धि था। योजनागत व्यय तिमाही रूप से 2011 के जून, सितम्बर तथा दिसम्बर में उंचाई पर था तथा मार्च 2012 में कुल योजनागत व्यय के 20 प्रतिशत की सुस्पष्ट वृद्धि को दर्शाता है। गैर-योजनागत व्यय जो वार्षिक व्यय का प्रत्येक माह 5 से 11 प्रतिशत के बीच, औसत या जो वर्ष के लिए कुल गैर-योजनागत व्यय की मार्च 2012 में 17 प्रतिशत तक की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।

**मंत्रालय/विभाग वार समय विश्लेषण:** तालिका 1.14 में एक अनुदान वार विश्लेषण दर्शाता है कि 16 अनुदानों के मामले में कुल व्यय के 23 प्रतिशत से ऊपर मार्च 2012 में व्यय किया गया था। वित्तीय सेवाएं मंत्रालय तथा आर्थिक मामले विभाग के मामले में कुल व्यय का 67 प्रतिशत तथा 56 प्रतिशत मार्च के अंतिम दिन किया गया था। मंत्रालय-वार /अनुदान-वार व्यय का समय विस्तृत विश्लेषण अनुबंध 1-ख में दिया गया है:-

<sup>7</sup> डाक (अनुदान सं. 13), रक्षा (अनुदान सं. 22 से 27) तथा ऋण पुनर्भुगतान (अनुदान सं. 37) को छोड़कर

तालिका 1.14 मार्च 2012 में व्यय का विश्लेषण

अनुदान सं	अनुदान का नाम	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च में व्यय (अनुपूरक लेखे सहित) (₹ करोड़ में)	मार्च में व्यय की प्रतिशतता (अनुपूरक लेखे सहित)	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय की प्रतिशतता
033	वित्तीय सेवाएं विभाग	20824	15692	75%	14044	67%
032	आर्थिक मामले विभाग	21455	12632	59%	11963	56%
082	ग्रामीण विकास विभाग	106841	52608	49%	43370	41%
088	जहाजरानी मंत्रालय	1664	758	46%	68	4%
075	विद्युत मंत्रालय	7091	3187	45%	2305	32%
074	योजना मंत्रालय	1330	437	33%	181	14%
073	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	70101	22740	32%	1	0%
069	भारतीय प्रवासी मंत्रालय	78	21	27%	6	8%
015	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2075	559	27%	399	19%
081	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	38280	9919	26%	8632	23%
035	राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र को अन्तरण	136895	35191	26%	33125	24%
093	कपड़ा मंत्रालय	5054	1225	24%	791	16%
100	लक्षद्वीप	894	215	24%	133	15%
010	कायला मंत्रालय	402	96	24%	63	16%
053	मंत्रीमण्डल	1030	243	24%	146	14%
056	संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	1489	349	23%	168	11%

टिप्पणी: ई लेखा पोर्टल से लिए गए डाटा (रक्षा, डाक तथा रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।

उन मंत्रालयों जहाँ वित्त वर्ष के अंतिम दिन को एक महत्वपूर्ण धन राशि खर्च की गयी थी, के संबंध में आगे एक विश्लेषण ने उदघाटित किया कि-

- कुल ₹43,370 करोड़ में से, ₹43,316 करोड़ की राशि, जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मार्च 2012 के अंतिम दिन खर्च की गयी कुल राशि की 99.87 प्रतिशत, तीन विषय शीर्षों यथा अंतर खाता अंतरण (₹42,578 करोड़), पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों (₹551 करोड़) तथा सहायता अनुदान सामान्य (₹187 करोड़) पर खर्च की गयी थी।
- इसी प्रकार, कुल ₹14,044 करोड़ में से, ₹13,902 करोड़ राशि, आर्थिक मामले विभाग द्वारा मार्च 2012 के अंतिम दिन खर्च की गयी कुल राशि का 98.98 प्रतिशत तथा वि.व. 2011-12 के दौरान किये गये कुल व्यय की भी 66.75 प्रतिशत थी, तीन विषय शीर्षों निवेशों (₹13,095 करोड़), जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुर्नपूंजीकरण के लिए ₹12000 करोड़, नबार्ड के अंश पूंजीगत के अंशदान के रूप में ₹1000 तथा जी.बी.नि. के इक्विटी पूंजीगत के



रूप में ₹95 करोड़ शामिल थे। अंतर खाता अंतरण (₹625 करोड़) और आर्थिक सहायता (₹182 करोड़) जिसमें आवासीय ऋण पर एक प्रतिशत आर्थिक सहायता पर ₹127 करोड़ तथा किसानों को लघु अवधि जमा प्रदान करने हेतु ब्याज आर्थिक सहायता पर ₹55 करोड़ शामिल है) पर खर्च की गयी थी।

- इसी प्रकार, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ₹ 11,963 करोड़ में से मार्च 2012 के अंतिम दिन ₹ 10,754 करोड़ की राशि का व्यय किया गया जो कुल राशि का 89.89 प्रतिशत था, तीन विषय शीर्षों अर्थात् ऋणों एवं अग्रिमों (उधार लेने के नए प्रबंधन के अंतर्गत आई.एम.एफ. के ऋण के रूप में ₹ 7,270 करोड़), निवेश (₹ 2,468 करोड़) जिसमें अफ्रीकन विकास बैंक के लिए ₹ 2,445 करोड़ शामिल है), तथा आर्थिक सहायता (₹ 1,016 करोड़ लाभांश राहत के प्रति रेलवे को आर्थिक सहायता) के रूप में खर्च की गयी थी।

**विषय शीर्षवार सामयिक विश्लेषण:** संघ सरकार के लेखाओं के कोडिंग प्रतिमान के अनुसार एक उप-शीर्ष योजनाओं को प्रस्तुत करता है, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को प्रस्तुत करता है तथा विषय शीर्ष अंतिम शीर्षों (अर्थात् वेतन, दै.भ., म.कि.भ., पुरस्कार, उपदान आदि) को प्रस्तुत करता है जिन पर व्यय किया गया है। सिविल मंत्रालयों में विषय शीर्ष स्तर पर व्यय की जाँच ने प्रकट किया कि तालिका 1.15 में निम्नलिखित मामलों में उल्लेखनीय व्यय घनत्व था:

तालिका 1.15: मार्च 2012 में हुए विषय शीर्ष व्यय का विश्लेषण

विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का विवरण	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च में व्यय (अनुपूरक लेखा सहित) (₹ करोड़ में)	मार्च में व्यय की प्रतिशतता (अनुपूरक लेखा सहित)	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च के अंतिम दिवस पर कुल व्यय की प्रतिशतता
64	बट्टे खाते/हानियाँ	2779	2689	97%	2689	97%
36	सहायता अनुदान वेतन	2049	1903	93%	1872	91%
63	अन्त लेखा अंतरण	90975	*66131	73%	*66239	73%
54	निवेश	35800	17734	50%	16815	47%
05	पुरस्कार	37	17	45%	4	11%
60	अन्य पूंजीगत व्यय	1789	739	41%	5	नगण्य
25	स्कंदन एवं खेमा	448	171	38%	36	8%
16	प्रकाशन	411	147	36%	48	12%
42	एकमुश्त प्रावधान	313	106	34%	45	14%
50	अन्य प्रभार	79445	24721	31%	875	1%
26	विज्ञापन एवं प्रचार	1558	486	31%	136	9%
53	मुख्य निर्माण कार्य	21266	6348	30%	4326	20%

\* मार्च माह के लिए व्यय आंकड़े माह के दौरान वसूलियों के संबंध में हुई प्रविष्टियों के कारण अंतिम दिन के व्यय आंकड़े बढ़ गए।




विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का विवरण	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च में व्यय (अनुपूरक लेखा सहित) (₹ करोड़ में)	मार्च में व्यय की प्रतिशतता (अनुपूरक लेखा सहित)	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च के अंतिम दिवस पर कुल व्यय की प्रतिशतता
20	अन्य प्रशासनिक व्यय	928	275	30%	17	2%

टिप्पणी: ई लेखा पोर्टल से लिए गए डाटा (रक्षा (अनु. 22 से 27), डाक (अनु.13) तथा रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।

सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय को एक साथ करने के कारणों की जांच करनी चाहिए विशेष रूप से वर्ष के अंत में निवेश, अन्य पूंजीगत निवेश, विज्ञापन एवं प्रचार, प्रमुख निर्माण कार्य तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों के मामले में।

### 1.5 ऋण एवं घाटे के सूचक

बाक्स-1.3 भारत सरकार की राजकोषीय देयताएं



जहां बजट के संतुलन हेतु ऋण पर भरोसा करने से नहीं बचा जा सकता, संघ सरकार ने राजकोषीय सुधार तथा बजट प्रबंधन (रा.सु.प्र.ब.) अधिनियम, 2003 के माध्यम से उधारों पर विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की तथा राज्य सरकारों को राजकोषीय सुधार विधान के माध्यम से अपनी देयताओं पर सीमाएं निर्धारित करने हेतु प्रोत्साहित किया। रा.सु.ब.प्र. नियमावली निर्धारित

करती हैं कि केन्द्र सरकार वित्त वर्ष 2004-05 के लिए स.घ.उ. के 9 प्रतिशत की अधिकता में अतिरिक्त देयताओं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण को शामिल करते हुए) को ग्रहण नहीं करेगी और आने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष में स.घ.उ. 9 प्रतिशत की सीमा को स.घ.उ. के कम से कम एक प्रतिशत को उत्तरोत्तर घटाया जाना था। तालिका 1.16 दसवीं योजना औसत की तुलना में स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कुल देयताओं में घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह मुख्यतः हाल के वर्षों में स.घ.उ. की वृद्धि कुल देयताओं में वृद्धि से काफी अधिक रहने के कारण थी। तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि संघ सरकार को 2014-15 तक अपने ऋण स्टॉक को स.घ.उ. के 44.8 प्रतिशत तक कम करना चाहिए।

तालिका 1.16: राजकोषीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

अवधि	संघ सरकार आन्तरिक ऋण	बाह्य ऋण ऐतिहासिक दरों पर	लोक लेखा*	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर)
X वीं योजना (2002-07) औसत	1274620 (38.42)	72715 (2.19)	368973 (11.12)	1716307 (51.74)	193395 (5.83)	1836987 (55.37)
XI वीं योजना (2007-12) औसत	2410855 (35.96)	139377 (2.08)	556326 (8.30)	3106559 (46.34)	265049 (3.95)	3232230 (48.22)
2007-08	1799651 (36.37)	112031 (2.26)	466602 (9.43)	2378284 (48.07)	210104 (4.25)	2476357 (50.05)
2008-09	2019841 (36.18)	123046 (2.20)	556235 (9.96)	2699122 (48.35)	264059 (4.73)	2840135 (50.87)
2009-10	2328339 (36.06)	134083 (2.08)	583279 (9.03)	3045701 (47.17)	249306 (3.86)	3160924 (48.95)
2010-11	2667115 (34.75)	157639 (2.05)	586458 (7.64)	3411212 (44.45)	278877 (3.63)	3532450 (46.03)
2011-12	3230622 (36.48)	170088 (1.92)	597765# (6.75)	3998475 (45.15)	322897 (3.65)	4151284 (46.88)

टिप्पणी: स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कोष्ठको में दर्शाए गए आंकड़े

\* 1999-2000 से लोक लेखा देयताएं लघुबचतों के लेखे विशेष राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के प्रसार तक लघु बचतों के कारण देयताओं को शामिल नहीं करती हैं।

# 31.03.2012 तक लोक लेखा देयताएं ₹ 11,16,542 करोड़ पर रहीं, जिसमें राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में ₹ 5,17,277 करोड़ का निवेश तथा 2007-08 सम भा.अ.वि.कं.लि. में ₹ 1,500 करोड़ का निवेश शामिल है।

31 मार्च 2012 को, आंतरिक ऋण ने कुल लोक ऋण का लगभग 95 प्रतिशत संघटित किया। वित्त वर्ष के दौरान, सरकार ने आंतरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 2,42,569 करोड़ की राशि का भुगतान किया। आंतरिक ऋण पर अदा किये गये 78 प्रतिशत (₹ 1,89,416 करोड़) से अधिक के ब्याज वाले बाजार ऋण पर ब्याज, (विभिन्न दरों के) संगठित किए। 2011-12 के द्वारा भारत द्वारा अदा किए बाह्य ऋण (₹ 3,501 करोड़), के ब्याज पर किये गये भुगतान का लगभग 68 प्रतिशत (₹ 2382 करोड़) अंश अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा जापान सरकार से कर्जे के प्रति था।



तालिका 1.17: ऋण प्राप्ति तथा ऋण पुनर्भुगतान


(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	आंतरिक ऋण पर ब्याज का पुनर्भुगतान	बाह्य ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	बाह्य ऋण पर ब्याज का पुनर्भुगतान	ऋण का कुल पुनर्भुगतान	कुल गैर-ऋण प्राप्तियां
2007-08	1596617	146800	7493	3927	1754837	698613
2008-09	2154553	164164	10007	4195	2332919	667922
2009-10	3074652	180504	11139	3629	3269924	741837
2010-11	2802999	201841	11774	3156	3019770	984785
2011-12	3482343	242569	13586	3501	3741999	965183

तालिका 1.17 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए सरकार के गैर-ऋण प्राप्तियों के समक्ष ऋण के पुनर्भुगतान (मूलधन तथा ब्याज) की मात्रा को दर्शाती है। 2007-08 के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान गैर-ऋण प्राप्तियों का 251 प्रतिशत था और 2011-12 में 388 प्रतिशत तक बढ़ गया था। इसके अतिरिक्त, 2007-08 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति ऋण का कुल पुनर्भुगतान 270 प्रतिशत तक था, जो 2011-12 में 411 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

### 1.5.1 राजस्व घाटा

बाक्स 1.4: घाटे के प्रकार



राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के बीच अंतर को प्रस्तुत करता है। राजस्व घाटा बिना तदनुरूप पूँजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि के कारण बनता है। अतः राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए, लिए गए उधार का कोई भी परिसंपत्ति संबल नहीं होता तथा यह एक बेमेल परिसंपत्ति व देयता का सृजन करता है। इन कारणों से राजस्व घाटा साधारणतया कम



वांछनीय समझा जाता है। राजस्व घाटे में प्रवृत्तियां तथा उसके कुछ मुख्य पैरामीटर **तालिका 1.18** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.18: राजस्व घाटा तथा उसके पैरामीटर

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	राजस्व घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा		
				स.घ.उ.	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
X वीं योजना (2002-07) औसत	394426	500825	106399	3.21	26.98	21.24
XI वीं योजना (2007-12) औसत	770152	1058775	288623	4.31	37.48	27.26
2007-08	649426	734861	85435	1.73	13.16	11.63
2008-09	653847	1010224	356377	6.38	54.50	35.28
2009-10	704523	1057479	352956	5.47	50.10	33.38
2010-11	932686	1186115	253429	3.30	27.17	21.37
2011-12	910277	1305195	394918	4.46	43.38	30.26

**तालिका 1.18** दर्शाती है कि औसतन स.घ.उ. की संबंध में ग्यारहवीं योजना में 4.31 प्रतिशत का राजस्व घाटा दसवीं योजना के राजस्व घाटे (3.21 प्रतिशत) से काफी अधिक था। इसके अतिरिक्त, जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है 2010-11 में गिरावट दर्शाने के बाद 2011-12 में राजस्व घाटा बढ़ गया। वर्ष 2011-12 में राजस्व घाटे में अपकर्ष को राजस्व व्यय में 10.04 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व प्राप्ति में 2.40 प्रतिशत की कमी की वजह से कहा जा सकता है।

### 1.5.2 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के उपर वास्तविक व्यय का आधिक्य है। यह सरकार के कुल उधारों तथा इसके बकाया ऋण के प्रति वृद्धि को भी इंगित करता है। यह सामान्यतः सरकार की निवल वर्धनीय देयताओं या राजस्व या व्यय के मध्य बजटीय अन्तर को पाटने के लिए इसके द्वारा लिए गए अतिरिक्त लोक ऋण का प्रतिनिधित्व करता है। कमी को अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाह्य) या लोक लेखे से अतिरिक्त निधियों के प्रयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है। मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्ति के साथ साथ राजकोषीय घाटा प्रवृत्ति **तालिका 1.19** में इंगित की गई है।

तालिका 1.19: राजकोषीय घाटा तथा इसके पैरामीटर

अवधि	गैर ऋण प्राप्ति	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा		
				स.घ.उ.	गैर-ऋण प्राप्ति	वास्तविक व्यय
Xवीं योजना (2002-07) औसत	440415	573852	133437	4.02	30.30	23.25
XIवीं योजना (2007-12) औसत	811668	1198142	386474	5.77	47.61	32.26
2007-08	698613	863575	164962	3.33	23.61	19.10
2008-09	667922	1102366	434444	7.79	65.04	39.41
2009-10	741837	1174280	432443	6.70	58.29	36.83
2010-11	984785	1367427	382642	4.99	38.86	27.98
2011-12	965183	1483064	517881	5.85	53.66	34.92

राजस्व घाटे के मामले की तरह ही, ग्यारहवीं योजना औसत राजकोषीय घाटा में 5.77 प्रतिशत पर दसवीं योजना में जितना था उससे अधिक था। पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटे में चालू वर्ष में अपकर्ष देखा गया।

यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश भाग पूंजीगत व्यय को कायम रखने के लिए या पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों के लिए वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है। तालिका 1.20 ग्यारहवीं योजना अवधि के साथ-साथ दसवीं योजना अवधि में राजकोषीय घाटे के संघटकों की गति को दर्शाती है।

तालिका 1.20: राजकोषीय घाटे के संघटक

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्ज एवं पेशगियां
Xवीं योजना (2002-07) औसत	79.74	31.22	(-)10.96
XIवीं योजना (2007-12) औसत	74.68	24.35	0.97
2007-08	51.79	47.37	0.84
2008-09	82.03	17.72	0.25
2009-10	81.62	17.60	0.78
2010-11	66.23	30.79	2.98
2011-12	76.26	23.44	0.30

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है 2011-12 में निवल पूंजीगत व्यय ने 2010-11 से महत्वपूर्ण गिरावट दर्शाई।

निम्न तालिका 1.21 वर्ष 2011-12 में पूर्व वर्षों में बजटों के साथ रखे गए मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणों (म.अ.रा.नि.वि.) में मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों - राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लिए तय किए गए लक्ष्य प्रस्तुत करती है। वर्तमान वर्ष में राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा दोनों को बजट अनुमानों में निर्दिष्ट सीमा से बहुत ऊपर थे।




तालिका 1.21: रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अन्तर्गत लक्ष्यों के समक्ष परिणाम (स.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)

राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी.वि. 2009-10 में वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. 2010-11 में वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. में बजट अनुमान 2011-12	वास्तविक स्तर
राजस्व घाटा	1.5	3.4	3.4	4.46
राजकोषीय घाटा	4.0	4.8	4.6	5.85

### 1.5.3 बाह्य ऋण: अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

31 मार्च 2012 को, अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता ₹1,48,182 करोड़ थी। चार्ट 1.20 विभिन्न स्रोतों से बाह्य सहायता का वर्ष-वार कुल अनाहारित शेष दर्शाता है। सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से क्षेत्रवार विवरण इंगित करता है कि शहरी विकास (₹30,786 करोड़), सड़कें (₹19,984 करोड़), जल संसाधनों (₹12,945 करोड़), विद्युत (₹14,365 करोड़), पर्यावरण तथा वनीय (₹12,078 करोड़) क्षेत्रों में बड़े अनाहारित शेष थे।

चार्ट 1.20: अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता



अनाहारित बाह्य सहायता पर वचनबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निर्धारित मूल राशि पर दिए जाते हैं। चूंकि वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे 'ब्याज देयता' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। तालिका 1.22 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान बाद की तिथियों में सहायता के आहरण के पुनर्निर्धारित करने के लिए विभिन्न निकायों/सरकारों को दिए गए प्रभारों को दर्शाती है। यह बिंदु निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करते हैं जिसका परिणाम 2011-12 में ₹ 83.29 करोड़ के वचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।



तालिका 1.22: वचनबद्ध प्रभार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए.वि.बैं.	जापान	जर्मनी	अ.पु.वि.बैं.	जोड़
2007-08	62.55	0.00	1.72	60.27	124.54
2008-09	62.62	0.00	4.17	50.58*	117.37
2009-10	53.26	0.00	5.57	27.28	86.11
2010-11	40.15	23.23	26.78	18.63	108.79
2011-12	42.30	20.82	6.24	13.92	83.29

स्रोत: नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा

ए.वि.बैं.=एशियाई विकास बैंक

अ.पु.वि.बैं.=अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक


\*अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता सम्मिलित है।

## 1.6 संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

संविधान के अनुच्छेद 292 के अंतर्गत, संघ सरकार ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटियाँ दे सकती हैं, यदि कोई है, जो विधि से संसद द्वारा निर्धारित की गई है। यहाँ विवरणी (i) उधारों का पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज का भुगतान, (ii) अंश पूंजी का पुनर्भुगतान तथा न्यूनतम लाभांश का भुगतान, (iii) क्रेडिट आधार पर सामग्रियों तथा उपकरणों के आपूर्तियों हेतु करार के प्रति भुगतान आदि के लिए संघ सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ शासित क्षेत्रों, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी निगमों आदि की ओर से दी गई गारंटियों की 31 मार्च 2012 की स्थिति को दर्शाती है। यह गारंटियाँ भा.स.नि. पर आकस्मिक देयता स्थापित करती है। गारंटियों की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया तथा 31 मार्च 2012 को बकाया कुल गारंटियाँ क्रमशः ₹2,03,056 करोड़ तथा ₹1,92,501 करोड़ थीं।

संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं उत्पन्न होती है क्योंकि सभी जोखिमों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जहां गारंटियां परम्परागत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, चूक होने की स्थिति में, उसमें सरकार की ऋण स्थिति में तेजी लाने का सामर्थ्य होता है। अवसंरचना की बढ़ती हुई निवेश आवश्यकता, गारंटियों का मामला, इस प्रकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी और इसके आह्वान किए जाने की बढ़ती सम्भावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। तालिका 1.23 तथा चार्ट 1.21 ग्यारहवीं योजना के वित्तीय वर्ष के अन्त तक गारंटियों की अधिकतम राशि, बकाया गारंटीकृत राशियां तथा बकाया बाह्य राशियों से संबंधित स्थिति को दर्शाती है।

चार्ट 1.21 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ



तालिका 1.23 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि	बकाया बाह्य गारंटियां	कुल बकाया गारंटियों के प्रतिशत के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007-08	114001	104872	46459	44.30
2008-09	117659	113335	59343	52.36
2009-10	150437	137205	72408	52.76
2010-11	160611	151292	89053	58.86
2011-12	203056	192501	114387	59.42

गारंटियाँ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से उधार लेने अथवा सा.क्षे.उ. को बाजार से मुद्रा उधार लेने हेतु योग्य बनाने हेतु दी जाती है। 2011-12 में, 31 मार्च 2012 तक बकाया गारंटीकृत राशि (₹ 1,92,501 करोड़) 59 प्रतिशत विदेशी कर्जदाता संस्थाओं को गई, 35 प्रतिशत आर.बी.आई/बैंकों/औद्योगिक वित्त निगमों आदि को मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान, नगद क्रेडिट सुविधा आदि के लिए तथा शेष छः प्रतिशत शेयर पूंजी के पुनर्भुगतान के लिए, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान हेतु तथा बंधपत्रों, उधारों एवं डिबेंचर/काउण्टर गारण्टी आदि के लिए प्रयुक्त हुई। वित्त मंत्रालय द्वारा मुख्य मंत्रालयों जिनको गारण्टी प्रदान की गई उनमें से मुख्य थे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय/विभाग, आर्थिक कार्य, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा एवं स्टील। मंत्रालयों द्वारा अद्यतन गारण्टी रजिस्ट्रों का अनुरक्षण सरकार के जोखिम की प्रमात्रा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रा.उ.ब.प्र. नियमावली 2004 नियम 3(3) में अनुबंधित करता है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ किसी भी वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार को 0.5 प्रतिशत स.घ.उ. की राशि से अधिक गारण्टी नहीं देनी चाहिए, यह प्रतिशतता गारंटियों के निवल संचयन के आधार पर निकाली गयी है। वर्ष 2011-12 में, दी गई गारंटी ₹ 40,219 करोड़ की थी जो स.घ.उ. का 0.45 प्रतिशत थी। किसी वित्तीय वर्ष के अन्त में वह गारण्टी जो बकाया है उसे आगामी वर्षों में आगे लाया जाएगा ताकि उसे कभी भी भुनाया जा सकता है। किसी विशेष वर्ष में गारण्टी भुनाए जाने की संभाव्यता के जोखिम अनुमान इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी विशेष वर्ष में गारण्टी राशि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करते हैं।

2011-12 में, कुल बकाया गारंटियाँ (₹ 1,92,501 करोड़), स.घ.उ. का 2.17 प्रतिशत तथा 2011-12 में संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियाँ का 21.15 प्रतिशत थीं।



## अध्याय 2

### लेखाओं पर टिप्पणियां

संघ लेखे के प्रस्तुतीकरण (परिशुद्धता, पूर्णता तथा पारदर्शिता) में महत्वपूर्ण कमियों से संबंधित टिप्पणियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। विनियोग लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 3, 4, 5 तथा 6 में सम्मिलित किया गया है। सरकारी खर्च पर नियमितता, मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता पर अभ्युक्तियां, संसद को पृथक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट की जाती हैं।

#### 2.1 पारदर्शिता का मुद्दा

##### 2.1.1 संघ के वित्त लेखाओं में बारहवें तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों/सूचनाओं का समावेश न करना

तेरहवें वित्त आयोग ने पाया था कि वित्त लेखे सभी परिशिष्टों को समावेशित नहीं करते तथा अनुशंसा (पैरा 7.134 में) कि वित्त लेखाओं के लिए परिशिष्टों की सूची का बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप मानकीकरण किया जाए एवं इनका अनुपालन सभी राज्यों में किया जाए।

बारहवें वित्त आयोग ने, नवम्बर 2004 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में लेखांकन में रोकड़ से लेखांकन के प्रोद्भूत आधार में करने से संबंधित लम्बित परिवर्तन को अधिक पारदर्शी एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने हेतु सुयोग्य बनाने के लिए संघ सरकार के लेखाओं में आठ अतिरिक्त विवरणियों/सूचनाओं को शामिल करने की अनुशंसा की थी। अनुशंसा को सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया गया था। बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विवरणियाँ निम्न के संबंध में थीं:

(i) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की दी गई आर्थिक सहायता (ii) विभिन्न विभागों/इकाइयों द्वारा वेतन पर व्यय (iii) पेंशनभोगियों पर व्यय का ब्यौरा एवं सरकारी पेंशन पर व्यय (iv) भविष्य में प्रतिबद्ध देयताएं (v) ऋण तथा अन्य देयताओं के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूची (vi) सरकार द्वारा खर्च करने के तरीके में परिवर्तन को शामिल करते हुए सरकार के अधिकार में रखी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि या कमी (vii) भावी रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित, वर्ष के दौरान अथवा नई योजनाओं पर, सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीति निर्णयों के प्रभाव तथा (viii) वेतन तथा गैर वेतन हिस्से को अलग दर्शाते हुए व्यय अनुसूचना।

वर्ष 2011-12 के वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने उजागर किया कि कथित विवरणियों जैसा कि बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसित किया था को लेखाओं में सम्मिलित नहीं किया गया। इस बात का उल्लेख प्रासंगिक है कि (क) भविष्य में प्रतिबद्ध देयताएं तथा (ख) भावी रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित, वर्ष के दौरान अथवा नई योजनाओं पर, सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीति निर्णयों के प्रभाव पर दर्शाई गई विवरणियों को छोड़कर अधिकतर राज्यों ने अपने लेखाओं में उपरोक्त सभी विवरणियों को समाविष्ट कर लिया था।

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया था कि संघ सरकार के लेखाओं में कथित अतिरिक्त विवरणियाँ/सूचनाओं को शामिल करने संबंधी बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का सात वर्ष बीत जाने के बाद भी, अनुपालन नहीं किया गया था। यह भी अनुशंसा की गई कि वित्त मंत्रालय संघ वित्त लेखाओं में उपरोक्त अतिरिक्त विवरणियों को सम्मिलित करने हेतु एक विशिष्ट समय सीमा तैयार करे। मंत्रालय की कार्रवाई टिप्पणी जनवरी 2013 तक भी प्रतीक्षित थी।

जैसा कि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किया गया, राज्य सरकारों की वित्तीय विवरणियों में बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति उत्साहजनक है। तथापि, संघ सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अनुपालना नहीं है।

### 2.1.2 सरकारी लेखाओं में अपारदर्शिता

सरकारी वित्तीय व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता एक सार्वभौमिक प्रवृत्ति है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि पारदर्शी बजटीकरण तथा लेखांकन का अभ्यास यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि जिन सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु सरकार द्वारा निधियों की मांग की गई वे सरकार द्वारा किए गए वादे अनुसार व्यय की जाएंगी तथा व्यय से अधिकतम लाभ उठाया जाए। लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक लेखा प्रपत्र है जिसमें सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय को विधायिका को सूचित किया जाता है, उसकी निरन्तर समीक्षा तथा अद्यतन किया जाता है ताकि वे सच्चे रूप से सभी महत्वपूर्ण भागीदारों की आधारभूत सूचना की जरूरतों को पूरा कर सकें तथा एक पारदर्शी रूप में सरकार के सभी मुख्य कार्यकलापों पर प्राप्ति तथा व्यय को प्रदर्शित कर सकें।

संघ सरकार वित्त लेखे 2011-12 की संवीक्षा ने उजागर किया कि लेखे (जो सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करते हैं) के 21 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल ₹ 20,728.50 करोड़ को लेखे में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो संबंधित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किए गए कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था। यह लेखे में भारी अपारदर्शिता की मात्रा को दर्शाता है। पर्याप्त व्यय के साथ अन्य

सामाजिक सेवाएँ, कृषि वित्तीय संस्थान, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी, नागरिक उद्‌डयन, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, अन्य दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, समुद्र विज्ञान अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय तथा विदेशी व्यापार पर पूंजीगत परिव्यय आदि जैसे मुख्य शीर्षों के ब्यौरे वर्गीकृत महत्वपूर्ण व्यय सहित "अन्य व्यय" के रूप में अनुबंध-III-क में दिए गए हैं।

कुछ महत्वपूर्ण व्यय मदों जैसे भारी जल पूल प्रबंधन (₹ 5,900 करोड़), किसानों को अल्प अवधि ऋण पर ब्याज से छूट (₹ 3,283 करोड़), ग.रे.नी. सर्वेक्षण (₹ 2,546 करोड़), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (₹ 2,237 करोड़), असम गैस क्रेकर परिसर को आर्थिक सहायता (₹ 875 करोड़), हज चार्टर (₹ 606 करोड़) को वित्त लेखे में विशिष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया था बल्कि लघु शीर्ष "अन्य व्यय" में जोड़ा गया था।

इस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 को समाप्त संघ सरकार के लेखाओं पर प्रतिवेदन पर इस अनुशंसा के साथ टिप्पणी की गई थी कि इस कमी का निदान करने के लिए सरकारी लेखे की संरचना की सरकार द्वारा एक व्यापक समीक्षा की जाए जिससे वित्तीय रिपोर्ट देने में अधिक पारदर्शिता को प्राप्त किया जा सके। एक अंतरिम उपाय के रूप में, लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) ने वित्त लेखे में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत आवृत्त महत्वपूर्ण व्यय के ब्यौरों को वित्त लेखे में फुट नोटों के माध्यम से दर्शाया है। सरकार के वर्तमान कार्यकलापों को दर्शाने के लिए लेखे की पुनर्संरचना की बजाए लेखा महानियंत्रक द्वारा व्यय को बहुव्यापी लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के साथ मिलाने के स्थान पर अलग से सरकार के भारी व्यय को दर्ज करने के लिए कुछ नये लघु शीर्ष खोलने हेतु टुकड़ों में कार्रवाई की गई है।

वित्त मंत्रालय (सितम्बर 2010) द्वारा अपनी कार्रवाई टिप्पणी में इस संबंध में दिए गए आश्वासन तथा जनवरी 2012 में ले.म.नि. द्वारा लेखानियंत्रकों को लघु शीर्ष '800 - अन्य व्यय' के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यय को दर्ज करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने हेतु अनुदेशों को दोहराए जाने के बावजूद स्थायी तौर पर समस्या का निदान करने हेतु लेखा शीर्ष में मुख्य पुनर्संरचना प्रतीक्षित है।



### 2.1.3 सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) ने जनवरी 2005<sup>1</sup> में सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि नियामक निकायों की निधियों को लोक लेखे में अनुरक्षित किया जाए।

चार नियामक निकायों अर्थात् भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) तथा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.), पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण (पे.नि.नि.पि.प्रा.), तथा पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पै.प्रा.गै.नि.बो.) के वार्षिक लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जनवरी 2005 में जारी उपरोक्त अनुदेशों के विपरीत ये निकाय मार्च 2012 के अंत तक शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों, लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति, संचित निधि आदि के माध्यम से सृजित कुल ₹ 2,526.55<sup>2</sup> करोड़ की निधियों को, सरकारी लेखाओं से बाहर रख रहे थे।

इस तथ्य पर वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 को समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में भी टिप्पणी की गई थी।

वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2011 के अपनी कार्रवाई टिप्पणी में बताया कि सरकारी लेखे में निधि को प्रचालित करने हेतु भारतीय लोक लेखे के ब्याज वहन न करने वाले वर्ग में मुख्य शीर्ष '8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत क्रमशः "भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) निधि" तथा "बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.) निधि" के नाम में अलग निधियाँ खोली जाएंगी। मंत्रालय के बजट प्रभाग ने भी कार्यालय मुख्यनियंत्रक लेखा से कथित लेखांकन दिशानिर्देश/प्रक्रिया पर आधारित विस्तृत लेखांकन प्रक्रिया तैयार करने हेतु अनुरोध किया। मंत्रालय को उक्त को प्रचालित करने हेतु आगे की कार्रवाई करनी चाहिए।

<sup>1</sup> भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) का.ज्ञा.सं. एफ.1 (30)-बी (ए.सी.) /2004 दिनांक 07 जनवरी 2005

<sup>2</sup> भा.प्र.वि.बो. - ₹1,694.73 करोड़, बी.नि.वि.प्रा. ₹807.98 करोड़ पे.नि.नि.पि.प्रा. ₹4.64 करोड़ तथा पै.प्रा.गै.नि.बो. - ₹19.20 करोड़

### 2.1.4 सीमाशुल्क प्राप्तियों को कम बताया जाना तथा राज्यों को कम आबंटन

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, उद्ग्रहित अग्रिम सीमाशुल्क प्राप्ति, जो आगामी अवधि से संबंधित हो, को लोक लेखे के अंतर्गत प्रतीक्षारत उचंत शीर्ष<sup>3</sup> में रखा जाता है। राशि को भारत की समेकित निधि में उस वर्ष क्रेडिट किया जाता है जिस वर्ष से संग्रहित अग्रिम कर संबंधित होता है।

वित्त लेखे की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रारम्भिक शेष के रूप में प्रतीक्षारत उचंत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 252.28 करोड़ उपलब्ध था। इसे वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान भारत की समेकित निधि में सीमा शुल्क प्राप्ति के रूप में लेखांकित किया जाना था। तथापि, यह राशि उचंत लेखे में लेखांकित हुई। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारत सरकार की सीमाशुल्क प्राप्तियों को ₹ 252.28 करोड़ से कम बताया गया। सीमाशुल्क प्राप्तियों के रूप में संग्रहित राशि वितरणीय कर संग्रह का हिस्सा है जिसका वितरण केन्द्र तथा राज्य के बीच किया जाता है। इस राशि का भारत की समेकित निधि में क्रेडिट न होने का तात्पर्य वित्तीय वर्ष 2011-12 में वित्त आयोग द्वारा निदेशित राज्यों को कर आबंटन में कमी होना है।

इस मामले पर 2010-11 के समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में भी टिप्पणी की गई थी।

ले.म.नि. ने बताया (जनवरी 2013) कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माह अप्रैल 2011 में ₹ 105.59 करोड़ की राशि प्रतीक्षारत उचंत से अंतरित की गई तथा भारत की समेकित निधि में सीमाशुल्क प्राप्ति के रूप में लेखांकन किया गया था। यह भी बताया गया कि ₹ 146 करोड़ की शेष राशि पिछली अवधि से संबंधित थी तथा इसका निपटान 2012-13 में किया जाएगा।

## 2.2 लोक लेखे के संबंध में अभ्युक्तियाँ

### 2.2.1 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

सार्वभौमिक सेवा दायित्व (सा.से.दा.) निधि (मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां, लघु शीर्ष-118) को अप्रैल 2002 में राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति (रा.टे.नि.) 1999 में सार्वभौमिक सेवा उद्देश्यों को दिए गए महत्व को प्राप्त करने हेतु स्थापित किया गया था। भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 ने सा.से.दा.

<sup>3</sup> 8658-136-प्राप्ति शीर्ष के लिए प्रतीक्षित सीमाशुल्क प्राप्ति

निधि को सांविधिक महत्व दिया तथा निर्धारित किया कि निधि का उपयोग केवल आधारभूत टेलीग्राफ सेवाओं को पहुँच प्रदान करते हुए सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने हेतु किया जाना है, यथा, सार्वजनिक दूरसंचार एवं सूचना सेवाएं तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में घरेलू टेलीफोन का प्रावधान जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्धारित करे। यह भी परिकल्पित था कि ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान, चरणबद्ध रूप से गाँवों में ब्राडबैंड जुड़ाव का प्रावधान ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीकॉम क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकीय विकासों के प्रवर्तन को प्रोत्साहन आदि की अवसंरचनाओं के विकास पर बल देना आदि शामिल थे। सा.से.दा. को पूरा करने के लिए संसाधनों को "सार्वभौमिक पहुँच उगाही" (सा.प.उ.) के माध्यम से एकत्र किया जाना था। सा.से.दा. से संबंधित क्रियाकलापों का कार्यान्वयन नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र सेवादाताओं द्वारा किया जाना था।

दूरसंचार विभाग (दू.वि.) द्वारा निधियों का प्रबंधन किया जाता है। सा.से.दा. के प्रति प्राप्त उगाही को सर्वप्रथम भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है, तथा बाद में केन्द्र सरकार समय-समय पर सा.से.दा. को पूरा करने हेतु विशिष्ट रूप से प्रयोग करने के लिए भारत के लोक लेखा में सा.से.दा. निधि की प्राप्तियां जमा करती है तथा यह एक गैर-व्यपगत निधि है।


सा.से.दा. निधि के कम बताए जाने के मामले पर 2010-11 को समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई थी। लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने भी वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य कार्यक्रमों को निधियों, जो केवल सा.से.दा. क्रियाकलापों के लिए है, का विपथन अस्वीकृत किया।

सा.से.दा. निधि पर नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बावजूद, दू.वि. ने वर्ष 2011-12 के दौरान सार्वभौमिक पहुँच उगाही के प्रति ₹ 6,723.57 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से लोक लेखे में सा.से.दा. निधि को केवल ₹ 1,687.96 करोड़ का अंतरण किया तथा सा.से.दा. निधि के अंतर्गत अंत शेष को 'शून्य' के रूप में दर्शाया था। इसका परिणाम वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए सा.से.दा. निधि के अंत शेष को ₹ 5,035.61 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ। परिणामस्वरूप, भा.सं.नि.लि. को ग्रामीण दायित्वों को पूरा करने हेतु 2002-03 से 2005-06 की अवधि तक कुल ₹ 6,948.64 करोड़ के लाइसेंस शुल्क तथा स्पैक्ट्रम प्रभागों की प्रतिपूर्ति को ध्यान में रखने के पश्चात 31 मार्च 2012 को ₹ 21,839.45 करोड़ के सा.से.दा. निधि के अंत शेष भी समग्र कम बताया गया था।

वर्षों से सार्वभौमिक पहुँच उगाही के संग्रहण तथा सा.से.दा.नि. को इसके अंतरण का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण नीचे दर्शाया (चार्ट 2.1) गया है:



चार्ट 2.1 : सार्वभौमिक पहुँच उगाही के अंतर्गत संग्रहण तथा सा.से.दा.नि. को अंतरण



मंत्रालय ने पैरा में सम्मिलित तथ्यों तथा आंकड़ों को स्वीकार करते समय अपने उत्तर (जनवरी 2013) में बताया कि मामले को वित्त मंत्रालय (वि.मं.) के साथ उठाया गया था। वि.मं. ने समझाया कि सा.से.दा.नि. को अंतरण हेतु प्रावधान आवश्यकता तथा किसी भी वित्तीय वर्ष में व्यय करने की विभाग की समर्थता तथा लोक लेखे में रखी गई अप्रयुक्त निधियों जिन्हें सरकार की देयता में जोड़ा गया, पर आधारित थे। इसके अतिरिक्त, वि.मं. ने यह भी बताया कि मंत्रीमण्डल ने निर्देश दिया था कि दू.वि. को सा.से.दा.नि. को अंतरित की जाने वाली राशि का निर्णय लेते समय वि.मं. से परामर्श करना चाहिए।

इस प्रकार, मंत्रालय का उत्तर, स्वीकार करता है कि दू.वि. योजना बनाने तथा सा.से.दा.नि. के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का व्यय करने में समर्थ नहीं था। लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने अपनी चौदहवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में पाया था कि सा.प.उ. के रूप में संग्रहित पूरी राशि को सा.से.दा. निधि में क्रेडिट करने में सरकार को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए विशेषकर जन निधियों का प्रयोग केवल सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए होना था।

इस प्रकार वर्ष 2011-12 के लिए वित्त लेखे में सा.से.दा. निधि के अंतर्गत 'शून्य' शेष को दर्शाना लो.ले.स. की अनुशंसाओं के उल्लंघन में था, जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि सा.प.उ. के रूप में एकत्रित पूर्ण राशि को सा.से.दा. निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।

### 2.2.2 अनुसंधान तथा विकास उपकर निधि के अंतर्गत एकत्रित उपकर का कम-उपयोग

1986 में अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम को विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु प्रौद्योगिकी के आयात करने तथा घरेलू अनुप्रयोग को विस्तृत करने तथा उसके साथ संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु किए गए सभी भुगतानों पर उपकर की उगाही तथा संग्रहण के प्रावधान हेतु लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 3 प्रौद्योगिकी के आयात के प्रति किए गए सभी भुगतानों पर उदग्रहित तथा संग्रहित किए जाने वाले उपकर के संग्रहण की ऐसी दरों जो 5 प्रतिशत से अधिक न हों, जैसा कि केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, का प्रावधान करती है।

अधिनियम ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (प्रौ.वि.बो.) द्वारा संचालित की जाने वाली प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुप्रयोग हेतु एक निधि के सृजन को समर्थ किया। प्रौ.वि.बो. निधि का अनुक्षण सरकारी लेखे से बाहर किया जाता है। निधि को अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम 1986 जैसाकि 1995 में संशोधित किया गया, के अंतर्गत औद्योगिक मामलों द्वारा प्रौद्योगिकी के आयात पर सरकार द्वारा संग्रहित उपकर में से भारत सरकार द्वारा जारी अनुदानों के साथ क्रेडिट किया गया है। अधिनियम की धारा 4 उदग्रहित तथा संग्रहित उपकर की प्राप्ति को भारत की समेकित निधि में क्रेडिट किया जाना अपेक्षित करती है तथा सरकार, संसद की स्वीकृति से विकास बैंक (इस मामले में पहले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) को निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग किए जाने हेतु अपेक्षित ऐसी राशि अदा करेगी।

नीचे दी गई तालिका 2.1 में दिए गए आंकड़ों में यह पाया गया है कि 1996-97 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान उपकर के माध्यम से ₹ 3,453.55 करोड़ की सीमा तक की निधियां संग्रहित की गई थीं। इसमें से, उसी अवधि के दौरान प्रौ.वि.बो. को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 506.41 करोड़ (14.66 प्रतिशत) मात्र संवितरित किए थे। प्रौ.वि.बो. ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास कर रहे अथवा घरेलू अनुप्रयोग को विस्तृत करने हेतु आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने से संबंधित औद्योगिक मामलों हेतु ₹ 1002.46 करोड़ की वित्तीय सहायता तथा ऋण संवितरित किए।


तालिका 2.1: उपकर के संग्रहण तथा इसके उपयोग को दर्शाने वाली

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर का संग्रहण	प्रौ.वि.बो. को जारी अनुदाने	प्रौ.वि.बो. द्वारा प्रौद्योगिकी विकास हेतु किए गए संवितरण
1996-97	80.13	29.97	शून्य
1997-98	81.42	49.93	30.14
1998-99	81.10	27.99	36.99
1999-00	88.93	50.00	85.23
2000-01	98.91	62.79	101.73
2001-02	95.30	57.00	53.44
2002-03	99.47	56.00	107.11
2003-04	133.74	53.65	53.86
2004-05	53.98	48.10	57.91
2005-06	176.61	42.66	89.23
2006-07	186.56	4.32	74.98
2007-08	254.09	19.00	63.01
2008-09	310.33	-	81.60
2009-10	418.22	-	55.04
2010-11	592.22	5.00	64.19
2011-12	702.54	-	48.00
<b>कुल</b>	<b>3453.55</b>	<b>506.41</b>	<b>1002.46</b>

वर्षों से उपकर के संग्रहण तथा इसके उपयोग का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार (चार्ट 2.2) दर्शाया गया है:

चार्ट 2.2 : उपकर के संग्रहण तथा इसके उपयोग को दर्शाने वाला






उपरोक्त चार्ट से, यह देखा जा सकता है कि अधिनियम के अंतर्गत उपकर का संग्रहण पर्याप्त है। तथापि, प्रत्याशित उद्देश्यों हेतु उपकर प्राप्ति का उपयोग इष्टतम है। इस प्रकार उपकर प्राप्ति का वर्षों से सरकार के राजस्व घाटे का वित्तपोषण करने हेतु आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। अपेक्षित उद्देश्यों हेतु प्राप्ति के बताए गए कम उपयोग के कारण वर्तमान में उपकर की उगाही की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

### 2.2.3 बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में विसंगतियां तथा निरंतर प्रतिकूल शेष

लोक लेखे<sup>4</sup> के अंतर्गत बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि को बीड़ी स्थापनाओं में लगे व्यक्तियों के कल्याण को प्रोत्साहित करने हेतु उपायों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 द्वारा सृजित किया गया था। इस उद्देश्य हेतु, सरकार ने उत्पादित बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क के रूप में एक उपकर को प्रारम्भ किया। इस उपकर के माध्यम से संग्रहण को लोक लेखे में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में क्रेडिट किया जाना था।

2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में व्यय, प्राप्तियों तथा अंत शेष के संबंध में संकलित स्थिति को नीचे चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.3: बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में प्राप्तियाँ, व्यय तथा प्रतिकूल शेष



टिप्पणी : वर्ष 2011-12 के अंत शेष समाधान के पश्चात पहुँच गया है।

ऊपर चार्ट दर्शाता है कि निधियों में से प्राप्तियों से काफी अधिक व्यय होने के कारण वर्षों से बीड़ी कल्याण निधि में शेष प्रतिकूल हुआ था। 2007-08 से 2011-12 की

<sup>4</sup> 8229-200

अवधि के दौरान निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष था जो कि 2007-08 में (-) ₹ 24.56 करोड़ से 2011-12 में (-) ₹ 205.75 करोड़ तक लगातार बढ़ा है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006-07 से 2011-12 के लिए संघ सरकार के विनियोग लेखाओं की जाँच ने प्रकट किया कि बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि को अंतरित राशियों तथा उससे पूरे किए गए व्यय में विसंगतियां थीं। इसका विवरण नीचे तालिका 2.2 में दिया गया है:

तालिका 2.2 बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि

(₹करोड़ में)

वर्ष	भारत की समेकित निधि में उपकर प्राप्ति	लोक लेखे में बीड़ी निधि को अंतरण		लोक लेखे में बीड़ी निधि से व्यय	
		अंतरण (विनियोग लेखे के अनुसार)	अंतरण (शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार)	निधि से पूरा किया गया व्यय (विनियोग लेखे के अनुसार)	निधि से पूरा किया गया व्यय (वसूली विवरणी के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
2006-07	175.33	127.51	126.37	134.48	133.97
2007-08	169.59	184.62	183.67	232.94	214.25
2008-09	183.60	202.42	201.45	231.37	231.37
2009-10	169.08	168.23	166.83	262.62	262.62
2010-11	166.37	162.27	160.92	232.03	233.62
2011-12	164.48	163.14	150.63	149.64	149.64

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जाएगा कि विनियोग लेखे के अनुसार निधि को अंतरित राशि के आंकड़े शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार अंतरित राशि के आंकड़ों से ज्यादा थे।

इसी प्रकार, विनियोग लेखे के अनुसार व्यय के आंकड़े भी तीन वर्षों की वसूली विवरणी के आंकड़ों से अलग हैं। जबकि विनियोग लेखे शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं के आधार पर ले.म.नि. द्वारा तैयार किए गए हैं। फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि इन लेखाओं में आंकड़ों के अलग सेट क्यों प्रकट हो रहे थे।

#### 2.2.4 नवीकरण आरक्षित निधि को अंतरण का गलत दर्शाया जाना

आयुध फैक्टरी के पुराने यंत्र एवं मशीनरी को प्रतिस्थापन हेतु वित्त पोषण, लोक लेखे में 1 अप्रैल 2011 को, नवीकरण आरक्षित निधि में ₹ 490 करोड़ का अथ शेष था। वर्ष 2011-12 में निधि में प्राप्ति तथा निधि से संवितरण क्रमशः ₹ 325 करोड़ तथा ₹ 311.42 करोड़ था। विशिष्ट शीर्ष<sup>5</sup> के अंतर्गत भा.स.नि. से किया गया वास्तविक व्यय ₹ 310.25 करोड़ था। लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार व्यय से सुमेकन बराबर राशि को

<sup>5</sup> लघु शीर्ष '2079.106-नवीकरण प्रतिस्थापन (न.प्र.)'

नवीकरण आरक्षित निधि से अंतरित किया जाना था। तथापि, निधि से संवितरण ₹ 1.17 करोड़ तक व्यय के आधिक्य में था।

इसके अतिरिक्त, लोक लेखे में नवीकरण आरक्षित निधि को अंतरित कुल ₹ 325 करोड़ की राशि के प्रति निवल राशि को केवल ₹ 13.58 करोड़<sup>6</sup> को वित्त लेखे में भारत की समेकित निधि में व्यय शीर्ष<sup>7</sup> के अंतर्गत दर्शाया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012 तथा जनवरी 2013) कि ₹ 1.17 करोड़ का व्यय नवीकरण एवं प्रतिस्थापन शीर्ष के अंतर्गत सयंत्र तथा मशीनरी की खरीद हेतु किया गया था जिसे गलती से अलग कोड शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था। समान टिप्पणियों को पिछले वर्ष 2010-11 के लिए नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं. 1 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, इसके बावजूद यह कमी पुनः 2011-12 की अवधि में हुई।

### 2.2.5 स्वच्छ ऊर्जा उपकर का निधि में क्रेडिट न करना

स्वच्छ ऊर्जा उपकर<sup>8</sup> के रूप में ₹ 3,646.01 करोड़ (वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 1,066.46 करोड़ तथा वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 2,579.55 करोड़) की कुल उपकर प्राप्ति को संघ सरकार के वित्त लेखे में लेखांकित किया गया था। लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, उपकर प्राप्ति को लोक लेखे में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (निधि) में अन्तरित किया जाना था। ₹ 3646.01 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से चिन्हित निधि में केवल ₹ 1,066.46 करोड़ की राशि का अंतरण किया गया था। इस प्रकार स्वच्छ ऊर्जा उपकर ₹ 2,579.55 करोड़ की शेष राशि का विशिष्ट निधि में अन्तरित न होने के कारण इच्छित उद्देश्य के लिए यानि स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में अनुसंधान तथा अभिनव परियोजनाओं पर कम राजस्व व्यय हुआ, फलतः वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए समान राशि से राजस्व घाटे को कम बताया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2012) कि ₹ 1,066.46 करोड़ की राशि (वित्तीय वर्ष 2010-11 से संबंधित उपकर संग्रहण) को बजट प्रावधान के अनुसार लोक लेखे को अंतरण कर दिया गया था।

<sup>6</sup> (₹325-₹311.42)

<sup>7</sup> शीर्ष 2079.797

<sup>8</sup> शीर्ष 0038.03.112 स्वच्छ ऊर्जा उपकर



उत्तर निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के उल्लंघन में है जो प्रावधान करती है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करने के साथ निधि को समग्र उपग्रहण उपकर अंतरित करेगा ताकि उसे वित्त लेखे के माध्यम से प्रभावी मॉनीटर किया जा सके।

### 2.2.6 राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.)

(i) 2005 में सरकार ने 'राष्ट्रीय निवेश निधि' (रा.नि.नि.) का सृजन किया जिसमें लाभकारी के.सा.क्षे.उ. में सरकार के छोटे निवेशों के बिक्री-स्वरूप प्राप्त राशि को जमा किया जाना था। चयनित परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनियों को निधि संग्रह के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया। निधि का अनुसूचण लोक लेखे<sup>9</sup> में किया जाना था। निधि से प्राप्त आय का उपयोग सामाजिक क्षेत्र, परियोजनाओं में निवेश तथा चयनित लाभकारी तथा पुर्नजीवित करने योग्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश किया जाना था। 31 मार्च 2012 को ₹ 1,814<sup>10</sup> करोड़ का सरकार द्वारा फिर अन्तरण रा.नि.नि. में किया गया था।

रा.नि.नि. की निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार निधि प्रबंधकों के पास निवेशित पोर्टफोलियो से प्राप्त वार्षिक आय को भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)<sup>11</sup> में प्राप्ति के रूप में दर्ज तथा 3:1 के अनुपात में लोक लेखे<sup>12</sup> में दो निर्धारित शीर्षों को अंतरित किया जाना था।

कुल ₹ 708.27 करोड़; जिसका संग्रहण 2008-12 की अवधि के दौरान किया गया था, के प्रति भारत की समेकित निधि में ₹ 288.90 करोड़ की शेष राशि को छोड़ते हुए केवल ₹ 419.37 करोड़ को लोक-लेखे में अंतरित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कुल ₹ 419.37 करोड़ को पूर्ण रूप से लोक लेखे में केवल एक लघु शीर्ष<sup>13</sup> को अंतरण किया गया था जिसने अन्य शीर्ष<sup>14</sup> को बंद छोड़ा। यह नीति के उल्लंघन में था जो लोक लेखे में लघु शीर्षों के बीच 3:1 के अनुपात को निर्धारित करती है।

वित्त मंत्रालय ने आश्वासन दिया था (नवम्बर 2011) कि रा.नि.नि. के अंतर्गत शेषों का समाधान प्रक्रियाधीन था तथा शेष राशि को तीसरी अनुपूरक में उपयुक्त प्रावधान करके अंतरित किया जाएगा।

<sup>9</sup> मुख्य शीर्ष 8452-रा.नि.नि.

<sup>10</sup> वर्ष 2007-08 में ₹1,651 करोड़ तथा 2008-09 में ₹163 करोड़ अंतरित किए गए।

<sup>11</sup> विवरणी सं. 8 में लघु शीर्ष '1475.110'

<sup>12</sup> शीर्ष 8453.101 तथा 8453.102

<sup>13</sup> शीर्ष 8453.101

<sup>14</sup> शीर्ष 8453.102

(ii) संशोधित लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान संग्रहित विनिवेश प्राप्तियों को 1.4.2009 से 31.3.2012 तक की अवधि के लिए लोक लेखे में निर्धारित लघु शीर्ष<sup>15</sup> के अंतर्गत रा.नि.नि. को अंतरित किया जाना था।

संघ के वित्त लेखे 2011-12 की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कथित लघु शीर्ष नहीं खोला गया था तथा ₹ 138.94 करोड़ का रा.नि.नि. को/से अंतरण को गलत ढंग से एक अलग लघु शीर्ष<sup>16</sup> में दर्ज किया गया था।

ले.म.नि. ने बताया (नवम्बर 2012) कि नया लघु शीर्ष अभी भी नि.म.ले.प. द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था, तथा इसके कोड अनुभाग को सूचना दी जा रही थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नए लघु शीर्ष को खोलने पर नि.म.ले.प. की सहमति अगस्त 2011 में ले.म.नि. को सूचित कर दी गई थी।

#### 2.2.7 प्रतिबलित परिसम्पत्ति स्थिरीकरण निधि (प्र.प.स्थि.नि.)

प्रतिबलित परिसम्पत्ति स्थिरीकरण निधि (प्र.प.स्थि.नि.), एक विशेष उद्देश्य वाहन (वि.उ.वा.), भारत सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भा.औ.वि.बैं.) के रोकड़-माध्यम लेन-देन में ₹ 9,000 करोड़ के प्रतिबलित तथा गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियों (गै.नि.प.) को हटाने हेतु संघ बजट 2004-05 में प्रावधानों के अनुपालन में गठित एक 'न्यास' है। सरकार द्वारा प्र.प.स्थि.नि. को प्रदान किए गए ऋण ₹ 9,000 करोड़ की शून्य-ब्याज विशेष प्रतिभूतियों को अंतरित गै.नि.प. के एवज में भा.औ.वि.बैं. को दिए गए थे।

नियत संशोधित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, प्रतिबलित परिसम्पत्तियों स्थिरीकरण निधि (प्र.प.स्थि.नि.) को प्रदत्त ऋण सहायता को निर्धारित ऋण शीर्ष<sup>17</sup> को डेबिट किया गया है। साथ-साथ, प्र.प.स्थि.नि. द्वारा प्राप्त राशि का विशेष सरकारी प्रतिभूतियों में पुनः निवेश करने तथा क्रेडिट, इसलिए, लोक लेखे में शीर्ष<sup>18</sup> के अंतर्गत लेखांकन किया गया।

इसके अतिरिक्त, विमोचन के माध्यम से प्रतिभूतियों की विमुक्ति हेतु देय राशि को उपरोक्त ऋण शीर्ष के अंतर्गत वसूली के रूप में दर्शायी गई बराबर राशि से राजस्व

<sup>15</sup> शीर्ष 8452,102

<sup>16</sup> शीर्ष 8452,101

<sup>17</sup> शीर्ष 6885.01.126

<sup>18</sup> शीर्ष 8012,101

व्यय<sup>19</sup> के रूप में बजट विहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लोक लेखे में उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत वित्त वर्ष की समाप्ति पर प्रोफॉर्मा में डाला जाएगा।

2004-05 के दौरान लोक लेखे<sup>20</sup> में कथित शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए ₹ 9,100 करोड़ के कुल अंत शेष के प्रति 2004-12 की अवधि के दौरान इसमें से ₹ 3,759 करोड़ के कुल संवितरण थे। 31 मार्च 2012 को ₹ 5,341 करोड़ का अंत शेष था। तथापि, अथशेष में सम्मिलित ₹ 100 करोड़ प्र.प.स्थि.नि. से संबंधित नहीं थे तथा यह वास्तव में 11.5% भारत सरकार, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, विशेष प्रतिभूति 2021 के कारण थे।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि ₹ 100 करोड़ के इस गलत अंतरण को वर्ष 2012-13 में सही किया जाएगा।

#### 2.2.8 आयकर कल्याण निधि का सृजन

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने आयकर कल्याण निधि (आ.क.नि.) का सृजन किया तथा पिछले तीन वर्षों में निधि में ₹100 करोड़ का अंतरण किया। निधि को (i) आयकर विभाग के अधिकारियों की कल्याण, मनोरंजन तथा अन्य बाह्य गतिविधियों के उन्नयन, (ii) चोट अथवा दुर्घटना जैसी आकस्मिकताओं के दौरान अधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, (iii) मृत कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार को अनुग्रह भुगतान प्रदान करने, (iv) अधिकारियों को आपातकालीन एवं गम्भीर संकट हेतु, जो कि के.स.स्वा.यो. प्रतिपूर्ति नियमावली के अंतर्गत पूर्णतः प्रतिपूर्तियोग्य नहीं है, जोखिम बीमा सहित चिकित्सा अनुरक्षण के विभिन्न प्रकारों को प्रदान करने, (v) कर्मचारियों के उपयोग हेतु अवकाश गृहों का निर्माण करने/किराए पर लेने/पट्टे पर लेने/साज-सज्जा/अनुरक्षण आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सृजित किया गया था।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निधि के सृजन इस निधि द्वारा आच्छादित की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को विभाग के वार्षिक बजट में शामिल करने तथा सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तपोषित करने के आधार पर सहमत नहीं थे। लोक लेखे के ब्याज वहन करने वाले वर्गों के अंतर्गत निधि का सृजन, ब्याज की आवर्ती देयताओं के रूप में होगा जो कि सामान्य संसदीय वित्तीय नियंत्रण के अधीन नहीं होगी।

<sup>19</sup> शीर्ष 2885

<sup>20</sup> 2004-05 के दौरान, ₹9000 करोड़ की राशि लघु शीर्ष '8012.104' को क्रेडिट की गई थी तथा इसके बाद लघु शीर्ष '8012.104' के अंतर्गत ₹7466 करोड़ की संपूर्ण राशि पी.पी.ए. के माध्यम से पूर्व वर्षों के गलत वर्गीकरण को सुधारने के लिए 2006-07 में लघु शीर्ष '8012.126' को अंतरित की गई थी।



निधि का उपयोग, संसद में प्रस्तुत किए गए अनुदानों की मांगों की तरह मानक विषय शीर्षों के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा और इस प्रकार, यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) किसी एक वर्ग के लोगों या व्यक्तियों के लाभ हेतु लोक धन से व्यय अनुमत नहीं करती जब तक कि व्यय मान्यताप्राप्त नीति या व्यवसाय के अनुसरण में नहीं हो। इसके अतिरिक्त, यदि उद्देश्य कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार के सदस्यों, जिन्होंने अन्वेषण/गिरफ्तारी कार्रवाई के दौरान क्षति/मृत्यु का सामना किया हो, को आवृत करने तथा कर्मचारियों के लिए उच्च जोखिम बीमे के प्रावधान को शामिल करने हेतु भारत सरकार की निर्दिष्ट योजना के अंतर्गत प्रावधान किया जा सकता है या ऐसे उद्देश्यों हेतु वर्तमान निधियों के अंतर्गत विद्यमान प्रावधानों में सम्मिलित किया जा सकता है। उल्लेखित अन्य उद्देश्यों को मंत्रालय की अनुदानों हेतु माँग में मानक विषय शीर्षों 'पुरस्कार', 'चिकित्सा उपचार', 'कार्यालय व्यय', 'सहायता अनुदान' के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है।

इस मामले पर नि.म.ले.प. के वर्ष 2008-09 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.-1 एवं वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 की प्रतिवेदन सं.1 में टिप्पणी की गई थी। सितम्बर 2010 की अपनी कार्रवाई टिप्पणी में मंत्रालय ने बताया कि निधि का सृजन जनवरी 1998 में विस्तृत जाँच के पश्चात किया गया था। इसने यह भी बताया कि निधि के सृजन की उत्पत्ति स्वैच्छिक प्रकटीकरण आय योजना- 97, जिसमें सामान्य कर संग्रहण से अधिक, लगभग ₹10,700 करोड़ के अतिरिक्त कर का संग्रहण किया गया था, के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में निहित है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 100 करोड़ के संचित निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था तथा अगस्त 2007 के प्रारम्भ से ही इस निधि में कोई ब्याज भी क्रेडिट नहीं किया गया था।

सामान्य वित्तीय नियमावली किसी एक वर्ग के लोगों या व्यक्तियों के लाभ हेतु लोक धन से व्यय अनुमत नहीं करती तथा निधि का उपयोग संसद में प्रस्तुत किए गए अनुदानों की मांगों की तरह मानक विषय शीर्षों के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा तथा संसद को दी गई वित्तीय रिपोर्ट को माना जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आ.क.नि. की निरंतरता स्वीकार्य नहीं है।

### 2.2.9 चिन्हित निधियों को उपकर का कम अंतरण

श्रम मंत्रालय के लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2011-12 के दौरान लौह अयस्क, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट तथा फीचर फिल्मों के कारण संग्रहित उपकर को लोक लेखे में इनकी चिन्हित निधियों (खान कल्याण निधि, सिने-श्रमिक कल्याण निधि)

को पूर्ण रूप से अंतरित नहीं किया गया था। इसमें ₹ 29.28 करोड़ का कम अंतरण था, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.3 चिन्हित निधियों को उपकरणों का कम अंतरण

(₹ करोड़ में)

उपकरण की प्राप्ति		लोक लेखे को अंतरित		निधियों को कम अंतरण
उपकरण तथा प्राप्ति शीर्ष का नाम	राशि	लोक लेखे तथा शीर्ष में चिन्हित निधियों का नाम	राशि (प्रत्यक्ष प्राप्ति को छोड़कर)	
लौह अयस्क पर उपकरण 0038.04.110	18.18	खान कल्याण निधि 8229.114	19.00	
चूना पत्थर तथा डोलोमाइट पर उपकरण 0038.04.112	29.29			
<b>योग</b>	<b>47.47</b>		<b>19.00</b>	
फीचर फिल्मों पर उपकरण 0038.04.130	2.31	सिने श्रमिक कल्याण निधि 8229.115	1.50	0.81
<b>कुल कम अंतरण</b>				<b>29.28</b>

\* स्रोत: वर्ष 2011-12 के लिए श्रम मंत्रालय को केन्द्रीय लेन-देन विवरणी

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि वित्त मंत्रालय (वि.मं.) को सं.अ. स्तर पर सभी श्रमिक कल्याण निधियों में प्रावधान बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया था क्योंकि अंतरण हेतु बकाया उपकरण प्राप्तियां थीं। तथापि, इसे वि.मं. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

### 2.2.10 संसद द्वारा विघटित एक निधि के अप्रयुक्त शेष का भारत की समेकित निधि में क्रेडिट न किया जाना

कोयला खान श्रमिक आवासीय तथा सामान्य कल्याण निधि को 1947 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। कोयला तथा कोक के प्रेषण पर सरकार द्वारा उदग्रहित उपकरण को प्राप्ति-शीर्ष - "0038-संघ के उत्पाद शुल्क" में जमा किया जाता था तथा इस उपकरण के कारण संग्रहित राशि का कुछ भाग अधिनियम के अंतर्गत इस निधि को अंतरित किया जाता था। 1947 के अधिनियम को 1986 में संसद द्वारा पारित अन्य अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 1986 के अधिनियम ने कोयला श्रमिक आवासीय बोर्ड को विघटित किया तथा अभिकल्पना की कि अक्टूबर 1986 से लागू पूर्ण अधिनियम के अंतर्गत संस्थापित "कोयला खान श्रमिक आवासीय तथा सामान्य कल्याण निधि" के आवासीय खाते तथा सामान्य कल्याण खाते में जमा कराने हेतु पड़े



सभी धन तथा रोकड़ शेष भारत की समेकित निधि का हिस्सा होंगे तथा इन्हें वहीं जमा किया जाएगा।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि उपरोकथित खाते के क्रेडिट में पड़ी शेष राशि का भारत की समेकित निधि को अंतरण नहीं किया गया था, जैसा कि अधिनियम में परिकलित है। इसके स्थान पर इसे, वर्ष दर वर्ष आधार पर लोक लेखे<sup>21</sup> में शीर्ष के अंतर्गत लगातार संचालित किया जा रहा था तथा लेखा कार्यालय (क्षे.भु.ले.का.) धनबाद द्वारा अपने स्थापना व्यय को पूरा करने हेतु उपयोग किया जा रहा था। इसे वर्ष 2011-12 के लिए नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 में इंगित किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान, इस शीर्ष से कोई व्यय नहीं किया गया था। 31 मार्च 2012 को शीर्ष के अंतर्गत ₹ 2.67 करोड़ की राशि अभी भी पड़ी हुई थी।

दिसंबर 2012 में, प्रधान लेखा कार्यालय, कोयला मंत्रालय ने क्षे.भु.ले.का., धनबाद के अभिलेखों के आधार पर बताया कि लोक लेखे में उपरोकथित शीर्ष के अंतर्गत पड़ी समस्त राशि को भारत की समेकित निधि को अंतरित कर दिया गया था (₹ 8.59 करोड़)। तथापि, प्रधान लेखा कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों तथा विनियोग लेखे में दर्शाए आकड़ों के अनुसार, लोक लेखे में उपरोकथित शीर्ष से अंतरण के लिए ₹ 11.26 करोड़ निधि में उपलब्ध शेष था। इसलिए, विनियोग लेखे में शामिल आंकड़ों के अनुसार पूर्व ₹ 2.67 करोड़ की राशि को अभी भी लोक लेखे में उपलब्ध शेष के रूप में दर्शाया जा रहा है जिसे भारत की समेकित निधि को अंतरण किए जाने की आवश्यकता है।

## 2.3 सत्यता एवं समाधान संबंधी मुद्दे

### 2.3.1 कर्मचारी पेंशन निधि के शेष में असंगति

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अनुसार, कर्मचारी पेंशन निधि में केन्द्र सरकार के अंशदान को भारत सरकार के लोक लेखे में रखा जाना होता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संघ सरकार के लेखाओं में भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा आवश्यक समायोजनों हेतु अंशदान (तथा उस पर ब्याज) को सरकार के अंश के संबंध में संस्वीकृतियां जारी करता है। संस्वीकृतियों की प्रतियाँ इसके वार्षिक लेखे में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) को भी प्रेषित की जाती हैं। इस प्रकार, कर्मचारी पेंशन निधि को पेंशन अंशदान का सरकारी अंश का शेष, जैसा कि लोक लेखे में दर्शाया जाता है तथा क.भ.नि.सं. के लेखे में अंकित अंशदान से मिलना चाहिए।

<sup>21</sup> कोयला कल्याण और विकास निधि



अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2007-08 के लिए क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखे के अनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे में अंकित ₹36,939.04 करोड़ के प्रति पेंशन निधि को केन्द्र सरकार का अंशदान (ब्याज सहित) ₹36,809.06 करोड़ था। इस प्रकार इन दो वित्तीय दस्तावेजों में ₹129.98 करोड़ का अंतर था। ₹129.98 करोड़ का यही अंतर वर्तमान वर्ष 2011-12 तक जारी था।

पिछले वर्ष इस मामले को इंगित किए जाने पर श्रम मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2011) कि मंत्रालय की संस्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी ने भारतीय रिजर्व बैंक को 1971 से हो रहे लेखांकन का ब्यौरा देने के लिए अनुरोध किया है तथा जैसे ही भारतीय रिजर्व बैंक से ब्यौरा मिल जाएगा संघ सरकार के वित्त लेखे एवं क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखाओं में समाधान कर लिया जाएगा। संघ सरकार के वित्त लेखे तथा/या क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखाओं में आवश्यक परिवर्तन कर लिया जाएगा।

तथापि, इस विषय पर वर्ष 2008-09, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 में टिप्पणी किए जाने के बावजूद इस कमी को दूर करने हेतु कोई विवेकपूर्ण प्रगति नहीं की गई है।

### 2.3.2 कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा के शेषों में अशुद्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे के विवरणी सं. 14<sup>22</sup> लोक लेखे में कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना<sup>23</sup> के विशेष जमा के अंतर्गत ₹ 1,294.21 करोड़ क्रेडिट शेष पड़ा था। तथापि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) द्वारा अनुरक्षित कर्मचारी बीमा सम्बद्ध बीमा योजना 1976 (क.बी.स.बी.यो.) के तुलन-पत्र में 31 मार्च 2012 तक ₹ 5,880.73 करोड़ का जमा लोक लेखे में दर्शाया गया था। दोनों आंकड़ों में ₹ 4,586.52 करोड़ का अंतर है।

पिछले वर्ष इस मामले को इंगित किए जाने पर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय ने बताया (जनवरी 2012) कि इस उद्देश्य के लिए दो लघु शीर्ष<sup>24</sup> प्रचालित किए जा रहे थे। तथापि, मंत्रालय का उत्तर सरकारी खाते एवं क.भ.नि.सं. के खाते के बीच प्रकट हो रहे अन्तर को स्पष्ट नहीं करता। आगे महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.) ने बताया (जनवरी 2012) कि मंत्रालय को लिखा गया है कि वे उपरोक्त

<sup>22</sup> विवरणी 14: विवरणी सरकार के ऋण तथा अन्य ब्याज वहनीय दायित्व

<sup>23</sup> शीर्ष 8012.124-कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा

<sup>24</sup> शीर्ष 8342.00.120- विवरणी सं. 13 में विविध जमा तथा 8012.00.124- विवरणी सं. 14 में कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, का विशेष जमा विवरणी सं. 14 में

आंकड़ों का समाधान करें तथा स्पष्ट करें कि इस उद्देश्य के लिए दो लघु शीर्षों को चलाने के पीछे क्या कारण है।

एक वर्ष के बीत जाने के बाद भी, म.ले.नि. द्वारा इस संदर्भ में आगे की प्रगति को सूचित नहीं किया है।

### 2.3.3 प्रतिभूति विमोचन निधि को राशि क्रेडिट न करना

संघ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2007-08 में भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टे.बैं.) के राइट्स निर्गम में ₹9,996 करोड़ का निवेश किया था। नकद निर्गम की बजाय सरकार ने विशेष प्रतिभूतियाँ<sup>25</sup> जारी करते हुए लोक लेखे में देयता का सृजन कर दिया। इन प्रतिभूतियों का विमोचन एक भावी तिथि पर भारत की समेकित निधि<sup>26</sup> से लोक लेखे में निधियों के अन्तरण द्वारा 'प्रतिभूति विमोचन निधि' के सृजन के माध्यम से करना था।

लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2008-09, से 2011-12 के दौरान, प्रत्येक वर्ष में ₹ 625 करोड़ प्रतिभूति विमोचन निधि के अंश के कारण व्यय का लेखांकन हुआ था। ₹ 2500 करोड़ की राशि को लोक लेखे में प्रतिभूति विमोचन निधि के रूप में इस उद्देश्य से क्रेडिट करना चाहिए था, कि भविष्य में कभी भा.स्टे.बैं. को विशेष प्रतिभूतियों के ₹9,996 करोड़ क्रेडिट किए जा सकें।

तथापि, आर्थिक कार्य विभाग के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि उक्त निधि अभी तक सृजित नहीं की गई थी तथा ₹ 2,500 करोड़ एक उचंत शीर्ष में पड़े थे।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि प्रतिभूति विमोचन निधि हेतु '8235' के अंतर्गत लघु शीष को अभी भी खोला जाना था, तथा परिणामस्वरूप कथित राशि को लोक लेखे को अंतरित नहीं किया जा सका परन्तु प्र.ले.का (सिविल) उचंत शीष के अंतर्गत रखा गया था। संशोधित लेखांकन प्रक्रिया को अनुमोदन हेतु पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद ₹2,500 करोड़ की राशि उचंत शीर्ष के अंतर्गत ही पड़ी है क्योंकि अपेक्षित लघु शीर्ष खोला नहीं गया।

<sup>25</sup> शीर्ष 8012.120 राष्ट्रीय बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां

<sup>26</sup> शीर्ष 3465.01.190.04-प्रतिभूति विमोचन निधि

### 2.3.4 निष्क्रिय आरक्षित निधियां/जमा/अन्य निधियां

आरक्षित निधियां तथा जमा लोक लेखे का एक हिस्सा बनाते हैं जिसमें उस संबंध में लेन-देनों को दर्ज किया जाता है जिसमें सरकार प्राप्त धन को वापस करने की देयता तथा उसमें से पुर्नभुगतान करती है। निष्क्रिय निधियां/जमा ऐसी निधियाँ अथवा जमाओं को संघटित करते हैं जो लम्बी समय अवधि से संचालन में नहीं है। चूंकि आरक्षित निधि के गठन में आमतौर पर लोक लेखे में भारत की संचित निधि से अंतरित शामिल होता है इसलिए लोक लेखे में निष्क्रिय निधियों को समाप्त किया जाना चाहिए तथा उसमें अंत शेष को भारत की संचित निधि को वापस जाना चाहिए।

वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने आरक्षित निधियों/जमाओं के 55 मामले प्रकट किए जो तीन से 23 वर्षों के बीच की अवधि तक निष्क्रिय पड़े थे। इन मामलों को **अनुबंध II-ख** में दर्शाया गया है।

इंगित किए जाने पर, लेखा महानियंत्रक ने ऐसी लम्बी अवधियों तक निष्क्रिय पड़ी इन निधियों/जमाओं हेतु कारणों को स्पष्ट नहीं किया था। अनुबंध से यह सुस्पष्ट है कि अधिकतर मामलों में अपर्याप्त राशियाँ शामिल थी, तथा इसलिए इनका जारी रहना कोई तर्कसंगत उद्देश्य प्रदान नहीं करता था। इसलिए संबंधित प्राधिकारियों को इन निधियों/जमाओं में प्राप्तियों को भारत की समेकित निधि में क्रेडिट करके इनकी समाप्ति पर विचार करना चाहिए।

### 2.3.5 बाह्य ऋण का लेखांकन कम बताना

ऋणदाता देशों अथवा विदेशी संस्थानों से भारत सरकार द्वारा प्राप्त बाह्य ऋणों को विनिमय की ऐतिहासिक दर, जो कि लेन-देन/प्राप्ति की तिथि पर प्रचलित दर है, पर सरकारी लेखे में दर्ज किया गया है। विनिमय दर में अनुवर्ती परिवर्तनों के कारण पुर्नभुगतान लेखे के आधार पर परिकलित देय राशि से काफी अधिक हैं। इस अधिक भुगतान को प्रत्येक वर्ष नकारात्मक अंत शेष के रूप लेखे में दर्शाया गया था। शेष ऋण, जिन्हें अभी तक पूरी तरह वापस नहीं किया गया है, सकारात्मक शेषों के साथ लेखे में प्रकट हुए। बाद में, जब बाह्य ऋण जोड़े जाते हैं नकारात्मक तथा सकारात्मक शेषों को निव्वल करने के कारण यह वास्तविक राशि से कम बताया जाता है।

इस प्रकार, किसी विशेष देश से प्राप्त ऋण के शेष भी ऋण के सही आंकड़े नहीं दर्शाते क्योंकि एक विशेष देश कई परियोजनाओं हेतु ऋण देता है जिन्हें अलग से लेखांकित किया जाता है। इनमें से, कुछ परियोजनाओं पर ऋणों को पहले ही अदा किया जा चुका है परन्तु विनिमय परिवर्तनों के कारण भुगतान अभी भी किए जा रहे हैं जिन्हें



नकारात्मक शेष के रूप में दर्ज किया गया है। यह नकारात्मक शेष, जोड़े जाने पर, उस विशेष देश से बकाया ऋण के शेषों को कम दर्शाता है।

इस प्रकार, वित्त लेखे में दर्शायी गयी ₹ 1,70,087.61 करोड़ के बाह्य ऋण की राशि, बकाया बाह्य ऋण के वास्तविक आकार को प्रदर्शित नहीं करती हैं। विवरणी सं. 14<sup>27</sup> के नीचे दिये गये नोट के अनुसार, मार्च 2012 के अंत में वर्तमान दर पर बाह्य ऋण ₹ 3,22,897 करोड़ था। इस प्रकार, विनिमय की ऐतिहासिक दर पर लेखे में बाह्य ऋण को अंकित करना देयता का सही प्रतिबिंब नहीं है।

पिछले वर्ष इंगित किए जाने पर, महालेखा नियंत्रक ने बताया कि संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय विनिमय की प्रचलित दर पर प्राप्तियों तथा ऋण के पुनर्भुगतानों को दर्ज कर रहा था, तथा इस स्थिति को वित्त लेखे में दर्शाया जा रहा था। इसने यह भी बताया कि इस संबंध में बाह्य ऋण को निर्धारित प्रारूप के अनुसार दर्शाया जा रहा था। यह इंगित किया गया था कि ऐतिहासिक विनिमय दर पर बकाया बाह्य ऋण के वास्तविक आयाम को दर्शाने के लिए म.ले.नि. को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए। तथापि इस संबंध में अभी तक कोई प्रगति नहीं दर्शाई गई।

ले.म.नि. ने बताया (नवम्बर 2012) कि नियंत्रक सहायता, लेखे तथा लेखापरीक्षा को यह संदर्भ सूचित कर दिया गया था, तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

### 2.3.6 वर्तमान दर पर बाह्य ऋण को असंगत रूप में दर्शाना

संघ सरकार के वित्त लेखे ऐतिहासिक दर के साथ-साथ वर्तमान दर पर बकाया बाह्य ऋण<sup>28</sup> की स्थिति को दर्शाते हैं। लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि तीन अस्तित्वों<sup>29</sup> से अनुबंधित ₹ 38,976.08 करोड़ के कुल बकाया ऋण को ऐतिहासिक दर पर दर्शाया गया था। तथापि, इन अस्तित्वों को वर्तमान दर पर बाह्य ऋण की स्थिति में नहीं दर्शाया गया था। इसका परिणाम वर्तमान दर पर बाह्य ऋण के कम बताए जाने में हुआ।

ले.म.नि. ने बताया (नवम्बर 2012) कि नियंत्रक सहायता, लेखे तथा लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया गया था, तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

<sup>27</sup> विवरणी 14: ऋणों तथा सरकार की अन्य ब्याज वहन दायित्वों की विवरणी

<sup>28</sup> मुख्य शीर्ष 6002-बाह्य ऋण

<sup>29</sup> आई.बी.आर.डी., कुवैत निधि तथा स्वेडन

### 2.3.7 संघ सरकार द्वारा दिये गये कर्जों को दर्शाया न जाना

वित्त लेखे 2010-11 (तथा पहले के वर्षों के) की विवरणी सं. 3 में, निम्नलिखित मंत्रालयों/राज्यों/संगठनों को कर्ज अदा किए गए दर्शाए गए थे जिसका विवरण तालिका 2.4 में दिया गया है। तथापि, यह दर्शाए बिना कि वर्ष 2011-12 के दौरान इन संगठनों से क्या बकाया कर्जों को प्राप्त किया गया/बट्टे खाते में डाला गया, वर्ष 2011-12 के लिए विवरणी सं. 3 में से इन कर्जों के ब्यौरे को हटा दिया गया था।

तालिका 2.4: वित्त लेखे 2011-12 में कर्जों का दर्शाया न जाना

क्र.सं.	कर्ज देने वाला मंत्रालय	संगठन	अवधि जिससे कर्ज के बकाया संबंधित है	31.3.2012 तक कुल बकाया कर्ज (₹ करोड़ में)
1.	रसायन तथा पेट्रो-रसायन	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	2007-08	47.34
2.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	15 मामले	1993-94 से 2007-08	59.26

महालेखा नियंत्रक ने बताया (जनवरी 2013) कि मंत्रालयों से उत्तर प्रतीक्षित था।

### 2.3.8 बंद किए गए लघु शीर्ष का प्रचालन

मुख्य शीर्ष '8658-उचंत लेखा' के अंतर्गत लघु शीर्ष '111-विभागीय समायोजन लेखा', विभागीय लेखांकन प्राधिकारियों के खातों में वर्ष 1982-83 के लेखाओं से निष्क्रिय हो गया था। विभिन्न लेखे भेजने वाले प्राधिकरणों को ले.म.नि. द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, 2008-09 की समाप्ति तक इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेषों का निपटान किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बार-बार इंगित किए जाने के बावजूद लघु शीर्ष ₹ 36.26 करोड़ के बकाया डेबिट शेष सहित, वित्त लेखे की विवरणी सं. 13<sup>30</sup> में दिखाई देना जारी रहा।

ले.म.नि. ने बताया (नवम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित कर दिया गया था, तथा उनके उत्तरों की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। उसने यह भी बताया कि इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया 14 राज्य महालेखाकारों से संबंधित था तथा इस शीर्ष के अंतर्गत अपने संबंधित शेष का निपटान

<sup>30</sup> विवरणी 13: ऋण जमा प्रेषण तथा आकस्मिक निधि की विवरणी के अंतर्गत प्राप्तियां, संवितरण तथा शेष,

करने हेतु संबंधित राज्य महालेखाकारों को उचित निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था।

### 2.3.9 गारंटी विमोचन निधि का अद्यतन न करना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 251 के अनुसार, गारंटी के आह्वान के परिणाम में बाध्यता को बकाया गारंटी की राशि के बराबर कर्जे को संस्वीकृत करके चुकाया जा सकता है (बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय की स्वीकृति सहित)। तथापि, इस कारण कोई भी भुगतान अंततः लोक लेखे में अनुरक्षित गारंटी विमोचन निधि पर भारित होगा।

कपड़ा मंत्रालय ने वर्ष के दौरान आह्वान की गई ₹1.50 करोड़ की गारंटी को चुकाया। तथापि, इसे आह्वान को वर्तमान नियमावली के अनुसार लोक लेखे में शीर्ष "8235.117-गारंटी विमोचन निधि" में नहीं दर्शाया गया है। वित्त लेखे<sup>31</sup> में व्यय तथा कर्ज विवरणियों तथा विनियोग लेखे में संबंधित शीर्षों के अंतर्गत इस लेन-देन को दर्शाने को भी निर्धारित नहीं किया जा सकता।

ले.म.नि. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि कपड़ा मंत्रालय को सूचित कर दिया गया था तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

### 2.3.10 अन्य विसंगतियाँ

(क) आरक्षित निधि में प्राप्तियों/संवितरण के रूप में दर्ज राशि के संबंध में वित्त लेखे की विवरणी सं. 9 एवं 10 में असंगति/विसंगति और अन्य विसंगतियाँ

(i) यह देखा गया है कि विवरणी-9 एवं 10 से रेलवे विकास निधि (रे.वि.नि.) को अंतरित राशि तथा लोक लेखे में रे.वि.नि. में प्राप्तियों के रूप में दर्ज राशियाँ मेल नहीं करती थी।

तालिका 2.5 आरक्षित निधि को अंतरण में असंगति

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम एवं लेखे का शीर्ष	लोक लेखे को अंतरण को दर्शाने वाली विवरणी- 9 एवं 10 में लेखा शीर्ष	भारत की समेकित निधि से अंतरित राशि	लोक लेखे में प्राप्ति के रूप में दर्ज राशि	अंतर
रेलवे विकास निधि 8117.101	3006.102	610.00	3568.90	2958.90

<sup>31</sup> विवरणी सं. 9 तथा 15



ले.म.नि. ने बताया (नवम्बर 2012) कि रेल मंत्रालय को सूचित कर दिया गया था, तथा उत्तर की प्राप्ति पर मंत्रालय को सूचित किया जाएगा।

(ii) ₹ 29,212.92 करोड़ का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगस) पर किया था। इस राशि के प्रति नरेगस पर व्यय करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि (रा.ग्रा.रो.गा.नि.) से ₹ 29,215.05 करोड़ का अंतरण (संवितरण के रूप में) किया गया था। इस प्रकार, नरेगस शीर्ष पर भारत की समेकित निधि में दर्ज व्यय की तुलना में ₹ 2.13 करोड़ के अधिक व्यय को लोक लेखे से पूरा किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2013) कि ₹ 2.13 करोड़ की बचत कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए गए कम व्यय के कारण थी। इस प्रकार, ₹ 29,212.92 करोड़ का वास्तविक व्यय किया था तथा समेकित निधि में डेबिट किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि रा.ग्रा.रो.गा.नि. से ₹ 2.13 करोड़ का अधिक संवितरण क्यों था, तथा इस निधि से किस योजना पर राशि को चुकाया गया था। निधि से पूर्ति पहले नहीं होनी है परंतु व्यय के पीछे-पीछे चलती है। नरेगस पर किया गया व्यय तथा रा.ग्रा.रो.गा.नि. से वित्तपोषित व्यय एक समान होने चाहिए।

#### (ख) परिसमाप्त अस्तित्वों के प्रति निवेश को गलत दर्शाना

वर्ष 2011-12 के लिए वित्त लेखे में क्रमशः बर्न स्टेर्डड लि. में ₹ 13 करोड़ तथा ब्रैथवेट लि. में ₹ 6 करोड़ का नया निवेश दर्शाया गया था। तथापि, वित्त लेखे के अनुसार, यह दोनो केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम पहले ही परिसमाप्त हो चुके थे, तथा इन्हें 2010-11 में भारत भारी उद्योग लि. के साथ मिला दिया गया था।

ले.म.नि. ने अपने उत्तर (नवम्बर 2012) में बताया कि रेल मंत्रालय को निवेश को स्पष्ट करने के लिए पहले ही अनुरोध कर दिया गया था, तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

#### (ग) वित्त लेखे में निवेश को न दर्शाना

₹ 30 करोड़ का निवेश 'उ.पू.क्षेत्र में 50 सीट वाले वायुयान सेवाएं हेतु सहायता' के प्रति किया गया था, तथा विनियोग लेखों<sup>32</sup> में दर्शाया गया है जबकि निवेश के प्रभाव को वित्त लेखों<sup>33</sup> में नहीं दर्शाया गया था।

<sup>32</sup> उप-शीर्ष 4552-02-202

ले.म.नि. ने बताया (फरवरी 2013) कि प्रधान कार्यालय, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इसे अपनी विवरणी-11 में भी शामिल नहीं किया था। तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

**(घ) प्रदान किए गए कर्ज के निबन्धन तथा शर्तों को अंतिम रूप न देना**

तालिका 2.6 से यह देखा जा सकता है कि कर्ज प्रदान करने के 17 वर्षों के अंतराल के पश्चात भी कर्जों के निबन्धन तथा शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इसने इन कर्जों की वसूली तथा अन्य पहलुओं के संबंध में संचालन मंत्रालय की ओर से कमी को दर्शाया।

तालिका 2.6 प्रदान किए गए कर्ज के निबन्धन तथा शर्तों को अंतिम रूप न देना

संगठन का नाम	प्रदान किए गए कुल अग्रिम	प्रारम्भिक अवधि जिससे कर्ज संबंधित हैं
राजीव गांधी कैंसर संस्थान तथा अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	₹ 29.29 करोड़	1994-95

इस वर्ष भी ले.म.नि. ने उत्तर दिया है (नवम्बर 2012) कि निबन्धन तथा शर्तों को अंतिम रूप देने पर निष्कर्ष अभी भी प्रतीक्षित था।

मामले को सबसे पहले 2000 के प्रतिवेदन सं.1 में उजागर किया गया था, तथा उस समय भी ले.म.नि. का उत्तर यही था।

**(ङ) वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे की विवरणी में असंगति/विसंगति**

केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रमों (के.लो.क्षे.उ.) में सरकार के निवेश को दर्शाने वाली विवरणी सं. 11 तथा संघ वित्त लेखे में ऋण, जमा तथा प्रेषण को दर्शाने वाली सं. 13 के साथ विनियोग लेखे की तुलना ने प्रकट किया कि पाँच मामलों में दो लेखाओं के बीच ₹ 168.66 करोड़ के निवेश राशि का कुल अंतर था। इन मामलों का विवरण **अनुबंध II -ग** में दिए गए हैं।

**2.4 लेखाओं की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक**

संघ सरकार वित्त लेखे 2011-12 की परिशुद्धता पर इन कारकों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (i) उच्चत शीर्षों के अंतर्गत ऐसे लेन-देनों की बड़ी संख्या का होना, जिनका

<sup>33</sup> विवरण 11 संघ सरकार द्वारा निवेश

अंतिम वर्गीकरण बाकी है, (ii) ऋण, जमा एवं प्रेषित धन (ऋ.ज.प्रे.) लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल बकाया की बढ़ती संख्या तथा मात्रा (iii) समय पर उपचारी कार्रवाई न करने के कारण बकाया शेषों की निरन्तर उपस्थिति।

लेखापरीक्षा ने ऋण, जमा, प्रेषण तथा उचंत शीर्षों के अंतर्गत एक सामान्य समीक्षा की तथा कार्यालय ले.म.नि. तथा छः प्रधान लेखा कार्यालयों (प्र.ले.का.) अर्थात् केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.सी.बो.), आपूर्ति विभाग गृह मंत्रालय (गृ.मं.), सहायता लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक (स.ले.ले.नि.) तथा विदेश मंत्रालय (वि.मं.) से संबंधित पांच प्रधान लेखा कार्यालयों (प्र.ले.का.) एवं महालेखा नियंत्रक कार्यालय में पिछले पांच वर्षों से संबंधित विस्तृत जांच भी की थी। इन प्र.ले.का. में शेषों की सघनता और वर्ष-दर-वर्ष इनके जमा होते जाने के आधार पर इनका चयन किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे सूचित किया गया है:

#### 2.4.1 मुख्य उचंत लेखे के अन्तर्गत बकाया शेष

‘उचंत शीर्ष’ नामित लेखे के कुछ मध्यवर्ती/समायोजक शीर्ष उन प्राप्तियों एवं भुगतान के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए सरकारी लेखाओं में खोले गए हैं जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव या अन्य कारणों के कारण लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेखे के इन शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अन्तिम रूप से तब समाशोधित किया जाता है जब लेखे के अन्तिम शीर्षों से संबंधित राशि इसमें दर्ज की जाती है। यदि ये राशियाँ समाशोधित नहीं होती हैं तो उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत शेष संचित होगा तथा सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय को यह सही रूप में प्रदर्शित नहीं करेगा।

उचंत शेषों हेतु खाता भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर लघु-शीर्षवार तथा जहाँ कहीं आवश्यक हो, मु.ले.का. द्वारा उप/वर्गीकृत शीर्षवार के अंतर्गत एवं प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय के मुख्य लेखा नियंत्रक को उचंत शेषों की समीक्षा करना तथा मॉनीटरिंग के उद्देश्य हेतु महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.) को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

31 मार्च 2012 को सिविल, रक्षा, रेलवे, डाक तथा दूरसंचार को सम्मिलित करते हुए संघ वित्त लेखे में उचंत शीर्ष के अन्तर्गत कुल निवल शेष ₹ 19,556.65 करोड़ (डेबिट) था। इस शेष में सिविल के संबंध में ₹ 3,190.07 करोड़ (डेबिट), रक्षा के लिए ₹ 9,498.65 करोड़ (डेबिट), रेलवे से संबंधित ₹ 2,234.01 करोड़ (डेबिट), डाक के



लिए ₹ 2,744.61 करोड़ (डेबिट), दूरसंचार के लिए ₹ 755.63 करोड़ (डेबिट) तथा भारत सरकार क्षतिपूर्ति विमोचन (ईराक को निर्यात योजना) बंधपत्र, 2001 के संबंध में ₹1,133.68 करोड़ (डेबिट) शामिल है। वित्त लेखे उचंत शीर्ष के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं तथा इसलिए, इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया की वास्तविक महत्ता संसद को प्रस्तुत किये गए सरकार के वार्षिक लेखे में सूचित नहीं हो पाती है। इन शीर्षों के अन्तर्गत सही शेष को विभिन्न उचंत शीर्षों के अन्तर्गत पृथक रूप से डेबिट और क्रेडिट को केवल संकलित करके परिकलित किया जा सकता है। डेबिट/क्रेडिट शेष को निवल करने से वित्त लेखे में उचंत शेषों की अत्यधिक न्यूनोक्ति होती है। यह न्यूनोक्ति लघु शीर्ष के साथ-साथ मुख्य शीर्ष स्तर दोनों में होती है। पिछले पांच वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों (मुख्य शीर्ष 8658) के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत उचंत शेषों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 2.7: सिविल मंत्रालयों के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अंतर्गत उचंत शेषों की स्थिति

₹ करोड़ में)

शीर्ष का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-मु.ले.का. उचंत	2882.39	617.77	2512.92	524.57	2880.09	1172.22	3374.13	1131.37	3213.12	740.00
<b>निवल</b>	<b>(-) 2264.62</b>		<b>(-) 1988.35</b>		<b>1707.87</b>		<b>(-) 2242.76</b>		<b>(-) 2473.12</b>	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	1087.28	10310.30	1608.78	1443.21	1942.11	1447.74	1943.09	9781.95	2050.60	3409.87
<b>निवल</b>	<b>9223.02</b>		<b>(-) 165.57</b>		<b>(-) 494.37</b>		<b>7838.86</b>		<b>1359.27</b>	
107-रोकड़ निपटान उचंत लेखा	362.14	16.58	349.49	16.57	371.03	16.57	374.62	19.81	363.32	36.10
<b>निवल</b>	<b>(-) 345.56</b>		<b>(-) 332.92</b>		<b>(-) 354.46</b>		<b>(-) 354.81</b>		<b>(-) 327.22</b>	
108-पी.एस.बी. उचंत	6517.28	782.19	3526.51	1942.36	2435.52	1775.10	3091.85	1052.85	2881.34	1292.70
<b>निवल</b>	<b>(-)5735.09</b>		<b>(-) 1584.16</b>		<b>(-) 660.42</b>		<b>(-) 2039.00</b>		<b>(-) 1588.64</b>	
109- रिजर्व बैंक उचंत (मुख्या.)	11.37	190.89	11.37	190.04	11.37	185.26	11.67	185.14	11.37	185.80
<b>निवल</b>	<b>179.52</b>		<b>178.67</b>		<b>173.89</b>		<b>173.47</b>		<b>174.43</b>	
110- रिजर्व बैंक उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय	209.18	48.57	339.41	47.09	92.02	128.83	28.52	193.74	45.50	65.52
<b>निवल</b>	<b>(-) 160.61</b>		<b>(-) 292.32</b>		<b>36.81</b>		<b>165.22</b>		<b>20.02</b>	
115- विदेश में क्रय इत्यादि हेतु उचंत लेखा	536.65	--	877.79	--	1894.85	--	940.82	--	661.19	-

शीर्ष का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
<b>निवल</b>	<b>(-) 536.65</b>		<b>(-) 877.79</b>		<b>(-) 1894.85</b>		<b>(-) 940.82</b>		<b>(-) 661.19</b>	
129- सामग्री क्रय निपटान उचंत लेखा	156.31	107.84	167.82	115.88	195.25	143.11	202.22	102.16	208.56	86.30
<b>निवल</b>	<b>(-) 48.47</b>		<b>(-) 51.94</b>		<b>(-) 52.14</b>		<b>(-) 100.06</b>		<b>(-) 122.26</b>	
136-प्राप्ति शीर्ष में अन्तरण हेतु प्रतिक्षित सीमा शुल्क प्राप्तियाँ	--	114.97	--	152.15	--	145.47	--	252.28	--	249.50
<b>निवल</b>	<b>114.97</b>		<b>152.15</b>		<b>145.47</b>		<b>252.28</b>		<b>249.50</b>	
138-अन्य नामांकित बैंक (निजी क्षेत्र बैंक)	2.34	170.68	1.55	40.38	2.88	100.70	36.28	294.80	5.82	243.39
<b>निवल</b>	<b>168.34</b>		<b>38.83</b>		<b>97.82</b>		<b>258.52</b>		<b>237.57</b>	

यह देखा जा सकता है कि उचन्त लेखा (सिविल), रिजर्व बैंक उचंत, केन्द्रीय लेखा कार्यालय तथा सामग्री क्रय निपटान उचंत लेखे के अंतर्गत डेबिट शेषों में पिछले वर्षों से 2011-12 में ₹ 130.83 करोड़ तक बढ़े हैं। इसी प्रकार, रोकड़ निपटान उचंत लेखा, पी.एस.बी. उचंत तथा रिजर्व बैंक उचंत (मु.) शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट शेष पिछले वर्षों से 2011-12 में ₹ 256.80 करोड़ तक बढ़े हैं। ले.म.नि. द्वारा ऐसे शेषों के समाशोधन के निरोधक प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु उचन्त लघु शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुरक्षित नहीं किया गया था।

#### भु.ले.का. उचंत

यह लघु शीर्ष संघ सरकार के अन्तर्गत भु.ले.का. संघ शासित क्षेत्रों तथा महालेखाकार के भु.ले.का. के खातों में हो रहे अन्तः विभागीय तथा अन्तः सरकारी लेन-देनों के समायोजन हेतु प्रचालित किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन एक लेखा अधिकारी के जिसमें प्राप्त लघु शीर्ष "भु.ले.का. उचन्त" परिचालित किया गया है, द्वारा अन्य लेखा अधिकारी की ओर से या तो की गई वसूलियों को या भुगतानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट का समाशोधन 'ऋणात्मक क्रेडिट' द्वारा किया जाता है जब लेखा अधिकारी जिसकी किताबों में आरम्भिक वसूली दर्ज की जाती है, द्वारा चैक जारी किया जाता है। 'भु.ले.का. उचन्त' के अन्तर्गत डेबिट का समाशोधन लेखा अधिकारी जिसके पक्ष में भुगतान किया गया था, से चैक की प्राप्ति तथा वसूली



होने पर 'ऋणात्मक डेबिट' द्वारा किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष का अर्थ होगा कि किसी भु.ले.का. द्वारा अन्य भु.ले.का. की ओर से भुगतान किए गए, जिनकी वसूली की जानी है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ होगा कि किसी भु.ले.का. द्वारा अन्य भु.ले.का. की ओर से भुगतान प्राप्त किए गए है जिनका भुगतान अभी किया जाना है।

मार्च 2012 में, इस शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट शेष ₹3,213.12 करोड़ तथा क्रेडिट ₹ 740.00, करोड़ था। बकाया शेष मुख्य रूप से आपूर्ति विभाग ₹ 2,325.29 करोड़ (डेबिट) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (व्यय) ₹ 121.59 करोड़ (डेबिट), विदेश मंत्रालय ₹ 402.97 करोड़ (डेबिट), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड ₹ 19.67 करोड़ (क्रेडिट), गृह मंत्रालय ₹30.98 करोड़ (डेबिट), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ₹ 182.41 करोड़ (क्रेडिट), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ₹30.60 करोड़ (डेबिट) तथा वित्त (व्यय) ₹ 284.97 करोड़ (क्रेडिट) के संबंध में थे, जो इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य भु.ले.का. की ओर से किए गए भुगतानों (डेबिट) या की गई प्राप्तियों (क्रेडिट) को प्रदर्शित करते हुए जिनकी उनके द्वारा अभी भी 31 मार्च 2012 तक वसूली/भुगतान किए जाने थे। भु.ले.का. उच्चतम के अन्तर्गत भारी डेबिट तथा क्रेडिट शेष तथा उन के निरन्तर संचयन महत्वपूर्ण नियंत्रण की कमियों को प्रदर्शित करता था।

प्र.ले.का. के लेखे की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 1986-87 से पहले की अवधि से 2011-12 की अवधि तक के.प्र.क.बो. से संबंधित ₹0.03 करोड़ (डेबिट) तथा (-)₹121.56 करोड़ (क्रेडिट) बकाया थे जिसमें ₹358.34 करोड़ (डेबिट) तथा (-)₹758.24 करोड़ (क्रेडिट) शामिल थे जो चार वर्षों से अधिक से निपटान हेतु लंबित थे। गृह मंत्रालय में वर्ष 2011-12 की समाप्ति तक ₹67.73 करोड़ (डेबिट) तथा ₹ 36.94 करोड़ (क्रेडिट) बकाया थे जिसमें ₹ 0.12 करोड़ (डेबिट) का डेबिट शेष शामिल थे, जो चार वर्षों से अधिक से निपटान हेतु लंबित थे। विदेश मंत्रालय में ₹ 410.30 करोड़ (डेबिट) तथा ₹ 7.33 करोड़ (क्रेडिट) के शेष वर्ष 2011-12 की समाप्ति तक बकाया थे जिसमें ₹ 20.55 करोड़ (डेबिट) तथा ₹ 0.20 करोड़ (क्रेडिट) शामिल थे जो चार वर्षों से अधिक से निपटान हेतु लंबित थे। प्र.ले.का. ने पुराने शेषों के निपटान हेतु किए गए प्रयासों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि शीर्ष 8658-भु.ले.का. उच्चतम के अंतर्गत क्रेडिट तथा डेबिट शेषों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुरक्षित नहीं किया गया था।



### उचंत लेखा (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष लेन-देन के लेखांकन, कुछ सूचना/दस्तावेजो अर्थात् वाऊन्नर, चालान आदि की मांग हेतु संचालित किया जाता है जिसे व्यय अथवा प्राप्ति के अंतिम शीर्ष तक नहीं ले जाया जा सकता। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियां दर्ज करने हेतु क्रेडिट तथा किए गए व्यय हेतु डेबिट किया जाता है। अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों आदि की प्राप्ति पर पूर्व प्रतिलेखा डेबिट या क्रेडिट द्वारा लघु शीर्ष को 'ऋणात्मक' डेबिट या 'ऋणात्मक' क्रेडिट द्वारा लेखे से वांछित मुख्य/उप-मुख्य/लघु शीर्षों के प्रति समाशोधित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया डेबिट शेष का अभिप्राय किया गया भुगतान को जिसे वाऊन्नर आदि जैसे विवरण के अभाव में अन्तिम व्यय शीर्ष को डेबिट नहीं किया जा सका। बकाया क्रेडिट शेष का अभिप्राय प्राप्त की गई राशि जिसे विवरण के अभाव में अंतिम प्राप्ति शीर्ष को क्रेडिट नहीं किया जा सका, से होगा।

31 मार्च 2012 को इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष ₹ 3,409.87 करोड़ (क्रेडिट) तथा ₹ 2,050.60 करोड़ (डेबिट) था जो दर्शाता है कि ₹ 5,460.47 करोड़ की प्राप्तियां तथा व्यय, जिन्हें समायोजन हेतु व्यक्तिगत रूप से संचालित किया जाना अपेक्षित था, को उनके लेखा के अंतिम शीर्षों के प्रति दर्ज नहीं किया गया था। मुख्य बकाया शेष गृह मंत्रालय ₹ 932 करोड़ (डेबिट), आपूर्ति विभाग ₹ 597.62 करोड़ (डेबिट), विदेश मंत्रालय ₹ 598.10 करोड़ (क्रेडिट), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड ₹ 2.31 करोड़ (डेबिट) तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ₹ 9.55 करोड़ (डेबिट) से संबंधित है।

प्रधान लेखा कार्यालयों में शेषों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि के.प्र.क.बो. में वर्ष 2011-12 की समाप्ति तक ₹ 9.59 करोड़ (डेबिट) तथा ₹ 0.04 करोड़ (क्रेडिट) के शेष बकाया थे जिसमें ₹ 8.96 करोड़ (डेबिट) का डेबिट शेष तथा ₹ 0.19 करोड़ (क्रेडिट) का क्रेडिट शेष शामिल थे जो तीन वर्षों से अधिक से निपटान हेतु लंबित थे। प्र.ले.का. ने बकाया शेषों का निपटान करने के लिए किए गए प्रयासों पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

### विदेशों में क्रय हेतु उचंत लेखा

लघु शीर्ष 'विदेशों में क्रय हेतु उचन्त लेखा' नियंत्रक सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा (नि.स.ले.एवं ले.प.), वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के लेखाओं में परिचालित होता है। सरकार दाता को विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना प्राधिकारियों/आयातकों को आपूर्ति की गई सामग्री के प्रति सीधे ही भुगतान करने की तथा समकक्ष राशि को संबंधित मंत्रालय से भुगतान प्राप्त होने तक उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत रखने की

सलाह देती है। यद्यपि सरकार ने इन आयातों के लिए भुगतान पहले ही कर दिए गए हैं फिर भी इस शीर्ष के अधीन डेबिट शेष उस राशि को दर्शाता है जिसे आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों से अभी वसूल किया जाना है।

2011-12 में, विदेशों में क्रय हेतु उचन्त लेखा शेष ₹ 661.19 करोड़ (डेबिट) था। 31 मार्च 2012 को मुख्य देनदार हेलीकॉप्टर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (₹ 67.24 करोड़); पवन हंस लि. (₹ 57.44 करोड़); पाइराइट्स, फोसफेट्स एवं रसायन लि. (₹ 24.95 करोड़); कोल इंडिया लि. (₹ 23.18 करोड़) थे। यह भी पाया गया कि 2003 से विभिन्न संगठनों से ₹ 238.88 करोड़ बकाया थे। 2003 से बकाया राशि का विवरण दर्शाते हुए सूची अनुबंध-II-घ में दी गई है।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह पाया गया था कि तदन्तर भुगतान विभिन्न आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों की ओर से किये गये थे जबकि उनसे पहले किए गए क्रय हेतु भुगतान अभी तक देय थे। नि.स.ले.एवं ले. द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

#### सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त

सरकारी लेखा प्रणाली में नामित बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सरकारी व्यवसाय संचालित करते हैं। जब एक बिल के भुगतान हेतु एक चैक जारी किया जाता है तो राशि को लेखा के अंतिम शीर्ष को डेबिट किया जाता है। जब एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा चैक को भुनाया जाता है तो यह पहले अपने रोकड़ शेष से राशि का भुगतान करता है तथा इसके बाद केन्द्रीय लेखा अनुभाग (के.ले.अ.), भा.रि.बैं. नागपुर से जो प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग का लेखा अनुरक्षित करता है, प्रतिपूर्ति का दावा करता है। इसी प्रकार, जब सरकारी प्राप्तियों का नामित/अधिकृत बैंक में भुगतान किया जाता है तो यह प्राप्तियों को केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भा.रि.बैं. नागपुर को देता है। चूंकि सरकारी रोकड़ शेष में, बैंक द्वारा किए सरकारी लेन-देन को दर्ज करने में समय अंतराल है इसलिए समायोजन की प्रतीक्षा कर रहे लेन-देन हेतु लेखे की सरकारी किताबों में लघु शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त परिचालित किया जाता है। भा.रि.बैं. (के.ले.अ.) नागपुर से लेखे की प्राप्ति पर सा.क्षे.बैं. उचन्त के अन्तर्गत मूल दर्ज ऋणात्मक क्रेडिट ऋणात्मक डेबिट जैसा भी मामला हो द्वारा समाशोधित किया जाता है। ये राशियां सरकार के रोकड़ शेष में दर्शाई नहीं गई हैं।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु बकाया सा.क्षे.बैं. शेष कुल ₹ 2,881.34 करोड़ (डेबिट) तथा ₹ 1,292.70 करोड़ (क्रेडिट) था। विभाग जिनके प्रति मुख्य शेष बकाया थे, वे वाणिज्य विभाग (आपूर्ति मण्डल) ₹ 276.83 करोड़ (डेबिट); के.उ.सी.बो.

₹ 784.12 करोड़ (डेबिट), के प्र.क.बो. (व्यय) ₹ 795.69 करोड़ (डेबिट), के.पें.ले.का. ₹ 789.61 करोड़ (क्रेडिट), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता ₹ 124.99 करोड़ (क्रेडिट), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ₹ 115.46 करोड़ (क्रेडिट) तथा गृह मंत्रालय ₹ 178.21 करोड़ (डेबिट) थे। यह देखा गया कि 2011-12 के दौरान बकाया शेषों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी।

प्रधान लेखा कार्यालयों में शेषों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि के.प्र.क.बो. में बकाया सा.क्षे.बैं. शेष ₹ 1,945.56 करोड़ का डेबिट शेष तथा (-) ₹ 364.37 करोड़ क्रेडिट का क्रेडिट शेष शामिल था जो 5 से 23 वर्षों तक लंबित थे। के.उ.सी.बो. में, (-) ₹ 100.67 करोड़ का डेबिट शेष तथा ₹ 152.19 करोड़ का क्रेडिट शेष शामिल था जो तीन वर्षों से अधिक से निपटान हेतु लम्बित थे। गृ.मं. में, बकाया सा.क्षे.बैं. शेष (-) ₹ 0.75 करोड़ (डेबिट) तथा ₹ 6 करोड़ (क्रेडिट) शामिल था जो 3 वर्षों से अधिक से लम्बित थे। गृ.मं. के प्र.ले.का. ने बताया कि गैर-समायोजित पड़े शेषों के शीघ्र निपटान हेतु मामला संबंधित भु.ले.का./क्षेत्रिय भु.ले.का. तथा अधिकृत बैंकों के साथ उठाया गया था।

#### **रिजर्व बैंक उचंत, केन्द्रीय लेखा कार्यालय (के.ले.का.)**

संघ सरकार के लेखाओं में कर्जे, सहायता अनुदान, आयकर भाग, और राज्य सरकारों को संघ उत्पाद शुल्क के भाग के भुगतान, हेतु इस लघु शीर्ष को परिचालित किया जाता है। जब भुगतान प्राधिकृत किया जाता है तो इस शीर्ष को संबंधित व्यय शीर्ष डेबिट तथा क्रेडिट किया जाता है। संघ सरकार के लेखे को समायोजन करते हुए भा.रि.बैं से लेखे के मासिक विवरण की प्राप्ति पर लघु शीर्ष को '8675-भा.रि.बैं. के पास जमा 101- केन्द्रीय सिविल' को क्रेडिट करते हुए ऋणात्मक क्रेडिट किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान तथा उस पर ब्याज के भुगतान के समय पर इस शीर्ष को ऋण/ब्याज को क्रेडिट करके डेबिट किया जाता है। भा.रि.बैं. केन्द्रीय लेखा अनुभाग (के.ले.अ.) नागपुर से लेखे के मासिक विवरण प्राप्त होने पर शीर्ष का '8675-भा.रि.बैं-101-केन्द्रीय सिविल' के साथ जमा के प्रति, प्रतिलेखा डेबिट द्वारा ऋणात्मक डेबिट किया जाता है। 31 मार्च 2012 को इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष ₹ 45.50 करोड़ (डेबिट) तथा ₹ 65.52 करोड़ (क्रेडिट) था। बकाया भा.रि.बैं. (के.ले.का) उचन्त शेष मुख्य रूप से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ₹ 7.77 करोड़ (डेबिट), आपूर्ति विभाग ₹ 23.07 करोड़ (डेबिट), शहरी विकास मंत्रालय ₹ 7.53 करोड़ (क्रेडिट), अल्प-संख्यक कार्य मंत्रालय ₹ 7.13 करोड़ (क्रेडिट) तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विभाग ₹ 7.68 करोड़ (क्रेडिट) के प्रति थे।



प्रधान लेखा कार्यालय में शेषों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि आपूर्ति विभाग में वर्ष 2011-12 के अंत में ₹ 23.07 करोड़ का निवल डेबिट शेष बकाया था। बकाया शेषों के निपटान की प्रभावी मानीटरिंग हेतु प्र.ले.का. द्वारा शेष का वर्ष-वार डेबिट तथा क्रेडिट ब्यौरे का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, के.प्र.क.बो. के संबंध में विवरणी सं. 13 की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 'शून्य' अथ शेष के प्रति ₹ 3.63 करोड़ के संवितरण को दर्शाया गया था जिसका परिणाम शीर्ष "8658.110-रि.बैं. उचंत"के अंतर्गत ₹ 3.63 करोड़ के डेबिट शेष में हुआ। विभाग ने बताया कि कुछ क्षेत्रीय ले.का. ने गलती से इस शीर्ष के अंतर्गत यह राशि दर्ज कर दी थी।

#### 2.4.2 ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष ऋणात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्रदर्शित होते हैं जहाँ सामान्य रूप से एक ऋणात्मक शेष नहीं हो सकता है। उदाहरणस्वरूप, किसी भी कर्ज या अग्रिम लेखा शीर्ष के प्रति, एक ऋणात्मक शेष, वास्तविक अग्रिम राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा।

वर्ष 2011-12 हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे में, ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेषों के 44 मामले हैं जिन्हें अनुबंध-II-ड में दिया गया है। इनमें से, चार शेष वर्ष 2010-11 के दौरान प्रतिकूल हो गए तथा शेष 40 मामले पहले के वर्षों में बकाया थे। इनमें 20 मामले 2005-10 वर्ष से 10 मामले 2000-05 वर्ष से तथा 10 मामले 2000-01 वर्ष से पूर्व समय से लम्बित शामिल हैं। यद्यपि, वित्त लेखे में प्रतिकूल शेष के फुटनोट उल्लेख करते थे कि कुछ जांचाधीन थे लेकिन म.ले.नि. तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ऐसे जांचों के निष्कर्ष और उनके समाशोधन के लिए किए गए प्रयास लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

#### 2.4.3 'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

यह शीर्ष लेन-देनों के आरम्भिक अभिलेख जो अन्तर समाशोधित होते हैं, के लिए मध्यवर्ती लेखांकन शीर्ष है। लेखाओं के विभागीकरण की योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा भा.रि.बैं या अधिकृत बैंकों की शाखाओं पर आहरित चैकों द्वारा सरकार के प्रति दावों का भुगतान किया जाता है।

जब दावे भु.ले.का./विभागीय अधिकारी को उपयुक्त बिल में प्रस्तुत किए जाते हैं तब प्रक्रियाओं तथा निर्धारित जांचों तथा भुगतान आदेश को दर्ज करने के उपरान्त चैक जारी कर भुगतान को प्राधिकृत किया जाता है। प्रत्येक माह के अन्त में, 'मुख्य शीर्ष 8670-चैक एवं बिल' में माह के दौरान वितरित चैकों की कुल राशि को क्रेडिट तथा

उस राशि को '8658-उचंत' में डेबिट किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/भा.रि.बैं (के.ले.अ.) नागपुर से जारी चैकों के प्रति उनके द्वारा किए गए भुगतानों को दर्शाते हुए तिथि-वार मासिक विवरण (ति.मा.वि.)/शेषों की मासिक विवरण की प्राप्ति होने पर जैसा भी मामला हो, 'शीर्ष 8670- चैक एवं बिल' को ऋणात्मक क्रेडिट तथा '8658-108- स.क्षे.बैं उचन्त/8675-101-भा.रि.बैं. जमा-केन्द्रीय सिविल' को क्रेडिट प्रदान किया जाता है।

2011-12 के वित्त लेखे में भारी शेष 'चैक एवं बिल' के निम्न लघु-शीर्षों के अन्तर्गत बकाया पड़े हुए थे जिसके विवरण में नीचे दिए गए हैं:

तालिका 2.8: 'चैक एवं बिल' के निम्न लघु-शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

पूर्व लेखापरीक्षा चैक	डेबिट	1668.25
भुगतान एवं लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	5030.43
विभागीय चैक	क्रेडिट	2090.00
खजाना चैक	क्रेडिट	1673.20
इरला चैक	क्रेडिट	0.59
दूर संचार लेखा चैक	क्रेडिट	1264.43
डाक चैक	क्रेडिट	10634.65
रेलवे चैक	क्रेडिट	2630.36
रक्षा चैक	क्रेडिट	1944.13
इलैक्ट्रॉनिक एडवाइस	डेबिट	114.93
भुगतान एवं लेखा कार्यालय इलैक्ट्रॉनिक एडवाइस	क्रेडिट	133.04

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 45 में विनिर्दिष्ट है कि चैक जारी करने के एक माह के उपरान्त तीन माह के भीतर किसी भी समय देय होगा। इसके अतिरिक्त नियम 47(2) में विनिर्दिष्ट है कि जारी करने के एक माह के उपरान्त छः माह की अवधि तक अदत्त शेष चैकों का भुगतान तथा नवीनीकरण हेतु अभ्यर्पित नहीं किए गए चैकों के मामलों में, उन्हें '8670-चैक एवं बिल' में ऋणात्मक क्रेडिट करके वापसी या रद्द किया जाना होता है तथा क्रियाशील मुख्य/लघु शीर्ष व्यय जिसमें से वास्तविक रूप से डेबिट किया गया था, को ऋणात्मक डेबिट किया जाता है तथा लेखे में राशि को पुनः लिखा जाना होता है।

विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत ऐसी भारी बकाया राशियां दर्शाती हैं कि लेखांकन प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई जैसा कि नियमावली के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी नहीं कर रहे थे। 'चैक एवं बिल' के अन्तर्गत बकाया राशि की सीमा तक सरकारी रोकड़ शेष अधिक बताए गए।



छः प्र.ले.का की नमूना जांच ने प्रकट किया कि गृ.मं. में ₹ 93.67 करोड़ की राशि के 7,524 चैक, वि.मं. में ₹ 186.34 करोड़ की राशि के 5,085 चैक, के.उ.सी.क्षे. में ₹ 48.45 करोड़ की राशि के 8,194 चैक, आपूर्ति विभाग में ₹ 5.35 करोड़ की राशि के 469 चैक तथा के.प्र.क.बो. में ₹ 25.28 करोड़ की राशि के 12,107 चैक छः माह से अधिक के लिए बिना भुगतान किए रहे किन्तु इन्हें प्र.ले.का. द्वारा निरस्त नहीं किया गया था तथा संबंधित लेखा शीर्ष में अनुकूल प्रविष्टि नहीं की गई थी।

#### 2.4.4 प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की समीक्षा न करना

सिविल लेखा नियमावली के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में, भु.ले.का. विभिन्न ऋ.ज.प्रे. शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का सत्यापन करेगा और जहाँ कहीं भी आवश्यक है यह सुनिश्चित करने हेतु कि शेषों की यथातथ्यता उन व्यक्तियों/पार्टियों द्वारा स्वीकार्य है जिनके द्वारा शेष रखे जाते हैं या जिसे देय है और गैर-समाधान विभिन्नताओं को दर्शाने वाले व्यौरे एवं मामले जहाँ शेषों की स्वीकृति प्रतीक्षित है, को दर्शाने वाला विवरण प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर तक वार्षिक रूप से प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्रधान लेखा अधिकारी पूरे मंत्रालय/विभाग की समेकित रिपोर्ट को समस्त रूप से प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर तक महालेखा नियंत्रक को भेजा जाना अपेक्षित है। इस समीक्षा को करने का उद्देश्य लेखे के विभिन्न लेखा पुस्तिकाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना तथा ऋण, जमा एवं प्रेषण के आंकड़ों का समाधान करना है।

सिविल विभागों के संबंध में, वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के शेषों की समीक्षा कुल 72 प्र.ले.का. में से क्रमशः केवल 26, 36, 38, 22, 16 तथा 04 विभागों में पूर्ण की गई थी।

प्र.ले.का. द्वारा शेषों की समीक्षा करने के विफलता तथा समय पर कार्रवाई की कमी ने कई वर्षों से बकाया पड़े प्रतिकूल शेषों को दर्शाया गया है, जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में प्रतिबिम्बित किया गया है।

यह अनुशंसा की जाती है कि वित्त मंत्रालय सरकारी लेखे की यथातथ्यता एवं गुणवत्ता का सुधार करने के लिए ऋ.ज.प्रे. एवं उच्चत शीर्ष के अन्तर्गत शेषों के समाशोधन/निपटान हेतु निरन्तर समीक्षा एवं सामयिक कार्रवाई हेतु एक अत्यधिक प्रभावी नियंत्रण तंत्र को स्थापित करे।



#### 2.4.5 विभागीय प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली यह प्रावधान करती है कि विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक अथवा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के सरकारी उपक्रम नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह से सरकार द्वारा निर्धारित अनुषंगी लेखे तथा प्रोफार्मा लेखे अनुरक्षित करेंगे।

मार्च 2012 तक वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृति के 41 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणामों को प्रोफार्मा लेखे, जिसमें सामान्यतः व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र सम्मिलित होते हैं, तैयार करके वार्षिक रूप से सुनिश्चित किया जाता है। जबकि भारत सरकार की प्रेस व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के बिना प्रोफार्मा लेखे तैयार करती हैं फिर भी प्रकाशन विभाग केवल भण्डारण लेखा तैयार करता है। उनके नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर विभागीय रूप से प्रबंधित उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों की स्थिति को **अनुबंध-II-च** में दिया गया है।

अनुबंध से यह देखा जा सकेगा कि उपक्रमों के संबंध में प्रोफार्मा लेखे एक से बारह वर्षों के बीच की अवधि के लिए बकाया थे जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: अवधि जिसके लिए प्रोफार्मा लेखे बकाया पड़े थे

वर्षों की संख्या	अवधि	उपक्रमों की संख्या
1-4	2008-09 से 2011-12	29
5-8	2004-05 से 2007-08	4
9-12	2000-2001 से 2003-04	2
	<b>योग</b>	<b>35</b>

प्रोफार्मा लेखे के अभाव में, इन संगठनों, जिन्हें वाणिज्यिक आधार पर प्रबंधित किया जाना नियत है, द्वारा प्रदत्त सेवाओं की लागत का पता नहीं लगाया जा सकता। उनकी गतिविधियों हेतु निवेश पर वापसी, लाभकारिता आदि जैसे निष्पादन संकेतकों को निर्धारित करना भी संभव नहीं था।

#### 2.4.6 हानियाँ तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को बट्टे खाते में डालना/स्थगित करना

सामान्य वित्तीय नियमावली; 2005 का नियम 33 विचार करता है कि हानि के कारण तथा पहचान के ढंग का ध्यान किए बिना लोक धन, विभागीय राजस्व अथवा प्राप्तियां, रसीदी टिकटें, अफ्रीम, भण्डार अथवा सरकार द्वारा अथवा ओर से नियंत्रित अन्य सम्पत्ति की किसी भी हानि अथवा कमी को संबंधित अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा अगले उच्च अधिकारी के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा संबंधित प्रधान लेखा

अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाएगा चाहे ऐसी हानि इसके लिए उत्तरदायी पक्ष द्वारा अच्छे के लिए की गई है। रुपये दो हजार से कम मूल्य वाली छोटी हानियों को सूचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई वर्ष 2011-12 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई/स्थगित की गई हानियों तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को अनुबंध-III-छ में दिया गया है। अनुबंध से यह देखा जा सकता है कि 2011-12 के दौरान, 171 मामलों में, ₹ 817.63 लाख बट्टे खाते में डाले गए थे। वर्ष के दौरान, 105 मामलों में किए गए छोड़ी गई वसूलियाँ तथा किए गए अनुग्रह भुगतान कुल ₹ 151.05 लाख तक थे।

## अध्याय 3

### विनियोग लेखे: 2011-12

#### 3.1 संवैधानिक प्रावधान

लोक सभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान मांगें पारित होने के तुरन्त बाद सरकार अनुच्छेद 114 के अधीन भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में से विनियोग कराने के लिए एक विनियोग बिल प्रस्तुत करती है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को विशिष्ट सेवाओं के लिए भा.स.नि. से उपयुक्त विशिष्ट राशियों के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत कर सकती है। विनियोग अधिनियमों में अनुच्छेद 114 तथा 115 के नियमानुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत किए गए संवितरण तथा अनुच्छेद 112(3) तथा अनुच्छेद 293(2) के अनुसार भा.स.नि. को प्रभारित किए गए संवितरण शामिल हैं। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर उसके द्वारा वास्तव में व्यय की गई सकल राशि तथा विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यय के तुलनात्मक विवरण को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) सिविल मंत्रालयों के 99 अनुदानों और विनियोजनों के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा तथा रेल मंत्रालय, और डाक विभाग अपने स्वयं के अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन सहित सरकार के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार विनियोग लेखे, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो कि उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। 2011-12 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों तथा विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्न अनुसार था:

कार्यकलाप का क्षेत्र	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	99
रक्षा सेवाएं	6
डाक सेवाएं	1
रेलवे	16
योग	122




इस प्रतिवेदन में विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा सेवाएं), पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निहित होती हैं जिनमें आबंटन से अधिक व्यय, जिसके लिए संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यकता हो; अव्ययित प्रावधान, जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो; अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना किए गए अनुपूरक प्रावधान, अव्यवहारिक बजट, तथा गहन परीक्षण के लिए चयनित मंत्रालयों के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों के विश्लेषण शामिल होते हैं। क्षेत्रीय विशिष्टताओं की बेहतर विवेचना की सुविधा हेतु सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा विनियोग सम्बन्धी सभी अनुदानों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। विनियोग प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार रेलवे विनियोगों के हवाले दिये गये हैं। तथापि रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष 2011-12 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पृथक रूप से उपलब्ध है।

### 3.2 कुल प्रावधान/वास्तविक संवितरणों का सारांश

नीचे दिया गया चार्ट 3.1 सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं के मध्य व्यय के वितरण को दर्शाता है। जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है कि 93 प्रतिशत तक का अधिकतम व्यय सिविल मंत्रालयों द्वारा किया गया था। जबकि रेलवे द्वारा चार प्रतिशत, रक्षा सेवाओं द्वारा तीन प्रतिशत तथा कुल सकल व्यय का 0.3 प्रतिशत डाक विभाग द्वारा किया गया।

चार्ट 3.1: वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, रेलवे, डाक तथा रक्षा सेवाओं के मध्य व्यय का विघटन



वर्ष 2011-12 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के अन्तर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

सिविल		रेलवे		डाक		रक्षा	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
921280	3840960	194736	261	14363	11	175805	93
19%	81%	99.87%	0.13%	99.92%	0.08%	99.95%	0.05%

**तालिका 3.1** वर्ष 2011-12 के दौरान कुल प्रावधान (प्रभारित तथा दत्तमत दोनों) तथा संवितरण दर्शाती है। **अनुबंध-III-क** सिविल मंत्रालयों, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत करता है।

**तालिका 3.1: 2011-12 के दौरान प्रावधान तथा संवितरण**

(₹ करोड़ में)

विभाग	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत(-) आधिक्य (+)	कुल प्रावधान की तुलना में बचत/आधिक्य की प्रतिशतता
सिविल	4935557	4762240	(-) 173317	4
डाक	14292	14374	(+) 82	01
रक्षा सेवाएं	178891	175898	(-) 2993	02
रेलवे	205213	194997	(-) 10216	05
<b>कुल योग</b>	<b>5333953</b>	<b>5147509</b>	<b>186444</b>	<b>03</b>

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत, ₹ 1,73,317 करोड़ की निवल बचत पाँच विनियोगों/अनुदानों के अंतर्गत ₹ 6,545 करोड़ के अधिक व्यय तथा सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबधित 96 अनुदानों/विनियोगों में ₹ 1,79,862 करोड़ की बचत के कारण थी। जैसाकि मंत्रालय/विभागों द्वारा बताया गया कि ₹ 6,545 करोड़ के समग्र अधिक व्यय में से ₹ 3,569 करोड़ अनुदान सं. 21-रक्षा पेंशन के अंतर्गत संशोधित आश्वसित कैरियर उन्नयन योजना (सं.आ.कै.उ.यो.) स्थानीय डिस्चार्ज, पूर्व-मुक्ति प्रकरणों, मृत्यु प्रकरणों, उच्चत खार्तों को समाप्त करने हेतु बैंकों से प्राप्त पेंशन स्कॉलों की बुकिंग तथा छुट्टी नकदीकरण के अधिक प्रकरण प्राप्त होने के कारण था। ₹ 1,79,862 करोड़ की समग्र बचत में अनुदान सं. 82- ग्रामीण विकास विभाग-राजस्व (दत्तमत) खण्ड में ₹ 42,368 करोड़, अनुदान सं. 37-विनियोग-ऋणों का पुनर्भुगतान पूंजीगत (प्रभारित) खण्ड में ₹ 28,784 करोड़, अनुदान सं. 35-राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण राजस्व (दत्तमत/प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत/प्रभारित) खण्डों में



₹ 26,807 करोड़, अनुदान सं. 32-आर्थिक मामले विभाग के अंतर्गत राजस्व/पूँजीगत (दत्तमत) अनुभागों में ₹ 12,983 करोड़, अनुदान सं. 75-विद्युत मंत्रालय राजस्व/पूँजीगत (दत्तमत) खण्डों में ₹ 7,968 करोड़, अनुदान सं. 33 - वित्तीय सेवा विभाग - राजस्व (दत्तमत) अनुभाग के अंतर्गत ₹9,880 करोड़ और अनुदान सं. 41 - राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व (दत्तमत) खण्डों में ₹ 8,082 करोड़ की बचतें थी। शेष अनुदानों/पुनर्विनियोजन में सकल बचत ₹ 42,990 करोड़ थी।

सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 203 अनुभागों में बचतें और छह अनुभागों में आधिक्य, डाक विभाग के दो अनुभागों में बचतें और दो अनुभागों में आधिक्य; रेलवे के 30 अनुभागों में बचतें और 4 अनुभागों में आधिक्य तथा रक्षा सेवाओं के 11 अनुभागों में बचतें तथा एक अनुभाग में आधिक्य थे। **अनुबंध-III-ख** विवरणों के सार को दर्शाता है।

### 3.3 प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के बीच एक अन्तर बनाया गया है। प्रभारित व्यय से अभिप्राय ऐसे सभी व्ययों से है जिन्हें संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत संसद द्वारा के अधीन न लाया जा सके। **अनुबंध-III-ग** में 2000-2012 के वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों/विभागों की अनुमोदित मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण दिखाया गया है। इन वर्षों के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के कुल संवितरणों का 70 प्रतिशत से 81 प्रतिशत भारत की समेकित निधि को प्रभारित थे।


2011-12 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत ₹47,62,240 करोड़ के कुल संवितरण 2010-11 के दौरान किए गए ₹ 40,23,332 करोड़ के कुल संवितरण से ₹ 7,38,908 करोड़ अधिक थे। यह 2000-01 में ₹5,66,042 करोड़ से 741 प्रतिशत अधिक था। प्रभारित संवितरण 2000-01 में ₹ 4,05,289 करोड़ से 847 प्रतिशत बढ़ कर 2011-12 में ₹ 38,40,960 करोड़ हो गए तथा उसी अवधि में दत्तमत संवितरण ₹ 1,60,753 करोड़ से 473 प्रतिशत बढ़ कर ₹ 9,21,280 करोड़ तक हो गए थे। 2011-12 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के प्रभारित संवितरण कुल संवितरणों के 81 प्रतिशत थे। प्रभारित संवितरणों में ₹ 34,95,929 करोड़ के ऋण पुनर्भुगतान, ₹ 2,87,182 करोड़ ब्याज भुगतान तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदानों, ब्लॉक अनुदानों, राज्य योजनागत योजनाओं हेतु ऋणों इत्यादि पर



राज्य तथा संघ शासित सरकारों को ₹ 53,968 करोड़ के अंतरण सम्मिलित थे। चूंकि प्रभारित संवितरण संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं, इसलिए संसद द्वारा प्रभावी वित्तीय नियंत्रण की गुंजाइश सिविल मंत्रालयों/विभागों में कुल संवितरण के केवल 19 प्रतिशत तक ही सीमित होती है। चार्ट 3.2 2007-08 से 2011-12 के दौरान पिछल पांच वर्षों में सिविल मंत्रालयों में दत्तमत व्यय से प्रभारित व्यय की अधिकता को प्रकट करता है। तथापि, सिविल, डाक, रक्षा सेवाएं और रेलवे को शामिल करते हुए, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान भा.स.नि. से ₹ 51,47,509 करोड़ की राशि के कुल संवितरणों के परिप्रेक्ष्य में प्रभारित संवितरण की प्रतिशतता 75 प्रतिशत (₹ 38,41,325 करोड़) थी।

चार्ट 3.2: वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत अनुभागों के अन्तर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)



### विनियोग लेखे 2011-12: एक विश्लेषण

#### 3.4 अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग

संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अतिरिक्त, कोई भी धन, भारत की समेकित निधि से, आहरित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005, के नियम 52(3) में अनुबद्ध है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से आधिक्य हो जाए। नीचे दी गयी

तालिका 3.2 में 2011-12 के दौरान भा.स.नि. में से प्राधिकृत संवितरण से ₹ 8,561.42 करोड़ के कुल आधिक्य का सारांश दिखाया गया है। सिविल मंत्रालयों/विभागों में पांच अनुदानों के छह खण्डों में ₹ 6545,33,40,727 (₹ 6,545.33 करोड़), रेलवे के 3 अनुदानों/विनियोगों के 4 खण्डों में ₹ 1048,14,00,392 (₹ 1048.14 करोड़), डाक विभाग की एक अनुदान के दो खण्डों में ₹ 400,04,06,659 (₹ 400.04 करोड़) तथा रक्षा सेवाओं की एक अनुदान के एक खण्ड में ₹ 567,90,83,321 (₹ 567.91 करोड़) का अधिक संवितरण था। इनका विवरण तालिका 3.3 में दिया गया है तथा जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमन की आवश्यकता है।

तालिका 3.2: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरणों का सार

		(आंकड़े ₹ में)			
		सिविल	रक्षा	डाक	रेलवे
दत्तमत	राजस्व	3570,25,13,393	567,90,83,321	400,03,82,246	1047,82,62,078
	पूँजीगत	7,23,26,294	-	-	-
प्रभारित	राजस्व	2967,85,01,040	-	-	31,38,314
	पूँजीगत	-	-	24,413	
अनुदानों/विनियोगों की संख्या		5	1	1	3
कुल आधिक्य		6545,33,40,727	567,90,83,321	400,04,06,659	1048,14,00,392

तालिका 3.3: अनुदानों/विनियोगों के अनुसार अधिक संवितरण के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आंकड़े ₹ में	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
<b>सिविल</b>			
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>			
1.	21-रक्षा पेंशन	अनुदान व्यय आधिक्य 33999,75,00,000 37568,56,46,182 3568,81,46,182	संशोधित आश्वासित कैरियर उन्नयन योजना (सं.आ.कै.उ.) के अधिक मामलों की प्राप्ति, स्थानीय निपटान, पूर्व-मुक्ति प्रकारण मृत्यु प्रकरण, उच्चत खतों को समाप्त करने हेतु बैंकों से प्राप्त पेंशन स्कॉलों की बुकिंग, अर्जित अवकाश के नकदीकरण के कारण।



विनियोग लेखे 2011-12

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग		आंकड़े ₹ में	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
2.	100- लक्षद्वीप	अनुदान व्यय आधिक्य	609,42,00,000 610,85,67,211 1,43,67,211	लोक निर्माण विभाग, लक्षद्वीप के मासिक लेखे में वेतन एवं लेखा कार्यालय, महानिदेशक पूर्ति एवं निपटान को किए गए भुगतान का असावधानीपूर्वक गैर लेखांकन
<b>राजस्व (प्रभारित)</b>				
3.	21-रक्षा पेंशन	विनियोग व्यय आधिक्य	54,00,000 82,54,467 28,54,467	न्यायालय/अधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन के कारण, मूल्यांकन से अधिक वीरता पुरस्कारों का दिया जाना।
4.	34 - ब्याज भुगतान	विनियोग व्यय आधिक्य	284234,60,00,000 287182,18,33,405 2947,58,33,405	उधार में वृद्धि तथा उच्च ब्याज दर, दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करते समय अदा किये गये प्रीमियम के भुगतान के समावेश, राज्य सरकारों आदि द्वारा मध्यवर्ती राजकोष बिलों से नीलामी आधारित राजकोष बिलों में निवेशों को स्थानांतरित किए जाने के कारण।
5.	97 - चण्डीगढ़	विनियोग व्यय आधिक्य	92,82,00,000 112,80,13,168 19,98,13,168	वेतन एवं भत्तों के प्रति अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, प्रकाशन कार्य तथा अधिक चिकित्सा दावों की प्राप्ति के कारण।
<b>पूँजीगत (दत्तमत्त)</b>				
6.	31- विदेश मंत्रालय	अनुदान व्यय आधिक्य	1391,00,00,000 1398,23,26,294 7,23,26,294	पासपोर्ट कार्यालय जवाहरलाल नेहरू भवन के चल रहे निर्माण कार्य और कई देशों में चल रही निर्माण परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण।
<b>रेलवे राजस्व (दत्तमत्त)</b>				
7.	12- विविध कार्यात्मक व्यय	अनुदान व्यय आधिक्य	4109,87,22,000 4388,08,15,415 278,20,93,415	अधिक डेबिट के सामायोजन तथा क्षतिपूर्ति दावों पर अधिक व्यय, दुर्घटना बीमा तथा क्षतिपूर्ति पर अधिक व्यय, निजी केटरों के अनुबंध संबंधी भुगतान पर अधिक व्यय किए जाने तथा भारतीय रेलवे क्रेटरिंग तथा पर्यटन निगम के बकाया बिलों के समाशोधन, डेबिट के सामायोजन तथा दावों के अधिक कार्यान्वयन के कारण।
8.	13-भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	अनुदान व्यय आधिक्य	17557,35,05,000 18326,96,73,663 769,61,68,663	पेंशन संवितरण प्राधिकरियों से अधिक डेबिट की प्राप्ति, अनुग्रह पेंशन पर अधिक भुगतान, परिवार पेंशन मामलों के संशोधन के कारण परिवार पेंशन



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आंकड़े ₹ में	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण	
			के प्रति अधिक डेबिट की प्राप्ति, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति के अधिक मामलों के अंतिमीकरण, पेंशन का चयन करने वालों के लिए अवकाश नकदीकरण के प्रति अधिक व्यय, निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के प्रति अधिक व्यय।	
<b>राजस्व (प्रभारित)</b>				
9.	03-सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	3,05,000 30,34,201 27,29,201	अनुमान से अधिक आज़ाप्त भुगतान किए जाने के कारण।
10.	13- भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	विनियोग व्यय आधिक्य	58,58,000 62,67,113 4,09,113	अनुमान से अधिक आज़ाप्त भुगतान किए जाने के कारण।
<b>डाक विभाग</b>				
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>				
11.	13-डाक सेवाएं	अनुदान व्यय आधिक्य	13762,33,00,000 14162,36,82,246 400,03,82,246	अ.या.रि. लेने पर अवकाश नकदीकरण, सं.सु.क.उ.यो. दिये जाने वेतन एवं भत्ते में बढ़ोत्तरी, अधिक सेवानिवृत्ति, पेंशन, इ.डी.ए. को उपदान, पेंशन और परिवार पेंशन आदि के कारण।
<b>पूंजीगत (प्रभारित)</b>				
12.	13-डाक सेवाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	9,60,00,000 9,60,24,413 24,413	विभाग द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया।
<b>रक्षा सेवाएं</b>				
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>				
13	24-रक्षा सेवाएं - वायु सेना	अनुदान व्यय आधिक्य	16753,53,00,000 17321,43,83,321 567,90,83,321	सेवा कर्मियों को सं.आ.कै.उ.यो. प्रदान करने, मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर की संस्वीकृति, म.भ. दर के 50% से आगे बढ़ने कारण अन्य भत्तों में वृद्धि संख्या में भिन्नताएं राशन सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि उत्पाद शुल्क की दर में 10.3% से 12.36% होना तथा एल.डी. शुल्क में कटौती के कारण।

अनुदान सं. 25 - रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने में ₹ 1651.81 करोड़ निवल राशि की प्राधिकृति प्राप्त की गयी तथा उसकी तुलना में ₹ 1,427.94 करोड़ का निवल व्यय वहन किया गया। रू. 12,130,72 करोड़ का सकल व्यय किया गया। अतः इस अनुदान में रक्षा मंत्रालय ने संसद की प्राधिकृति से ₹ 10,478.91 करोड़ की राशि का अधिक

व्यय वहन किया। इस पहलू की विस्तृत आख्या प्रतिवेदन के पैरा 4.1 में की गयी है। लेखापरीक्षा के मतानुसार इसे संविधान के अनच्छेद 115(1) (ख) के अंतर्गत अधिक व्यय को नियमित किये जाने की भी आवश्यकता होगी।

रेलवे अनुदानों से संबंधित अन्य विवरण भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 के संबंधित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित किए हैं।

### 3.5 अनुदानों में लगातार आधिक्य

लेखापरीक्षा द्वारा 2007-08 से 2011-12 तक की पांच वर्ष की अवधि हेतु अनुदानों की संवीक्षा की गई थी। संवीक्षा से पता चला कि विश्लेषण की पांच वर्ष की अवधि में से कम से कम तीन वर्षों में 12 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत लगातार आधिक्य हुए थे। आबंटनों की तुलना में लगातार आधिक्यों का अनुदानवार/ वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.4: अनुदानों/विनियोगों में लगातार आधिक्य

(₹ में राशि)

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
<b>सिविल अनुदान</b>						
राजस्व (दत्तमत)						
1.	21- रक्षा पेंशन आधिक्य- व्यय- अनुदान-	- 20233,08,32,985 20232,95,00,000	13,32,985 34999,29,01,305 25999,75,00,000	8999,54,01,305 37336,05,72,983 33999,75,00,000	3336,30,72,983 37568,56,46,182 33999,75,00,000	3568,81,46,182 37568,56,46,182 33999,75,00,000
<b>डाक विभाग</b>						
राजस्व (दत्तमत)						
2.	13- डाक सेवाएं आधिक्य- व्यय- अनुदान-	-	-	818,12,99,976 13344,82,99,976 125,22,67,00,000	366,63,29,167 13793,26,29,167 13426,63,00,000	400,03,82,246 14162,36,82,246 13762,33,00,000
<b>रक्षा सेवाएं</b>						
राजस्व (दत्तमत)						
3.	22- रक्षा सेवाएं - थल सेना आधिक्य- व्यय- अनुदान-	71,18,78,075 35481,28,78,075 35410,10,00,000	-	2464,11,11,895 62716,64,11,895 60252,53,00,000	2864,01,52,379 65001,95,52,379 62137,94,00,000	-
<b>रेलवे</b>						
राजस्व (दत्तमत)						
4.	04- स्थायी मार्गों की मरम्मत तथा अनुरक्षण एवं निर्माण आधिक्य- व्यय-	-	104,05,87,825 5944,26,92,825	55,50,24,359 7496,25,82,359	7,75,52,784 7386,56,17,784	-



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	अनुदान-		5840,21,05,000	7440,75,58,000	7378,80,65,000	
5.	05- चालन शक्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण आधिक्य- व्यय- अनुदान-	-	95,24,56,565 2924,36,28,565 2829,11,72,000	90,87,30,288 3479,19,71,288 3388,32,41,000	75,06,60,832 3423,60,13,832 3348,53,53,000	-
6.	06- माल डिब्बों एवं सवारी डिब्बों की मरम्मत एवं अनुरक्षण आधिक्य- व्यय- अनुदान-	-	149,69,22,039 6430,23,89,039 6280,54,67,000	164,57,39,230 7857,06,14,230 7692,48,75,000	221,08,77,978 7799,58,75,978 7578,49,98,000	-
7.	08- परिचालन व्यय - रोलिंग स्टॉक एवं उपकरण आधिक्य- व्यय- अनुदान-	-	131,05,69,735 4711,59,77,735 4580,54,08,000	36,30,60,599 5983,59,00,599 5947,28,40,000	189,88,89,127 6156,81,96,127 5966,93,07,000	-
8.	12- विविध संचालन व्यय आधिक्य- व्यय- अनुदान-	23,40,02,612 2078,37,78,612 2054,97,76,000	-	19,58,54,173 3177,23,12,173 3157,64,58,000	648,43,86,934 4002,49,56,934 3354,05,70,000	278,20,93,415 4388,08,15,415 4109,87,22,000
9.	13- भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ आधिक्य- व्यय- अनुदान-	-	-	1512,38,96,979 16911,20,69,979 15398,81,73,000	1403,97,51,918 16352,71,21,918 14948,73,70,000	769,61,68,663 18326,96,73,663 17557,35,05,000
10.	15-सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋणों की वापसी तथा अधिक पूंजीकरण का परिशोधन आधिक्य- व्यय- अनुदान-	20,80,86,212 4902,92,86,212 4882,12,00,000	6,71,23,341 4717,67,23,341 4710,96,00,000	4,51,03,762 5543,34,03,762 5538,83,00,000	-	-
रेलवे						
राजस्व (प्रभारित)						
11.	03- सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं आधिक्य- व्यय-	-	1,04,322 9,52,322	24,21,286 34,79,286	20,97,842 36,49,842	27,29,201 30,34,201



विनियोग लेखे 2011-12

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	विनियोग-		8,48,000	10,58,000	15,52,000	3,05,000
रेलवे						
पूँजीगत (प्रभारित)						
12.	16-परिसंपत्ति - अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन - पूँजीगत				-	-
	आधिक्य-	21,02,493	17,08,59,223	3,36,40,661		
	व्यय-	21,36,13,493	39,28,59,223	64,38,40,661		
	विनियोग-	21,15,11,000	22,20,00,000	61,02,00,000		

अनेक अनुदानों में वर्ष-दर वर्ष आधिक्य होना एक चिंता का विषय है। लोक लेखा समिति द्वारा आधिक्य के मामलों में कमी लाने की सिफारिशों के बावजूद इन अनुदानों में लगातार आधिक्य देखे गये हैं। मंत्रालयों/विभागों ने ठोस प्रयास नहीं किये गये तथा अधिक व्यय से बचने के लिए वित्तीय अनुशासन का पालन करने हेतु प्रभावी तंत्र नहीं विकसित किये गये।

### 3.6 लघु/उपशीर्ष-वार आधिक्य व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 58 (1) के अनुसार व्यय वहन करने वाले अधीनस्थ प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसके अधीन रखे गये आबंटन में आधिक्य न हो। यदि कहीं आबंटन से अधिक व्यय की शंका हो तो अधीनस्थ प्राधिकारी को अधिक व्यय करने से पूर्व अतिरिक्त आबंटन प्राप्त कर लेना चाहिए।

तथापि, वर्ष 2011-12 के शीर्ष-वार विनियोग लेखों में पाया गया कि 16 लघु अनुदानों के 53 उप-शीर्षों में उपलब्ध प्रावधान से ₹ पांच करोड़ और ऊपर का अधिक व्यय था। यद्यपि इन लघु/उपशीर्षों में उपलब्ध प्रावधानों से ₹ 18,609.65 करोड़ का कुल व्यय अधिक किया गया था, संबंधित अनुदान/विनियोग का प्रबंधन करने वाले प्राधिकारी ने व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे, जो बजटीय नियंत्रण में ढील को दर्शाते हैं। अधिक व्यय वाले लघु उप-शीर्ष अनुबंध III-घ में सूचीबद्ध हैं।

### 3.7 ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत (क्षेत्र-वार)

लोक लेखा समिति ने अपनी 60 वीं रिपोर्ट (10वीं लोक सभा) ने इच्छा जाहिर की थी कि समिति को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुदान के किसी भी अनुभाग में ₹ 100

करोड़ या इससे अधिक की बचत के संबंध में प्रत्येक वर्ष एक विस्तृत व्याख्यात्मक नोट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अनुदान अथवा विनियोग में बचत या तो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण तथा निष्पादन में कमी को दर्शाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 75 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे एवं रक्षा सेवाएं सहित) के 93 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं, जिनकी लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी दिए जाने की आवश्यकता है। अधिक बचतें अनेक अनुदानों में देखी गयी जैसे ग्रामीण विकास विभाग (₹ 42,368 करोड़), ऋणों का पुनर्भुगतान (₹ 28,785 करोड़), राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण (₹ 26,807 करोड़), आर्थिक कार्य विभाग (₹ 12,983 करोड़), वित्तीय सेवाएं विभाग (₹ 9,880 करोड़), राजस्व विभाग (₹ 8,082 करोड़), विद्युत मंत्रालय (₹ 7,968 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹ 3,934 करोड़), पुलिस (₹ 3,352 करोड़), अंतरिक्ष विभाग (₹ 2,835 करोड़), उच्चतर शिक्षा विभाग (₹ 2,336 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹ 3,047 करोड़), वाणिज्य विभाग (₹ 2,086 करोड़), गृह मंत्रालय (₹ 1,828 करोड़), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (₹ 1,762 करोड़), पंचायती राज मंत्रालय (₹ 1,143 करोड़), दूरसंचार विभाग (₹ 1,082 करोड़), परमाणु ऊर्जा विभाग (₹ 1,061 करोड़), पोतपरिवहन मंत्रालय (₹ 1,046 करोड़), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹ 1,009 करोड़), तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (₹ 1,008 करोड़) आदि। अनुबंध-III-ड विभिन्न अनुदानों/ विनियोगों के अन्तर्गत बचतों के ब्यौरे दर्शाता है।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचतों के कारण 'कुछ योजनाओं को आरम्भ करने में विफलता', 'प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब', 'कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा व्यय की धीमी गति, राज्य सरकारों के पास अव्ययित राशियां पड़े रहना तथा राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति आदि बताये गये थे।

इसके अतिरिक्त, पूंजीगत खण्डों सहित 29 अनुदानों/विनियोजनों के 36 खण्डों में पिछले तीन वर्षों (2009-2012) के दौरान ₹100 करोड़ तथा अधिक की निरन्तर बचतें थीं जैसा अनुबंध-III-च में दिखाया गया है। बड़ी निरन्तर बचतों वाली कुछ अनुदान सं. 32- आर्थिक मामले विभाग, 33- वित्तीय सेवा विभाग, 35- राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों

को अंतरण, 37- ऋणों का पुनर्भुगतान, 58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, 59- उच्चतर शिक्षा विभाग, 75- विद्युत मंत्रालय तथा 82- ग्रामीण विकास विभाग।

### 3.7.1 दोषपूर्ण बजट प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹ 10,000 करोड़ की बचत

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(2) के अनुसार, किसी राज्य सरकार को ऋण देने के उद्देश्य हेतु आवश्यक किसी भी राशि को भारत की समेकित निधि पर प्रभारित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अनुदान सं. 35- राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि मंत्रालय ने गलत तरीके से मुख्य शीर्ष '7601- राज्य सरकारों को ऋण तथा अग्रिम' के अंतर्गत ब्लॉक ऋणों - पूंजीगत (दत्तमत) योजना खण्ड के अंतर्गत बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता - हेतु ₹ 9000 करोड़ का तथा मुख्य शीर्ष '7601- राज्य सरकारों को ऋण तथा अग्रिम' के अंतर्गत पूंजीगत (दत्तमत) गैर-योजना खण्ड में अर्थोपाय अग्रिम हेतु ₹1,000 करोड़ का प्रावधान प्राप्त किया था।

वर्ष की अवधि के दौरान, मंत्रालय पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग के अंतर्गत गलत तरीके से व्यय करता रहा तथा ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने के लिए गलत संस्वीकृति आदेश जारी करता रहा। अगस्त 2011 में पहली अनुपूरक मांगों में, मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक प्रावधानीकरण में हुई त्रुटि के पता चलने पर, मुख्य शीर्ष 7601- राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत ₹1,000 करोड़ पूंजीगत (प्रभारित) गैर- योजना अनुभाग तथा 9,000 करोड़ पूंजीगत (प्रभारित) योजना अनुभाग का अनुपूरक प्राप्त किया गया।

जनवरी 2012 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा, वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग से ₹10,000 करोड़ की अव्ययित राशि अभ्यर्पित कर दी जिसे उसने तकनीकी सुपुर्दगी माना ताकि पूंजीगत (प्रभारित) खण्ड के अंतर्गत पहली एवं द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगों द्वारा उपलब्ध निधियों का उपयोग किया जा सके। उक्त का.ज्ञा. में मंत्रालय ने बताया कि मुख्य शीर्ष 7601 के अंतर्गत इ.ए.पी. हेतु ए.सी.ए. के ऋण घटक के अंतर्गत जारी किए गए संस्वीकृति आदेशों का एक शुद्धिपत्र साथ-साथ जारी किया जा रहा था जिससे कि 30 नवम्बर 2011 तक जारी किए गए संस्वीकृति आदेशों हेतु पूंजीगत (दत्तमत) की बजाय पूंजीगत (प्रभारित) के अंतर्गत बुक की जाने वाली का लेखांकन किया जा सके।



इस प्रकार, मुख्य शीर्ष '7601- राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम' के पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत ₹ 10,000 करोड़ का सम्पूर्ण अव्ययित प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 293(2) के उल्लंघन में मंत्रालय द्वारा किए गए गलत प्रावधान के कारण था।

### 3.8 बचतों का अभ्यर्पण (अनुदान वार)

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56 के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग से बचतों का जैसे ही पूर्वानुमान लगे उन्हें वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में सम्भावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/ विभागों के 97 अनुदानों/विनियोगों के 203 खण्डों के अंतर्गत ₹ 1,79,862 करोड़ की बचतें हुईं। इसे पांच अनुदानों के छह खण्डों के अंतर्गत ₹ 6,545 करोड़ के अधिक व्यय के द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया था जिसका परिणाम ₹ 1,73,317 करोड़ की निवल बचत में हुआ। अभ्यर्पित की गई राशियां तालिका 3.5 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 3.5: बचतों तथा अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित की गई राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित की गई राशि	अव्ययित प्रावधानों को 31 मार्च को अभ्यर्पित की गई राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि
<b>राजस्व</b>					
दत्तमत	105067.51	100383.21	98050.31	93	4827.17
प्रभारित	5447.89	5431.38	5431.38	100	16.51
कुल: राजस्व	110515.40	105814.59	103481.69		4843.68
<b>पूंजीगत</b>					
दत्तमत	37524.60	33529.16	30571.28	81	4000.74
प्रभारित	31821.64	37006.51	37002.82	116	13.16
कुल: पूंजीगत	69346.24	70535.67	67574.10		4013.90
<b>कुल योग</b>	<b>1,79,861.64</b>	<b>1,76,350.26</b>	<b>1,71,055.79</b>		<b>8,857.58</b>

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण का पुनर्भुगतान से संबंधित अनुदानों के अंतर्गत अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक थी। अनुबंध III-छ में ब्यौरा दिया गया है। सं.शा.क्षे. लक्षद्वीप तथा रक्षा पेंशन में राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत तथा विदेश मंत्रालय में पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत

क्रमशः ₹ 3,568.81 करोड़, ₹ 1.44 करोड़, एवं ₹ 7.23 करोड़ (तालिका 3.3 में ब्यौरा दिया गया है) का अधिक व्यय किया गया, जिसका संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमन अपेक्षित है। जहां एक ओर मंत्रालयों ने अधिक व्यय किया, इसके साथ-साथ उन्होंने मार्च 2012 में क्रमशः ₹ 0.29 करोड़, ₹ 0.29 करोड़ तथा ₹ 1.60 करोड़ का अभ्यर्पण किया। यह विशेष रूप से विदेश मंत्रालय में कमजोर बजटीय प्रबंधन का सूचक है।

### 3.9 31 मार्च को बचतों का अभ्यर्पण

44 मामलों जिनमें किसी एक अनुदान/विनियोग में बड़ी बचतें (₹ 100 करोड़ से अधिक) पायीं गयीं और जिन्हें अभ्यर्पित न किये जाने से व्यपगत हुई निधियों सहित 30/31 मार्च 2012 को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अन्ततः अभ्यर्पित किया गया था, के ब्यौरे अनुबंध III-ज में दर्शाए गये हैं।

#### 3.10 लघु/उप-शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

लेखाओं की नमूना जांच ने प्रकट किया कि सिविल मंत्रालयों/विभागों तथा रक्षा सेवाओं के नौ अनुदानों/विनियोगों के 17 मामलों में, कुल ₹ 529.02 करोड़ का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि जिन लघु/उपशीर्षों में निधियां पुनर्विनियोजन के द्वारा बढ़ाई गई थी उनमें मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। परिणामतः इन लघु/शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचतें इनमें पुनर्विनियोजित की गई राशियों से अधिक थीं। 17 मामले, जहां पांच करोड़ तथा अधिक के पुनर्विनियोग किए गए हैं, का ब्यौरा अनुबंध III-झ में दिया गया है।

#### 3.11 लघु/उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

इसी प्रकार, लेखों की नमूना परीक्षा से पता चला कि रक्षा सेवाओं एवं सिविल मंत्रालयों/विभागों के पांच अनुदानों/विनियोजनों से संबंधित सात मामलों में, कुल ₹ 164.14 करोड़ के पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण थे, जिनमें प्रत्येक लघु/उप-शीर्ष के अंतर्गत अंतिम संवितरण, पुनर्विनियोग से पहले के मूल प्रावधान से भी अधिक था। इनमें से प्रत्येक में, इन शीर्षों से पुनर्विनियोग के पश्चात उपलब्ध अंतिम प्रावधान से अधिक व्यय पुनर्विनियोजित राशि से भी अधिक थे। सात मामले, जिनमें ₹ पांच करोड़ और अधिक के पुनर्विनियोजन किए गए हैं, अनुबंध-III -ज में दिए गए हैं।

#### 3.12 अवास्तविक बजटीय अनुमान के कारण विशाल अनुपूरक अनुदानें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 के अन्तर्गत, संसद, सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशियाँ विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत करती है। संसद संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त



अनुदान भी प्राधिकृत कर सकती है। व्ययों के अनुमान तैयार करते समय मंत्रालयों/विभागों से पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना तथा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पहले अनुमानों में सभी अपरिहार्य तथा भावी व्यय हेतु प्रावधान करने हेतु आवश्यक सावधानी बदलना अपेक्षित है। वित्त मंत्रालय यथोचित विचार विमर्श तथा बजट पूर्व बैठकों/संवीक्षा के पश्चात बजट प्रस्तावों को अन्तिम रूप देता है। वर्ष 2011-12 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभागों में से अधिकांश ने मूल प्रावधानों से बहुत अधिक अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए थे। अनुदानों के कुछ अनुभागों में अनुपूरक अनुदान मूल प्रावधान के 26 प्रतिशत से 412 प्रतिशत के बीच थे इनका ब्यौरा तालिका 3.6 में दिया गया है। बृहत अनुपूरकों, ये पता चलता है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा बजट अनुमानों के वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किया गया तथा वास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों को सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पूर्व बैठकें आयोजित करने तथा संवीक्षा की प्रक्रिया का अभीष्ट प्रभाव नहीं पड़ा।

तालिका 3.6: अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण भारी अनुपूरक अनुदानों के ब्यौरों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान से अनुपूरक प्रावधान की प्रतिशतता
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>				
1.	06-रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	799.88	619.95	78
2.	07-उर्वरक विभाग	53619.46	20980.00	39
3.	53-मंत्रीमंडल	329.92	660.09	200
4.	73-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	23716.20	44838.11	189
5.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	1447.93	638.61	44
6.	91-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2505.79	2375.04	95
7.	92-इस्पात मंत्रालय	116.71	119.81	103
8.	99-दमन एवं दीव	855.69	221.00	26
9.	105-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	12733.00	3450.04	27
10.	25-रक्षा आयुध कारखाने	792.88	858.93	108
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>				
11.	10-कोयला मंत्रालय	30.00	116.83	389
12.	30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	80.68	42.00	52
13.	31-विदेश मंत्रालय	791.00	600.00	76
14.	32-आर्थिक मामले विभाग	14683.56	11120.62	76
15.	33-वित्तीय सेवाएं विभाग	7814.00	6497.44	83
16.	52-गृह मंत्रालय	28.85	24.60	85



क्र.सं.	अनुदान का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान से अनुपूरक प्रावधान की प्रतिशतता
17.	53-मंत्रीमंडल	104.07	82.18	79
18.	66-खनन मंत्रालय	39.21	161.36	412
19.	73-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	शून्य	1585.75	उ./न.
20.	93-कपड़ा मंत्रालय	88.27	106.18	120
<b>कुल</b>			<b>95137.22</b>	

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत प्राप्त मूल तथा अनुपूरक अनुदानों तथा वर्ष 2005-06 से आगे की मूल प्रावधान के प्रति अनुपूरक प्रावधानों की प्रतिशतता की स्थिति अनुबंध III-ट में दी गई है।

### 3.13 अनावश्यक नकद अनुपूरक अनुदान

12 अनुदानों/विनियोगों में जिनके ब्यौरे तालिका 3.7 में दिए गए हैं, 2011-12 के दौरान यद्यपि ₹ 6,762.27 करोड़ के कुल नकद अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किये थे, अन्तिम व्यय मूल अनुदान/ विनियोग से भी कम हुआ। अतः प्राप्त किया गया समग्र नकद अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था जो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण का द्योतक था।

‘नकद अनुपूरक’ प्राप्त करने के बजाय, मंत्रालयों/विभागों को अनुदान में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने की सम्भावना तलाशनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो ‘टोकन’ या ‘तकनीकी अनुपूरक अनुदान’ लेना चाहिए जिससे वर्ष के अन्त में होने वाली बचतों से बचा जा सके।

तालिका 3.7: नकद अनुपूरक अनुदान/विनियोग से अधिक बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	कुल प्राप्त अनुपूरक अनुदान	नकद अनुपूरक	वास्तविक संवितरण	बचतें
<b>सिविल अनुदान</b>						
1.	19-संस्कृति मंत्रालय	1338.00	40.08	40.00	1310.80	67.28
2.	32-आर्थिक मामला विभाग	21632.22	12242.59	1066.46	20891.45	12983.36
3.	33-वित्तीय सेवाएं विभाग	23705.94	6997.46	200.00	20823.04	9880.36
4.	54-पुलिस	40019.99	3262.86	2000.70	39922.30	3360.54
5.	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	60088.58	70.07	70.00	59149.57	1009.08
6.	78-राज्य सभा	224.35	33.02	33.02	220.59	36.78
7.	81-सड़क परिहवन एवं राजमार्ग मंत्रालय	40740.51	1516.54	476.82	38314.88	3942.17
8.	82-ग्रामीण विकास विभाग	146909.72	2300.03	2300.00	106841.29	42368.46
9.	92-इस्पात मंत्रालय	117.71	119.81	118.82	80.98	156.54

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	कुल प्राप्त अनुपूरक अनुदान	नकद अनुपूरक	वास्तविक संवितरण	बचतें
10.	93-कपड़ा मंत्रालय	5855.75	437.94	419.89	5056.33	1237.36
11.	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2715.75	50.41	35.56	2612.43	153.73
12.	99-दमन एवं दीव	1032.95	221.00	1.00	1210.44	43.53
कुल			27,291.81	6,762.27		75,239.19

वित्त मंत्रालय को मामलों की समीक्षा करनी चाहिए तथा इस विषय में सभी मंत्रालयों/विभागों को उचित मार्गदर्शन जारी करने पर विचार करना चाहिए।

### 3.14 उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त किए गए अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालयों/विभागों ने संसद को कई योजनाओं/कार्यकलापों के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की भारी राशियां सूचित की थीं किन्तु वे अन्ततः ने केवल सम्पूर्ण अनुपूरक अनुदानों या उनके हिस्से को खर्च करने में असफल रहे बल्कि मूल बजट प्रावधान को भी खर्च न कर सके। ऐसे 22 लघु/उप-शीर्षों जिनमें सम्पूर्ण अनुपूरक अनुदान के साथ मूल बजट प्रावधान भी अव्ययित रहे, का ब्यौरा अनुबंध III-ठ में दिया गया है।

### 3.15 निरन्तर बचत (उप-शीर्ष वार)

विनियोग लेखाओं की विस्तृत जांच ने उजागर किया कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान कुछ अनुदानों तथा विनियोगों के अन्तर्गत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत निरन्तर बचतें पाई गई थी जो मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को दर्शाती है। उपशीर्षों के ब्यौरे अनुबंध III-ड में दिए गए हैं।

### 3.16 संपूर्ण प्रावधान की बचत (उप-शीर्ष वार)

मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत 86 उपशीर्षों में संसद द्वारा स्वीकृत ₹ 22,972.97 करोड़ की राशि के सम्पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहे। सम्पूर्ण प्रावधान की बचत परियोजनाओं/कार्यक्रमों की समुचित समीक्षा के पश्चात अनुमानों के तैयार न किये जाने की द्योतक है। मुख्य योजनाएं जो सम्पूर्ण प्रावधानों के उपयोग न करने के कारण आगे नहीं बढ़ पायी अथवा प्रभावित हुईं, वे हैं:



- ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत: 'राष्ट्रीय निवेश निधि को स्थानांतरण' (₹8,448 करोड़);
- उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विभाग मंत्रालय) के अंतर्गत 'विश्वविद्यालय तथा कॉलेज अध्यापकों के वेतन मानों में सुधार' (₹ 2,250 करोड़);
- वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) के अंतर्गत: 'किसानों हेतु ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना-2008 के कार्यान्वयन हेतु किसान ऋण राहत निधि' (₹ 2,000 करोड़), 'दीर्घ अवधि सहकारी क्रेडिट संरचना' (₹ 1,000 करोड़ तथा 'सुरक्षा प्रतिदान निधि का पुनरुत्थान' (₹ 625 करोड़);
- विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत; 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' (₹ 600) करोड़ तथा 'राष्ट्रीय विद्युत निधि' (₹ 250 करोड़);
- पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत 'पत्तन न्यास को ऋण' (₹ 194 करोड़);
- भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत: सा.क्षे.उ. की पुनरुद्धार योजनाओं का कार्यान्वयन (₹ 150 करोड़);
- इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत: 'बिसरा चूना पत्थर कंपनी लिमिटेड' (₹ 120 करोड़); तथा
- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत: 'हाथ से सफाई करने वाले मेहतरों के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना' (₹ 98 करोड़)

उपशीर्षों का ब्यौरा/सूची अनुबंध III-ढ में दिया गया है।

### 3.17 एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचत

विनियोग लेखों की विस्तृत संवीक्षा ने प्रकट किया कि कुछ अनुदानों तथा विनियोगों के अंतर्गत एक उप-शीर्ष में ₹ 100 करोड़ या अधिक की बचतें थीं जो कि मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली संबंधित योजनाओं के खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनो के सूचक हैं। मंत्रालय/विभाग द्वारा न केवल अनुमानों तथा वास्तविकों के बीच बड़े पैमाने पर विचलनों को कम करने बल्कि दुर्लभ संसाधनों को लाभकारी ढंग से उपयोग करने हेतु अपनी बजटीय प्रक्रिया को अधिक वास्तविक बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन मंत्रालयों/विभागों को बजटीय अनुमान की



व्यवस्था और/अथवा अपने कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा करनी चाहिए। अनुबंध III-ण एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक की ₹ 100 करोड़ या अधिक की 106 ऐसी बड़ी बचतों का ब्यौरा संबंधित मंत्रालय/विभागों द्वारा दिए गए कारणों सहित प्रदर्शित करता है।

निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत वृहत बचतें हुई हैं:

- ग्रामीण विकास विभाग: ₹ 10784.31 करोड़ - 'जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों /जिला कार्यक्रम समन्वयकों तथा अन्यो को सहायता' (₹39,974.08 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति)- राज्य सरकारों से प्रस्तावों की पर्याप्त संख्या प्राप्त न होने तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण।
- राजस्व विभाग: ₹ 7,827.42 करोड़ - 'सी.एस.टी. को चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने के कारण राज्यों के राजस्व घाटे हेतु अनुदानें' (₹12,000 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) - राज्य सरकारों से सी.एस.टी. प्रतिपूर्ति हेतु कम दावों की प्राप्ति के कारण;
- उर्वरक विभाग: ₹ 5,700 करोड़ - 'आयातित विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए भुगतान' (₹ 21,864.94 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) - नवम्बर 2011 तक हुए कम आयातों के कारण;
- राज्यों एवं सं.शा.क्षे. के अंतरण: ₹ 5,184.22 करोड़ - 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' (₹ 12,522 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबरी के योगदानों को जारी न करने, परियोजनाओं को वापस लेने, तथा योजनाओं की शुरुआत में विलंब के कारण;
- राज्यों एवं सं.शा.क्षे. को अंतरण: ₹ 5,160.99 करोड़ - 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम' (₹ 12,620 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) राज्य सरकारों द्वारा निधियों के कम उठान के कारण;
- वित्तीय सेवाएं विभाग: ₹ 4,823.61 करोड़ - 'कृषि संबंधी ऋण अधित्यजन तथा ऋण राहत योजना, 2008 के प्रति ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋणों की राहत/माफी' (₹ 6,000 करोड़ के बजटीय

प्रावधान के प्रति, योजना की कार्यान्वयन अवधि समाप्त हो जाने से केंद्रक अभिकरणों से कम दावों की प्राप्ति के कारण;

- राज्यों एवं सं.शा.क्षे. को अंतरण: ₹ 3,755.52 करोड़ - 'राष्ट्रीय निवेश निधि' (₹ 7,732 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) विनिवेश से कम प्राप्ति के कारण;
- राज्यों एवं सं.शा.क्षे. को अंतरण: ₹ 2,066.08 करोड़ - 'गंभीर प्रकृति की आपदाओं हेतु राष्ट्र आपदा प्रतिक्रिया निधि से राज्यों को सहायता' (₹ 4,525 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) गंभीर प्रकृति की कम आपदाओं के घटने तथा राज्यों के सी.आर.एफ/रा.आ.प्र.नि. में निधियों की उपलब्धता के कारण निधियों को कम जारी किये जाने;
- वाणिज्य विभाग: ₹ 1,978.80 करोड़ - 'निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास संगठनों को सहायता' (₹ 3,050 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति - नीति व्याख्या समिति, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के कारण अपात्र दावों की प्राप्ति के कारण; तथा
- वित्तीय सेवाएं विभाग: ₹ 1,585.30 करोड़ - 'किसानों को लघु अवधि क्रेडिट प्रदान करने हेतु ब्याज की आर्थिक सहायता' (₹ 4,868 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) - नोडल अभिकरणों से प्रतिपूर्ति हेतु कम दावों की प्राप्ति के कारण क्योंकि दावें अगले वर्ष में भी चले गए थे।

### 3.18 बजट प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक की ₹ 50 करोड़ या अधिक की बचत (लघु/उपशीर्ष वार)

प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र में अनुमानों की रूपरेखा तैयार करते समय, पूर्व निष्पादन, विभिन्न योजनाओं के सूत्रीकरण/ कार्यान्वयन के चरण, योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों की संस्थागत क्षमता, व्यय करने वाले अभिकरणों द्वारा किये जाने वाले व्यय पर नियंत्रण आदि पर पूरा ध्यान दिये जाने पर जोर देते हैं। इसका उद्देश्य बाद के चरण में परिहार्य अभ्यर्पणों की गुंजाइश को कम करना है। इसके अतिरिक्त, सामान्यतः परियोजनाओं/योजनाओं की बजट-पूर्व संवीक्षा को पूर्ण किए बिना बजट में कोई प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए। तथापि, जहाँ आवश्यक संवीक्षा किए बिना प्रावधान किए गए हैं, वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले तथा संसद द्वारा बजट पारित करने तक ऐसी संवीक्षा पूर्ण कर समुचित अनुमोदन प्राप्त कर ही लेने चाहिए। शीर्षवार विनियोग लेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभिन्न लघु/उप-शीर्षों के अन्तर्गत मंत्रालयों/विभागों ने अत्यधिक प्रावधान किए थे जिसके परिणामस्वरूप अंततः

वर्ष के अन्त में भारी बचतें तथा अभ्यर्पण करने पड़े। अनुबंध III-त बजट प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक के ₹ 50 करोड़ या अधिक की बचत के ऐसे 41 मामलों का विवरण दर्शाता है।

### 3.19 मार्च के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अंधाधुंध व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 56(3) के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में अंधाधुंध व्यय वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय को बजट अनुमानों के क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए हैं।

तथापि, तालिका 3.8 में दिए गए मामलों में यह पाया गया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों द्वारा संवितरण का मुख्य भाग 2012 के मार्च माह/वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था जिससे नियमों के प्रावधानों तथा प्रचलित निर्देशों का उल्लंघन होता था।

तालिका 3.8: मार्च 2012 और/अथवा 2011-12 की अन्तिम तिमाही के दौरान अन्धाधुंध व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता #	मंत्रालय/विभागों द्वारा दिए गए कारण
सिविल							
1.	05-परमाणु विद्युत योजना	9396.38	1553.00	17	-	-	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
2.	10-कोयला मंत्रालय	498.72	85.43	17	219.37	44	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
3.	18- कंपनी मामले मंत्रालय	238.94	48.04	20	-	-	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4.	32 - आर्थिक कार्य विभाग	21632.22	4474.29	21	-	-	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
5.	33 - वित्तीय सेवाएं विभाग	23705.94	14515.48	61	16661.66	70	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/मार्च माह के दौरान व्यय जैसे कि सब्सिडी के रूप में योजना व्यय, पूंजीकरण, निवेश तथा अधिकतर निधियां मार्च में अनुपूरक के अंतिम बैच में जारी की गयी थी।



विनियोग लेखे 2011-12

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता #	मंत्रालय/विभागों द्वारा दिए गए कारण
6.	34 – विनियोग ब्याज भुगतान	272330.28	-	-	99354.63	36	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
7.	35- राज्यों एवं सं.शा.क्षे. को अंतरण	148647.23	27996.29	19	-	-	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
8.	38-व्यय विभाग	101.97	25.56	25	39.92	39	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
9.	53- मंत्रीमंडल	434.61	239.73	55	317.77	73	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
10.	56- सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण	2130.29	353.62	17	726.82	34	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
11.	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	60088.58	11308.71	19	-	-	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
12.	59-उच्चतर शिक्षा विभाग	21912.00	3800.22	17	-	-	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
13.	61- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	4029.64	744.40	18	1388.76	34	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
14.	66 – खनन मंत्रालय	654.28	125.47	19	223.46	34	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
15.	68-नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1212.38	-	-	503.64	42	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
16.	69 – प्रवासी भारतीय कार्य विभाग	81.00	21.12	26	37.90	47	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
17.	70-पंचायती राज मंत्रालय	5250.65	943.18	18	1925.82	37	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
18.	73 – पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	23716.20	22739.16	96	38300.74	161	₹ 30,000 करोड़ एवं ₹ 14,838.12 करोड़ की अनुपूरक मांग क्रमशः नवम्बर 2011 तथा मार्च 2012 में अधिकृत की गई थी।
19.	74-नियोजन मंत्रालय	1676.00	436.91	26	789.25*	47	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
20.	81 – सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	40740.51	8705.75	21	-	-	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता #	मंत्रालय/विभागों द्वारा दिए गए कारण
21.	87-जैव - प्रौद्योगिकी विभाग	1426.92	252.07	18	-	-	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
22.	88- पोतपरिवहन मंत्रालय	2071.60	759.47	37	859.43	41	₹ 759.47 करोड़, में से, ₹ 631.54 करोड़, को अनुपूरक III (एच.डी.पी.एफ.एल. ऋण, ब्याज एवं दंड ब्याज) के अनुसार बट्टे खाते डाल दिया गया है।
23.	91-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2527.36	705.91*	28	1085.56	43	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
24.	93-कपड़ा मंत्रालय	5855.75	1220.54	21	-	-	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
25.	101-शहरी विकास विभाग	6855.27	1097.49	16	-	-	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
<b>रक्षा सेवाएं</b>							
26.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	69,198.81	11,971.04	17	-	-	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

\* इन दोनों मामलों में, आंकड़े ई-लेखा से लिए गए हैं जिसमें जरनल प्रविष्टियां शामिल नहीं होती हैं।

# इन कॉलमों में दी गई प्रतिशतता अनुबंध-1 -ख के साथ मेल नहीं खाती क्योंकि डाटा स्रोत भिन्न हैं।

चूंकि मार्च में विभिन्न संस्थानों को जारी की गई निधियों को उस वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से व्यय नहीं किया जा सकता जो उसी माह के अन्तिम दिवस को समाप्त होता है। यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं था कि इन निधियों को उसी वर्ष के दौरान जिस उद्देश्य के लिए वे प्राधिकृत थी लागू किया जा सका।

### 3.20 डाक सेवाएं (अनुदान सं.13)

लोक लेखा समिति ने अपनी 60 वीं रिपोर्ट (10वीं लोक सभा) ने इच्छा जाहिर की थी कि समिति को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुदान के किसी भी अनुभाग में ₹ 100 करोड़ या इससे अधिक की बचत के संबंध में प्रत्येक वर्ष एक विस्तृत व्याख्यात्मक नोट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अनुदान अथवा विनियोग में बचतें या तो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण अथवा निष्पादन में कमी अथवा दोनों को दर्शाते हैं।



इसके अतिरिक्त, अनुदान अथवा विनियोग में बचतें दर्शाती हैं कि अनुमान तथा योजनाबद्ध रूप से व्यय नहीं किया जा सका। वास्तव में, विनियोग लेखाओं में दर्शाई गई बचतें अव्ययित प्रावधानों की ही सूचक होती हैं जो खराब बजटीकरण अथवा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभाग द्वारा निष्पादन में कमी का द्योतक है। पिछले चार वर्षों में पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में हुई निरंतर बचतें निम्न तालिका 3.9 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.9: पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुपूरक अनुदान सहित बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता
2008-09	426.61	244.30	182.31	43
2009-10	388.91	261.66	127.25	33
2010-11	474.55	273.65	200.90	42
2011-12	527.74	210.23	317.51	60

पिछले तीन वर्षों की तरह ही 2011-12 में भी अनुदान में (दत्तमत) अनुभाग के अंतर्गत निरंतर बचतें प्रमुख रूप से लघु शीर्ष 5201.00.104 - “डाक सेवाओं का यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण” के अन्तर्गत थी। ₹ 478.61 करोड़ के बजट आवंटन में से ₹ 299.77 करोड़ की अव्ययित राशि छोड़ते हुए केवल ₹ 178.84 करोड़ खर्च किया गया। उत्तर में, डाक विभाग ने बताया कि यथार्थ बजट प्रावधान अपनाये जाने पर उचित ध्यान रखा जाएगा।

### 3.21 रक्षा सेवाएं

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखों की जांच में छः अनुदानों के प्रभारित दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति देखी गई जिसका विवरण तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: वर्ष 2009-12 के दौरान निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. उप मुख्य/लघु शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	मंत्रालय द्वारा बताए गए जिम्मेदार कारण
<b>22- रक्षा सेवाएं - थल सेना (मुख्य शीर्ष 2076)</b>				
109-निरीक्षण संगठन (प्रभारित)	0.31	0.32	0.22	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।
113-राष्ट्रीय कैडेट कोर (प्रभावित)	2.19	2.19	2.15	प्रत्याशित से कम न्यायालय मामलों का निपटारा।
113-राष्ट्रीय कैडेट कोर (दत्तमत)	107.26	234.10	244.63	अनुबंधित आपूर्ति को प्राप्त न किया जाना।
800-अन्य व्यय (प्रभारित)	2.54	6.86	8.90	प्रत्याशित से कम न्यायालय मामलों का निपटारा।



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुदान सं. उप मुख्य/लघु शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	मंत्रालय द्वारा बताए गए जिम्मेदार कारण
800-अन्य व्यय (दत्तमत)	28.35	142.83	246.90	गर्म मौसम भत्तों के अंतर्गत न्यून व्यय, अपेक्षित दावों का प्राप्त न होना तथा विविध भुगतान।
<b>23-रक्षा सेवाएं - जल सेना</b>				
111-निर्माण कार्य (प्रभारित)	0.06	3.05	2.56	प्रत्याशित से कम न्यायालय मामलों का निपटारा।
111- निर्माण कार्य (दत्तमत)	27.10	2.07	8.92	मंत्रालय द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
<b>24-रक्षा सेवाएं - वायु सेना</b>				
800-अन्य व्यय	49.75	64.47	52.06	कमानों द्वारा निधियों का उपयोग न किया जाना, आपूर्ति न प्राप्त किए जाने के कारण, कुछ प्रशिक्षण गतिविधियों का न किया जाना
<b>25 - रक्षा आयुध कारखाने</b>				
004- अनुसंधान एवं विकास	7.92	0.05	4.29	प्रतिबद्ध आपूर्तियों के प्रति आयुध विकास केन्द्रों द्वारा मदों की प्राप्ति न किए जाना, अनुबंध दर के प्रति भुगतानों को अगले वर्ष में किया जाना आदि।
106-नवीकरण और प्रतिस्थापन	71.76	117.18	14.75	संयंत्र एवं मशीनरी को शुरू करने में विलंब/आपूर्ति न करना
110 - भंडार	94.60	1336.20	246.03	मंत्रालय द्वारा दिए गये केवल आंशिक स्पष्टीकरण, के अनुसार कम व्यय विदेशी आपूर्तियां, स्थानीय आपूर्तियां, सू.प्रौ. आपूर्तियां प्राप्त न किया जाना, रद्दी आदि की बिक्री द्वारा अधिक वसूली।
111-निर्माण कार्य	32.64	25.25	34.07	निर्माण कार्यों का पूरा न हो पाना, खराब मौसम की स्थिति के कारण परिचालन कार्य की प्रगति में विलंब, निर्माण कार्यों/विशेष मरम्मत में छोटी चूकें, बिजली के बिलों की विलंबित प्राप्ति आदि।
<b>26-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास (मुख्य शीर्ष 2080)</b>				
105- परिवहन	20.46	1.81	12.19	प्रयोगशालाओं/से सीमांत बचतों संचयी प्रभाव

अनुदान सं. उप मुख्य/लघु शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	मंत्रालय द्वारा बताए गए जिम्मेदार कारण
110- भंडार	214.50	185.62	140.28	विदेशी विक्रेताओं को संविदा संबंधी भुगतानों में विलंब, प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं से मामूली बचतें।
<b>27 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मुख्य शीर्ष 4076)</b>				
<b>01- थल सेना</b>				
103- अन्य उपकरण	1031.70	875.89	3895.78	मंत्रालय द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।
105- सैनिक फार्म	1.17	1.92	2.17	-वही -
113-राष्ट्रीय केडेट कोर	23.70	25.67	22.35	-वही -
<b>02 - नौ सेना</b>				
104 - संयुक्त स्टाफ	135.32	409.59	150.40	मंत्रालय ने उत्तर दिया कि ग्राहकों के आंशिक भुगतान रोके जाने, निर्माण कार्यों के पूरा न हो पाने, वाहनों की आपूर्ति न हो पाने, कुछ मुख्य योजनाओं के आरंभ न हो सकने, तकनीकी चूकों, कार्य की धीमी प्रगति आदि के कारण बचतें हुईं।

अनुदानों के उपर्युक्त शीर्षों में भारी बचतों की निरन्तर प्रवृत्तियाँ, निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने या आपूर्ति प्राप्तियों एवं परियोजनाओं हेतु खराब योजना, अपर्याप्त निविदा प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी तथा निरंतर बचतों से बचने हेतु प्रभावी उपचारी उपायों को प्रारम्भ करने की विफलता की संकेतक हैं।

### 3.21.1 बचतों का अभ्यर्पण

अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पूर्वानुमान होने पर उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त वित्तीय नियमावली के अनुसार बचतों को सम्भावित भावी आधिक्यों हेतु भी आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। 2011-12 के दौरान, रक्षा सेवाओं के एक अनुदान के प्रभारित खण्डों के अंतर्गत ₹ 0.21 करोड़ के अभ्यर्पण की तुलना में ₹ 0.45 करोड़ की बचत पायी गई। रक्षा सेवाओं के दो अनुदानों के दत्तमत्त खण्डों के अन्तर्गत ₹ 3,344.36 करोड़ अभ्यर्पित किए जाने पर भी ₹ 1,642.07 करोड़ की बचत थी। अतः दत्तमत्त खण्ड में दो अनुदानों के अंतर्गत ₹ 3,344.36 करोड़ तथा प्रभारित खण्ड में एक अनुदान के अंतर्गत ₹ 0.21 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए थे, जो कि नियमों के प्रतिकूल था जैसा नीचे तालिका 3.11 में ब्यौरे संलग्न है।



तालिका 3.11: बचतें एवं अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान/विनियोजन	बचत/आधिक्य (+)		अन्तिम दिन अभ्यर्पित की गई राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि	
	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत
22-थल सेना	15.70	1341.79	-	-	15.70	1341.79
23-नौ सेना	11.00	277.20	-	-	11.00	277.20
24-वायु सेना	2.65	(+)567.91	-	-	2.65	-
25-रक्षा आयुध कारखाने	3.21	223.87	-	-	3.21	223.87
26-अनुसंधान एवं विकास	0.45	338.02	0.21	238.65	0.24	99.37
27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	43.09	1304.05	-	3105.71	43.09	-
<b>कुल</b>	<b>76.10</b>	<b>3484.93</b> <b>(+)567.91</b>	<b>0.21</b>	<b>3344.36</b>	<b>75.89</b>	<b>1942.23</b>

अनुदान सं. 27 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय के मामले में रक्षा मंत्रालय ने पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में ₹ 1,304.05 करोड़ की उपलब्ध अंतिम बचतों के प्रति मार्च 2012 में ₹ 3,105.71 करोड़ अभ्यर्पित किए। यह मंत्रालय में त्रुटिपूर्ण बजटीय नियंत्रण तंत्र दर्शाता है।

### 3.21.2 उपलब्ध प्रावधान से अधिक लगातार अतिरिक्त व्यय

पिछले तीन वर्षों में रक्षा सेवाओं से संबंधित कुछ अनुदानों में वित्तीय बजटीय नियंत्रण की विफलता की लगातार प्रवृत्ति पर विश्लेषणात्मक तालिका नीचे विस्तृत है:

तालिका 3.12: 2009-12 वर्षों के दौरान लगातार अतिरिक्त व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	2009-10 के दौरान अंतिम अतिरिक्त व्यय	2010-11 के दौरान अंतिम अतिरिक्त व्यय	2011-12 के दौरान अंतिम अतिरिक्त व्यय
<b>मुख्य शीर्ष-2076</b>				
<b>अनुदान सं. 22 रक्षा सेवाएं - थल सेना</b>				
1.	103-वेतन एवं भत्ते तथा पूरक बलों के विविध व्यय	17.90	170.03	60.77
2.	104- असैनिक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	130.90	175.08	26.83
3.	106-सैनिक फार्म	4.94	1.08	5.33
<b>मुख्य शीर्ष-2077</b>				
<b>अनुदान सं. 23 - रक्षा सेवाएं - नौ सेना</b>				
4.	105-परिवहन	17.54	31.36	10.77
5.	800-अन्य व्यय	33.77	35.09	21.11



क्र.सं.	अनुदान का विवरण	2009-10 के दौरान अंतिम अतिरिक्त व्यय	2010-11 के दौरान अंतिम अतिरिक्त व्यय	2011-12 के दौरान अंतिम अतिरिक्त व्यय
<b>मुख्य शीर्ष -4076</b>				
अनुदान सं. 27 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय				
<b>01-थल सेना</b>				
6.	102-भारी एवं मध्यम उपकरण	90.05	572.77	52.33
7.	103-अन्य उपकरण	185.31	363.44	42.32
<b>02-नौ सेना</b>				
8.	103-अन्य उपकरण	5.58	67.65	130.26
9.	202-निर्माण कार्य	1.84	9.35	4.73
10.	204-नौसेनिक बेड़े	35.00	249.00	965.25

मंत्रालय इस बारे में उचित तर्क देने में विफल रहा कि किस प्रकार प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक ने उपलब्ध प्रावधानों से अधिक अतिरिक्त व्यय अधिकृत कर दिया।

### 3.21.3 वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत निधियों से अधिक निधियों का अभ्यर्पण

अनुदान सं. 27 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय के अंतर्गत, मुख्य शीर्ष - 4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी व्यय के अंतर्गत उप-मुख्य शीर्ष 04- आयुध कारखानों के नीचे लघु शीर्ष, 052 - मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत ₹ 187.26 करोड़ का बजट प्रावधान प्राप्त किया। 31 मार्च 2012 को ₹ 192.77 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जब प्राधिकृत राशि ही केवल ₹ 187.26 करोड़ की थी, तब ₹ 192.77 करोड़, जो बजट प्रावधान से ₹ 5.51 करोड़ अधिक था, का अभ्यर्पण कैसे हो पाया।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2012) कि अभ्यर्पण संशोधित अनुमान चरण पर विभिन्न परियोजनाओं हेतु आवश्यकताओं के कम जो जाने के कारण करना पड़ा जिनमें मैसर्स आई.एम.आई. को बी.एम.सी.एस. संयंत्र हेतु नालंदा परियोजना भुगतान किए जाने हेतु ₹ 166.34 करोड़ के अग्रिम की वसूली, ₹ 10.00 करोड़ की संयंत्र एवं मशीनरी की बिक्री आदि शामिल थे। मंत्रालय ने आगे बताया (जनवरी 2013) कि आर्डर निरस्त हो जाने से डी.डी.पी. निदेशों के तहत बैंक गारंटी भुनाये जाने पर अभ्यर्पण करना पड़ा जिसकी प्रत्याशा बजट अनुमान बनाए जाते समय नहीं की गई थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अभ्यर्पित राशि बजट प्रावधान से अधिक नहीं होनी चाहिए।

## अध्याय-4

### विनियोग लेखे: लेखाओं पर एक टिप्पणी

#### 4.1 अनुदान सं. 25 - रक्षा आयुध कारखानों में व्यय हेतु संसद से गलत प्राधिकरण प्राप्त किया जाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 में बताया गया है कि, एक विधेयक पेश किया जाएगा ताकि 'लोक सभा द्वारा किए गए अनुदानों हेतु अपेक्षित धनराशि की पूर्ति हेतु भारत की समेकित निधि में से विनियोग प्रदान हो तथा यह किसी भी स्थिति में संसद के समक्ष पहले से प्रस्तुत विवरण में दर्शाई गई राशि से अधिक नहीं हो।' पेश किया गया विधेयक, अनुदानों हेतु व्यक्तिगत मांग के आधार पर होगा। संसद द्वारा पारित विनियोजन अधिनियम, भारत की समेकित निधि से भुगतान को प्रदान करता है।

अनुदान सं. 25 - रक्षा आयुध कारखानों की वित्तीय वर्ष 2011-12 की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बजट अनुमानों पर ₹11,640.19 करोड़ के सकल व्यय प्रावधान को दर्शाते हुए, संबंधित अनुदान हेतु अनुदानों के लिए मांग ने केवल वसूली के सकल प्रावधानों द्वारा विनियोग विधेयक के उद्देश्यों के लिए ₹795.88 करोड़ की मांग की है। वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान आयुध कारखानों पर अनुदान स्वस्म अनुपूरक मांग द्वारा ₹869.33 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त की गई थी। इस प्रकार, जबकि वित्तीय वर्ष हेतु संसद द्वारा प्राधिकरण हेतु अपेक्षित कुल रकम ₹12,509.52 करोड़ थी, तथापि, वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति हेतु संसद द्वारा वास्तविक प्राधिकरण ₹1,665.21 करोड़ का प्राप्त किया गया था।

नीचे दी गई तालिका स्थिति को स्पष्टता से दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

व्यय	प्राप्त प्राधिकरण			अपेक्षित प्राधिकरण		
	मूल	अनुपूरक	कुल	मूल	अनुपूरक	कुल
प्रभारित	3.00	10.40	13.40	3.00	10.40	13.40
दत्तमत	792.88	858.93	1,651.81	11,637.19	858.93	12,496.12
<b>कुल</b>			<b>1,665.21</b>			<b>12,509.52</b>

इसके परिणामस्वरूप, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अनुदान सं. 25 - रक्षा आयुध कारखानों के अंतर्गत संसद से व्यय का प्राधिकरण प्राप्त कर लिया है जोकि ₹10,844.31 करोड़ तक कम है।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि इस पद्धति को वर्ष 1986 में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है। उसने आगे बताया कि सेवाओं को की गई आपूर्तियों के कारण सेवाओं द्वारा आयुध कारखाना बोर्ड को किए गए भुगतान रक्षा सेवा



अनुमानों से संबंधित अनुदानों में बजटीकृत हैं, तथा आयुध कारखानों हेतु सकल व्यय हेतु अनुमोदन प्राप्त करने का अर्थ होगा कि उसी राशि हेतु संसद का अनुमोदन दो बार प्राप्त करना। मंत्रालय ने आगे बताया कि इस मामले में एक अनुमान को अलगाव में देखने की बजाय, रक्षा सेवा अनुमानों को कुल परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।

मंत्रालय का उत्तर इस दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है कि व्यय की “सकल” राशि हेतु संसद का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 113 के अंतर्गत अनुदानों की मांगों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है। आगे, संघ सरकार के अन्य सभी अनुदानों की सकल राशि हेतु वैधानिक प्राधिकरण वृत्तियों को व्यय में कटौती किए बगैर प्राप्त किए गए थे।

#### **4.2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) का लगातार उल्लंघन-के.प्र.क.बो. द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय**

संविधान का अनुच्छेद 114(3) निर्धारित करता है कि विधि द्वारा किए विनियोग के अंतर्गत को छोड़कर भारत की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

आधिक्य कर की वापसी पर ब्याज का भुगतान भारत की समेकित निधि पर एक प्रभार है, तथा इसलिए यह केवल विधि द्वारा किए गए उचित विनियोग के अंतर्गत प्राधिकृत किए जाने के पश्चात ही देय है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 ‘ब्याज’ को ब्याज व्यय के वर्गीकरण हेतु विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में वर्णन करती है।

राजस्व विभाग/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आधिक्य कर की वापसियों पर ब्याज का वर्गीकरण राजस्व में कमी के रूप में कर रहा है, तथा इस गलत व्यवहार पर संघ के लेखों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन के साथ-साथ प्रत्यक्ष करों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई है, परंतु विभाग द्वारा कोई शोधक कार्रवाई नहीं की गई है।

इस मामले की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गई तथा समिति ने अपनी छियासठवीं रिपोर्ट (2012-13) में पाया कि ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी जिसके कारणवश विभाग, पिछली प्रवृत्तियों के आधार पर कर वापसियों पर ब्याज देयता पर व्यय के व्यापक अनुमान नहीं लगा पाया। विभाग ने स्वयं माना कि संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, उसके पास संसद द्वारा पारित विनियोग कानून की सहायता लिए बिना एकत्रित अतिरिक्त कर/वापसियों पर ब्याज को वापस लेने का कोई कानूनी प्राधिकार नहीं था। आगे, समिति ने विभाग को स्मरण करवाया कि संविधान के अनुच्छेद 114(3)



स्पष्ट रूप से अधिदेशित करता है कि विधान द्वारा किए गए 'विनियोग' के अंतर्गत के अलावा भारत की समेकित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकेगा।

पिछले पाँच वर्षों के लिए के.प्र.क.बो. करों की वापसियों पर ब्याज पर व्यय निम्नानुसार है:

तालिका 4.1: करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	करों की वापसियों पर ब्याज पर व्यय
2007-08	4444
2008-09	5778
2009-10	6876*
2010-11	10499
2011-12	6486
योग	34083

\* शुरु में, विभाग ने आंकड़ा ₹12,951 करोड़ के रूप में सूचित किया। तदनंतर, रिपोर्ट के संसद में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, विभाग ने आंकड़ा ₹6,876 करोड़ के रूप में सूचित किया।

अतीत की तरह वित्तीय वर्ष 2011-12 में बजट अनुमानों में वापसियों पर ब्याज के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था। विभाग द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वापसियों पर ब्याज पर कुल ₹6,486 करोड़ का व्यय किया गया था। आवश्यक विनियोग के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किये बिना पिछले पांच वर्षों की अवधि में ब्याज भुगतानों पर ₹34,083 करोड़ का व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (फरवरी 2013) कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु अपनी रिपोर्ट सं. 1 के पैरा 4.1.1 में समान मुद्दे पर लेखापरीक्षा आपत्ति की गई थी। परिणामस्वरूप, मुद्दा पहले से ही वित्त मंत्रालय के सूक्ष्म जांच के अधीन था। नीति संबंधी मामला होते हुए, यह अपेक्षित था कि इसका भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, कानून व न्याय मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से शीघ्रता से निपटारा किया जाना चाहिए।

#### 4.3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) का उल्लंघन - के.उ.सी.शु.बो. द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वापसियों पर ब्याज के भुगतान के मामले में केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.सी.शु.बो.) द्वारा भी इसी तरह के अभ्यास का अनुसरण किया गया था। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क द्वारा वर्ष 2011-12 तथा वर्षों 2009-12 की अवधि में राजस्व में कमी के रूप में मानते हुए, करों की वापसी पर ब्याज पर क्रमशः ₹7.51 करोड़ तथा ₹29.19 करोड़ का व्यय किया गया था। तीन वर्षों का विवरण नीचे दिया गया है:

विनियोग लेखे:  
लेखों पर एक टिप्पणी

तालिका 4.2 : करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय  
(₹ करोड़ में)

वर्ष	वापसी पर ब्याज पर व्यय		
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	कुल
2009-10	4.47	नगण्य	4.47
2010-11	16.51	0.70	17.21
2011-12	6.91	0.60	7.51
<b>कुल</b>	<b>27.89</b>	<b>1.30</b>	<b>29.19</b>

चूंकि करों की वापसी पर ब्याज का भुगतान व्यय का मद है, ऐसा पैरा संख्या 4.2 में वर्णित है तथा लोक लेखा समिति द्वारा पाया गया, इस तरह के मद हेतु बजट के प्रावधान को विभाग की प्रासंगिक मांग के अनुसार प्राप्त करना चाहिए और लेखाओं में दर्ज किया जाना चाहिए।

#### 4.4 सरकार के बाहर से दो प्राधिकरणों का निधिकरण

संविधान का अनुच्छेद 12 प्रदान करता है कि 'राज्य' में भारत की संसद एवं सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधान सभा तथा भारतीय भू-भाग के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 'राज्य' में 'अन्य प्राधिकरण' शामिल हैं। इसमें वैधानिक अधिकार का उपयोग करने वाला प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, विधान के अंतर्गत सृजित प्रत्येक प्राधिकरण तथा एक सार्वजनिक कार्यों को करने वाले गैर-वैधानिक प्राधिकरण भी सम्मिलित हैं।

भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम गतिविधि के पर्यावरण, प्रौद्योगिकीय एवं आर्थिक पहलुओं हेतु संतुलित संबंध रखने हेतु एक संकल्प द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (हा.म.नि.) स्थापित किया गया था (अप्रैल 1993)। पेट्रोलियम अन्वेषण, ड्रिलिंग और जलाशयों के उत्पादन आदि से संबंधित नमूनों तथा डाटा के संरक्षण, रखरखाव और भंडारण को सदा विनियमित करने तथा कंपनियों को प्रस्ताव के एकरेज हेतु डाटा संकुलों की तैयारी करने के लिए हा.म.नि. उत्तरदायी है।

उसी प्रकार, पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र की समाप्ति के पश्चात पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण सेल (पे.नि.वि.से.) को बनाया गया था (अप्रैल 2002)। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है तथा अन्य चीजों के अलावा यह सा.वि.प्र. मिट्टी के तेल और घरेलू एल.पी.जी. पर सब्सिडी के संबंध में प्रशासनिक सहायता करेगा।



महानिदेशक हाइड्रोकार्बन (म.नि.हा.) और पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण सेल (पे.नि.वि.से.) दोनों ही विनियामक कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं और अनिवार्य रूप से भारत सरकार के अधीन प्राधिकरण हैं। इन्हें इसीलिए भारत की समेकित निधि से कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमित विनियोगों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया था, कि यह दोनों प्राधिकरण कानून द्वारा बनाए गए विनियोग के माध्यम से प्रदान निधियों से व्यय नहीं कर रहे थे, अपितु तेल उद्योग विकास बोर्ड (ते.उ.वि.बो.) जोकि सरकार से बाहर का, एक निगमित निकाय है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, म.नि.हा. एवं पे.नि.वि.से. द्वारा ₹ 67.35 करोड़ का व्यय किया गया था, जोकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुदान के माध्यम से संसद द्वारा प्राधिकृत नहीं था। तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा म.नि.हा. एवं पे.नि.वि.से. को निधि व्यय हेतु जारी की गई राशि को दर्शाते हुए तीन वर्ष के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

तालिका 4.3 : सरकार से बाहर के दो प्राधिकरणों से वित्त पोषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संगठन का नाम	ते.उ.वि.बो. द्वारा जारी अनुदान
2009-10	म.नि.हा.	58.67
	पे.नि.वि.से.	9.65
2010-11	म.नि.हा.	51.35
	पे.नि.वि.से.	10.95
2011-12	म.नि.हा.	55.14
	पे.नि.वि.से.	12.21
कुल		197.97

यह एक विषम व्यवस्था है जिसके अनुसार म.नि.हा. एवं पे.नि.वि.से. के कार्यालय जोकि अन्य प्राधिकरण का गठन करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुदान के माध्यम की बजाय एक सरकार से बाहर के एक निगमित निकाय द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। ते.उ.वि.प. के माध्यम से म.नि.हा. को वित्तपोषित किए जाने से संबंधित मामले को अगस्त 2009 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को निर्दिष्ट किया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2009) कि भारत की समेकित निधि से म.नि.हा. को वित्त पोषित किए जाने की जांच वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श द्वारा की जाएगी।

जनवरी 2013 में, तथापि, मंत्रालय ने उत्तर दिया था कि, म.नि.हा. एवं पे.नि.वि.से. का भारत की समेकित निधि या ते.उ.वि.बो. के माध्यम से वित्तपोषण एक नीतिगत निर्णय है। भारत सरकार ने अप्रैल 1993 में एक संकल्प द्वारा ते.उ.वि.बो. से अनुदानों द्वारा म.नि.हा. के वित्तपोषण का निर्णय लिया। उसी प्रकार, अप्रैल 2002 में एक संकल्प के माध्यम से पे.नि.वि.से. से संबंधित एक निर्णय लिया गया था कि, पे.नि.वि.से. के 43



**विनियोग लेखे:**  
**लेखों पर एक टिप्पणी**

कार्मिकों के संबंध में स्थापना व्यय एवं कार्यालय व्यय को, ते.उ.वि.बो. से अनुदानों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

दोनों प्राधिकरणों की प्रकृति, उनके द्वारा निष्पादित कार्य, संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रावधानों के साथ कानून एवं न्याय मंत्रालय की दृष्टि समेत, म.नि.हा. एवं पे.नि.वि. से हेतु व्यय प्राधिकरण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुदान के माध्यम से संसद द्वारा उनका व्यय विधिवत रूप से प्राधिकृत हो।

**4.5 बजट सीमा के बिना किया गया व्यय**

भारत के संविधान का अनुच्छेद 114(3) अनुबंध करता है कि विधि द्वारा विनियोग के अंतर्गत को छोड़कर भारत की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

शीर्षवार विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि संसदीय प्राधिकरण के माध्यम से बिना किसी उपलब्ध/प्रदान बजट प्रावधान के चार अनुदानों में ₹ 138.10 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था, जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है

तालिका 4.4 : बजट सीमा के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं लेखाशीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियां
<b>20- रक्षा मंत्रालय (सिविल)</b>				
1.	लघु शीर्ष 2075.00.108 कैन्टीन भंडारण विभाग (कै.भं.वि.)	133.93	मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि वस्तु शीर्ष 32-योगदान के अंतर्गत बजट को आबंटित किया गया था, और वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। यद्यपि, सहायता अनुदान हेतु व्यय को सेवा कोड शीर्ष में दर्शाया जा रहा है।	मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 32- योगदान हेतु मंत्रालय को किसी विशिष्ट सेवा कोड शीर्ष की अनुपस्थिति, वस्तु शीर्ष- 31- सहायता अनुदान के अंतर्गत व्यय को दर्ज कराने को प्राधिकृत नहीं करता है।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं लेखाशीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियां
2.	4075.00.107.01.00.53-भूमि, भूमि अधिग्रहण बुकिंग शीर्ष (099/29) (तटरक्षक संगठन)	2.63	मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि व्यय को भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत दर्ज किया गया था, यद्यपि ₹6.85 करोड़ का वित्तीय आबंटन को वि.व. 2011-12 के दौरान 4075.00.107.03.00.53-निर्माण के अंतर्गत प्रदान किया गया था। दोनों उप शीर्ष, एक वस्तु वर्ग 6 के अंतर्गत पड़ते हैं (पूँजीगत परिसंपत्तियों और अन्य पूँजीगत व्यय का अधिग्रहण)।	मंत्रालय का उत्तर स्वीकृत नहीं है क्योंकि बजट को संसद द्वारा उप शीर्ष-वार अनुमोदित किया गया था न कि वस्तु वर्ग के रूप में। इसके अतिरिक्त, कोड शीर्ष 099/29 के अंतर्गत गलत दर्ज के लिए मंत्रालय द्वारा खेद प्रकट किया गया था, तथा 2012-13 वित्तीय वर्ष हेतु दर्ज को अब सुधार लिया गया है और दिसम्बर 2012 के माह में 099/30 और 099/31 के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया है।
	<b>24- वायु सेना</b>			
3.	सशस्त्र बल ध्वज दिवस निधि हेतु केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को सहायता अनुदान	1.00	मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि लघु शीर्ष-800 के एक उप-शीर्ष के अंतर्गत बचत को संशोधित अनुमान चरण पर उसी लघु-शीर्ष के अंतर्गत अन्य उप-शीर्ष पर पुनः विनियोजित किया गया था जिसे संसद द्वारा द्वितीय अनुपूरक के अंतर्गत अनुमोदित कर दिया गया था। इसने आगे बताया कि पुनः विनियोजनों की पूर्ण शक्तियों को रक्षा मंत्रालय को प्रत्यायोजित कर दिया गया तथा इसलिए कार्रवाई क्रम में थीं।	मंत्रालय का दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि द्वितीय अनुपूरक मांग हेतु अनुदान निधियों को अ.वि.व्य. यात्रा, न्यायालय आदेशों, वेतनों, परिवहन आदि के अनुक्षण पर व्यय करने हेतु प्राप्त किया गया था तथा इसमें सहायता अनुदान के अंतर्गत व्यय हेतु कोई भी प्रावधान शामिल नहीं था।



विनियोग लेखे:  
लेखों पर एक टिप्पणी

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं लेखाशीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियां
<b>90-अंतरिक्ष विभाग</b>				
4.	5252.00.203.03.00.53 इनसेट-4/जीसेट उपग्रह शीर्ष के अंतर्गत पुनः विनियोजन के माध्यम से ₹54.22 लाख का व्यय किया गया था। अप्रैल 2012 में वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर, विभाग ने एक संशोधित पुनः विनियोग आदेश जारी किया जिसमें इस योजना के अंतर्गत पहले से अर्ज किए गए व्यय को अन्य योजना नेविगेशनल उपग्रह प्रणाली (शीर्ष 5402.00.101.31.00.53) ₹50 लाख तक शेष ₹4.22 लाख को पूंजीगत लेखा (शीर्ष 5402.00.101.08.00.53) के अंतर्गत परियोजना में अंतरण किया गया था।	0.54	विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2012) कि सिविल निर्माण कार्य, इनसेट-4 तथा इरनसस परियोजनाओं समेत उपग्रहों के विभिन्न भागों की जांच करने हेतु थे। इसने आगे बताया कि तब से, इसरो के उपग्रहों के पेलोडों की जांच करने में यह सुविधा उपयोगी थी। व्यय को प्रारंभिक रूप से इनसेट-4 परियोजना के अंतर्गत दर्ज किया गया था लेकिन तदंतर इरनसस परियोजना के अंतर्गत व्यय को दर्ज किए जाने की त्रुटि को सुधारा गया था, जब यह पाया गया कि इनसेट-4 परियोजना में मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं था।	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग ने "नई सेवा" जिसके लिए कोई बजट श्रृंखला नहीं थी, पर ₹54.22 लाख का व्यय किया था। सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 59 (1) निर्देशित करता है कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले पुनः विनियोग अभ्यास पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है। विभाग ने आगे बताया (फरवरी 2013) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।
<b>योग</b>		<b>138.10</b>		

#### 4.6 विषय-शीर्ष 'सहायता-अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन

मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान को पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल संसद के पूर्व अनुदान के साथ ही किया जा सकता है।

विनियोग लेखों के साथ-साथ ई-लेखा की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 43 मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को 31- सहायता-अनुदान सामान्य के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगभग 25 अनुदानों/विनियोगों में से ₹ 76.92 करोड़ का कुल व्यय किया गया था। नीचे दी गई तालिका उन शीर्षों का ब्यौरा देती है जिन्हें संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत संवर्धन किया गया था।



तालिका 4.5: सहायता अनुदान-सामान्य के अंतर्गत संसद की पूर्व-स्वीकृति के बिना प्रावधान का आवर्धन

क्र. स.	अनुदान विवरण	लेखाशीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणी
1.	4-परमाणु ऊर्जा	2 मामले*	15.68	विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि इन दो विस्तृत शीर्षों की वृद्धि के पश्चात, बजट प्रावधान का उप-शीर्ष अनुमोदित बजट अनुमानों के भीतर था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संवर्धन हेतु सीमा का निर्धारण, विनियोजन की प्राथमिक इकाई के संदर्भ अर्थात वस्तु शीर्ष और उप-शीर्ष से नहीं था।
2.	19- संस्कृति	3 मामले*	9.38	उत्तर प्रतीक्षित	
3.	20-रक्षा मंत्रालय	2052.00.090.01.01.31 रक्षा विभाग	0.95	मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान के अंतर्गत संवर्धन, वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के साथ किया गया था।	मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सहायता अनुदान के संवर्धन हेतु संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।
4.	22- थल सेना	संस्थान कोड शीर्ष 577/02- (ड) को सहायता अनुदान	1.50	मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि रक्षा सेवा अनुमानों पर न तो वस्तु शीर्ष-वार वर्गीकरण और न ही वित्तीय शक्ति नियम 1978 के प्रत्यायोजन, लागू होते हैं।	मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन.एस./एन.आइ.एस. <sup>1</sup> से संबंधित निर्देश, रक्षा पर भी लागू होते हैं।
5.	25-रक्षा आयुध कारखाने	विद्यालय कोड शीर्ष 810/12 को सहायता अनुदान	0.89	मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2012) कि कोई अनुपूरक आवश्यक नहीं थी क्योंकि अतिरिक्तताओं को अनुदान के भीतर उपलब्ध बचत से पूर्ण कर दिया गया था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुदान के भीतर बचत की उपलब्धता के बावजूद, सहायता अनुदान में संवर्धन हेतु संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।
6.	28- उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्रालय	2552.00.800.02.12.31 – अन्य विविध मद	2.00	अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (मार्च 2013) कि तब से भविष्य में सख्त अनुपालना हेतु निर्देश जारी कर दिए गए थे।	
7.	29-भूविज्ञान मंत्रालय	3403.00.200.04.00.31- त.म.मॉ.पू.प्र. <sup>2</sup>	0.15	उत्तर प्रतीक्षित	
8.		3403.00.200.14.00.31 सु.तू.ती.चे.प्र. <sup>3</sup>	0.41	उत्तर प्रतीक्षित	
9.	30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2406.04.101.02.00.31 - क्षेत्रीय कार्यालयों को सहायता	0.11	उत्तर प्रतीक्षित	
10.	31- विदेश मंत्रालय	2061.00.800.11.09.31- संस्थानों को अनुदान	0.50	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने जनवरी 2013 त्रुटि के लिए खेद जताया।	

<sup>1</sup> नई सेवा/सेवा के नए उपकरण

<sup>2</sup> तटीय महासागर मॉनीटरिंग एवं पूर्वानुमान प्रणाली

<sup>3</sup> सुनामी एवं तूफान तीव्रता चेतावनी प्रणाली

विनियोग लेखे:  
लेखों पर एक टिप्पणी

क्र. स.	अनुदान विवरण	लेखाशीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणी
11.	47-आयुश विभाग	2210.05.200.13.00.31- उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी के संस्थान	0.23	उत्तर प्रतीक्षित	
12.	49- एडस नियंत्रण विभाग	2210.06.101.33 – राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम	2.86	उत्तर प्रतीक्षित	
13.	53- मंत्रिमंडल	2013.00.107.01.01.31 - स्थापना	0.02	मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि आवर्धन सचिव (व्यय) के अनुमोदन से किया गया था।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूंकि संसद की पूर्व- अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।
14.	57-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2215.02.105.18.00.31 उत्तर पूर्वी राज्य में जल निकासी प्रणाली का विकास/सुधार	13.90	मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि निधियां उत्तर-पूर्वी राज्य (उ.पू.क्षे.) के लिए एक मुश्त राशि से उ.पू.क्षे. में अन्य बेहतर प्रदर्शन कर रही अन्य योजना को उपलब्ध कराई गयी थी।	उत्तर तर्क संगत नहीं है चूंकि योजना विशिष्ट संसदीय प्राधिकार प्राप्त किया गया है और अन्य योजना को किसी प्रकार के आवर्धन हेतु संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित थी।
15.	60- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	2220.01.800.07.00.31- सत्यजीत रेय फिल्म एवं टेलीविजन सस्थान, कोलकाता	1.80	उत्तर प्रतीक्षित	
16.	85- विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग	3425.01.001.01.00.31 – सहायता अनुदान सामान्य- महा सर्वेक्षक	2.49	उत्तर प्रतीक्षित	
17.	87- जैव प्रौद्योगिकी विभाग	3425.60.200.17.02.31 – मानव संसाधन विकास	0.19	उत्तर प्रतीक्षित	
18.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	3051.80.004.01.00.31 – अन्य मद (अ.एवं वि योजना)	0.08	उत्तर प्रतीक्षित	
19.	90-अंतरिक्ष विभाग	3451.00.090.18.00.31 – अंतरिक्ष विभाग; 3402.00.101.01.00.31 – विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वि.सा.अ.के.), एवं 3402.00.101.26.00.31 – इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एवं कमान नेटवर्क (इस्ट्रैक)	0.63	उत्तर प्रतीक्षित	
20.	96-अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	3 मामले*	2.25	उत्तर प्रतीक्षित	
21.	97- चण्डीगढ़	3 मामले*	1.91	उत्तर प्रतीक्षित	



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र. स.	अनुदान विवरण	लेखाशीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणी
22.	98- दादर एवं नागर हवेली	ग्रामीण विकास मंत्रालय 2235.03.101.03.00.31- सहायता अनुदान सामान्य कार्यान्वयन अभिकरणों की सहायता	0.02	उत्तर प्रतीक्षित	
23.	99 – दमन एवं दीव	4 मामले*	2.87	उत्तर प्रतीक्षित	
24.	100- लक्षद्वीप	8 मामले*	5.80	प्र.वे.ले.का. ने बताया (मार्च 2013) कि शक्तियों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप अध्यापक समेत स्टाफ के वेतन के भुगतान के पंचायत को हस्तांतरण हेतु यह संवर्धन किए गए थे। चूंकि मद, वेतन का भुगतान था, यह नई सेवा की छूट प्राप्त श्रेणी में पड़ता है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार के खातों में यह व्यय अनुदान सहायता की प्रकृति के रूप में है।
25.	101-शहरी विकास विभाग	2217.05.800.23.00.31 उपग्रह काउंटर, चुंबकीय शहरों में शहरी अवसंरचना विकास	9.32	उत्तर प्रतीक्षित	
26.	104- जल संसाधन मंत्रालय	2701.80.800.14.00.31 – सूचना, शिक्षा एवं संचार	0.98	उत्तर प्रतीक्षित	
योग			76.92		

\* अनुबन्ध IV-क में सूचीबद्ध मामले

#### 4.7 विषय शीर्ष- 'पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का आवर्धन

वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2006 में जारी निर्देशों के अनुसार, वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान' के पुनर्विनियोग के माध्यम से किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण को भारत की समेकित निधि से आवर्धन का प्रावधान सभी मामलों में केवल संसद की पूर्व-अनुमति से ही किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा ने देखा कि पांच अनुदानों के सात मामलों में कुल ₹ 180.91 करोड़ की 5 निधियां मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में संसद की पूर्व-स्वीकृति लिये बगैर वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के लिए आवर्धित की गयीं थीं।



विनियोग लेखे:  
लेखों पर एक टिप्पणी

तालिका 4.6: वस्तु शीर्ष 'पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के प्रावधान का आवर्धन'

क्र. स.	अनुदान का विवरण	लेखा का शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210.06.800.31.03.35 नर्सिंग सेवाओं का उन्नयन/संवर्द्धन	77.04
2.	57-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2216.02.190.14.00.35 शहरी गरीबों के लिए आश्रयों का निर्माण/उन्नयन	0.23
3.		3475.00.108.03.00.35 रोजगार प्रोत्साहन/गरीबी उन्मूलन	6.23
4.	60- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	2221.80.102.01.00.35 प्रसार भारती	60.25
5.	93- कपड़ा मंत्रालय	2851.00.107.01.02.35 सिल्क उद्योग के विकस के लिए अनुदान	8.95
6.	96- अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	सड़क परिवहन व राजमार्ग विभाग 3054.04.192.01.00.35- पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद	9.95
7.		सड़क परिवहन व राजमार्ग विभाग 3054.04.196.01.00.35- जिला परिषद	18.26
<b>कुल</b>			<b>180.91</b>

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि उत्तर-पूर्वी राज्य (उ.पू.क्षे.) की एक योजना हेतु एकमुश्त राशि से निधियां उ.पू.क्षे. में एक अन्य बेहतर कार्यरत योजना को उपलब्ध कराई गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूंकि योजना के लिए विशिष्ट संसदीय प्राधिकार प्राप्त किया जाता है और किसी अन्य योजना को आवर्धन हेतु संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। अन्य संबद्ध मंत्रालयों के उत्तर, हालांकि, प्रतीक्षित थे।

#### 4.8 विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' के प्रावधान का आवर्धन

शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' से निधियों का मंत्रालयों/विभागों द्वारा या तो '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' के लिए अनुदान या फिर '36-सहायता अनुदान वेतन' में पुनर्विनियोजन संसद की पूर्व-स्वीकृति से अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों के माध्यम से किया जाना आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया वित्त मंत्रालय द्वारा 8 जून 2010 को जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन के आधार पर सभी मंत्रालयों/ विभागों द्वारा अपनायी जानी थी, जब 12 फरवरी 2010 को वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन' के लिए अनुदान वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 के नीचे भारत सरकार के निर्णय 1 के नीचे दर्शाये गये वस्तु शीर्षों की सूची प्रस्तुत की गयी थी।

अनुदान सं. 105 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वि.व. 2011-12 के लिए विनियोजन लेखा की संवीक्षा ने उद्घटित किया कि मंत्रालय ने 2235.02.103.42-केन्द्रीय समाज एवं कल्याण बोर्ड योजना के अंतर्गत पाँच उप-योजनाओं में अनुपूरक अनुदानों (टोकन) के माध्यम से प्राप्त ₹ 30.22 करोड़ के प्रावधान के समक्ष राजस्व वर्ग के अंतर्गत ₹ 30.90 करोड़ व्यय किये।

चूंकि सहायता अनुदान के आवर्धन के सभी मामलों को भारत की समेकित निधि से व्यय हेतु संसद की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक थी, लेखापरीक्षा का विचार है कि ₹ 0.68 करोड़ (₹ 30.90 करोड़ - ₹ 30.22 करोड़) का व्यय अप्राधिकृत और वैधानिक संस्वीकृति के बगैर था।

मंत्रालय ने त्रुटियों पर खेद व्यक्त करते हुए बताया (अगस्त 2012) कि अतिरिक्त व्यय इस तथ्य के कारण हुआ था कि आरंभिक रूप से व्यय 'वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था और राशि को बाद में नये सृजित शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' में पुनर्विनियोजित कर दिया गया था।

#### **4.9 युवा मामले तथा खेल-कूद मंत्रालय द्वारा एक शुद्धि-पत्र के माध्यम से सहायता अनुदान प्रावधान का आवर्धन**

सितम्बर 2010 में वित्त मंत्रालय आर्थिक मामले विभाग द्वारा जारी बजट परिपत्रों 2011-12 का पैरा 8.2 आदिष्ट करता है कि सभी मंत्रालयों/विभागों को सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुभाग हेतु विस्तृत मांगों में शामिल किए गए प्रत्येक मुख्य शीर्ष के योग एवं राजस्व तथा पूंजी अनुभागों द्वारा 'प्रभारित' और 'दत्तमत' के लिए पृथकतः प्रावधान बजट प्रभाग द्वारा बनाये गये अनुदान हेतु मुख्य मांगों में शामिल प्रावधानों के बिल्कुल अनुरूप है। अनुदान हेतु विस्तृत मांगों के लिए अंतिम मुद्रण आदेश तभी दिया जाए जब समाधान पूरा हो जाए।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 व्यवस्था करता है कि 'दत्तमत' अंश से संबंधित व्यय के अनुमानों को लोकसभा में अनुदान हेतु मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनुदानों हेतु विस्तृत मांग संबंधित मंत्रालयों द्वारा लोकसभा के पटल पर, संसद में अनुदान हेतु मांगों के प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद परंतु उस मंत्रालय के मांगों हेतु निर्धारित चर्चा की तिथि के काफी पहले रखा जाता है। अनुदान हेतु विस्तृत मांग वस्तु शीर्ष वार व्यय को प्रतिबिंबित कर इसके अतिरिक्त ब्रेक-अप को दिखाता है। योजना तथा गैर-योजना प्रावधानों को स्पष्टतः अलग दिखाया जाता है।

युवा मामले तथा खेल-कूद मंत्रालय के वर्ष 2011-12 हेतु विनियोजन लेखाओं की जाँच में उद्घटित हुआ कि मंत्रालय ने अनुदान 2011-12 हेतु विस्तृत मांगों के लिए मई



**विनियोग लेखे:  
लेखों पर एक टिप्पणी**

2011 में एक शुद्धि पत्र जारी किया जिसके माध्यम से इसने अनुदान हेतु विस्तृत मांगों में पहले से शामिल और संसद में प्रस्तुत आंकड़ों को परिवर्तित कर दिया।

मंत्रालय द्वारा संसद में संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार बजट के समय प्रस्तुत अनुदान हेतु मांगों तथा उस मंत्रालय के अनुदान हेतु मांगों के लिए चर्चा हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व संसद में प्रस्तुत की गयी अनुदान हेतु विस्तृत मांगों में दो तरह के आंकड़े थे। अनुदान हेतु मांगों में तथा अनुदान हेतु विस्तृत मांगों में आंकड़ों में शीर्ष '2204-खेल-कूद तथा युवा सेवाएं' एवं '3601- राज्य सरकारों को सहायता -अनुदान' के अंतर्गत अंतर देखा गया था, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	अनुदान हेतु मांगों में शामिल अनुमान	अनुदान हेतु विस्तृत मांगों में शामिल अनुमान	अंतर	टिप्पणियाँ
2204- खेल-कूद एवं युवा सेवाएं	779.23	632.64	146.59	सहायता अनुदान सामान्य में ₹144.59 करोड़ तथा छात्र-वृत्ति में ₹2.00 करोड़ की वृद्धि
3601-राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान	217.26	363.85	-146.59	सहायता-अनुदान-सामान्य में ₹146.59 करोड़ की कमी

लेखा-परीक्षा की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि मंत्रालय ने एक शुद्धि-पत्र के माध्यम से प्रमुख शीर्ष '2204-खेल-कूद एवं युवा सेवाएं' के अंतर्गत ₹144.59 करोड़ के सहायता अनुदान सामान्य प्रावधान को आवर्धित और प्रमुख शीर्ष '3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान' के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य के प्रावधान को कम कर दिया था।

युवा मामले एवं खेल-कूद मंत्रालय द्वारा प्रमुख शीर्ष '2204-खेल-कूद एवं युवा सेवाएं' के अंतर्गत निकाय एवं प्रधिकरणों के लिए एक शुद्धि पत्र के माध्यम से ₹ 144.59 करोड़ की वृद्धि, इस प्रकार दिनांक 25 मई 2006 के स.शा. के उल्लंघन में है। मंत्रालय के लिए सहायता अनुदान से संबंधित प्रावधान का आवर्धन, केवल संसद की पूर्व स्वीकृति से ही, अनुदान हेतु एक उपयुक्त अनुपूरक मांग प्राप्त करना आवश्यक था।

#### **4.10 विषय शीर्ष 'आर्थिक सहायता' को प्रावधान का आवर्धन**

मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से विषय शीर्ष 'आर्थिक सहायता' के अंतर्गत विद्यमान विनियोग में प्रावधान के आवर्धन हेतु यदि अतिरिक्तता संसद द्वारा पहले ही दत्तमत मौजूदा विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम है, से अधिक है तो संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है।



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

विनियोग लेखों तथा ई-लेखा डाटा की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सात मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना मौजूदा प्रावधान के उल्लंघन में विषय शीर्ष '33-आर्थिक सहायता' के अंतर्गत प्रावधान के आवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगभग चार अनुदानों/विनियोगों पर कुल ₹ 5833.81 करोड़ की निधियाँ व्यय की गई थीं जिसके फलस्वरूप नई सेवा/सेवा के नए उपकरण की सीमाओं को आकर्षित किया। निम्न तालिका उप-शीर्षों का ब्यौरा देती हैं जहाँ संसद की पूर्व-स्वीकृति के बिना विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत आवर्धन किया गया था।

तालिका 4.7: 'आर्थिक सहायता' पर संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रावधान का आवर्धन

क्र. स.	अनुदान का विवरण	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
1.	7-उर्वरक	2401.00.106.02.00.33 – यूरिया का आयात	4500.00	विभाग ने बताया कि व्यय वित्त मंत्रालय की सलाह पर किया गया था तथा संसद को सूचित किया जाएगा।	मामलों में जहाँ एन.एस./एन.आई.एस. की वित्तीय सीमाएँ लागू होती हैं। अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसद की पूर्व अनुमति तथा कार्यकारी आदेश के माध्यम से निधियों के पुनर्विनियोग के मामले को संसद को सूचित करना दोनों एक दूसरे से अलग हैं। वर्तमान मामले में संसद की पूर्व अनुमति अपेक्षित है।
2.	विभाग	2852.03.101.01.00.33 – उर्वरक प्रतिधारण मूल्य योजना के अंतर्गत भुगतान	1200.00		
3.		2401.00.129.04.00.33 – आयातित नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के लिए उर्वरक बंध-पत्र की बिक्री पर हानि हेतु क्षति पूर्ति	117.05		
4.	68-नवीन व अक्षय ऊर्जा मंत्रालय	2810.00.101.01.02.33 ग्रिड इंटेरेक्टिव विद्युत-जल विद्युत	15.70	मंत्रालय ने बताया (मार्च 2013 कि शीर्ष में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पुनर्विनियोजन के माध्यम से निधियाँ उपलब्ध करायी गई थी।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूंकि संसद द्वारा पहले से ही दत्तमत्त मौजूदा विनियोजन के 10 प्रतिशत के अधिक्य में अथवा ₹10 करोड़ के आवर्धन को जो भी कम हो, संसद की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है।
5.	98-दादरा	2401.00.103.23.00.33- आर्थिक सहायता बीजों पर व्यय	0.01	उत्तर प्रतीक्षित	
6.	एवं नागर हवेली (कृषि मंत्रालय)	2401.00.105.16.00.33-उर्वरकों का वितरण	0.09	उत्तर प्रतीक्षित	
7.	100 – लक्षद्वीप	उपभेक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 3456.00.103.01.00.33 – यात्रा सहायता अनुदान	0.96	उत्तर प्रतीक्षित	
<b>कुल</b>			<b>5833.81</b>		

#### 4.11 विषय शीर्ष 'ऋण एवं अग्रिम' के लिए प्रावधान का आवर्धन

वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2006 (दिनांक 25 मई 2006 के स.ज्ञा. के अनुबंध के पद 1ख (ii) (ख) (ii)) को जारी निर्देशों की संगति में वस्तु शीर्ष ऋण एवं अग्रिम के पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान का आवर्धन संसद की पूर्व स्वीकृति से किया जाना चाहिए यदि किसी मौजूदा कंपनी/निगम को अतिरिक्त निवेश/ऋण पहले से दत्तमत विनियोजन के 20 प्रतिशत से अधिक अथवा ₹ 20 करोड़ जो भी कम हो, उन कम्पनियों के संबंध में जिनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 50 करोड़ से अधिक है।

अनुदान सं. 101- शहरी विकास के विनियोजन लेखाओं तथा ई-लेखा डाटा की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि एक उप-शीर्ष<sup>4</sup> के अंतर्गत वस्तु शीर्ष 55-ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत यद्यपि ₹ 650 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी थी, परंतु ₹ 21 करोड़ के आवर्धन में परिणत होने वाले ₹ 671 करोड़ का व्यय मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में, संसद की पूर्व अनुमति के बिना हुआ।

विभाग ने बताया (नवंबर 2012) कि 2011-2012 के दौरान अतिरिक्त पुनर्विनियोजन को उसी समय संसद द्वारा नियमानुकूलित करने के लिए अनुदान 2012-13 के लिए अनुपूरक मांगों के माध्यम से सूचित किया जा रहा था। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसद की पूर्व-अनुमति उन मामलों में आवश्यक है जहाँ एन.एस/एन.आई.एस. की वित्तीय सीमाएं आकर्षित की गयी हों। पुनर्विनियोजन की सूचना तथा संसद की पूर्व स्वीकृति एक दूसरे से भिन्न हैं।

#### 4.12 वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रावधान का आवर्धन

वित्त मंत्रालय ने नयी सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित वित्तीय सीमाओं पर दिशानिर्देश से संबंधित दिनांक 25 मई 2006 के स.ज्ञा. के संदर्भ में स्पष्ट किया (21 मई 2012 तथा 5 अक्टूबर 2012) कि वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' एवं '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत आवर्धन पर एन.एस/एन.आई.एस. के मामलों के संबंध में ₹ 2.5 करोड़ से अधिक अथवा पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक जो भी कम हो, की निधियों के आवर्धन से संबंधित सभी मामलों को संसद की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी, चाहे आवर्धन नए निर्माण कार्यों के लिए हो या मौजूदा निर्माणों के लिए।

<sup>4</sup> 6217.60.191.12 -अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की जापान बैंक से दिल्ली मेट्रो रेल कोरेपोरेशन की सहायता के लिए पास (अन्तर्राष्ट्रीय जापान बैंक निगम)



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

विनियोग लेखे की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि निम्न मामलों में कुल ₹ 421.21 करोड़ की निधियों 15 अनुदानों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना आवर्धित की गयी थी, जिसके कारण नयी सेवा/सेवा के नये साधनों की सीमाएं आकर्षित हुईं जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 4.8: विषय शीर्ष 'मुख्य निर्माण -कार्यो' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रावधान का आवर्धन

क्र. स.	अनुदान का विवरण	लेखा का शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
1.	4-परमाणु उर्जा	70 मामले* विषय शीर्ष '52 के अंतर्गत'	128.19	प.ऊ.वि. ने बताया (जनवरी 2013) कि मामलों को संसद को सूचित करने के लिए वित्त मंत्रालय के ध्यान में लाया जा रहा है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों को व्यय करने से पहले संसद की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है।
2.		45 मामले* वस्तु शीर्ष '53'के अंतर्गत	84.36	प.उ.वि.ने. बताया (जनवरी 2013) कि लेखा परीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दे को भावी अनुपालना हेतु दर्ज कर लिया गया है।	
3.	13- डाक विभाग	3 मामले* अ.शी. 52 के अंतर्गत	5.33	उत्तर प्रतीक्षित	
4.	14- दूरसंचार विभाग	5275.00.101.02.02.53 - मुख्य निर्माण कार्य	0.07	उत्तर प्रतीक्षित	
5.	30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	5425.00.208.06.04.53 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्राहलय	1.46	उत्तर प्रतीक्षित	
6.	31- विदेश मंत्रालय	4059.60.051.17.05.53- विदेश मंत्रालय	6.31	मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2012) कि अतिरिक्त व्यय के.लो.नि.वि. द्वारा किये गये डेबिट नामे और विदेश में विभिन्न देशों में चल रहे निर्माण परियोजनाओं हेतु वचनबद्ध भुगतान के कारण भी हुआ था।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन मामलों में व्यय करने से पहले संसद की पूर्व-स्वीकृति लेनी आवश्यक है।
7.		4216.01.700.18.03.53- विदेश मंत्रालय	2.62		
8.	41-राजस्व विभाग	4875.01.108.02.00.52 भवन	0.04	विभाग ने बताया कि (मार्च 2013) कि यह महसूस किया गया था कि यह "नए निर्माण कार्यो" पर व्यय नहीं था बल्कि "मौजूदा निर्माण कार्यो" पर था इसलिए संसद की पूर्व-स्वीकृति नहीं ली गयी थी।	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 21 मई 2012 के स्पष्टीकरण की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है।



विनियोग लेखे:  
लेखों पर एक टिप्पणी

क्र. स.	अनुदान का विवरण	लेखा का शीर्ष	राशि (₹ करोड में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
9.	42-प्रत्यक्ष कर	4075.00.204.00.00.53 – आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 20-सी के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण	0.29	मंत्रालय ने बताया (मार्च 2013) कि शीर्ष को पहले से ली गयी इमारतों के अनुष्ण एवं सुरक्षा हेतु उपयोग में लाया गया था इसलिए एन.एस./एन.आई.एस. के प्रावधान लागू नहीं होते। हालांकि विषय को संसद को सूचित किया गया था।	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 21 मई 2012 के स्पष्टीकरण की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है।
10.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4210.01.110.03.00.53 के. एस.सी.एच <sup>5</sup> , नई दिल्ली	0.83	उत्तर प्रतीक्षित	
11.		4210.01.110.06.00.52 सफदरजंग अस्पताल	4.38	उत्तर प्रतीक्षित	
12.	72- कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय	4055.00.800.05.02.53 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	17.17	उत्तर प्रतीक्षित	
13.	90-अंतर्क्षि विभाग	10 मामले* अ.शी. 52 के अंतर्गत	25.80	उत्तर प्रतीक्षित	
14.		3 मामले* मामले अ.शी. 53 के अंतर्गत	5.04	विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि लेखा-परीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना भविष्य में की जाएगी।	
15.	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	14 मामले* मामले अ.शी. 53 के अंतर्गत	67.85	उत्तर प्रतीक्षित	
16.	97- चण्डीगढ़	6 मामले* मामले अ.शी. 53 के अंतर्गत	39.10	उत्तर प्रतीक्षित	
17.	98- दादरा एवं नागर हवेली	3 मामले* मामले अ.शी. 53 के अंतर्गत	2.35	उत्तर प्रतीक्षित	
18.	दमन एवं दीव	शहरी विकास मंत्रालय 4215.01.800.01.00.53 अन्य मद	4.30	उत्तर प्रतीक्षित	
19.	100 – लक्षदीप	8 मामले* मामले अ.शी. 53 के अंतर्गत	18.51	प्रधान वे.ले.अ. ने बताया (मार्च 2013) कि इन प्रावधानों आवर्धन शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्यों' के अंतर्गत किया गया था और इसलिए, उन नियमों की परिधि में नहीं आते जो 'मुख्य निर्माण कार्यों' को किसी अन्य इकाई में पुनर्विनियोग का निषेध करते हैं।	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 21 मई 2012 के स्पष्टीकरण की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है।
20.		2 मामले* मामले अ.शी. 52 के अंतर्गत	7.21		
<b>कुल</b>			<b>421.21</b>		

\* अनुबन्ध IV-ख में सूचीबद्ध मामले

<sup>5</sup> कलावती सरन बच्चों का अस्पताल

### पूँजी लेखे के बजाए तथा प्रतिक्रम में राजस्व लेखे के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112(2) अनुबंधित करता है कि वित्तीय वार्षिक विवरणियां अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग रखगीं। राजस्व लेखे एवं पूँजीगत लेखे पर व्यय का वर्गीकरण करने हेतु सिद्धांतों की अनुपालना की जानी चाहिए।

#### 4.13 पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8, वस्तु वर्ग 6 (पूँजीगत परिसंपतियों एवं अन्य पूँजीगत व्यय का अधिग्रहण), जहाँ वस्तु शीर्ष यथा 51 से 56 तथा 60 से संबंधित है, को वर्गीकृत करता है। ये वस्तु शीर्ष<sup>6</sup> पूँजीगत प्रवृत्ति के बुकिंग से संबंधित है और इसलिए पूँजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ही उपयुक्त किया जाना चाहिए।

वर्ष 2011-12 के लिए शीर्ष वार विनियोग लेखाओं की ई-लेखा डाटा के समक्ष लेखा परीक्षा संवीक्षा में वे मामले उजागर हुए जहाँ से वस्तु शीर्ष राजस्व मुख्य शीर्ष के साथ उपयुक्त हुए थे जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है, जिसके कारण पूँजीगत व्यय को ₹ 1521.34 करोड़ से कम बताया गया।

तालिका 4.9: पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र. स.	अनुदानों के विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष कोड	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
1.	01- कृषि एवं	2070	52	0.05	उत्तर प्रतीक्षित	
2.	सहकारिता विभाग	2401	51	0.07	उत्तर प्रतीक्षित	
3.		2401	52	1.54	उत्तर प्रतीक्षित	
4.		2435	52	0.17	उत्तर प्रतीक्षित	
5.		03-पशु पालन, दुग्ध	2403	52	1.25	उत्तर प्रतीक्षित
6.	उत्पादन एवं मतस्य		53	0.11	उत्तर प्रतीक्षित	
7.	पालन विभाग	2404	53	0.49	उत्तर प्रतीक्षित	
8.		2405	51	0.09	उत्तर प्रतीक्षित	
9.			52	0.54	उत्तर प्रतीक्षित	

<sup>6</sup> संदर्भ अनुबंध-ग



**विनियोग लेखे:  
लेखों पर एक टिप्पणी**

क्र. स.	अनुदानों के विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष कोड	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
10.	4-परमाणु ऊर्जा	2852	51	2.86	प.ऊ.वि.ने बताया (दिसंबर 2012 कि यह व्यय मुख्यतः पूंजीगत परिसंपत्तियों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु क्रियात्मक आवश्यकता के लिए था। इसके अतिरिक्त इसने बताया कि विभाग सरकारी लेखे का वर्गीकरण के मौजूदा प्रणाली का अनुपालन कर रहा है।	यदि प.ऊ.पि. को लगा कि व्यय अनुरक्षण की प्रकृति का था, इसे राजस्व प्रकृति के समुचित वस्तु शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान प्राप्त करना चाहिए था।
11.		2852	52	7.62		
12.		2852	60	0.40		
13.		3401	51	11.22		
14.		3401	52	1.68		
15.	15- सूचना	3451	51	0.38	विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों अगले वित्त वर्ष के बाद में अनुदान के पूंजी प्रभाग में अंतर्विष्ट करने के लिए दर्ज कर ली गई हैं।	
16.	प्रौद्योगिकी विभाग	2852	52	19.56		
17.	16-उपभोक्ता	3425	52	0.05	उत्तर प्रतीक्षित	
18.	मामले विभाग	3475	52	21.96	उत्तर प्रतीक्षित	
19.	20-रक्षा मंत्रालय	2075	53	6.44	मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013 कि वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' 1984-85 के बाद से ही राजस्व प्रभाग के अंतर्गत परिचालित हो रही थी। तथापि, सी.जी.डी.ए. ने बताया कि शीर्ष के अंतर्गत आवंटन कैंटीन भण्डार विभाग के परिचालन व्ययों हेतु किया गया था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' वस्तु वर्ग-6 से है, उसे केवल पूंजीगत लेखे के अंतर्गत ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि किया गया व्यय स्थायी प्रकृति की परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अथवा मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता के वृद्धि हेतु न हो, राजस्व मुख्य शीर्ष के अनुरूप समुचित विषय शीर्ष परिचालित किए जाने चाहिए थे।
20.		2037	52	94.89	मंत्रालय ने बताया कि इस संबंध में नियंत्रक, व्यय को 2002-03 से ही रक्षा मंत्रालय सिविल अनुदान के अंतर्गत बजटीय आवंटनों के प्रति दर्ज कर रहे थे।	मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं था चूंकि विषय शीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' पूंजी वर्ग का है जिसे केवल एक पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत ही उपयोग में लाया जा सकता है।



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र. स.	अनुदानों के विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष कोड	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
21.	29-भू विज्ञान मंत्रालय	3403	52	1.23	मंत्रालय ने लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार (दिसंबर 2012) कर लिया था और बताया कि इसे वर्ष 2013-14 के लिए पूंजी प्रभाग डी.डी.जी. के अंतर्गत समुचित रूप से सम्मिलित कर लिया जाएगा।	
22.	32-आर्थिक मामले विभाग	3054	53	1059.56	उत्तर प्रतीक्षित	
23.	43-अप्रत्यक्ष कर	2037 2038	52	13.72	उत्तर प्रतीक्षित	
24.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210	51	1.93	विभाग ने बताया (जनवरी 2013) कि अस्थायी प्रकृति की आमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर उनके अल्पकालिक मूल्य के कारण पूंजीगत परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूंकि व्यय को अंततः पूंजीगत वस्तु शीर्ष में दर्ज किया गया था। विषय
25.			52	14.32		
26.	49- एड्स नियंत्रण विभाग	2210	52	14.68	विभाग ने बताया (नवंबर 2012) कि यह व्यय रा.ए.नि.का. <sup>7</sup> -III की चल रही परियोजना के अंतर्गत मौजूद रक्त बैंकों के लिए रक्त बैंक रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीजर्स तथा अन्य उपकरणों की अधिप्राप्ति पर किया गया था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि विषय शीर्ष 52 का परिचालन, वस्तुतः वर्ग 6 होने के कारण, पूंजीगत व्यय के प्रयोजन हेतु है राजस्व मुख्य शीर्ष के साथ परिचालित नहीं किया जा सकता है।
27.	52- गृह मंत्रालय	2052	52	2.26	मंत्रालय ने बताया कि (जनवरी 2013) कि शीर्ष को राजस्व शीर्ष के तहत प्रावधान किया गया था चूंकि सूचना प्रौद्योगिक मदों की खरीद शीर्ष के अंतर्गत की गयी थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि विषय शीर्ष 52 का परिचालन, वस्तुतः वर्ग 6 होने के कारण, पूंजीगत व्यय के प्रयोजन हेतु है राजस्व मुख्य शीर्ष के साथ परिचालित नहीं किया जा सकता है।
		3454	52	5.61		
28.	53- मंत्रीमंडल	2013	52	0.75	मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2012) कि अगले वित्त वर्ष के बाद निदानात्मक कारवाई की जाएगी।	

<sup>7</sup> राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

विनियोग लेखे:  
लेखों पर एक टिप्पणी

क्र. स.	अनुदानों के विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष कोड	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
29.	54-पुलिस	2055	52	62.00	मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2013) कि शीर्ष को राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत रखा गया था क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी मदों की खरीद इस शीर्ष के लिए बनी थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि विषय शीर्ष 52 का परिचालन, वस्तु वर्ग 6 होने के कारण, पूंजीगत व्यय के प्रयोजन हेतु है राजस्व मुख्य शीर्ष के साथ परिचालित नहीं किया जा सकता है।
30.	55- गृ.म. के अन्य व्यय	2245	52	0.66		
31.	61- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2230	52	8.67	उत्तर प्रतीक्षित	
32.	90-अंतरिक्ष विभाग	3252 3402	52 (15 मामले)	33.81	उत्तर प्रतीक्षित	
33.	91- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	3454	52	7.64	उत्तर प्रतीक्षित	
34.	102- लोक निर्माण कार्य	2059	53	4.44	उत्तर प्रतीक्षित	
35.	104- जल संसाधन मंत्रालय	2701 2702 2711 3075	51 52 53	118.60	उत्तर प्रतीक्षित	
36.	105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2236	51	0.09	उत्तर प्रतीक्षित	
<b>कुल</b>				<b>1521.34</b>		

व्यय स्रोत: ई-लेखा

#### 4.14 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों की प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 वर्ग 6 के अलावा अन्य से संबंधित विषय शीर्षों को राजस्व की प्रकृति को वर्गीकृत करता है।

वर्ष 2011-12 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखे की ई-लेखा के समक्ष लेखा परीक्षा संवीक्षा ने राजस्व प्रकृति के विषय शीर्षों के पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत परिचालित किए जाने के मामले उद्धटित किये, जो संघ सरकार के ₹ 129.11 करोड़ के कम राजस्व व्यय तथा राजस्व घाटे में परिणत हुआ, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

तालिका 4.10: राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र.स	अनुदान के विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय <sup>8</sup> (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
1.	4- परमाणु ऊर्जा	4861 5401	27	16.76	प.ऊ वि ने बताया (जनवरी 2013) कि व्यय, नियोजित परियोजनाओं के कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार किया और दर्ज किया गया है। इसने आगे बताया कि ये योजना परियोजनाएं विकासात्मक प्रकृति की थीं जिसके अंतर्गत भावी उपयोग और परियोजना की अवधि हेतु परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं का सृजन किया जाएगा। सभी व्यय, चाहे वह पूंजीगत हो या राजस्वगत को पूंजी के तहत दर्ज करना आवश्यक है और परियोजनाओं की समाप्ति पर व्यय को राजस्व के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि विषय शीर्ष 'लघु-निर्माण कार्य' राजस्व प्रकृति का है और पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत परिचालित नहीं किया जा सकता है।
2.	5- नाभिकीय विद्युत योजना	4801	12 21 28	3.43	उत्तर प्रतीक्षित	
3.	52- गृह मंत्रालय	4216	27	1.52	उत्तर प्रतीक्षित	
4.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	5051	50	0.31	उत्तर प्रतीक्षित	
5.		5051	01	6.11	उत्तर प्रतीक्षित	
6.		5052	50	31.84	उत्तर प्रतीक्षित	
7.	94-पर्यटन मंत्रालय	5452	28	3.00	मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2013) कि यह शीर्ष 'व्यावसायिक सेवाओं' के अंतर्गत परियोजना प्रबंधक सलाहकार पर व्यय को दर्ज करने के मुद्दे की वित्त मंत्रालय के साथ नये अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पहले उठायेगा।	
8.	96- अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	4401	21	2.80	उत्तर प्रतीक्षित	
9.		4801	21	7.17	उत्तर प्रतीक्षित	
10.	100- लक्षद्वीप	4235	01	0.01	उत्तर प्रतीक्षित	
11.		4235	13	0.10	उत्तर प्रतीक्षित	
12.		4851	27	0.06	उत्तर प्रतीक्षित	
13.	101-शहरी विकास मंत्रालय	4217	32	50.00	उत्तर प्रतीक्षित	

<sup>8</sup> स्रोत: ई-लेखा डाटा



विनियोग लेखे:  
लेखों पर एक टिप्पणी

क्र.स	अनुदान के विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय <sup>8</sup> (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
14.	104- जल संसाधन मंत्रालय	5075	01 03 06 11 13 20 43 50	6.00	उत्तर प्रतीक्षित	
	<b>कुल</b>			<b>129.11</b>		

#### 4.15 पूंजी प्रभाग में व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण पर व्यय को गलत दर्ज किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 79 के साथ पठित सरकारी लेखांकन नियमावली 1990 को नियम 31, व्यवस्था करता है कि स्थायी अथवा अल्पकालिक प्रकृति के अमृत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु किया गया किसी प्रकार का व्यय पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सृजित संपत्ति का स्वामित्व भी इसके सृजन पर हुए व्यय को अनुदान के पूंजीगत प्रभाव में वर्गीकृत किए जाने की अर्हता प्राप्त करने के लिए सरकार के पास रहेगा।

वर्ष 2011-12 हेतु अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग के विनियोग लेखे की संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के रूप में अवसरचनना परियोजनाओं के लिए दी गयी सहायता को दशाने वाली ₹ 300 करोड़ की धनराशि को अनुदान के पूंजीगत प्रभाग<sup>9</sup> के तहत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। चूंकि अवसरचनना परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के रूप में सहायता अनुदान के रूप में, एक समय या आस्थगित, सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के माध्यम से उन्हें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से शुरू की गयी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऐसे व्यय को पूंजीगत प्रभाग में दर्ज करना अनियमित था, चूंकि इस व्यय के आधार पर सृजित परिसंपत्तियाँ सरकार के स्वामित्व की अर्हता प्राप्त नहीं करती। इस व्यय को अनुदान के राजस्व प्रभाग के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।

अतः पूंजीगत व्यय को अनियमित रूप से दर्ज करना राजस्व घाटे पर परिणामी, प्रभाव यद्यपि गैरमामूली के साथ राजस्व व्यय की कम-बयानी में परिणत हुआ। इससे पूंजीगत लेखे में व्यय के मामले में आने वाले वर्षों में अतिरंजित चित्रण भी आवश्यक रूप से होगा जिसे संघ वित्त लेखे के विवरण सं. 10 में संचयी रूप से प्रतिबिंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त, विषय शीर्ष '42-एकमुश्त प्रावधान' के तहत इस व्यय हेतु प्राप्त

<sup>9</sup> 5475.00.800.12.00.42

₹ 300 करोड़ का प्रावधान मौजूदा निर्देशों के उल्लंघन में था, जो व्यवस्था करते हैं कि एकमुश्त प्रावधान ₹ 10 लाख से अधिक न हो। अन्य सभी मामलों में व्यय की अन्य वस्तुओं द्वारा विवरण दिया जाना चाहिए।

#### 4.16 गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 79 व्यवस्था करता है कि अनुरक्षण, मरम्मत, रख-रखाव तथा कार्य चालन व्ययों पर प्रभार, जो परिसंपत्तियों के क्रियात्मक स्थिति में अनुरक्षण के लिए आवश्यक है और संगठन के दैनादिन परिचालन हेतु किये गये सभी अन्य व्यय भी, स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2011-12 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखे की ई-लेखा डाटा की लेखा परीक्षा संवीक्षा ने ऐसे मामले उद्घाटित किये जहाँ राजस्व प्रकृति का व्यय पूंजीगत व्यय के रूप में अथवा इसके उलटे क्रम में वर्गीकृत किया गया था जो संघ सरकार के राजस्व व्यय एवं राजस्व घाटे के ₹ 616.68 करोड़ से अधिक बयानी में परिणत हुआ जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.11: अनुदान के विभिन्न प्रभागों के मध्य गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	विभाग का उत्तर	टिप्पणी
	पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण				
1.	29-भू विज्ञान मंत्रालय	27.11	'परिचालन एवं अनुरक्षण' व्यय गलत रूप से प्रदान किया गया और वित्त वर्ष 2011-12 में लेखे के राजस्व शीर्ष के बजाय पूंजीगत शीर्ष अर्थात् 5455 में दर्ज किया गया।	तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2012) कि 'परिचालन एवं अनुरक्षण पद का अनजाने में उप-शीर्ष के रूप में उल्लेख किया गया है और डी.डी.जी. में वर्ष 2013-14 के लिए 'वेधशालाएं और मौसम स्टेशन' में परिवर्तित की जा रही है तथा संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किये जा रहे हैं कि 'मशीनरी व उपकरण के मरम्मत' के साथ-साथ 'निर्माण का मरम्मत और अनुरक्षण' शीर्ष 'लघु निर्माण-कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया जाए।	



**विनियोग लेखे:**  
**लेखों पर एक टिप्पणी**

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	विभाग का उत्तर	टिप्पणी
<b>पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण</b>					
2.	32-आर्थिक कार्य विभाग	1.82	भारत सरकार द्वारा अफ्रीकी विकास निधि को किये गये अंशदान को दर्शाने वाले भुगतान अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्ष "32-अंशदान" के प्रति दर्ज करने के स्थान पर विषय-शीर्ष-54 निवेश के तहत पूँजीगत प्रभाग अर्थात् मुख्य शीर्ष 5466 में दर्ज किए गए थे।	मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2013) कि यह लेखा परीक्षा अभियुक्तियों के संगति में हैं और निदानात्मक कार्रवाई की जाएगी।	
3.	65- सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	0.54	एक कार्यालय के सिविल एवं विद्युतीय कार्यों के मरम्मत एवं नवीकरण पर व्यय राजस्व वर्ग के अंतर्गत उचित विषय शीर्ष 27 में दर्ज करने की बजाय पूँजीगत वर्ग के अंतर्गत अर्थात् विषय शीर्ष 4059 एवं विषय शीर्ष 53 के तहत दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित	
4.	66- खनन मंत्रालय	5.24	वार्षिक अनुस्क्षण प्रभार (वा.अ.प्र.) आदि के लिए किया गया भुगतान, राजस्व मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सही विषय शीर्ष 13-कार्यालय व्यय को परिचालित करने की बजाय मुख्य शीर्ष 4853 तथा विषय शीर्ष 52 के अंतर्गत पूँजीगत प्रभाग में दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित	
<b>राजस्व व्यय अधिकथन</b>		<b>34.71</b>			
<b>राजस्व व्यय के रूप में पूँजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण</b>					
5.	62- निर्वाचन आयोग	4.81	दि.वि.प्रा. से भूमि खरीदने और था रतीय जनतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (भा.ज.नि.प्र.सं.) परिसर के विविध निमाण -पूर्व कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए एक अनुपूरक अनुदान (नवंबर 2011) मु.सी. 2015 (निर्वाचन) अर्थात् अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत प्राप्त किया गया था। इसे पूँजीगत प्रभाग और विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत दर्ज करने के स्थान पर विषय शीर्ष 28 के तहत दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित	
6.	65- सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	0.63	व्यवसायी सेवाएं संस्थान एवं कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रशिक्षण-बनाम उत्पाद विकास केन्द्र की इमारत के निर्माण पर व्यय की पूँजीगत प्रभाग के अंतर्गत दर्ज करने क बजाय अनुदान के राजस्व प्रभाग (मुख्य शीर्ष 2851 तथा विषय शीर्ष 50) में दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित	



क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	विभाग का उत्तर	टिप्पणी
	<b>पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण</b>				
7.	90- अंतरिक्ष विभाग	645.95	26 मामलों में राजस्व विभाग के अंतर्गत ₹ 645.95 करोड़ विषय शीर्ष " 21 आपूर्ति तथा सामग्री " एवं " 50-अन्य प्रभाग " के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था, जिसे सही रूप में विभाग द्वारा जारी विशिष्ट आदेश के अंतर्गत पूँजीगत प्रभाग के अंतर्गत " 60 अन्य पूँजीगत व्यय " के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	उत्तर प्रतीक्षित	
	<b>राजस्व व्यय अधिकथन</b>	<b>651.39</b>			

इस प्रकार का गलत वर्गीकरण जवाबदेही को अप्रभावी कर देता है, और लेखांकन में परदर्शिता, पूर्णता, समग्रता, स्थिरता तथा तुलनीयता प्राप्त करने के मूल उद्देश्य को विफल कर देता है और इसलिए, इन्हें सही करने के लिए त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है।

#### गलत वर्गीकरण का प्रभाव:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 (2) में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के सिद्धांतों के अनुपालन में मंत्रालयों/विभागों द्वारा विचलन का प्रभाव सरकार के राजस्व घाटे के कम-बयानी अथवा अधिक बयानी पर होता है।

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत तरीके से वर्गीकरण का प्रभाव पूँजीगत व्यय के ₹ 463.82<sup>10</sup> करोड़ से अधिक बयानी एवं पूँजीगत व्यय के ₹ 2172.73<sup>11</sup> करोड़ से कम-बयानी थी। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹ 1708.91 करोड़ के पूँजीगत व्यय के कम-बयानी में पड़ा। इसी प्रकार वित्त वर्ष के दौरान ₹ 1708.91 करोड़ के बराबर राशि की अधिक-बयानी हुई थी।

#### 4.17 भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1) प्रावधान करता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राजकोषीय बिल जारी कर उगाहे किये गये सभी श्रृणों अथवा अर्थोपाय अग्रिमों और उस सरकार द्वारा ऋणों के पुर्नभुगतान में प्राप्त की गई समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे " भारत की समेकित निधि "

<sup>10</sup> पैरा सं. 4.14 में ₹ 129.11 करोड़ तथा पैरा सं. 4.15 में ₹ 300 करोड़ से तथा पैरा 4.16 में ₹ 34.71 करोड़।

<sup>11</sup> पैरा सं. 4.13 में ₹1521.34 करोड़ तथा पैरा सं. 4.16 में ₹ 651.39 करोड़ से पूँजीगत करने के बजाए राजस्व लेखे के अंतर्गत गलत वर्गीकरण तथा उसके प्रतिक्रम में।

कहा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) इसके अतिरिक्त प्रावधान करता है कि भारत सरकार द्वारा अथवा उसके ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धनराशियों को भारतीय लोक लेखा में जमा किया जाएगा। इस प्रकार, इसके द्वारा प्राप्त की गई सभी अन्य सार्वजनिक धनराशियों के संबंध में, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करता है।

कोयला मंत्रालय कोल इण्डिया लिमिटेड की ओर से कोयले से समृद्ध क्षेत्रों/भूमियों को जमा कार्य के रूप में प्राप्त करता है। इस प्रयोजन हेतु, कोल इण्डिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय के पास धनराशि जमा करती है। अतः कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जमा राशि के लिए, मंत्रालय केवल एक बैंकर के रूप में कार्य करेगा।

कोयला मंत्रालय के वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान सं. 10 के संबंध में विनियोग लेखे की संवीक्षा उद्घटित करती है कि कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जमा की गई धनराशि को भारत की समेकित निधि में सरकार के पूंजीगत व्यय के रूप में लिया गया था। कोयला मंत्रालय द्वारा 2011-12 में भूमि विस्थापितों को ₹ 146.83 करोड़ की धनराशि उनकी भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रदान की गयी थी और व्यय को पूंजीगत लेखा के अंतर्गत "निवेश" के रूप में दर्ज किया गया था। भारत की समेकित निधि में इस व्यय को प्राप्ति के रूप में मिला दिया गया था, जिसे कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जमा धनराशि से व्यय में कमी के रूप में दर्शाया गया था।

चूंकि लेन-देन सरकार द्वारा कोल इण्डिया लिमिटेड की ओर से किया गया था, इस पर हुए व्यय को भारत की समेकित निधि के माध्यम से पारित नहीं होना चाहिए था। इसकी बजाय, कथित व्यय के सीधे लोक लेखा के माध्यम से कराया जाना चाहिए था। इस व्यवहार के परिणामस्वरूप, कोयला मंत्रालय द्वारा संसद से प्राप्त सकल प्राधिकरण और उसके प्रति दर्ज किया गया व्यय ₹ 146.83 करोड़ तक अधिक बतया गया था।

इंगित करने पर, कोयला मंत्रालय ने बतया (नवंबर 2012) कि पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कटौती वसूली एवं व्यय के अंतर्गत लेखांकन के प्रावधानों से संबंधित लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ दर्ज कर ली गयी हैं। यह भी आश्वासन दिया गया था कि एकीकृत वित्त प्रभाग से परामर्श सहित प्राप्त निधियों को लोक लेखा में जमा किया जाएगा और भुगतान, यदि कोई है तो उसी शीर्ष से आहरित कर की जाएगी।

#### **4.18 विषय शीर्ष सहायता अनुदान वेतन का गैर-परिचालन**

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग दिनांक 7 जून 2011 के कार्यालय ज्ञापन ने 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी होने वाले नये विषय शीर्ष "36-सहायता अनुदान वेतन" का वित्तीय



शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम 1978 के नियम 8 के नीचे विषय वर्ग-4 के अंतर्गत विषय शीर्षों की सूची में शामिल होना सूचित किया। नया विषय-शीर्ष वेतन के भुगतान हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी की गयी राशि को सममिलित करेगा। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान एक अनुपूरक अनुदान प्राप्त कर मंत्रालय/विभाग उनके अनुदानों में सहायता-अनुदान हेतु प्रावधान करेगा।

वर्ष 2011-12 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि यह विषय-शीर्ष कुछ नमूना परीक्षित मंत्रालयों में परिचालित नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 4.12: विस्तृत शीर्ष 'सहायता-अनुदान-वेतन' का गैर-परिचालन

क्र.स	अनुदान सं. एवं नाम	अभ्युक्तियाँ एवं मंत्रालय के उत्तर
1.	9- नागरिक उड्डयन	भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एक स्वायत्त निकाय) को ₹ 1.39 करोड़ की राशि उनके कर्मचारियों के वेतन हेतु जारी की गई जिसे बजाय विषय शीर्ष "36-सहायता अनुदान सामान्य के अंतर्गत दर्ज करने, इस तर्क के आधार पर कि बजट प्रावधान केवल विषय शीर्ष "31 सहायता अनुदान" के अंतर्गत ही प्राप्त किया गया था, के बजाए विषय शीर्ष "31-सहायता अनुदान सामान्य" के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
2.	15- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने विषय शीर्ष -31-सहायता अनुदान-सामान्य के अंतर्गत ₹1948.63 करोड़ का बजट प्रावधान विभिन्न निकायों/ प्राधिकरणों को अनुदान देने के लिए किया था। इसके प्रति किया गया वास्तविक व्यय ₹1122.60 करोड़ था। लेखा परीक्षा ने पाया कि ₹59.07 करोड़ की राशि पाँच निकायों/प्राधिकरणों को वेतन के संवितरण हेतु दी गयी थी जो कुल व्यय ₹1122.60 करोड़ का भाग थी, ₹59.07 करोड़ के व्यय हेतु अनुपूरक प्रावधान को प्राप्त कर विषय शीर्ष -36-सहायता अनुदान-वेतन को परिचालित करने की बजाय। विभाग ने जवाब दिया कि विषय शीर्ष 36-सहायता अनुदान वेतन की शुरुआत से संबंधित परिपत्र जून 2011 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा प्रसारित कर दिया गया था जब तक अनुदान 2011-12 के लिए विस्तृत माँग मुद्रित और संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी थी। अतः उस वर्ष के दौरान नया विषय शीर्ष आरंभ करने संभव नहीं था। तथापि, इस शीर्ष को वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू और परिचालित कर दिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, चूंकि का.जा. दिनांक 7 जून 2011 स्पष्टतः निर्दिष्ट करता है कि नया विषय शीर्ष 36, 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी कर शुरू और परिचालित कर दिया जाए।
3.	18- कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (एक स्वायत्त निकाय) के कर्मिकों के वेतन पर किये गये ₹116.71 लाख के व्यय को विषय शीर्ष '01 वेतन' के अंतर्गत इस तर्क के आधार पर दर्ज किया गया था कि यह भूतपूर्व महानिदेशक (अन्वेषण एवं पंजीकरण) के वेतनों से संबंधित है।
4.		भारतीय कार्पोरेट कार्य संस्थान को वेतनों के रूप में संवितरित ₹3 करोड़ का व्यय, विषय शीर्ष '36 सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय, विषय शीर्ष "31 सहायता अनुदान (सामान्य)" के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
5.	57-आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	मंत्रालय ने ₹3.20 करोड़ के व्यय हेतु भ.सा.त.प्र.प. <sup>12</sup> के लिए सहायता अनुदान वेतन पर एक प्रतीक अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया था। मंत्रालय ने इसके स्थान पर ₹5.50 करोड़ का व्यय विषय शीर्ष "31-सहायता अनुदान-सामान्य" के प्रति वेतन अंश को अलग से पृथक किये बगैर दर्ज कर दिया। मंत्रालय ने बताया (मार्च 2013) कि सभी अनुदान चूक से सहायता-अनुदान-सामान्य के अंतर्गत जारी किये गये थे।

<sup>12</sup> भवन सामग्री तथा तकनीकी प्रोन्नति परिषद



विनियोग लेखे:  
लेखों पर एक टिप्पणी

क्र.स	अनुदान सं. एवं नाम	अभ्युक्तियाँ एवं मंत्रालय के उत्तर
6.	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	लेखा परीक्षा ने पाया कि कुल व्यय (₹40,641 करोड़) का 99 प्रतिशत से अधिक (₹40,555 करोड़) सहायता अनुदान के प्रति खर्च किया गया था। कुल संवितरित अनुदानों में से सहायता अनुदान से संबंधित ₹29,354 करोड़ की राशि अन्य निकायों (राज्यों/संशा.क्षे. के अलावा) को संवितरित की गयी; हालाँकि लेखे में विषय शीर्ष 36-सहायता अनुदान-वेतन के अंतर्गत कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया था। विभाग ने बताया (मार्च 2013) कि चूंकि संस्थानों/स्वायत्त निकायों के वेतन घटक के पृथक्करण से संबंधित सूचना समय से प्राप्त नहीं हुई थी, वित्त वर्ष 2012-13 के बाद से निर्देशों के कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया था।
7.	59- उच्च शिक्षा विभाग	लेखा परीक्षा ने देखा कि कुल व्यय (₹19,575 करोड़) को 98 प्रतिशत (₹19,288 करोड़) से अधिक सहायता अनुदान के प्रति खर्च किया गया था। कुल संवितरित अनुदान में से सहायता अनुदान से संबंधित ₹19,105 करोड़ की राशि अन्य निकायों (राज्यों/स.शा.क्षे. के अलावा) के संवितरित की गयी; हालाँकि लेखे में विषय शीर्ष 36-सहायता अनुदान वेतन के अंतर्गत कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया था।
8.	65- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (एक स्वायत्त संस्थान) के पेंशनों, वेतनों, आकस्मिक व्ययों और पेंशन आदि पर किया गये ₹157.36 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष 36-सहायता अनुदान-वेतन के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय विषय शीर्ष 20-अन्य प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
9.	66- खनन मंत्रालय	राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य, संस्थान, जवाहर लाल नेहरू एल्म्युनियम अनुसंधान विकास व डिजाइन केन्द्र तथा राष्ट्रिय चट्टान यांत्रिकी के वेतनों एवं मजदूरियों आदि पर किया गया ₹4 करोड़ का व्यय, विषय शीर्ष 36 सहायता अनुदान वेतन के अंतर्गत दर्ज किये जाने के स्थान पर विषय शीर्ष 31 सहायता अनुदान सामान्य के अंतर्गत दर्ज किया गया था। मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि उन्होंने तीन स्वायत्त निकायों के लिए विषय शीर्ष 36 को शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
10.	88- पोत परिवहन मंत्रालय	विषय शीर्ष 31-सहायक अनुदान सामान्य के अंतर्गत राष्ट्रीय पोत डिजाइन एवं अनुसंधान केन्द्र (रा.पो.डि.अ.के.) को ₹4 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था, जिसमें केन्द्र के लिए ₹1.92 करोड़ के वेतनों इत्यादि को भी पूरा करना सम्मिलित था। इसे अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के बाद विषय शीर्ष 36 सहायता अनुदान-वेतन के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।
11.		इसी प्रकार, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन लिमिटेड (के.अ.ज.प.नि.लि.) को वेतनों के भुगतान हेतु प्रदान की गयी ₹10.29 करोड़ की राशि को भी, विषय शीर्ष 36-सहायता अनुदान वेतन के अंतर्गत दर्ज करने के बजाए 31-अनुदान सहायता सामान्य के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
12.	90- अंतरिक्ष विभाग	विभाग ने तीन अनुदान प्राप्तकर्ताओं नामतः अर्द्ध-सुचालक प्रयोगशालाएं (₹ 49.78 करोड़), भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 64.45 करोड़) तथा राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 13.43 करोड़) के संबंध में ₹ 127.66 करोड़ सहायता-अनुदान-सामान्य के रूप में दर्ज किया था। विभाग ने न तो विषयशीर्ष 35- पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत कोई प्रावधान प्राप्त किया और न ही विषय शीर्ष 36- सहायता अनुदान वेतन के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान, इसके बावजूद अनुदान प्राप्तकर्ता निकायों ने वर्ष 2011-12 में तीन विभिन्न श्रेणियों (विषय शीर्ष 31, 35 तथा 36) के अंतर्गत व्यय किया जैसाकि अनुदान प्राप्तकर्ताओं द्वारा सूचित किया गया था। अंतरिक्ष विभाग ने बताया (अक्तूबर 2012) कि इसने अपने डी.डी.जी. में वर्ष 2012-13 से नये विषय शीर्ष 31- सहायता अनुदान सामान्य तथा 36- सहायता अनुदान वेतन की शुरुआत की थी।
13.	93- कपड़ा मंत्रालय	₹ 225.46 करोड़ का व्यय विषय शीर्ष 31 सहायता अनुदान-सामान्य के अंतर्गत प्रशासनिक व्ययों के प्रति दर्ज किया गया था जिसमें मुख्यतः केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन के प्रति व्यय शामिल है, बजाय वेतन अंश को अलग पृथक्कीकृत करके और विषय शीर्ष 36- वेतन हेतु सहायता अनुदान के अंतर्गत दर्ज करने के।

वित्त मंत्रालय के मौजूदा निर्देश, तथापि, संघ सरकार के केवल 15 मंत्रालयों/विभागों द्वारा संकलित किये गये हैं तथा ₹ 2049 करोड़ की राशि आवश्यक बजटीय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विषय शीर्ष 36-सहायता अनुदान वेतन पर किये गये व्यय के रूप में दर्ज की



गयी। अन्य मंत्रालयों/विभागों ने वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 से विषय शीर्ष '36-सहायता-अनुदान-वेतन' की शुरुआत करने के लिए जारी निर्देशों का पालन नहीं किया।

#### 4.19 अनुदान के समान प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्षों में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 (वि.श.प्र.नि.) का नियम 8 छठे स्तर अर्थात्, विषय शीर्ष तक व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं के साथ विनियोग के मानक प्राथमिक इकाई का निर्धारण करता है। इसके अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले कुछ विषय शीर्ष और व्यय के विवरण अनुबंध IV-ग में दिये गये हैं।

लेखा परीक्षा ने पाया कि 23 मामलों में, कुल ₹69,759.64 करोड़ की 18 अनुदानों/विनियोग निधियाँ विनियोजन की इन प्राथमिक इकाइयों अर्थात् विषय शीर्षों में गलत तरीके से वर्गीकृत की गयी थीं, जिनका निम्न तालिका में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.13: विषय शीर्षों के अंदर गलत वर्गीकरण

क्र. स.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	नामे की गई मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
1.	4-परमाणु ऊर्जा	1.73	3401/50	विश्वविद्यालयों के अनुसंधान संस्थानों सोसाइटियों तथा गैर-सरकारी संस्थानों को दिये गये अनुदान, विषय शीर्ष "सहायता-अनुदान" को परिचालित करने के स्थान पर विषय शीर्ष "अन्य प्रभार" तथा "छात्रवृत्ति/वजीफा" के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	प.ऊ वि.ने. बताया (अक्टूबर 2012) कि विषय शीर्ष "अनुदान सहायता" तथा विषय शीर्ष "अन्य प्रभार" एवं "छात्रवृत्ति" भी मुख्य शीर्ष 3401 के अंतर्गत परिचालित की जाती थी और नियम, किसी योजना के लिए किसी भी मानक विषय शीर्ष के परिचालन पर कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं। विभाग ने इसके अतिरिक्त बताया (जनवरी 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वर्गीकरण की समीक्षा की जा रही है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि भारत सरकार लेखांकन मानक-2 व्यवस्था करता है कि एक सरकार द्वारा दूसरे सरकार, निकाय, संस्थान अथवा व्यक्ति को सहायता, दान अथवा अंशदान की प्रकृति के भुगतानों के "सहायता-अनुदान" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
2.		6.81	3401/34			
3.	6- रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	9.48	2852/31	हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड से संबंधित योजना ऋण एवं ब्याज की छूट सहायता अनुदान सामान्य के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत हुआ था जिसे विषय शीर्ष '64-बट्टा खाता/हानियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।		

**विनियोग लेखे:**  
**लेखों पर एक टिप्पणी**

क्र. स.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	नामे की गई मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
4.	13- डाक विभाग	8.00	3201/ 32	डाक सेवाएं कर्मचारी कल्याण बोर्ड को दिए गए अनुदानों को परिचालित करने के बजाय 'अंशदान' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	डा.वि.ने बताया कि लेखे के ये शीर्ष डाक विभाग के ई-लेखा और अनुबंध-V में संस्वीकृत थे। इसने आगे जोड़ा कि सहायता-अनुदान स्थानीय निकायों/संस्थानों/स्वायत्त निकायों को दियो जाते थे जो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य कर रहे थे। तथापि नामावली में परिवर्तनों, जैसा कि इंगित किया गया है, पर अगले वर्ष के अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में विचार किया जाएगा और दर्शाया जाएगा।	उत्तर स्वीकार्य नहीं था चूंकि नामावली में परिवर्तन करने की बजाय, डा.वि. को वि.श.प्र.नि. में दिये गये विवरण के अनुसार उचित विषय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान प्राप्त करना चाहिए और उसके अनुसार व्यय का वर्गीकरण करना चाहिए।
5.		0.95	3201/ 50	विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे यू.पी.यू. बर्न, ए.पी.पी.यू. बैंगकॉक, आदि की वार्षिक सदस्यता शुल्क पर व्यय, 32-अंशदानों के स्थान पर 50-अन्य प्रभारों के अंतर्गत दर्ज किया गया था।		
6.	15- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	0.45	3451/ 24	पे.त.स्ने. पर किया गया व्यय, उचित विषय शीर्ष-13 'कार्यालय व्यय' के स्थान पर विषय शीर्ष - 24 के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	विभाग ने उत्तर दिया कि लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को अगले वित्त वर्ष से अनुपालन करने के लिए दर्ज कर लिया गया है।	
7.	20-रक्षा मंत्रालय	1398.08	4047/ 54 2 मामले	'वायुयान के अधिग्रहण' तथा 'जल पोतों एवं बेड़ों के अधिग्रहण' से संबंधित व्यय '52-मशीनरी एवं उपकरण के स्थान पर 'निवेश' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012 तथा जनवरी 2013) कि वर्ष 2001 में तट रक्षक संगठन के बजट अनुमानों के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से रक्षा मंत्रालय में अंतरण के परिणामस्वरूप, बजटीय आवंटन शीर्ष 54-निवेशों के अंतर्गत प्राप्त किये गये थे।	विषय शीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' के लिए वि.श.प्र.नि. में दिये गये स्पष्ट विवरण की दृष्टि में उत्तर तर्क संगत नहीं है।
8.	31- विदेश मंत्रालय	2429.21	3605/ 32	चूंकि व्यय की प्रकृति विदेशी सरकारों की सामान्य/विशिष्ट प्रयोजनों हेतु अनुदान थी, इसे उचित रूप से विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	उत्तर प्रतीक्षित	



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र. स.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	नामे की गई मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
9.	32-आर्थिक कार्य विभाग	0.09	2057/ 01	राशि सलाहकारों को प्रदान की गयी थी और उचित वि.शी. में 28- पेशेवर सेवाएं होनी थी।	उत्तर प्रतीक्षित	
10.		4.50	3475/ 31	विभिन्न संस्थानों जैसे मद्रास स्कूल ऑफ इकोनामिक्स, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय आदि की असरंचना के विकास एवं अकादमिक संसाधनों के विकास हेतु सहायता प्रदान की गयी थी, जिसे "पूजी सृजन हेतु अनुदान " के अंतर्गत उचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए था।	मंत्रालय ने (फरवरी 2013) उत्तर दिया कि लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को दर्ज कर लिया गया है और -विषय शीर्ष 35 पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को 2013-14 से शुरू कर दिया गया है।	
11.	33- वित्तीय सेवाएं विभाग	178.46	2235/ 45	ऋण देन वाली संस्थाओं को कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना (कृ.ऋ.मा.ऋ.रा.यो.) के अंतर्गत किसानों की ओर से ब्याज का भुगतान को लेखे में 45- ब्याज के बजाय को लेखे में या तो सहायता अनुदान के रूप में अथवा एक अलग विषय शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। एक ऐसी ही अभ्युक्ति भ.नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन संघ सरकार के वर्ष 2010-11 के लिए लेखे में भी सम्मिलित थी।	विभाग ने बताया (जुलाई 2012) कि विषय शीर्ष को इस प्रयोजन हेतु सभी अपेक्षित आवश्यकताओं के साथ शुरू किया गया था और व्यय को इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के बाद से दर्ज किया जाएगा। विभाग ने आगे बताया कि ऋण माफी योजना 2011-12 से दी गयी है और विषय शीर्ष को इस अवसर पर संशोधित करने की आवश्यकता नहीं होगी।	लेखा परीक्षा का मत है कि इस व्यय को ब्याजों के अंतर्गत दर्ज करना वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली की संगति में नहीं है।
12.	41-राजस्व विभाग	0.02	4216/ 54	वि.श.प्र.नि. के अनुसार इन मामलों में उचित वर्गीकरण, इन व्ययों को 54-निवेशों के अंतर्गत दर्ज करने की बजाए "तैयार निर्मित आवास/फ्लैट" मामले में 53-मुख्य निर्माण कार्य तथा "जलपोत एवं बेड़ों/तस्करी रोधी उपकरण " के मामलों में 52-मशीनरी तथा उपकरण होना चाहिए था।	मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2012) कि लेखा परीक्षा द्वारा की गयी अभ्युक्तियाँ दर्ज कर ली गयी हैं और डी.डी.जी.में 2013- 14 के लिए उचित विषय शीर्ष को इंगित किया जाएगा।	
13.	42-प्रत्यक्ष कर	256.53	4059/ 54		उत्तर प्रतीक्षित	
14.		3.18	4216/ 54		उत्तर प्रतीक्षित	
15.	43-अप्रत्यक्ष	46.52	4047/ 54		मंत्रालय ने बताया कि (दिसंबर	

विनियोग लेखे:  
लेखों पर एक टिप्पणी

क्र. स.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	नामे की गई मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
16.	कर	0.81	4047/54			2012) कि उपर्युक्त प्रावधानों के उचित विषय शीर्ष के अंतर्गत चित्रण/वर्गीकरण हेतु निदानात्मक कार्रवाई वित्त वर्ष 2012-13 से प्रावधानों को उचित विषय शीर्षों के अंतर्गत दर्ज करके शुरू कर दी गयी है।
17.	53- मंत्रीमंडल	381.28	2013/12	अ.वि.व्य. यात्रा के लिए उपयोग किये जाने वाले वायुयानों के अनुस्क्षण हेतु भुगतान को विदेश यात्रा व्ययों के अंतर्गत दर्ज किया गया था। सही शीर्ष 50-अन्य प्रभार लगते हैं। (पैरा सं. 1.3.10 के संदर्भ में )	मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वित्त वर्ष 2013-14 के बाद से एक अलग उप शीर्ष की शुरुआत का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।	व्यय का गलत वर्गीकरण कम श्रेष्ठ निर्णयन में परिणत हो सकता है। अतः सम्बन्धित शेष को वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान शुरू कर दिया जाना चाहिए था।
18.	65- सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	17.10	2851/32	यह राशि क्रेडिट गारंटी निधि एवं पोर्टफोलियो जोखिम निधि के सृजन के प्रति खर्च की गयी और इसलिए निवेश की प्रकृति का था।	उत्तर प्रतीक्षित	
19.	69-प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय	10.65	2061/50 3 मामले	भारतीय प्रवासी रोजगार परिषद (भा.प्र.रो.प), भारतीय विकास प्रतिष्ठान (भा.वि.प्र.) तथा प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र (प्र.भा.सु.के.) को जारी की गयी और 31-सहायता अनुदान-सामान्य या 36-सहायता अनुदान वेतन या 35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान, जो लागू हो, के अंतर्गत वर्गीकृत करने की बजाय 50-अन्य प्रभारों के अंतर्गत वर्गीकृत की गयी थी।	मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2012) कि इसके लिए एक प्रस्ताव प्र.मु.नि.ले. को भेज दिया गया था।	
20.	73-पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	65000.00	2802/50	किए गए व्यय में, तेल विपणन कंपनियों को उनके घरेलू एल.पी.जी. तथा मिट्टी के तेल प्रचालनों (स.वि.दु.) की अवसूल लागत हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में किए गए भुगतान शामिल थे। इसको विषय शीर्ष 33-आर्थिक सहायता के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि योजना के प्रारंभ होने के समय से ही व्यय इसी शीर्ष के अंतर्गत किया गया हालांकि अगस्त 2011 में व्यय विभाग द्वारा इस त्रुटि की ओर ध्यान दिलाया गया था और 2012-13 के वित्तीय वर्ष से इसमें सुधार कर लिया गया था।	यद्यपि 2012-13 के वित्तीय वर्ष में आवश्यक संशोधन कर लिया गया था, तथापि यह पाया गया था कि कंपनी वार प्रावधान करने के बजाय सम्पूर्ण प्रावधान एक मुश्त किया गया था।



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र. स.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	नाम की गई मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
21.	93- कपड़ा मंत्रालय	3.99	2851/50	मंत्रालय ने, कपड़ा अनुसंधान संघ/के एस.पी.डी.सी./जिला व्यापार तथा उद्योग केन्द्रों को, उनके द्वारा चलाए गए विद्युत करधा सेवा केन्द्रों पर व्यय करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में ₹ 3.99 करोड़ की राशि जारी की तथा व्यय को '31-सहायता अनुदान-सामान्य' विषय शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय '50-अन्य प्रभार' विषय शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सुसंगत सहायता अनुदान विषय शीर्ष वर्ष 2013-14 से खोले जाएंगे।	
22.	97- चंडीगढ़	1.26	32 <sup>13</sup>	चार सा.क्षे.उ./निगमों में इक्विटी में निवेश हेतु प्रावधान प्राप्त किए गए हैं तथा व्यय को '54-निवेश' सही विषय शीर्ष की बजाय 32-अंशदान विषय शीर्ष के अंतर्गत अंतिम रूप से दर्ज किया गया है।	उत्तर प्रतीक्षित	
23.	101-शहरी विकास विभाग	0.54	2216/52	चूंकि व्यय स्पष्ट रूप से छोटे औजारों की खरी पर किया गया था, इसको '27-लघु निर्माण कार्य', के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए।	शहरी विकास मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि सही वर्गीकरण करने की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है तथा डी.डी.जी. में 2013-14 के लेखे में ले लिया जाएगा।	
	<b>जोड़</b>	<b>69759.64</b>				

टिप्पणी: रेखांकित आकड़े अनुदान के प्रभारित भाग को दर्शाते हैं।

#### 4.20 गृह मंत्रालय में गैर-कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत व्यय का गलत दर्ज करना

वित्त मंत्रालय के वर्तमान निर्देशों के अनुसार, यदि ऐसा करने से विशिष्ट छूट न मिली हुई हो, सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम में परियोजनाओं/योजनाओं हेतु अपने केन्द्रीय योजना आबंटन के 10 प्रतिशत का प्रावधान करना अपेक्षित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास हेतु निधियों का मुख्य शीर्ष '2552-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र',

<sup>13</sup>चण्डीगढ़ अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम (4225.80.190.03.00.32), दिल्ली वित्त निगम की शेयर पूंजी (4885.01.190.05.00.32), अन्य सहकारी के शेयर पूंजी में निवेश (4425.00.108.01.00.32) तथा चण्डीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम (4235.02.190.01.00.32)



**विनियोग लेखे:**  
**लेखों पर एक टिप्पणी**

‘4552-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय’ तथा ‘6552-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों हेतु ऋण’ के अंतर्गत प्रावधान किया जाना चाहिए। तत्पश्चात, इन निधियों का व्यय करने के आशय से लेखों के कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोजन कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, महालेखानियंत्रक द्वारा जनवरी 2011 में जारी निर्देशों के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों हेतु नियत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किसी भी खर्च को सीधे दर्ज नहीं किया जा सकता।

वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान सं. 54-पुलिस की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि गृह मंत्रालय द्वारा मुख्य शीर्ष 4552 के अंतर्गत ₹ 106.73 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

**तालिका 4.14: गैर-कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत व्यय दर्ज करना**

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	प्रावधान	व्यय
4552.00.129.01 आवासीय भवन	95.23	95.23
4552.00.130.01 आवासीय भवन	10.00	5.49
4552.00.131.01 आवासीय भवन	6.09	6.01
<b>जोड़</b>		<b>106.73</b>

गैर क्रियात्मक शीर्ष में व्यय का दर्ज किया जाना उम्र बताए गए प्रावधानों के अनुसार अप्राधिकृत था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि वास्तव में यह महसूस किया गया था कि यह शीर्ष (2552), जिसे वास्तव में गैर क्रियात्मक समझा गया था, सम्पूर्ण 15 अंकीय कोड प्राप्त करने के पश्चात क्रियात्मक हो गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 15 अंकीय कोड का आबंटन तदनुसूची क्रियात्मक शीर्ष में प्रावधान के पुनर्विनियोग को सरल बनाने के लिए था।

#### **4.21 परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा पूर्व प्राधिकार के बिना किया गया व्यय**

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 58 (2) के अनुसार यदि किसी दावे को लेने से वितरण अधिकारी के पास एवं आबंटन या विनियोग से राशि अधिक बढ़ जाना तय हो तो वह भुगतान करने से पहले प्रशासनिक प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। प्रशासनिक प्राधिकारी पुनर्विनियोजन या अनुपूरक अनुदान या आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करके निधियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय में वर्ष 2011-12 के समेकित मासिक लेखे की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जून 2011 से फरवरी 2012 की अवधि

के दौरान 45 मामलों (विस्तृत ब्यौरे अनुबंध 4-घ) में वास्तविक व्यय उपलब्ध प्रावधानों से ₹ 192.76 करोड़ तक बढ़ गया था। इन सभी मामलों में पुनर्विनियोग आदेश केवल 31 मार्च 2012 को जारी किए गए थे।

इस प्रकार, परमाणु ऊर्जा विभाग ने आवश्यक पूर्व प्राधिकार के बिना उपलब्ध प्रावधान से अधिक ₹ 192.76 करोड़ का व्यय किया।

विभाग ने बताया (जनवरी 2013) कि चूंकि भुगतान इकाई, जिसका अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष होता है, के साथ जुड़े हुए भुगतान एवं लेखा अधिकारियों द्वारा किए गए हैं, इसलिए भुगतान एवं लेखा अधिकारी यह टिप्पणी करने कि क्या बजट अनुमान बढ़ने से पूर्व उच्च प्रशासनिक प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था, कि स्थिति में नहीं है। विभाग ने यह और बताया कि सा.वि.नि. के नियम 59 (1) के अनुसार किसी अनुदान या विनियोजन के भीतर, विनियोजन का एक प्राथमिक इकाई से ऐसी ही किसी अन्य इकाई में निधियों के पुनर्विनियोग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संस्वीकृति किया जा सकता है तथा इस प्रकार, अंतिम कार्य दिवस को पुनर्विनियोग आदेश जारी करना सही था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सा.वि.नि. उपबंधों यह लागू है कि निधियों का प्रावधान व्यय करने से पूर्व उपलब्ध होना चाहिए।

#### **4.22 विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा गलत पुनर्विनियोग के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन**

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 59 (1) में निर्धारित है कि अनुदान या विनियोग के भीतर विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी ऐसी इकाई में निधियों का पुनर्विनियोग एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे अनुदान या विनियोग से संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय अनुमोदित किया जा सकता है।

अनुदान सं. 63 विधि और न्याय मंत्रालय के शीर्ष वार-विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विधि और न्याय मंत्रालय ने, जून 2012 में 'न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं' योजना के लिए 'सहायता अनुदान-सामान्य' के रूप में मुख्य शीर्ष 2014 न्याय प्रशासन से मुख्य शीर्ष 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 77.53 करोड़ की निधियों का पुनर्विनियोग किया। विभाग ने वित्त मंत्रालय को ₹ 77.53 करोड़ की निधियों के पुनर्विनियोग हेतु कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करने के लिए कहा (जून 2012) तथा वित्त मंत्रालय ने जून 2012 में निष्पन्न कार्य के रूप में इसका अनुमोदन किया।

**विनियोग लेखे:**  
**लेखों पर एक टिप्पणी**

इस प्रकार, सा.वि.नि. के उपबंध का उल्लंघन करके वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात पुनर्विनियोग आदेश जारी किया गया था।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2012 में भेजा गया, तथापि उत्तर प्रतिक्षित था।

**4.23 उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधानों से प्राप्त दु.सं.वि. में क्रियात्मक शीर्षों के अलावा निधियों का पुनर्विनियोग**

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग (उ.पू.क्षे.वि.वि) के परामर्श से वित्त मंत्रालय ने, उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम में एकमुश्त से क्षेत्र के बाहर अन्य परियोजनाओं/ योजनाओं को निधियों के पुनर्विनियोजन बंद किए जाने के लिए अनुदेश जारी किए। व्यय क्षेत्र में उसकी परियोजनाओं/योजनाओं पर किया जाना चाहिए।

दू.सं.वि. ने, उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए निर्दिष्ट ₹ 51.58 करोड़ का वित्त वर्ष के उपान्तिम दिवस को पेंशन (योजनेत्तर) में पुनर्विनियोग किया। वित्त मंत्रालय ने, अपने स्वयं के अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए ऐसे पुनर्विनियोग का अनुमोदन किया। इस प्रकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम में परियोजनाओं/योजनाओं हेतु केन्द्रीय योजना आबंटन का 10 प्रतिशत का एकमुश्त प्रावधान का अभीष्ट उद्देश्य विफल हो गया था। 2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में निधियों का पुनर्विनियोग निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.15: पुनर्विनियोजन**

(योजनागत) से	(₹ करोड़ में)		
	राशि	(योजनेत्तर) में	राशि
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र 00 208 सचिवालय आर्थिक सेवाएं सामान्य प्रशासन-दूरसंचार विभाग 01-टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र	11.58	2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01- सिविल 101-अधिवार्षिकी तथा सेवानिवृत्ति भत्ता 01- साधारण पेंशन	51.58
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र 00498 यू.एस.ओ. के लिए सेवा संभरकों को अन्य संचार सेवा क्षतिपूर्ति 01- यू.एस.ओ. के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	40.00		
<b>जोड़</b>	<b>51.58</b>		<b>51.58</b>

दू.सं.वि. ने बताया (अगस्त 2012) कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए रखी गई ₹ 51.58 करोड़ के प्रावधान उ.पू. क्षेत्र के लिए गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन संचय मं अंतरित नहीं



किए जा सके क्योंकि आ.भा.म.सं.<sup>14</sup> के द्वारा अनुदमोदन की विलम्बितप्राप्ति “सुरक्षा अनुसंधान तथा अनुश्रवण योजनाओं” के कार्यान्वयन न होने के कारण तथा 2011-12 में कुछ यू.एस.ओ. योजनाओं को कार्यान्वयन नहीं किया गया था। उसने आगे बताया कि उ.पू. क्षेत्रों के लिए उन्नत उल्लिखित योजनाओं हेतु 2012-13 के ब.अ. में ₹ 35 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। दू.सं.वि. ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा आपत्ति के भावी मार्गदर्शन हेतु नोट कर लिया गया है तथा अब से उपलब्ध भाग को गै.व्य.के.सं.स.<sup>15</sup> में अंतरित किया जाएगा।

#### 4.24 रक्षा सेवाएं: बचत/आधिक्य की राशियों का गलत प्रकटीकरण

संघ सरकार के विनियोग लेखे राजस्व के लिए प्रभारित/दत्तमत तथा पूंजीगत के लिए प्रभारित/दत्तमत का पृथक रूप से सकल व्यय के अनुदान-वार ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए अभिप्रेत हैं। विनियोग लेखे में बचत/आधिक्य तथा ऐसी बचतों/आधिक्य के होने का स्पष्टीकरण भी अंतर्विष्ट होता है।

वित्त वर्ष 2011-12 में सिविल, रक्षा तथा डाक के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों से संबंधित संघ सरकार के 106 अनुदानों में से सौ में, मूल तथा अनुपूरक प्रावधानों के संदर्भ में विनियोग लेखे में बचतों/आधिक्यों का स्पष्टीकरण दिया गया है।

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के मामले में ऐसी बचत/आधिक्य की राशि को अंतिम अनुदान अर्थात् मूल+अनुपूरक+/-पुनर्विनियोग के आधार पर निकाला गया है। चूंकि विनियोग लेखे के माध्यम से संसद को उसके द्वारा प्राधिकृत प्रावधान की तुलना में एक वर्ष में व्यय की गई राशियों के बारे में सूचित किया जाता है, इसलिए बचत/आधिक्य को केवल मूल तथा अनुपूरक प्रावधानों के संदर्भ में ही निकाला जाना चाहिए।

यह इंगति किए जाने पर, रक्षा मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि लघु शीर्ष में बचत/आधिक्यों हेतु स्पष्टीकरण अंतिम अनुदान (मूल+अनुपूरक+/-पुनर्विनियोग) के आधार पर दर्ज किये जाते हैं तथा यह प्रथा बहुत समय से अपनायी जा रही है। स्थापित प्रक्रिया के किसी अन्तरण से सशस्त्र बलों की तैयारी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित इष्टतम उपयोग हेतु उपलब्ध अनुदानों के भीतर निधियों के पुनर्विनियोग हेतु उपलब्ध सेवाओं का लचीलपन समाप्त हो जाएगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि विनियोग लेखे, संसद द्वारा पारित किए गए विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित

<sup>14</sup> आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति

<sup>15</sup> गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन संचय

विनियोग की राशियों की तुला में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे है तथा किसी बचत/आधिक्यो को केवल संसद द्वारा प्राधिकृत प्रावधानों के संदर्भ में ही निकाला जाना चाहिए। आधिक्य एवं बचतों का प्रकटीकरण एवं इनका स्पष्टीकरण का मंत्रालय के पास उपलब्ध पुनर्विनियोग की शक्ति पर कोई असर नहीं है।

#### 4.25 अंतरिक्ष विभाग में त्रुटिपूर्ण संस्वीकृति आदेश जारी करना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 48 के साथ पठित परिशिष्ट 3 तथा 4 में एक संगठन द्वारा विषय शीर्ष स्तर तक पूर्ण लेखा वर्गीकरण सहित व्यय के अनुमान तैयार करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। आगे सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 25(1) में आदेश है कि व्यय की सभी संस्वीकृतियों में, संबंधित अनुदान या विनियोजन जहां से इस प्रकार का व्यय किया जाना है, में प्रावधानों के विवरण दर्शाए जाएंगे।

अनुदान सं. 90-अंतरिक्ष विभाग के विनियोग लेखे की जांच से प्रकट हुआ कि जैसे कि संघ सरकार के अन्य मंत्रालय/विभागों में प्रचलित पद्धति है, अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में व्यय के अनुमान, योजनागत और गैर योजनागत व्यय के लिए राजस्व तथा पूंजीगत लेखे पर पृथक रूप से विषय शीर्ष स्तर तक पूर्ण लेखा वर्गीकरण सहित तैयार किए गए। तथापि, व्यय करने का प्राधिकार देने वाले अंतरिक्ष विभाग द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश, राजस्व तथा पूंजीगत लेखे के अंतर्गत योजना तथा गैर योजना तथा राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में डेबिट की जाने वाली व्यय की राशि को अलग-अलग निर्दिष्ट नहीं करते हैं। संस्वीकृति आदेश वर्गीकरण के छठे स्तर तक पूर्ण निर्देश देने की बजाय केवल उपशीर्ष स्तर अर्थात् वर्गीकरण के चौथे स्तर तक वर्गीकरण किए जाने वाले व्यय की राशि को निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार, अंतरिक्ष विभाग में प्राधिकारियों द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने व्यय की उचित बुकिंग तथा वर्गीकरण के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं किए।

संस्वीकृति आदेशों में वर्गीकरण के ब्यौरों के अभाव में यह स्पष्ट नहीं था कि राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में छठे स्तर तक वर्गीकरण दर्शाते हुए लेखे किस प्रकार तैयार करके संकलित किए गए हैं। इस प्रकार की दो संस्वीकृति की स्कैन प्रतियां अनुबंध-4-ड में प्रस्तुत है। जारी किए गए वित्तीय संस्वीकृति आदेशों के निदर्शी मामलों के नीचे विस्तृत ब्यौरे दिए गए हैं:-



तालिका 4.16: अंतरिक्ष विभाग द्वारा जारी किए वित्तीय संस्वीकृति आदेशों के निदर्शी मामले

(₹ करोड़ में)

संस्वीकृति सं. एवं तिथि	परियोजना का नाम (लेखा शीर्ष)	संस्वीकृतिकर्ता	राशि
सी.12031/1/07-III दि.19.07.2011	भारतीय मानवयुक्त मिशन हेतु परियोजना पूर्व गतिविधियां (3402/5402: 00.101.43/35)	अंतरिक्ष आयोग	50.00
सी.12031/1/11-III दि. 27.01.2012	जी सेट-14 संचार सेटलाइट परियोजना (3252/5252: 00.053.06/03)	अंतरिक्ष आयोग	45.00
		कुल	95.00

इस मामले पर वर्ष 2010-11 के लेखाओं पर भी वर्ष 2011-12 के लिए नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा सं. 4.5.3 के रूप में टीका-टिप्पणी की गई थी लेकिन विभाग द्वारा कोई दृष्टिगोचर कार्रवाई नहीं की गई है।

तथापि, मार्च 2012 तथा अगस्त 2012 में विभाग ने उत्तर दिया कि चूंकि समस्त परियोजना व्यय को लम्बी अवधि के लिए एक सम्पूर्ण योजना के रूप में समझा गया, परियोजना संस्वीकृति आदेश चौथे स्तर तक जारी किए गए हैं तथा प्रारम्भिक स्तर पर विषय शीर्षों के प्रति आबंटन का पता नहीं लगाया जा सकता तथा इस प्रकार संस्वीकृति आदेशों को उपशीर्ष स्तर तक जारी किया गया था। विभाग ने जनवरी 2013 में यह और बताया कि वह 01 फरवरी 2013 से केवल प्रमुख निर्माण कार्यों के संस्वीकृति आदेश में योजना तथा गैर योजना व्यय हेतु राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में विषय शीर्ष स्तर तक पूर्ण लेखा वर्गीकरण निर्दिष्ट करेगा।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 में अंतर्विष्ट प्रावधान पर विचार करते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है। चूंकि संसद अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में वर्गीकरण के विषय शीर्ष स्तर तक व्यय के अनुमानों का अनुमोदन करती है, अतः व्यय करने के लिए जारी संस्वीकृति आदेशों में संबंधित अनुदान या विनियोग, जहां से पुनर्विनियोग के अंतिम शीर्ष/इकाई के प्रति ऐसा व्यय किया जाना होता है, के संबंध में वर्गीकरण के ब्यौरे दर्शाए जाएंगे।

#### 4.26 एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने से अप्राधिकृत आवर्धन

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 48 के नीचे परिशिष्ट-3 का पैरा 4 (बजट तैयारी हेतु अंतर्विष्ट अनुदेश) में यह व्यवस्था है कि बजट में, आपात स्थितियों से निपटने के लिए तत्काल उपाय किए जाने अथवा उन परियोजना/योजना, जिसे वित्तीय वर्ष में आरंभ करने के लिए सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है, पर प्रारंभिक खर्चा करने के अतिरिक्त, कोई एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त,



**विनियोग लेखे:**  
**लेखों पर एक टिप्पणी**

वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2006 में जारी अनुदेशों का अनुसरण करते हुए समस्त मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी निकाय या प्राधिकरण को विषय शीर्ष "सहायता अनुदान" में प्रावधान का आवर्धन संसद के पूर्वानुमोदन से ही किया जा सकेगा।

वर्ष 2011-12 के लिए तीन अनुदानों के विनियोग लेखे की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि यद्यपि संबंधित मदों, जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं, के लिए स्पष्ट बजट दिशानिर्देश (सामान्य संघटक, अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेष संघटक) योजना उप योजना संघटक थे, फिर भी प्रत्येक संघटक के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट राशि का ब्यौरा दिए बिना एकमुश्त अनुपूरक/सांकेतिक अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए थे।

**तालिका 4.17: एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान**

				(₹ करोड़ में)
अनुदान सं.	योजना	प्रावधान*	व्यय	आधिक्य
2- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	फसल विज्ञान 2415.01.796.01.00.35	शून्य	0.27	0.27
	अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान अनुसंधान 2415.02.796.01.00.35	शून्य	0.09	0.09
	पशुविज्ञान संस्थान 2415.03.796.01.00.35	शून्य	2.80	2.80
	राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन परियोजनाओं/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं 2415.01.796.02.00.31	15.00	29.70	14.70
59-उच्चतर शिक्षा विभाग	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान 2202.03.789.03.02.35	222.50	278.50	56.00
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान 2202.03.796.03.02.35	111.25	152.25	41.00
	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2202.05.789.05.00.35	0.64	1.24	0.60
	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2202.05.796.05.00.35	0.32	0.62	0.30
	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान 2203.00.789.04.00.31	3.90	8.40	4.50
	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान 2203.00.796.04.00.31	1.95	4.20	2.25
61- श्रम और रोजगार मंत्रालय	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2230.01.789.06.01.31	42.31	189.75	147.44
	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2230.01.796.06.01.31	26.38	64.43	38.05
	<b>कुल</b>			<b>308.00</b>

\* प्रावधान में मूल प्रावधान, एन.ई.आर. से संबंधित गैर क्रियात्मक शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान तथा अनुपूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किए गए प्रावधान शामिल हैं।

इस प्रकार अनुदानों हेतु विस्तृत मांग में सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करके एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए तथा अतिरिक्त प्रावधानों को, पृथक बजट निर्देश रखने वाली योजनाओं के बीच बांट दिया गया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि सहायता अनुदान जनरल तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान विषय शीर्षों में आवर्धन (₹ 308 करोड़) किए गए थे, वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार इनके लिए संसद का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ने बताया (फरवरी 2013) कि अनुदानों हेतु अनुपूरक मांग में उपयोजना जनजातीय क्षेत्र के लिए कोई पृथक आबंटन नहीं था तथा बजट अनुमान विवरण (व.अ.वि. ) के अनुसार इसको योजना, जिससे वह संबंधित है, के आबंटन में दर्शाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस मंत्रालय के अन्य अनुदान (अर्थात् कृषि सहकारिता विभाग) में सामान्य संघटक, अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक योजना तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना संघटक के अंतर्गत प्रत्येक में ऐसी ही योजनाओं के लिए निर्दिष्ट राशि के पृथक अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए थे।

#### 4.27 एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान का प्राप्त करना

वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान सं. 54- पुलिस की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि मशीनरी तथा उपकरण (सामान्य) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय हेतु ₹ 240 करोड़ (पहला अनुपूरक) तथा प्रत्येक पुलिस बल के लिए निर्दिष्ट राशि का ब्यौरा दिए बिना वेतन पर अतिरिक्त व्यय हेतु ₹ 1500 करोड़ (दूसरा अनुपूरक) के एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए थे। चूंकि प्रत्येक पुलिस बल के लिए डी.डी.जी. में मशीनरी तथा उपकरण/वेतन हेतु पृथक संबंधित मदें उपलब्ध थी, प्रत्येक संबंधित मद के लिए अनुपूरक निर्दिष्ट राशि प्राप्त की जानी चाहिए।

#### 4.28 विषय शीर्षों के अंतर्गत एकमुश्त प्रावधान प्राप्त करना

वित्तीय शक्ति नियमावली प्रत्यायोजन के नियम 8 में निर्धारित है कि एकमुश्त प्रावधान (विषय शीर्ष 42) में उन योजना/उप योजना/संगठन, जहां प्रावधान ₹10 लाख से अधिक नहीं होते हैं, के संबंध में व्यय शामिल होगा। अन्य सभी मामलों में व्यय का ब्यौरा अवश्य दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2011-12 के विनियोग लेखाओं की जांच परीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि निम्नलिखित मामलों में, संसदीय अनुमोदन जैसाकि वर्तमान नियमावली के अंतर्गत आवश्यक था, की योजनावार मद-वार राशियां प्राप्त करने की बजाय एकमुश्त प्रावधान प्राप्त किया गया था।



**विनियोग लेखे:**  
**लेखों पर एक टिप्पणी**

**तालिका 4.18: एकमुश्त प्रावधान**

क्र.सं.	अनुदान सं.	लेखाशीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	33-वित्तीय सेवा विभाग	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवा - 00-105 संयुक्त स्टॉफ कंपनियों का नियमन	0.50	सहायक न्यायलय परिसमापक कार्यालय के वेतन के नियमित भुगतान चिकित्सा खर्च, यात्रा भत्ता तथा अन्य खर्चों को अनुदान के राजस्व भाग में विषय शीर्ष 24-एकमुश्त प्रावधान के रूप में दर्ज किया गया था।
2.	88- पोत परिवहन मंत्रालय	3056 अंतर्देशीय जल परिवहन -00-003-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	1.00	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय) को तकनीकी अध्ययन करने हेतु जारी की राशियों को नियमावली के अनुसार 31 सहायता अनुदान (जनरल) की बजाय विषय शीर्ष 42 एकमुश्त प्रावधान के सामने दर्ज किया गया था। प्रधान मुख्य नियंत्रक लेखा, मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली के प्रचालन तथा अनुरक्षण से संबंधित अध्ययनों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या या इस उद्देश्य हेतु निश्चित आबंटन पर पहुंचने के लिए अग्रिम रूप से निधियों की आवश्यकता का परिमाण बताना संभव नहीं था।

**4.29 अंतरिक्ष विभाग में निधियों के पर्याप्त प्रावधानों के बिना व्यय**

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 58(2) के अनुसार संवितरण अधिकारी द्वारा यदि किसी दावे को स्वीकार करने से आबंटन या विनियोग से राशि अधिक बढ़ जाती है तो वह दावे का भुगतान करने से पहले प्रशासनिक प्राधिकारी से आदेश लेगा। प्रशासनिक अधिकारी या तो पुनर्विनियोग या अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके या भारत के आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर निधियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

अंतरिक्ष विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय में वर्ष 2011-12 के समेकित मासिक लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 14 उदाहरणों में वास्तविक व्यय पुनर्विनियोग आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध प्रावधान से बढ़ गया, जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

**तालिका 4.19: वे मामले जिनमें पुनर्विनियोग आदेश जारी करने से पूर्व किया गया व्यय प्रावधान से बढ़ गया**

(₹ लाख में)

उपशीर्ष	विषय शीर्ष	योजना/ गैर योजना	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	माह जिसमें व्यय प्रावधान से बढ़ गया	पुनर्विनियोग के पूर्व प्रावधान से अतिरिक्त व्यय	31 मार्च 2012 के पुनर्विनियोग आदेश के माध्यम से प्रदत्त निधि
3402.00.101.10 आई.एस.ए.सी.	01-वेतन	योजना	6129.00	6582.48	फरवरी 2012	453.48	453.70
3402.00.101.10 आई.एस.ए.सी.	12- विदेशी यात्रा खर्च	योजना	35.00	55.79	अक्तूबर 2011	20.79	21.00



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

उपशीर्ष	विषय शीर्ष	योजना/ गैर योजना	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	माह जिसमें व्यय प्रावधान से बढ़ गया	पुनर्विनियोग के पूर्व प्रावधान से अतिरिक्त व्यय	31 मार्च 2012 के पुनर्विनियोग आदेश के माध्यम से प्रदत्त निधि
3402.00.101.10 आई.एस.ए.सी.	21-आपूर्तियां तथा सामग्रियां	योजना	282.00	2049.75	मई 2011	1767.75	1767.80
3402.00.101.10 आई.एस.ए.सी.	27- लघु निर्माणकार्य	योजना	50.00	166.91	नवम्बर 2011	116.91	117.00
3402.00.101.10 आई.एस.ए.सी.	50-अन्य प्रभार	योजना	37.00	186.42	अप्रैल 2011	149.42	149.50
3402.00.101.10 आई.एस.ए.सी.	52 भ.व.उ.	योजना	82.00	220.97	जुलाई 2011	138.97	139.00
3402.00.101.35 आर.आई.एस.ए.टी. -1	21 आपूर्तियां एवं सामग्रियां	योजना	1.00	23.24	जुलाई 2011	22.24	21.50
5402.00.101.18 आर.आई.एस.ए.टी	53 प्रमुख निर्माण कार्य	योजना	44.00	189.93	जून 2011	145.93	146.00
5402.00.101.20 पी.एस.एल.वी.सी.	52 भ.व.उ.	योजना	300.00	891.57	जून 2011	591.57	592.00
5402.00.101.40 एस.ए.आर.ए.एल.	52 भ.व.उ.	योजना	386.00	434.63	दिसम्बर 2011	48.63	49.00
5402.00.103.02 एस्ट्रोसेट 1&2	52 भ.व.उ.	योजना	5.00	49.67	जून 2011	44.67	45.00
5402.00.103.04 मेघाट्रोपिक्स	52 भ.व.उ.	योजना	4.00	42.46	अगस्त 2011	38.46	39.00
5402.00.103.04 मेघाट्रोपिक्स	60 अन्य पूंजीगत खर्च	योजना	83.00	406.20	जून 2011	323.20	324.00
5402.00.283.01 वी.एस.एस.सी.	53 प्रमुख निर्माण कार्य योजना	योजना	325.00	517.99	दिसम्बर 2011	192.99	193.00
<b>जोड़</b>						<b>4055.01</b>	

अतः अंतरिक्ष विभाग ने वर्तमान नियमों का उल्लंघन करके उपलब्ध प्रावधान से अधिक ₹ 40.55 करोड़ का व्यय किया। अंतरिक्ष विभाग ने बताया (अगस्त 2012) कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा विकासात्मक अनिश्चितताओं की जटिल प्रकृति के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान नकद प्रवाह की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में एक संपूर्ण पुनरीक्षण किया गया है। अ.वि. ने आगे बताया कि निधियों को खर्च करने की क्षमता का अंतिम निर्धारण करने के पश्चात वित्त सदस्य के अनुमोदन से मार्च में पुनर्विनियोग आदेश जारी किए गए हैं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह वर्तमान नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध है।

विभाग ने आगे बताया (फरवरी 2013) कि यह एक अंकीय कार्य प्रवाह प्रणाली को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है तथा उसके परियोजना निदेशक को सॉफ्टवेयर में

विनियोग लेखे:  
लेखों पर एक टिप्पणी

पर्याप्त जांच शामिल करने का अनुरोध किया गया था ताकि बजट प्रावधान की सीमा तक व्यय दर्ज करने को प्रतिबंधित किया जा सके।

#### 4.30 दूरसंचार विभाग में निधियों का पर्याप्त प्रावधान किए बिना व्यय

शीर्षवार विनियोग लेखे तथा संबंधित पुनर्विनियोग आदेशों के पुनरीक्षण से प्रकट हुआ कि दू.स.वि. ने वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस (30 मार्च 2012) को पुनर्विनियोग आदेश जारी किए। यह पाया गया था कि इससे पूर्व वर्ष के दौरान कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए गए थे। दू.स.वि. के 'ई-लेखा' डेटाबेस से यह पाया गया था कि निम्नलिखित दो उदाहरणों (तालिका 4.20) में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त व्यय किया गया था तथा उसके पुनर्विनियोग आदेश 30 मार्च 2012 को जारी किए गए थे। इस प्रकार निधियों का पर्याप्त प्रावधान किए बिना व्यय किया गया था।

तालिका 4.20: निधियों का प्रावधान किए बिना व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	मूल एवं अनुपूरक प्रावधान	जनवरी 2012 तक व्यय	संस्वीकृत प्रावधान की प्रतिशतता के रूप में व्यय
2071.01.101.01 साधारण पेंशन	1799.02	2054.34	114
2071.01.105.02 परिवार पेंशन	306.98	327.49	107

अतः निधि के पर्याप्त प्रावधान के बिना व्यय किया गया था।

द.स.वि. ने उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि क्योंकि दू.स.वि. की व्यय संकलित करने वाली कई इकाईयां थीं जनवरी 2012 के व्यय का फरवरी 2012 के मध्य में ही पता लगया जा सका तथा यह व्यय संशोधित अनुमान-बजट अनुमानों के प्रक्षेपणों पर आधारित था, योजनागत से गैर योजनागत शीर्षों में पुनर्विनियोग पर कार्यवाई की गई थी तथा 3 फरवरी 2012 को वित्त मंत्रालय को भेजा गया और 22 फरवरी 2012 को अनुमोदन प्राप्त किया गया। उन्होंने आगे बताया कि लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों का 2012-13 के बाद के संशोधित अनुमानों के लिए पालन किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित शीर्षों /योजनाओं में प्रावधान का आवर्धन दू.स.वि. द्वारा व्यय करने से बहुत पहले प्राप्त करना चाहिए।

#### 4.31 डाक विभाग

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान सं. 13-डाक विभाग की लेखापरीक्षा जांच से कई वित्तीय कमियों जिनकी आगामी पैराग्राफों में सारांश दिया गया है, का पता लगा।



#### 4.31.1 बजट लाइन के बिना किया गया व्यय

भारत के संविधान अनुच्छेद 114(3) में यह व्यवस्था है कि विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। शीर्ष वार विनियोग लेखाओं की जांच से पता चला कि पांच मामलों में कोई बजट प्रावधान उपलब्ध किए बिना कोई संसदीय प्राधिकार दिए बिना ₹ 7.75 करोड़ की राशि का व्यय किया जिसके विस्तृत ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 4.21: बजट लाइन के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	लेखाशीर्ष	राशि	विभाग का उत्तर	अभ्युक्तियाँ
1.	3201-08-101-01- रिजर्व स्टेम्पस कार्यालय, कोलकाता को शुल्क का भुगतान  (₹0.02 लाख के मूल प्रावधान कुछ अन्य शीर्ष को पुनर्विनियोजित किए गए थे। तथापि ₹6.61 करोड़ व्यय किया गया था।)	6.61	डा.वि.ने. बताया कि राशि को गलती से दर्ज कर दिया था तथा गलत दर्ज की गई राशि को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।	उत्तर गलत है क्योंकि स्पष्टीकरण नोट में आधिक्य हेतु कारण को अप्रत्याशित बिलों का भुगतान होना बताया गया है।
2.	5201.00.104.31 - टिकट संग्रहण का कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण	0.05	उत्तर नहीं भेजा गया	
3.	5201.00.104.37 -प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	0.57		
4.	5201.00.104.53 - बीमा संचालन	0.36		
5.	5201.00.104.15-प्रमुख शहरों में प्रिन्ट मेल प्रणाली की स्थापना  (₹1.40 करोड़ के मूल प्रावधान को कुछ अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप इस शीर्ष के अंतर्गत शून्य प्रावधान था।)	0.16		
<b>योग</b>		<b>7.75</b>		



#### 4.31.2 डाक विभाग द्वारा वित्तीय अनुशासनहीनता

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम, 1978 के नियम 10 के अनुसार, इस तथ्य के बावजूद कि ये वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुमानों के आधार पर किए गए थे, एक उपशीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधान को ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक तक वृद्धि का प्रभाव रखने वाले सभी पुनर्विनियोग, सचिव (व्यय) की पूर्व अनुमति से ही किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान डाक विभाग ने 'सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रमों-डाक सेवकों के लिए सेवा निष्पादन लाभ योजना' योजना को 'डाक नेटवर्क-ग्रामीण डाक सेवक-वेतन' से ₹ 31.68 करोड़ का पुनर्विनियोजन वित्त मंत्रालय द्वारा विभाग के पुनर्विनियोग प्रस्ताव को नामंजूर करने के बावजूद किया। डाक सेवकों के लिए सेवा निष्पादन लाभ योजना के अंतर्गत कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं थे।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि उप-शीर्ष अभी नया-नया शुरू किया गया था, जिसे मंत्रिमंडल द्वारा 2011-12 के दौरान अनुमोदित किया गया था तथा इस प्रकार वेतन तथा पेंशन जैसी निधि के आवंटन की आवश्यकता अनिवार्य थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। विभाग को इस व्यय के लिए एक अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव की नामंजूरी के बाद भी विभाग द्वारा पुनर्विनियोग आदेश जारी करना वित्तीय अनुशासनहीनताके समान है तथा यह सरकार में वित्तीय शक्तियों के प्रयोग के तरीके को गंभीर रूप भंग करती हैं।

#### 4.31.3 पुनर्विनियोग आदेशों का जारी न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 59 में यह व्यवस्था है कि वित्तीय शक्ति नियमावली के प्रत्यायोजन 1978 के नियम 10 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा ऐसे अन्य सामान्य अथवा विशिष्ट प्रतिबंधों जैसाकि इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए जाएं, के अधीन भी एक अनुदान या विनियोग के भीतर विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी ऐसी इकाई में निधियों के पुनर्विनियोग को वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसा अनुदान या विनियोग संबंधित है, की समाप्ति से पूर्व किसी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत किया जा सकता है तथा पुनर्विनियोग की आदेश की प्रति लेखा अधिकारी पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

डाक विभाग में केवल पुनर्विनियोग के उन मामलों में जहाँ वित्त मंत्रालय का पूर्वानुमोदन आवश्यक है, संस्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं। गैर क्रियात्मक शीर्ष से क्रियात्मक

शीर्ष में निधियों के पुनर्विनियोग सहित अन्य सभी मामलों में विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी अन्य इकाई में निधियों के पुनर्विनियोग हेतु सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति केवल फाइल में ली गई है तथा कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, पुनर्विनियोग आदेश जारी न करने से सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 59 के उपबंधों का उल्लंघन हुआ।

## अध्याय 5

### चयनित अनुदानों की समीक्षा

इस अध्याय में 2009-10 से 2011-12 तक तीन वर्षों की अवधि को शामिल करके चयनित अनुदानों के विनियोग लेखों के विस्तृत विश्लेषण को शामिल किया गया है। विश्लेषण में अव्ययित प्रावधानों, अनियंत्रित एवं अतार्किक पुनर्विनियोग, बिना आवश्यकता के पूरक प्रावधानों पर टिप्पणियों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन न होने के कारण निरन्तर बचतों के गहन अध्ययन आदि को शामिल किया गया है। रक्षा सेवाओं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुदानों पर पूंजीगत परिव्यय को लेखापरीक्षा में विस्तृत जांच के लिए चुना गया है तथा निष्कर्षों को इस अध्याय में शामिल किया गया है।

### अनुदान सं. 27- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

#### 5.1 प्रस्तावना

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय रक्षा बलों के आधुनिकीकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनुदान है। यह अनुदान रक्षा आयुध कारखानों, अनुसंधान तथा विकास, निरीक्षण संगठन तथा प्रौद्योगिकी विकास की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त सभी सेवाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना, वायु सेना के पूंजीगत परिव्यय से संबंधित है। वर्तमान, में इस अनुदान के अंतर्गत आठ उप-शीर्ष है।

इस अनुदान का मुख्य उद्देश्य रक्षा बलों की आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को पूरा करना है। अनुदान, अन्य बातों के साथ-साथ वायुयानों तथा विमान-इंजनों, भारी एवं मध्यम वाहनों, अन्य उपकरणों, निर्माण कार्य, नौसैनिक बेड़ा तथा गोदी, विशेष परियोजनाएं, राष्ट्रीय राइफल, राष्ट्रीय कैंडर कोर, आयुध कारखानों, अनुसंधान तथा विकास संगठन, निरीक्षण संगठन तथा प्रौद्योगिकी विकास पर व्यय हेतु प्रावधानों को शामिल करता है।

#### 5.2 बजट एवं व्यय

पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट प्रावधानों, जो पूर्णतः पूंजीगत प्रकृति के हैं, के वास्तविक संवितरणों तथा बचतों की समग्र स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:



तालिका 5.1: वर्ष-वार बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान				वास्तविक संवितरण		(-)बचते/ (+)आधिक्य	
	वास्तविक		अनुपूरक		दत्तमत्त	प्रभारित	दत्तमत्त	प्रभारित
	दत्तमत्त	प्रभारित	दत्तमत्त	प्रभारित				
2009-10	54779.62	44.38	-	65.77	51019.42	92.95	(-)3760.20	(-)17.20
2010-11	59963.20	36.80	813.01	22.88	62011.53	44.47	(+)1235.32	(-)15.21
2011-12	69148.01	50.80	-	50.71	67843.96	58.42	(-)1304.05	(-)43.09

### 5.3 बजट प्रावधान का विरूपण

संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने संसद द्वारा स्वीकृत वास्तविक प्रावधान में संशोधन करके पुनर्विनियोग की प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करके पर्याप्त रूप से निधियों के पुनर्विनियोजन किए थे जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.2: बजट प्रावधान का विरूपण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	जारी पुनर्विनियोजन आदेशों की संख्या	पुनर्विनियोजन आदेश की राशि जिससे निधियां लघु शीर्ष से अंतरित की गई थी	पुनर्विनियोजन आदेशों की राशि जिससे निधियां लघु शीर्ष को अंतरित की गई थी
2009-10	54889.77	1	4261.07 (लघु शीर्षों की 4 मदे)	4261.07 (लघु शीर्षों की 15 मदे)
2010-11	60835.89	1	6242.83 (लघु शीर्षों की 20 मदे)	6242.83 (लघु शीर्षों की 16 मदे)
2011-12	69249.52	1	5560.11 (लघु शीर्षों की 6 मदे)	5560.11 (लघु शीर्षों की 14 मदे)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान, संसद द्वारा किए गए प्रारम्भिक अनुमोदन में पर्याप्त रूप से संशोधन करके पुनर्विनियोग आदेश जारी किए गए थे जिसमें ₹16,064.01 करोड़ शामिल थे। कुछ लघु शीर्ष जहाँ वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान विरूपण स्पष्ट थे, निम्नानुसार हैं:


- उप-मुख्य शीर्ष 01-थल सेना, 102-भारी एवं मध्यम वाहन, के अंतर्गत ₹ 952.88 करोड़ के वास्तविक प्रावधान के प्रति ₹ 1268.31 करोड़ की अतिरिक्त राशि इस शीर्ष को पुनर्विनियोजित की गई थी। वास्तविक प्रावधान से अतिरिक्तता 133 प्रतिशत थी। तथापि, वास्तविक व्यय ₹ 2273.52 करोड़ था जो उपलब्ध प्रावधान से ₹ 52.33 करोड़ का अधिक व्यय था।
- उप-मुख्य शीर्ष 02-नौ सेना, 101-वायुयान एवं विमान इंजन, के अंतर्गत ₹ 2,974.96 करोड़ के वास्तविक प्रावधान के प्रति ₹ 1,245.06 करोड़ की अतिरिक्त राशि इस शीर्ष को पुनर्विनियोजित की गई थी जिसका परिणाम

- वास्तविक प्रावधान से 42 प्रतिशत की अतिरिक्तता में हुआ। तथापि, वास्तविक व्यय ₹ 4335.85 करोड़ था जो उपलब्ध प्रावधान से ₹ 115.83 करोड़ का अधिक व्यय था।
- iii) उप-मुख्य शीर्ष 02-नौ सेना, 103-अन्य उपकरण, के अंतर्गत, ₹ 2108.69 करोड़ के वास्तविक प्रावधान के प्रति ₹ 343.87 करोड़ की अतिरिक्त राशि इस शीर्ष को पुनर्विनियोजित की गई थी जिसका परिणाम वास्तविक प्रावधान से 16 प्रतिशत के संवर्धन में हुआ। तथापि, वास्तविक व्यय ₹ 2582.81 करोड़ था जो उपलब्ध प्रावधान से ₹ 130.26 करोड़ का अधिक व्यय था।
- iv) उप-मुख्य शीर्ष 02-नौ सेना, 204-नौसैनिक बेड़ा, के अंतर्गत ₹ 7320.02 करोड़ के वास्तविक प्रावधान के प्रति ₹ 2035.35 करोड़ की राशि इस शीर्ष को पुनर्विनियोजित की गई थी जिसका परिणाम वास्तविक प्रावधान से 28 प्रतिशत की अतिरिक्तता में हुआ। तथापि, वास्तविक व्यय ₹ 10320.62 करोड़ था जो उपलब्ध प्रावधान से ₹ 965.25 का अधिक व्यय था।
- v) उप-मुख्य शीर्ष 03 वायु सेना, 103-अन्य उपकरण के अंतर्गत, ₹ 6279.82 करोड़ के वास्तविक प्रावधान के प्रति ₹ 380.38 करोड़ की अतिरिक्त राशि इस शीर्ष को पुनर्विनियोजित की गई थी जिसका परिणाम वास्तविक प्रावधान से 6 प्रतिशत की अतिरिक्तता में हुआ। तथापि, वास्तविक व्यय ₹ 6787.64 करोड़ था जो उपलब्ध प्रावधान से ₹ 127.45 करोड़ का अधिक व्यय था।

#### 5.4 अनुदान से संबंधित व्यय के मुख्य घटक

जैसा कि निम्न चार्ट से देखा जा सकता है कि 2011-12 के दौरान, भूमि, वायुयान एवं विमान इंजन, भारी एवं मध्यम वाहनों, अन्य उपकरणों, निर्माण कार्यों, में समीक्षाधीन अनुदान से संबंधित कुल व्यय का 75 प्रतिशत व्यय किया गया।

तालिका 5.1: पूंजीगत अनुदान व्यय के घटक



### 5.5 बचतों का अभ्यर्पण

शीर्ष-वार विनियोग लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सामान्य वित्तीय नियम 56 (2) के प्रावधान के विपरीत मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2011-12 के अंतिम दिन अपनी बचतों का अभ्यर्पण किया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.3: बचतों का अभ्यर्पण

वर्ष	बचतें (-)		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	दत्तमत्त	प्रभारित	दत्तमत्त	प्रभारित	
	(₹ करोड़ में)				
2009-10	(-)3760.20	(-) 17.20	3851.77	9.48	31-03-10
2010-11	(+)1235.32	(-) 15.21	2.63	-	31-03-11
2011-12	(-)1304.05	(-) 43.09	3105.71	-	30-03-12

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि इस अनुदान के अंतर्गत बजट प्रबंधन विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि तीन वर्षों में दत्तमत्त भाग के अंतर्गत अभ्यर्पित राशि अनुदान में प्रभावित बचतों से अधिक थी। वर्ष 2010-11 में, यद्यपि दत्तमत्त भाग के अंतर्गत ₹ 1235.32 करोड़ का आधिक्य था फिर भी ₹ 2.63 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई थी।



समीक्षा के अधीन वर्षों के दौरान अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन/अंत में किए गए थे जो फिर भी गलत थे क्योंकि अभ्यर्पित राशियाँ बचतों से अधिक थीं।

### 5.6 निरंतर बचतें

विनियोग लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान, बड़े प्रावधान अप्रयुक्त रहे तथा वे अन्य-शीर्षों को पुनर्विनियोजित किए गए थे जिसने उस उद्देश्य जिसके लिए बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किए गए थे, को विफल किया। अनुदान के अंतर्गत बड़े अव्ययित प्रावधानों ने मंत्रालय द्वारा त्रुटिपूर्ण बजटीकरण को दर्शाया। बड़ी निरंतर बचतों द्वारा प्रभावित लघु शीर्षों का विवरण **अनुबंध V-क** में दिया गया है।

### 5.7 ₹ 100 करोड़ तथा अधिक की बचतें

संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रावधान किए थे जिसका परिणाम बड़े प्रावधानों के अप्रयुक्त पड़े रहने में हुआ जिनको या तो अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था या फिर उनका अभ्यर्पण किया गया था जिसने उस उद्देश्य जिसके लिए संसद द्वारा प्रारम्भिक रूप से बजट प्रावधान प्रदान किए गए थे, को विफल किया।

लघु शीर्षों के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें, जैसा कि **अनुबंध V-ख** में दर्शाया गया है, खराब बजटीकरण अथवा निष्पादन में कमी अथवा दोनों की द्योतक थीं। मंत्रालय बजटीय अनुमानों की अपनी प्रणाली अथवा/तथा अपने कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा करें।

### 5.8 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने अधिक संवितरणों के पुर्वानुमान में दो लघु शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में ₹ 563 करोड़ की अनुपूरक अनुदाने प्राप्त की थी परंतु वर्ष के अंत तक पूर्ण अनुपूरक अनुदान अप्रयुक्त रहा। प्राप्त अनुपूरक अनुदाने जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, अनावश्यक साबित हुई जिसने दर्शाया कि वित्त मंत्रालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

तालिका 5.4: अनावश्यक अनुपूरक अनुदाने

(₹ करोड में)


वर्ष	लघु शीर्ष	वास्तविक प्रावधान	प्राप्त अनुपूरक अनुदान	वास्तविक संवितरण	बचते
2010-11	उप मुख्य शीर्ष 01-थल सेना 050-भूमि (दतमत्त)	52.54	300.00	44.72	307.82
-वही -	202-निर्माण कार्य	4718.20	263.00	4074.65	906.55

यह देखा जा सकता है कि दोनो मामलों में पूर्ण अनुपूरक माँग तथा वास्तविक प्रावधान का कुछ भाग अव्ययित रहा। इसलिए मंत्रालय को मूल बजट की तुलना में अनुपूरक की पर्याप्तता तथा बजटीय अनुमानों की अपनी प्रणाली, की अच्छी तरह समीक्षा करनी चाहिए।

### 5.9 व्यय का समय विश्लेषण

व्यय का एक महत्वपूर्ण पहलू वर्ष के अंत में व्यय के ढेर से बचना है। नीचे चार्ट स्पष्ट करता है कि रक्षा सेवाएं अनुदान पर पूंजीगत परिव्यय के कुल व्यय का वित्तीय वर्ष 2011-12 में कैसे संवितरित किया गया।

चार्ट 5.2: व्यय का माह-वार प्रवाह



टिप्पणी: पूर्णांक के कारण प्रतिशतता को 100 तक नहीं जोड़ा जा सकेगा

### 5.10 वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में अन्धाधुन्ध व्यय

संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के विपरीत, 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान वर्ष की अंतिम तिमाही/माह के दौरान भारी व्यय किया था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.5: अन्धाधुन्ध व्यय

वर्ष	बजट अनुमान	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)	
2009-10	54824.00	17796.46	32	24034.37	44
2010-11	60000.00	19489.41	32	26680.89	44
2011-12	69198.81	11971.04	17	23023.62	33

यद्यपि वर्ष 2011-12 में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की तुलना में व्यय के प्रवाह में सुधार देखा गया फिर यह देखने योग्य था कि वित्तीय वर्ष के पिछले छः महीनों में व्यय 64 प्रतिशत की सीमा तक था जिसने अनुदान के व्यय करने के तरीके में स्पष्ट अन्तर्वर्षीय झुकाव को दर्शाया।

### अनुदान सं. 81-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

#### 5.11 प्रस्तावना

मंत्रालय को अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे. प्रशासनों, संगठनों तथा व्यक्तियों के साथ सलाह से देश में सड़क परिवहन प्रणाली की गतिशीलता तथा दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, तथा परिवहन अनुसंधान हेतु नीतियां तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। मंत्रालय में दो स्कंध: सड़क स्कंध तथा परिवहन स्कंध हैं। सड़क स्कंध देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा अनुपूरक का कार्य करता है। परिवहन स्कंध सड़क परिवहन मोटर वाहनों तथा सड़क परिवहन को नियंत्रित करने वाले विभिन्न अधिनियमों के विधान तथा प्रशासन से संबंधित मामलों को संभालता है।

#### 5.12 बजट एवं व्यय

वर्ष 2009-12 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति का नीचे विवरण दिया गया है:



तालिका 5.6: बजट एवं व्यय


(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		संवितरण		बचतें	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2009-10	16896.57	16162.62	13796.82	14171.85	3099.75	1990.77
2010-11	18474.45	20426.73	17884.65	19473.82	589.80	952.91
2011-12	20026.47	22230.58	19374.64	18940.24	651.83	3290.34

### 5.13 कुल व्यय का विषय शीर्ष-वार विश्लेषण

कुल व्यय का विषय शीर्ष-वार विश्लेषण ई-लेखा डाटाबेस के द्वारा किया गया था पांच सबसे बड़े विषय शीर्षों तथा अवशिष्ट विषय शीर्षों को 'अन्य' के अंतर्गत मिलाया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 5.3: विषय शीर्ष-वार विश्लेषण



टिप्पणी: डाटा स्रोत: ई-लेखा, जिसमें जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है विषय शीर्ष 63-अंतः लेखा अंतरण तथा 70-घटाई गई वसूलियां को छोड़कर

व्यय का एक बड़ा भाग (43 प्रतिशत) मुख्य निर्माण कार्यों मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों, अनुकूल तथा सीमा सड़कों के विकास के प्रति खर्च किया गया है। कुल व्यय का लगभग 38 प्रतिशत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो एक निकाय/प्राधिकरण है, में निवेश (इक्विटी के रूप में) के प्रति व्यय किया गया है। लेखे में दर्ज अधिकांश सहायता अनुदानें राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों तथा सीमा सड़क परिवहन विभाग

को मुख्य रूप से पूंजीगत परिसम्पत्तियों अर्थात् सड़कों के निर्माण, उन्नयन हेतु, के सृजन के लिए दी गई अनुदानों को दर्शाती है।

#### 5.14 31 मार्च को अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

संवीक्षा ने प्रकट किया कि सामान्य वित्तीय नियमावली के विपरीत, मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण किया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

तालिका 5.7: बचतों का अभ्यर्पण

वर्ष	बचतें		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
	(₹ करोड़ में)				
2009-10	3099.75	1990.77	2539.92	1780.54	31.03.10
2010-11	589.80	952.91	127.71	223.43	31.03.11
2011-12	651.83	3290.34	40.74	2512.27	31.03.12

#### 5.15 बचतें जो अभ्यर्पित नहीं की गईं तथा व्यपगमन को अनुमत हुईं

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2009-12 के दौरान, ₹ 3,350.79 करोड़ की बचतों की भारी राशि को अभ्यर्पित नहीं किया था तथा व्यपगमन को अनुमत किया गया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.8: अभ्यर्पित न की गईं बचतें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचतें जिनको राजस्व वर्ग के अंतर्गत अभ्यर्पित नहीं किया गया	बचतें जिनको पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत अभ्यर्पित नहीं किया गया	कुल बचतें जिनका अभ्यर्पण नहीं किया गया
2009-10	559.83	210.23	770.06
2010-11	462.09	729.48	1191.57
2011-12	611.09	778.07	1389.16
	योग		3350.79

अगर बचतों को उनका पूर्वानुमान होते ही अभ्यर्पित कर दिया गया होता तो बचतों को अनुदान की अन्य योजनाओं/परियोजनाओं में लाभदायक रूप से उपयोग किया जा सकता था।

### 5.16 निरंतर बचतें

वर्ष 2009-12 विनियोग लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उप-शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतें थीं, जैसा कि अनुबंध V-ग में विवरण दिया गया है, जिसने त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को दर्शाया।

### 5.17 पूर्ण प्रावधान का गैर उपयोग

नमूना जाँच ने प्रकट किया कि कुछ उप-शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत, जैसा कि अनुबंध V-घ में विवरण दिया गया है, 2009-12 की अवधि के दौरान प्रावधान अप्रयुक्त रहे तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किए गए थे जिसने उस उद्देश्य जिसके लिए संसद द्वारा वास्तविक बजट प्रावधानों को पारित किया गया था, को विफल किया।

प्रावधानों के गैर-उपयोग के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित योजनाएँ 'पांडिचेरी में सड़के' तथा 'अंतर-राज्य अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें' थी।

### 5.18 ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें

लोक लेखा समिति ने अपनी 60वें प्रतिवेदन (10वीं लोकसभा) में पाया था कि अनुदान अथवा विनियोग के किसी वर्ग में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें त्रुटिपूर्ण बजटीकरण के साथ-साथ निष्पादन में कमी के संकेतक हैं। इसलिए समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतों के संबंध में एक विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा इनको प्रस्तुत की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2009-12 के दौरान अनुदान के दोनों राजस्व तथा पूंजीगत वर्ग के दत्तमत्त भाग में, ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.9: ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व वर्ग के अंतर्गत बचते (दत्तमत्त)	पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत बचते (दत्तमत्त)
2009-10	3098.99	1987.90
2010-11	589.81	945.36
2011-12	651.83	3282.64



### 5.19 एक उपशीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचतें

वर्ष 2009-12 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अनुबंध V-ड में दिए गए विवरण के अनुसार उपशीर्षों के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ से अधिक की भारी बचतें हुईं जो खराब बजटीकरण प्रक्रिया की संकेतक थीं।

### 5.20 पूंजीगत (दत्तमत्त) वर्ग में अनावश्यक अनुपूरक अनुदाने

वर्ष 2009-12 के दौरान, जबकि अधिक व्यय के पूर्वानुमान में अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत्त) वर्ग में अनुपूरक अनुदाने प्राप्त की गई थीं परंतु कुल व्यय वास्तविक अनुदानों से भी कम था। यह मॉनीटरिंग तथा व्यय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

तालिका 5.10: पूंजीगत (दत्तमत्त) वर्ग में अनावश्यक अनुपूरक अनुदानें

वर्ष	वास्तविक प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	अनुपूरक प्रावधान के प्रति बचतों की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)					
2009-10	15842.00	311.00	16153.00	14165.10	1987.90	639
2010-11	19826.56	591.97	20418.53	19473.17	945.36	160
2011-12	21490.00	731.38	22221.38	18938.74	3282.64	449

### 5.21 उप-शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक अनुदानें

वर्ष 2009-12 के दौरान, निम्नलिखित मामलों में, जबकि अधिक व्यय के पूर्वानुमान में अनुपूरक अनुदाने प्राप्त की गई थी फिर भी एक उप-शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त पूर्ण अनुपूरक अनुदान अव्ययित रही जो मॉनीटरिंग की कमी को दर्शाती है:

तालिका 5.11: अनावश्यक अनुपूरक अनुदानें

वर्ष	उप-शीर्ष	वास्तविक प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	(₹ करोड़ में)	
				व्यय	बचते
2009-10	5054.02.337.03-बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	1460.00	156.00	1304.26	311.74
2011-12	3054.02.337.05-सीमा सड़क स्कंध द्वारा अनुरक्षण	176.34	3.33	173.74	5.93
	5054.01.190.01-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	10342.89	731.37	8879.89	2194.37

## 5.22 अवास्तविक बजटीकरण के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2009-12 के लिए विनियोग लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि निम्नलिखित उपशीर्षों में भारी अनुपूरक अनुदानें प्राप्त की गई थी जिसने दर्शाया कि मंत्रालय ने अपने व्यय अनुमानों को वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किया था।

तालिका 5.12 बड़ी अनुपूरक अनुदानें

वर्ष	लेखा शीर्ष	वास्तविक प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	वास्तविक प्रावधान के प्रति अनुपूरक अनुदान को प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
2009-10	4552.00.127.01-सड़क स्कंध तथा बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत सड़क विकास कार्य	311.00	52.00	17
	5054.02.337.03-बी.आर.डी के अंतर्गत निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	1460.00	156.00	11
2010-11	3054.01.337.01-सड़क स्कंध द्वारा अनुरक्षण	1032.86	1000.00	97
	3601.02.105.01-राज्य सड़क हेतु अनुदान	1819.17	816.35	45
2011-12	3054.01.337.01- सड़क स्कंध द्वारा अनुरक्षण	983.25	300.00	31
	3054.80.797.01-राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल-शुल्क निधि को अंतरण	2190.50	305.00	14

## 5.23 उप-शीर्षों को निधियों का अतार्किक पुनर्विनियोजन

संवीक्षा ने प्रकट किया कि निम्नलिखित उप-शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोजन अतार्किक था क्योंकि उप-शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। परिणामस्वरूप, उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचतें उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से भी अधिक थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.13: निधियों का अतार्किक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उप-शीर्ष	वास्तविक प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	व्यय	वास्तविक की तुलना में बचते
2009-10	3451.00. 90.11-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	98.21	4.96	87.02	11.19
2010-11	3451.00.090.11- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	331.97	7.51	306.88	25.09
	3054.01.052.01-मशीनरी एवं उपकरणों का अनुरक्षण	0.50	1.30	0.19	0.31
	3054.02.800.01-भूटान प्रतिपूर्ति भत्ता	7.90	0.58	5.67	2.23



वर्ष	उप-शीर्ष	वास्तविक प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	व्यय	वास्तविक की तुलना में बचते
2011-12	3054.02.337.05-सीमा सड़क स्कंध द्वारा अनुरक्षण	176.34	8.64	173.74	2.60
	3054.02.337.06 –राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त सड़क अनुरक्षण	443.32	5.21	380.92	62.40

#### 5.24 राजस्व व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 के अनुसार, विषय शीर्ष 'मशीनरी तथा उपकरण' विषय श्रेणी-6 (पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय) के अंतर्गत आता है। तथापि, यह पाया गया था कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान ₹ 0.56 करोड़ के व्यय को गलती से राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.14: व्यय का गलत वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	वर्ष	बजट का प्रावधान	व्यय
3054- राजमार्ग एवं पुल	52-मशीनरी एवं उपकरण	2009-10	2.00	0.37
		2010-11	0.50	0.19
		2011-12	2.00	शून्य
	योग			<b>0.56</b>

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2012) कि मशीनरी एवं उपकरण के संबंध में मुख्य शीर्ष-3054 के अंतर्गत बजट प्रावधान को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों से संबंधित मशीनरियों एवं उपकरणों के अनुरक्षण के उद्देश्य हेतु रखा गया है। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। विषय शीर्ष 52 मशीनरी एवं उपकरण के बजाए शीर्ष 27-लघु कार्यों (जिसमें कार्यों, मशीनरी एवं उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर व्यय शामिल है) के अंतर्गत प्रावधानों को प्राप्त तथा व्यय को दर्ज किया जा सकता है।

#### 5.25 पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण

सामान्य वित्तीय नियम 79 के अनुसार स्थायी प्रकृति की मूर्त परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने हेतु किए गए पर्याप्त व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अनुरक्षण, मरम्मत, रखरखाव पर अनुवर्ती प्रभारों तथा कार्य व्ययों, जो परिसम्पत्तियों को चालू हालत में रखने हेतु अपेक्षित है तथा स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित संगठन के दिन प्रतिदिन के कार्यों हेतु किए गए अन्य व्ययों को भी राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तथापि, यह पाया गया था कि 2009-10 से 2011-12 के



दौरान ₹ 5.22 करोड़ के व्यय को गलती से राजस्व पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.15: व्यय का गलत वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	क्र.सं.	विषय शीर्ष	वर्ष	व्यय	
5054-सड़क एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	1.	11-घरेलू यात्रा व्यय	2009-10	1.20	
			2010-11	1.34	
			2011-12	1.71	
		योग			4.25
	2.	20 -अन्य प्रशासनिक व्यय	2009-10	0.04	
			2010-11	0.68	
			2011-12	0.25	
			योग		
		कुल योग			5.22

विषय शीर्ष-11 घरेलू यात्रा व्यय के संबंध में मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि मुख्य शीर्ष 5054-राष्ट्रीय राजमार्ग पर्यवेक्षण के अंतर्गत व्यय को सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों (राष्ट्रीय राजमार्ग) द्वारा पूरे भारत में स्थित क्षेत्रीय अधिकारी (सिविल) द्वारा निरीक्षित राष्ट्रीय राजमार्गों के निरीक्षण के निरीक्षण हेतु दर्ज किया गया है।

राजस्व प्रकृति के व्यय हेतु मंत्रालय को राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्राप्त करने चाहिए तथा तदनुसार व्यय को दर्ज करना चाहिए।

#### 5.26 '00-विषय शीर्ष' के साथ व्यय को दर्ज करना

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 का नियम 8, छठी श्रेणी अर्थात् विषय शीर्ष तक व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु वर्णन/परिभाषाओं सहित विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों को निर्धारित करता है तथा सभी आ.सं.अ. को अतिसावधानी से इनका पालन करना अपेक्षित था। म.ले.नि. द्वारा प्रदान ई-लेखा डाटा की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि ₹ 68.78 लाख के व्यय को विषय शीर्ष "00" के प्रति अनुदान के पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत दर्ज किया गया था जो अस्तित्व में ही नहीं था तथा वर्तमान नियमावली में शामिल नहीं है।

#### 5.27 पुनर्विनियोग की तिथि से पूर्व किया गया व्यय

विनियोग लेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया है कि वर्ष 2011-12 के दौरान, शीर्ष 3055.00.004.24.01.35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के अंतर्गत शून्य बजट प्रावधान था। मंत्रालय द्वारा निरीक्षण एवं अनुसंधान केन्द्रों के संस्थापन हेतु अनुपूरक अनुदानों के द्वितीय बैच (नवम्बर 2011) में प्रतीक अनुपूरक (₹ 84 करोड़)

प्राप्त किया था। यह पाया गया कि जबकि 5 मार्च 2012 को ₹ 84 करोड़ की निधियों को उपरोक्त शीर्ष को पुनर्विनियोजित किया गया था फिर भी ₹ 1.50 करोड़ की राशि 22 फरवरी 2012 (जैसा कि ई-लेखा से पाया गया) अर्थात् पुनर्विनियोग की तिथि से पूर्व, पहले ही व्यय की जा चुकी थी।

इसलिए व्यय की तिथि को प्रावधान की उपलब्धता के बिना ₹ 1.50 करोड़ का व्यय, किया गया था।


#### 5.28 निधियों को सरकारी लेखे से बाहर रखा जाना

वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2011 में अनुदेश जारी किए कि मार्च माह के दौरान व्यय की गति बजट अनुमानों के 15 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। अनुदेश यह भी दर्शाते हैं कि अंतिम माह में भुगतान केवल वास्तव में प्रापण किए गए सामान एवं सेवाओं तथा पहले किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु होने चाहिए न कि अग्रिम भुगतानों के लिए, हालांकि कुछ अपवाद अनुमत थे। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास (वार्षिक व्यय), राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय करने तथा कर्जों के पुनर्भुगतान आदि हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) को बजटीय सहायता प्रदान करने के एक भाग के रूप में संडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2011-12 में भा.रा.रा.प्रा. को ₹ 2,692.89 करोड़ की राशि जारी की। ₹ 2,692.89 करोड़ की इस राशि में से मंत्रालय द्वारा भा.रा.रा.प्रा. को, तथ्य के बावजूद कि भा.रा.रा.प्रा. के तुलन पत्र ने दर्शाया था कि इसने निधियों को पहले से ही सावधि जमा में रखा हुआ था, मार्च माह में ₹1,105.78 करोड़ जो कुल राशि का 41.06 प्रतिशत है, (29 मार्च 2012 को ₹ 451.57 करोड़ तथा 27 मार्च 2012 को ₹ 654.21 करोड़) जारी किए गए थे। भा.रा.रा.प्रा. ने मार्च 2012 में जारी कुल ₹ 1,000 करोड़ की इन निधियों को सावधि जमा में रखा। मार्च माह में भा.रा.रा.प्रा. को निधियाँ जारी करना न केवल यह दर्शाता है कि मंत्रालय के मासिक व्यय योजना में कमी है बल्कि इसका परिणाम सरकारी लेखे से बाहर निधियाँ रखने में हुआ।

#### 5.29 व्यय की प्रवृत्ति

नियमावली प्रावधान करती है कि व्यय को पूरे वर्ष में फैलना चाहिए तथा व्यय की प्रगति को मानीटर करने तथा प्रत्येक माह किसी भी बचतों अथवा आधिक्यों की संभावना का निर्धारण करने की नियंत्रण अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। तथापि, चार्ट से देखा जा सकता है कि व्यय का पूरे साल में फैलाव नहीं था।

चार्ट 5.4: वर्ष 2011-12 के दौरान व्यय की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)



स्रोत: ई-लेखा में जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है। विषय शीर्ष 63-अन्तः लेखा अंतरण तथा 70-कटौती वसूलियों को छोड़कर।

चार्ट इस तथ्य को इंगित करता है कि गैर-योजनागत व्यय, जो वर्ष के प्रथम दस महीनों के दौरान एक से पांच प्रतिशत के बीच था, अचानक फरवरी 2012 में 14 प्रतिशत तथा मार्च 2012 में 57 प्रतिशत तक बढ़ा। अंतिम तिमाही में गैर-योजनागत व्यय को कुल गैर-योजनागत व्यय का अधिक से अधिक 74 प्रतिशत के रूप में परिकल्पित किया गया है। मार्च के महीने में तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों हेतु ₹ 1,670 करोड़ का दर्ज करना था। 2011-12 के दौरान योजनागत व्यय ने अंतिम तिमाही में भारी व्यय सूचित नहीं किया। तथापि, जून, सितम्बर, दिसम्बर तथा मार्च के महीने में योजनागत व्यय में तिमाही में तेजी से वृद्धियां पाई गई थीं।

### 5.30 अन्धाधुन्ध व्यय

वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष के मार्च के महीने तथा अंतिम तिमाही के दौरान बजट अनुमानों के क्रमशः 15% तथा 33% तक व्यय को सीमित करने हेतु सितम्बर 2007 में अनुदेश जारी किए हैं। इसके विपरीत, वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के मार्च के महीने तथा अंतिम तिमाही में भारी व्यय किया गया था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:



तालिका 5.16: अन्धाधुन्ध व्यय

वर्ष	बजट अनुमान (सम्पूर्ण अनुदान हेतु वास्तविक आवंटन) (₹ करोड़ में)	मार्च में व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च में व्यय की प्रतिशतता (बजट अनुमानों की तुलना में)	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता (वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अनुमानित बजट की तुलना में)
2010-11	35925.30	8632.85	24	13790.38	38
2011-12	40740.51	8705.75	21	#	#

# व्यय निर्धारित सीमाओं के भीतर था।

### 5.31 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन भारी व्यय

ई-लेखा डाटाबेस के विश्लेषण ने प्रकट किया कि निम्नलिखित विषय शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2012 को भारी व्यय दर्ज किया गया था।

तालिका 5.17: 31 मार्च को भारी व्यय

क्र.सं.	विषय शीर्ष	2011-12 के दौरान व्यय	31 मार्च 2012 को व्यय	कुल व्यय के प्रति 31 मार्च को किए गए व्यय की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
1.	35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदाने	2249.94	697.40	30
2.	63-अन्तर लेखा अंतरण	14874.69	4299.81	29
3.	53-मुख्य निर्माण कार्य	10133.22	2713.12	20
4.	54-निवेश	8879.89	654.21	7

आगे यह भी देखा गया कि 31 मार्च 2012 को ₹ 8,632 करोड़ का व्यय किया गया जो इस अनुदान में 2011-12 के कुल व्यय का 23 प्रतिशत हिस्सा था।

### 5.32 त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। मंत्रालय के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण निम्नानुसार हैं

तालिका 5.18: त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष	लेखापरीक्षा के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत इकाईयों की कुल सं.	लेखापरीक्षा किए जाने हेतु योजित इकाईयों की सं.	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की वास्तविक सं.	कमी की प्रतिशतता
2009-10	339	155	121	22
2010-11	309	148	107	28
2011-12	339	152	99	35

उपरोक्त विवरण दर्शाते हैं कि वर्ष 2009-12 के दौरान लक्षित इकाईयों के प्रति कमी 22 से 35 प्रतिशत के बीच थी।

## अनुदान सं. 105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

### 5.33 प्रस्तावना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला तथा बच्चों की उन्नति हेतु नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय योजनाएं, नीतियाँ तथा कार्यक्रम तैयार करता है, विधान, निर्देशों को लागू/संशोधन करता है तथा महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे दोनों सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों को समन्वित करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय महिला एवं बच्चों के लिए कुछ नवचारी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत कल्याण एवं सहायता सेवाएं, रोजगार एवं आय सृजन हेतु प्रशिक्षण जागरूकता बढ़ाना तथा लिंग-विभेद संचेतना शामिल है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में अन्य साधारण विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु अनुपूरक तथा सम्पूरक भूमिका अदा करते हैं। यह सभी प्रयास यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित है कि महिलाएं आर्थिक तथा सामाजिक दोनों रूप से समर्थ हों तथा इस प्रकार राष्ट्रीय विकास में पुरुषों के साथ सहभागी बनें।

### 5.34 बजट एवं व्यय

2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों की समग्र स्थिति का नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.19: वर्ष -वार बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक संवितरण		बचते	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2009-10	8628.02	शून्य	8558.10	शून्य	69.92	शून्य
2010-11	11070.55	शून्य	10699.99	शून्य	370.56	शून्य
2011-12	16183.04	शून्य	15676.06	शून्य	506.98	शून्य

### 5.35 व्यय का गैर-समाधान

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 52 (5) के अनुसार विभागाध्यक्ष तथा लेखा अधिकारी, विभागाध्यक्ष द्वारा अनुरक्षित लेखों में दिए गए आंकड़ों का लेखा अधिकारी के खातों में दर्शाए जा रहे आंकड़ों के साथ मासिक समाधान हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वास्तविक बचतों के आंकड़ों तथा राजस्व अनुभाग में वित्त मंत्रालय को सूचित आंकड़ों के बीच अंतर था, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, जिसका परिणाम मंत्रालय द्वारा बचतों के कम अभ्यर्पण में हुआ।

तालिका 5.20 व्यय का गैर-समाधान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक बचतें	वि.मं. को सूचित बचतें	अंतर
2009-10	69.92	66.61	3.31
2010-11	370.56	364.63	5.93
2011-12	506.98	499.66	7.32

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, बचतों हेतु दोनों आंकड़े इंगित करते हैं कि विभागाध्यक्ष द्वारा अनुरक्षित लेखों में दिए गए आंकड़ों का वेतन एवं लेखा कार्यालय के खाते में प्रकट हो रहे आंकड़ों के साथ मासिक समाधान की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है।

मंत्रालय ने बताया कि अभ्यर्पण की राशि तथा वास्तविक बचतों में विनियोग लेखों के विभिन्न स्तरों पर व्यय में परिवर्तन के कारण अंतर था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों लेखों में अंतर वे.ले.का. के पास उपलब्ध आंकड़ों के साथ गैर-समाधान के कारण था। अगर बचतों का पूर्वानुमान लगते ही अभ्यर्पण किया गया होता तो राशि को सरकार की अन्य परियोजनाओं में लाभदायक रूप से उपयोग किया जा सकता था।

### 5.36 व्यय के मुख्य घटक

निम्न तालिका सहायता अनुदान (सहायता अनुदान सामान्य, पूंजी सृजन तथा वेतन सहित) पर व्यय को दर्शाती है जो कि 2009-12 की अवधि के दौरान कुल व्यय के अनुपात के रूप में 99 तथा 100 प्रतिशत के बीच था।

तालिका 5.21: व्यय के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय			सहायता अनुदान		
	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल	योजनागत (प्रतिशत)	गैर-योजनागत (प्रतिशत)	कुल (प्रतिशत)
2009-10	8484.43	73.67	8558.10	8448.89 (100)	39.90 (54)	8488.79 (99)
2010-11	10634.70	71.23	10705.93	10572.32 (99)	37.13 (52)	10609.45 (99)
2011-12	15597.15	78.91	15676.06	15565.03 (100)	41.50 (53)	15606.53 (100)

टिप्पणी: 2009-10 तथा 2010-11 वर्षों के आंकड़े क्रमशः आंकड़े डी.डी.जी.-2011-12 तथा 2012-13 से लिए गए हैं।



### 5.37 बचतों का अभ्यर्पण

वर्ष 2009-12 के लिए अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने वर्तमान नियम के उल्लंघन में संवीक्षा के अंतर्गत सभी तीनों वर्षों के अंतिम दिन अपनी बचतों का अभ्यर्पण किया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.22: बचतों का अभ्यर्पण

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण की तिथि
2009-10	8628.02	8558.10	69.92	66.61	31.03.2010
2010-11	11070.55	10699.99	370.56	364.63	31.03.2011
2011-12	16183.04	15676.06	506.98	499.66	31.03.2012

चूंकि, बचतों का वित्तीय वर्षों के अंतिम दिन अभ्यर्पण किया गया था जो मंत्रालय द्वारा समय पर बचतों का पूर्वानुमान न लगाने में व्यय की मॉनीटरिंग की त्रुटिपूर्ण प्रणाली को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने ₹ 3.31 करोड़, ₹ 5.93 करोड़ तथा ₹ 7.32 करोड़ का अभ्यर्पण नहीं किया था तथा इन्हें क्रमशः वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान व्यपगमन को अनुमत किया था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्ताव पूरे वर्ष में प्राप्त किए गए थे तथा लगभग वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक आधिक्य निधियों का अनुमान संभव नहीं है। निधियों को अभ्यर्पण तब किया जाता है जब यह स्पष्ट हो जाए कि उपयोग की कोई संभावना नहीं है।

सामान्य वित्तीय नियमावली में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं है, जो बताता है कि बचत के साथ-साथ प्रावधान जिनका उपयोग नहीं किया जा सका, वर्ष के अंत की प्रतीक्षा किए बिना जैसे ही ये परिलक्षित हों, अभ्यर्पित कर दिए जाने चाहिए।

### 5.38 निरंतर बचते

विनियोग लेखों की संवीक्षा ने प्रकट कि **अनुबंध V-च** के अनुसार वर्ष 2009-12 के दौरान अनुदान के राजस्व वर्ग के अंतर्गत निरंतर बचते थीं तथा उन्हें अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया जिसने उस उद्देश्य जिसके लिए संसद द्वारा बजट प्रावधान पारित किए गए थे, को विफल किया। अनुदान के अंतर्गत बड़े अव्ययित प्रावधानों ने

मंत्रालय द्वारा त्रुटिपूर्ण बजटीकरण को दर्शाया। बड़ी निरंतर बचतों<sup>1</sup> द्वारा प्रभावित कुछ योजनाओं पर नीचे चर्चा की गई है:

**क) समेकित बाल संरक्षण योजना (स.बा.सं.यो)**

समेकित बाल संरक्षण योजना (स.बा.सं.यो) से यह आशा की गई है कि यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक संरचनाओं तथा क्रियाविधियों को स्थापित तथा सुदृढ़ करके एक प्रणाली, जो दक्ष तथा प्रभावी रूप से बच्चों का संरक्षण कर सके, को सृजित करने की सरकार/राज्य की जिम्मेदारी को पूरा करने हेतु पर्याप्त रूप से योगदान देगी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2009-12 के दौरान योजना के कार्यान्वयन की गति धीमी थी तथा बचतें कुल प्रावधानों के 29 से 62 प्रतिशत के बीच थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

**तालिका 5.23: समेकित बाल संरक्षण योजना (स.बा.सं.यो.) में निरंतर बचतें**

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण (₹ करोड़ में)		कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
		वास्तविक संवितरण	बचतें	
2009-10	60.00	42.63	17.37	29
2010-11	300.00	115.11	184.89	62
2011-12	270.00	177.30	92.70	34

**ख) प्रियदर्शनी**

यह योजना स्वावलंबी आधारिक संस्थानों की स्थापना से उनकी मदद करके तथा यह सुनिश्चित करके कि लघुवित्त तथा व्यवसाय विकास सेवाओं तक उनकी पहुँच है, महिलाओं तथा किशोरियों को समर्थ बनाने पर लक्षित है। इसमें कृषि तथा गैर-कृषि दोनों में महिलाओं की आजीविका के लिए अवसरों के विस्तार की आशा की गई है जिससे, विस्तृत अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए आजीविका के आधार का समेकन हो सके।

<sup>1</sup> अनुबंध V-च में दिए गए आंकड़ों का व्यक्तिगत योजनाओं की बचतों में आंकड़ों के साथ मिलान न किया जाए क्योंकि उत्तरपूर्वी क्षेत्रों से संबंधित शीर्षों में बचतों को अनुबंध में शामिल नहीं किया गया है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि योजना का कार्यान्वयन अपेक्षित स्तर तक नहीं था क्योंकि 2009-12 के दौरान योजना के अंतर्गत बचतें कुल प्रावधानों के 80 से 100 प्रतिशत के बीच थी जैसा कि नीचे तालिका में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.24: प्रियदर्शनी योजना में निरंतर बचतें

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण (₹ करोड़ में)		कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
		वास्तविक संवितरण	बचतें	
2009-10	27.00	0.04	26.96	100
2010-11	29.79	5.90	23.89	80
2011-12	26.10	0.15	25.95	99

### ग) राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (रा.म.स.मि.) को महिलाओं के सर्वोन्मुखी विकास को बढ़ावा देने की समग्र प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लक्ष्य सहित वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रारम्भ किया गया था। इसमें अन्तः क्षेत्रीय अभिसरण को सुदृढ़ करना तथा मंत्रालयों तथा विभागों में सभी महिला कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों को समन्वित करने की प्रक्रिया को सुविधा प्रदान करना अधिकृत है। मिशन का लक्ष्य विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के संरक्षण के अंतर्गत महिलाओं हेतु सरकार द्वारा चलाए गए सभी कार्यक्रमों के लिए एकल खिड़की सेवा प्रदान करना है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि योजना के कार्यान्वयन की गति धीमी थी तथा 2009-12 के दौरान बचतें 81 से 100 प्रतिशत के बीच थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.25: राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (रा.म.स.मि.) में निरंतर बचतें

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण (₹ करोड़ में)		कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
		वास्तविक संवितरण	बचतें	
2009-10	1.00	शून्य	1.00	100
2010-11	40.00	शून्य	40.00	100
2011-12	40.00	7.63	32.37	81

### घ) राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना

राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना को सबला कहा जाता है जो पोषणिक तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करके तथा घरेलू कौशल, जीवन कौशल तथा व्यवसायिक कौशल जैसे विभिन्न कौशलों का उन्नयन करके स्कूल न जा रही लड़कियों पर ध्यान सहित 11-18 वर्षों की किशोरियों (कि.) के सशक्तीकरण पर लक्षित है। योजना स्कूल



न जाने वाली लड़कियों को औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के मुख्य प्रवाह में लाने के लक्ष्य सहित लड़कियों को परिवार कल्याण, स्वास्थ्य स्वच्छता आदि तथा विद्यमान सार्वजनिक सेवाओं पर सूचना तथा निर्देशन से लैस करने पर भी लक्षित है। पोषण निर्धारण हेतु 11-14 वर्ष की स्कूल न जा रही किशोरियों तथा 15-18 वर्ष की सभी लड़कियाँ शामिल की जाएंगी क्योंकि दोपहर का भोजन 15-18 वर्ष की लड़कियों को शामिल नहीं करता है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने 2009-12 के दौरान निधियों की वास्तविक आवश्यकता का कोई निर्धारण किए बिना बजट प्रावधान तैयार किए जिसके परिणामस्वरूप 19 से 100 प्रतिशत के बीच की निधियाँ अव्ययित रही जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है।

तालिका 5.26: राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (सबला) में निरंतर बचतें

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			
2009-10	110.00	शून्य	110.00	100
2010-11	1000.00	329.51	670.49	67
2011-12	727.80	589.81	137.99	19

#### ड) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (प्र.मा.ला.<sup>2</sup> योजना)

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना प्रारम्भिक आधार पर एक विशेष अंतराक्षेपण योजना है जिसे गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं के लिए तैयार किया गया है। योजना के मुख्य उद्देश्य गर्भावरथा, सुरक्षित प्रसव तथा स्तनपान के दौरान उपयुक्त कार्यो, देखभाल तथा समुचित अभ्यास को बढ़ावा देकर गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं तथा नवजातों की स्वास्थ्य तथा पोषण स्थिति को सुधारना है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि योजना का कार्यान्वयन आशानुरूप नहीं था क्योंकि योजना में 2009-12 की अवधि के दौरान पाई गई बचतें 43 से 100 प्रतिशत के बीच थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

<sup>2</sup> प्रतिबंधित मातृत्व लाभ

तालिका 5.27: इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में निरन्तर बचतें

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			
2009-10	4.00	शून्य	4.00	100
2010-11	390.00	116.24	273.76	70
2011-12	511.00	289.82	221.18	43

मंत्रालय ने निरन्तर अव्ययित प्रावधानों के कारणों को संबंधित संगठनों/राज्यों से पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति को अरोपित किया।

मंत्रालय ने यह भी बताया (जनवरी 2013) कि उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत पिछले वर्षों में बचतों के बावजूद बजट आंबटनों को अनुवर्ती वर्षों में कम नहीं किया गया क्योंकि इस तथ्य अधिक व्यय होने की प्रत्याशा थी। कि योजनाएं नई थीं तथा धीरे-धीरे गति पकड़ रही थी। तथापि, भविष्य में अधिक वास्तविक होने के लिए ध्यान रखा जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निरन्तर बचतें थीं जो दर्शाती हैं कि इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले वर्षों में अव्ययित प्रावधानों के बावजूद मंत्रालय ने अनुवर्ती वर्षों में बड़ी बचतों से बचने हेतु बजट अनुमानों को अधिक वास्तविक नहीं बनाया था।

### 5.39 पूर्ण प्रावधान का गैर-उपयोग

वर्ष 2009-12 के विनियोग लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹10 करोड़ अथवा अधिक के पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे जिनकी अनुबंध V-छ में व्याख्या की गई है। पूर्ण प्रावधान की बचतें इस तथ्य की संकेतक है कि अनुमानों को परियोजनाओं तथा योजनाओं की पर्याप्त बजट पूर्व संवीक्षा के पश्चात तैयार नहीं किया गया था। ऐसी कुछ योजनाओं पर नीचे चर्चा की गई है:

#### (क) बलात्कार पीड़ितों को राहत तथा स्वास्थ्यलाभ

बलात्कार पीड़ितों द्वारा वहन की गई वित्तीय हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए बोर्ड गठित करने हेतु भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर मार्च 2006 में सचिवों की समिति (स.स.) ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया तथा "बलात्कार पीड़ितों को राहत तथा स्वास्थ्यलाभ" योजना को कार्यान्वित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए मार्च 2006 में योजना आयोग को सिफारिश की। मंत्रालय ने केवल जुलाई 2010 में जाकर टिप्पणियों हेतु व्यय वित्त समिति को ड्राफ्ट नोट



वितरित किया। 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान आंबटित ₹ 239.02 करोड़ का पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा क्योंकि योजना आयोग ने नई योजना के लिए अपनी औपचारिक स्वीकृति रोक दी थी।

### (ख) स्वयंसिद्ध

स्वयंसिद्ध महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु एक समेकित योजना है। यह स्वयं सेवी समूह (स्व.से.स.) में महिलाओं के निरूपण पर आधारित है तथा जागरूकता बढ़ाने, आर्थिक सशक्तीकरण तथा विभिन्न योजनाओं के अभिकरण के माध्यम से उनके सशक्तीकरण पर लक्षित है। योजना का प्रथम चरण 31 मार्च 2008 को समाप्त हुआ। मंत्रालय ने योजना का चरण-II प्रारम्भ करने हेतु अप्रैल 2007 में योजना आयोग से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की थी। मंत्रालय ने स्वयंसिद्ध चरण-II के रूप में योजना को जारी रखने हेतु अप्रैल 2009 में व्यय वित्त समिति के लिए एक ड्राफ्ट नोट वितरित किया। इसके अतिरिक्त, 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान आंबटित ₹ 28 करोड़ का पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा क्योंकि योजना आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था।

### (ग) महिलाओं हेतु राष्ट्रीय महिला कोष (रा.म.को.)

राष्ट्रीय महिला कोष (रा.म.को.) को 1993 में एक समिति के रूप में स्थापित किया गया था। महिलाओं के तेज सामाजिक-आर्थिक विकास तथा ऐतिहासिक सशक्तीकरण हेतु नीतियों के अध्ययन तथा अनुशंसा हेतु भारत के माननीय राष्ट्रपति ने सितम्बर 2008 में राज्यपालों की एक समिति गठित की जिसने सिफारिश की कि रा.म.को. का ₹ 3,000 करोड़ के संवर्धित कार्पस सहित महिला विकास बैंक के रूप में उन्नयन किया जाए। तत्पश्चात, मंत्रालय समूह ने सिफारिश की कि रा.म.को. को इसको प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी के उपयुक्त संवर्धन सहित पुनर्गठित किया जाए जिससे कि यह महिला एस.सी.एच. हेतु एक खिड़की सुविधादाता के रूप में कार्य कर सके। इसके बाद म.बा.वि. मंत्रालय की अध्यक्षता में इस शासी निकाय की अनुपालना में फरवरी 2010 में इसे सरकार के स्वामित्व की "गैर-जमा लेने वाली-प्रणालीगत महत्वपूर्ण सरकारी कम्पनी" में बदलने का निर्णय लिया। मंत्रालय ने अगस्त 2011 में वित्तीय व्यय समिति के लिए एक ज्ञापन वितरित किया। 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान क्रमशः ₹ 15 करोड़ तथा ₹ 100 करोड़ के पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे क्योंकि मंत्रालय निधियों की पुनर्संरचना हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने में विफल था।



**(घ) विश्व बैंक स.बा.वि.से. IV परियोजना**

परियोजना को स.बा.वि.से. डिजाइन तथा कार्यान्वयन में आधारभूत सुधारों लाने तथा सुधारों के कार्यान्वयन को सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र तथा राज्य स्तर पर आवश्यक प्रबंधकीय तथा तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करने हेतु प्रारम्भ किया गया है। योजना आयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति सितम्बर 2009 में प्राप्त की गई थी परंतु मंत्रालय ने अप्रैल 2011 में व्यय वित्त समिति (व्य.वि.से.) तथा केवल मार्च 2012 में जाकर संशोधित व्य.वि.से. के लिए ड्राफ्ट ज्ञापन पत्र वितरित किया था। इस परियोजना के अंतर्गत 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान क्रमशः ₹ 126 करोड़ तथा ₹ 330 करोड़ के पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे क्योंकि मंत्रालय योजना आयोग की अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने में विफल रहा था।

**(ड) राष्ट्रीय पोषण मिशन**

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण मिशन (रा.पो.मि) को जुलाई 2003 में स्थापित किया गया था। म.बा.वि से प्र.मं.का. को अनुरोधों के बावजूद रा.पो.मि. की कोई बैठक नहीं हो सकी। तथापि, 2004-2008 के दौरान रा.पो.मि की कार्यकारी समिति की तीन बैठकें हुई थी। बाद में, प्रा.म.का ने अक्टूबर 2008 में भारतीय पोषण चुनौतियों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद को अधिसूचित किया तथा म.बा.वि. मंत्रालय को रा.पो.मि. को संस्थापित करने के जुलाई 2003 की अधिसूचना को निरस्त करने की सलाह दी जिसे नहीं किया गया था। भारतीय पोषण चुनौतियों पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालना में, कुपोषण के प्रति देशव्यापी सूचना, शिक्षा तथा संचार (स.शि.सं.) अभियान हेतु व्यय वित्त समिति (व्य.वि.सं.) की स्वीकृति मार्च 2012 में प्राप्त की गई थी। परंतु योजना आयोग की "सैद्धांतिक" स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है। इस प्रकार 2011-12 के दौरान आबंटित ₹ 100 करोड़ का पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पुष्टि करते समय (जनवरी 2013) बताया कि पत्र में उल्लेखित उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत पूर्ण प्रावधान सक्षम प्राधिकारी से अंतिम स्वीकृति की गैर-प्राप्ति के कारण अप्रयुक्त रहा। बजट प्रावधान को योजना के अंतर्गत रखा गया था क्योंकि स्वीकृति वर्ष के दौरान संभावित थी।

इस प्रकार, मंत्रालय ने अपने अनुमानों को यह ध्यान में रखते हुए तैयार नहीं किया था कि क्या योजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है जिसका परिणाम योजनाओं के अंतर्गत समग्र प्रावधान की निरंतर बचत में हुआ। इस प्रवृत्ति ने यह भी प्रदर्शित किया है कि मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत बजट अनुमानों की संवीक्षा त्रुटिहीन नहीं बन

सकी क्योंकि संवीक्षा ने ऐसी योजनाओं, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत नहीं है, के लिए बजटीकरण को अनुमत किया है। पूर्ण प्रावधान की बचतों ने मंत्रालय को अनुदान के उसी वर्ग में बचतों के पुनर्विनियोग की अपनी शक्ति का उपयोग करके कुछ योजनाओं को अप्रयुक्त निधि को परिवर्तित करने का अनभिप्रेत सहारा भी प्रदान किया।

#### 5.40 एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक की बचत

विनियोग लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें पाई गई थी जो मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजटीकरण अथवा निष्पादन में कमी अथवा दोनों की संकेतक थी। अनुबंध V-च चार ऐसे मामलों के विवरण प्रदान करता है जहाँ उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें हुईं। न केवल अनुमानों तथा वास्तविक के बीच बड़े पैमाने पर परिवर्तनों को कम करने हेतु बल्कि अपर्याप्त संसाधनों को लाभकारी रूप से उपयोग करने हेतु अपने बजटीय कार्य को अधिक वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। मंत्रालय को बजटीय अनुमानों की अपनी प्रणाली अथवा/तथा अपने कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा भी करनी चाहिए।

मंत्रालय के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बचतों के कारणों को योजना आयोग द्वारा योजना की स्वीकृति में विलम्ब, राज्यों से प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति, राज्यों द्वारा योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन आदि को आरोपित किया (जनवरी 2013) जो कि संतोषजनक नहीं है क्योंकि मंत्रालय को अन्य निकायों के पास लंबित पड़ी अंतिम स्वीकृति तथा राज्यों द्वारा नई योजनाओं के धीमे कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए संतुलित रूप से तैयार करना चाहिए था।

#### 5.41 अवास्तविक बजटीय प्रावधानों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदाने

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत, संसद भारत सरकार को भारत की समेकित निधि से उपयुक्त विनिर्दिष्ट राशियों को लेने हेतु प्राधिकृत करती है। संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार, अतिरिक्त अनुदाने, अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से प्राप्त की गई हैं जो कि संसद द्वारा प्राधिकृत है। व्यय के अनुमान तैयार करते समय, मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान संवितरणों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना तथा उचित सावधानी रखना अपेक्षित है जिससे कि वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पहले अनुमानों में अपरिहार्य तथा निकट व्यय को शामिल किया जा सके।

शीर्ष-वार विनियोग लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि चार मामलों में, मंत्रालय ने बड़ी अनुपूरक अनुदाने प्राप्त की जो वास्तविक प्रावधान के 18 प्रतिशत से 143 प्रतिशत के बीच थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

**तालिका 5.28: अवास्तविक बजटीय प्रावधानों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदानें**

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वास्तविक प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	अनुपूरक अनुदान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
2009-10				
1	2552.00.124.04-समेकित बाल विकास सेवाएं	678.70	120.00	18
2	3601.04.358.05- समेकित बाल विकास सेवाएं	5911.21	1080.00	18
2011-12				
3	2552.00.12.04- समेकित बाल विकास सेवाएं	240.51	345.00	143
4	2601.04.358.05- समेकित बाल विकास सेवाएं	6331.45	3093.25	49

यह दर्शाता है कि मंत्रालय ने अपने व्यय के प्रारम्भिक अनुमानों को वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किया था। मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि अनुपूरक अनुदान प्रतिबद्ध देयताओं अर्थात् स.बा.वि.से. कर्मचारियों को वेतन/मानदेय का भुगतान को पूरा करने हेतु अपेक्षित थीं।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि तथ्य रहता है कि प्रारम्भिक बजटीकरण वास्तविक नहीं था तथा इसलिए अनुपूरक अनुदानों की बड़ी राशि अपेक्षित थी।

#### **5.42 पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण**

वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 विषय शीर्ष '51-मोटर वाहन' को विषय श्रेणी-6 (पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण तथ अन्य पूंजीगत व्यय) के अंतर्गत वर्गीकृत करता है।

तथापि, वर्ष 2009-12 के लिए वर्गीकृत सारांश की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मुख्य शीर्ष 2236 के अंतर्गत ₹ 26.03 लाख की राशि को गलती से राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 'मोटर वाहन' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत किया जाना चाहिए था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:



तालिका 5.29: राजस्व व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण

(₹ लाख में)

वर्ष	उप-शीर्ष	विषय शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय की राशि
2009-10	2236	51	15.00	9.13
2010-11	2236	51	15.00	7.60
2011-12	2236	51	10.00	9.30
कुल				26.03

#### 5.43 एकमुश्त प्रावधान के ब्यौरे प्रकट न करना

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली का नियम 8 निर्धारित करता है कि एकमुश्त प्रावधान (विषय शीर्ष 42) में योजना/उप योजना/संगठन के संबंध में ऐसे व्यय को शामिल किया जाएगा जहां प्रावधान ₹ 10 लाख से अधिक नहीं है। अन्य सभी मामलों में व्यय के ब्यौरे अवश्य दिए जाने चाहिए। संवीक्षा ने प्रकट किया मंत्रालय ने सभी तीनों वर्षों के दौरान ₹ 10 लाख से अधिक के प्रावधान किए तथा व्यय को विषय शीर्ष 42-एकमुश्त प्रावधान के अंतर्गत दर्ज किया, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, परंतु व्यय के ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए थे।

तालिका 5.30: अनुदान सं. 105 में एकमुश्त प्रावधान

(₹ लाख में)


वर्ष	विषय शीर्ष	प्रावधान	व्यय
2009-10	2235.02.103.17.00.42	20.00	8.74
2010-11	2235.02.103.17.00.42	20.00	16.00
2011-12	2235.02.103.17.00.42	720.00	45.04

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता। तथापि, यह बताया गया था कि बैठकों/सम्मेलनों तथा अन्य विविध मदों के व्यय को कई वर्षों से इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा था। मंत्रालय ने अपनी गलतियों पर खेद भी प्रकट किया तथा बताया कि अगले वर्ष से इस प्रकार के व्यय को विषय शीर्ष "अन्य प्रशासनिक व्यय" के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।

#### 5.44 अन्धाधुन्ध व्यय

व्यय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू वर्ष की समाप्ति के प्रति व्यय के ढेर से बचना है। निम्नलिखित चार्ट प्रस्तुत करता है कि वित्तीय वर्ष में कैसे कुल व्यय तथा इसमें से योजनागत तथा योजनेत्तर व्यय को संवितरित किया गया है।

चार्ट 5.5: प्रवृत्ति विश्लेषण (प्रतिशत में)



टिप्पणी: प्रतिशतता पूर्णांक के कारण 100 तक जोड़ा नहीं जाए

यह चार्ट दर्शाता है कि अनुदान पर किए गए कुल व्यय का 82 प्रतिशत को छः महीनों अर्थात् जून, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, दिसम्बर 2011 तथा मार्च 2012 में खर्च किया गया था तथा शेष बाकी छः महीनों में खर्च किया गया था। योजनागत तथा योजनेत्तर-वार विश्लेषण दर्शाता है कि 72 प्रतिशत योजनेत्तर व्यय को पांच महीनों अर्थात् अप्रैल, जुलाई, अक्तूबर 2011 तथा जनवरी और मार्च 2012 में खर्च किया गया था। विभाग को व्यय के देर के कारणों की जांच करनी चाहिए।

बजट अनुमानों तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के मार्च के महीने तथा अंतिम तिमाही के दौरान किए गए व्यय के विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 5.31: अन्धाधुन्ध व्यय

विषय शीर्ष	बजट अनुमान	कुल व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता (अनुपूरक लेखे सहित)	अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता (अनुपूरक लेखे सहित)
	(₹ करोड़ में)			
<b>2010-11</b>				
6- चिकित्सा उपचार	0.44	0.33	18	-
12- विदेश यात्रा व्यय	0.73	0.75	22	40
13- कार्यालय व्यय	3.60	3.69	17	35
14 किराया, दरे तथा कर	0.50	1.30	188	188
26- विज्ञापन एवं प्रचार	0.01	0.01	100	100
32 अंशदान	13.90	11.32	28	81
50- अन्य प्रभार	65.93	39.29	44	53
<b>2011-12</b>				
2- मजदूरी	0.20	0.62	45	95
6- चिकित्सा उपचार	0.65	0.38	15	-

विषय शीर्ष	बजट अनुमान	कुल व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता (अनुपूरक लेखे सहित)	अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता (अनुपूरक लेखे सहित)
	(₹ करोड़ में)			
14 किराया, दरे तथा कर	0.50	3.67	132	598
16- प्रकाशन	0.12	0.13	25	-
31-सहायता अनुदान-सामान्य	12371.29	15544.49	19	-
32 अशंदान	13.90	10.54	28	-

स्रोत: 2010-11 तथा 2011-12 के लिए ई-लेखा

टिप्पणी: उपरोक्त तालिका में प्रतिशतता को बजट अनुमानों के संबंध में परिकलित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के अंतिम दिन भी क्रमशः ₹ 89.82 करोड़, ₹ 602.95 करोड़ तथा ₹ 607.35 करोड़ जारी किए।

मंत्रालय ने अंधाधुंध व्यय पर खेद प्रकट करते हुए (जनवरी 2013) बताया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

#### 5.45 त्रुटिपूर्ण रोकड़ प्रबंधन: मा.व्य.यो. अनुदेशों की गैर-अनुपालना

वित्त मंत्रालय ने केन्द्र सरकार में रोकड़ प्रबंध के संबंध में दिसम्बर 2006 में अनुदेश जारी किए थे जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करते हैं कि:

- अनुदान हेतु प्रत्येक मांग के संबंध में, मासिक व्यय योजना (योजनागत तथा योजनेतर व्यय हेतु अलग से) (मा.व्य.यो.) तैयार की जाएगी तथा इसे अनुदान हेतु कथित मांग के संबंध में अनुदान हेतु विस्तृत मांग को अनुबंध के रूप में शामिल किया जाएगा।
- मा.व्य.यो., तिमाही व्यय आबंटन (ति.व्य.आ. ) का आधार होगा। संबंधित विभाग/मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (रोकड़ प्रबंधन सैल, बजट प्रभाग) की पूर्व सहमति के बिना तिमाही व्यय आबंटन (जो कि मासिक व्यय योजना के अंतर्गत कुल प्रावधानों के बराबर होगा) से अधिक चैक जारी नहीं करेगा।
- तिमाही व्यय आबंटनों (ति.व्य.आ.) के अंतर्गत अगर कोई बचतें हैं तो वही अगली तिमाही हेतु अपने आप आगे ले जाने हेतु उपलब्ध नहीं होगी। तथापि, विभाग/मंत्रालय मासिक व्यय योजना (मा.व्य.यो. ) में संशोधन तथा उससे तिमाही व्यय आबंटनों में संशोधन के माध्यम से ऐसी बचतों की पुनः वैधता हेतु वित्त मंत्रालय को सिफारिश करनी चाहिए।



2009-12 की अवधि हेतु मा.व्यय.यो. के आधार पर तैयार ति.व्य.आ. योजना तथा प्रत्येक तिमाही के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय नीचे दिया गया है:

तालिका 5.32: त्रुटिपूर्ण रोकड़ प्रबंधन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तिमाही	आबंटन (योजनागत)	व्यय	बचतें (-)/ अधिक्य (+)
2009-10	प्रथम (जून को समाप्त)	2210	1879.73	(-) 330.27
	द्वितीय (सितम्बर को समाप्त)	1530	1859.97	(+) 329.97
	तृतीय (दिसम्बर को समाप्त)	1860	1665.55	(-) 194.45
	चौथी (मार्च को समाप्त)	1750+1200* =2950	3079.18	(+) 129.18
2010-11	प्रथम (जून को समाप्त)	3000	2812.51	(-) 187.49
	द्वितीय (सितम्बर को समाप्त)	2500	2669.21	(+) 169.21
	तृतीय (दिसम्बर को समाप्त)	2750	1886.09	(-) 863.91
	चौथी (मार्च को समाप्त)	2750	3266.89	(+) 516.89
2011-12	प्रथम (जून को समाप्त)	3500	2826.27	(-) 673.73
	द्वितीय (सितम्बर को समाप्त)	2825	3819.19	(+) 994.19
	तृतीय (दिसम्बर को समाप्त)	3160+3450* =6610	4862.22	(-)1747.78
	चौथी (मार्च को समाप्त)	3165	4089.47	(+) 924.47

उपरोक्त तालिका प्रकट करती है कि सभी तिमाहियों में व्यय ति.व्य.आ. के साथ संगत नहीं था। 2011-12 की दूसरी तिमाही में, मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना संशोधित व्यय आबंटन से अधिक व्यय किया जिसे उनके त्रुटिपूर्ण वित्तीय नियंत्रण तथा प्रबंधन में शामिल किया गया है।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2013) कि जहां तक संभव हो मा.व्य.यो. तथा ति.व्य.आ. की अनुपालना करने हेतु प्रयास किए जाएंगे।

#### 5.46 त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा मुख्य लेखा नियंत्रक (मु.ले.नि.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो लेखे एवं वेतन कार्यों का भी प्रभारी है, के अधीन है। इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य स्वतंत्र नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा मु.ले.नि. के केवल चार अधिकारियों द्वारा की गई थी जिन्होंने छः अन्य मंत्रालयों की भी लेखापरीक्षा की थी।

\* अनुपूरक अनुदान

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया है कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्ण है जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- मंत्रालय में 30 लेखापरीक्षा करने योग्य इकाइयां अर्थात् मंत्रालय में 15 प्रभाग, छः स्वायत्त निकाय, एक अनुबद्ध कार्यालय (खाद्य एवं पोषण बोर्ड, दिल्ली) चार वेतन एवं लेखा कार्यालय, एक आ.सं.अ. (रोकड़) तथा तीन उप तकनीकी सलाहकार थे। तथापि, मु.ले.नि. ने विद्यमान 30 ईकाइयों के प्रति लेखापरीक्षा हेतु केवल नौ ईकाइयों का चयन किया था।
- 2009-12 की अवधि के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने केवल आठ ईकाइयों (2010-11 तथा 2011-12 में प्रत्येक चार ईकाइयों) की लेखापरीक्षा की थी।
- आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने सभी लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयों, उनके व्यय, यथार्थता तथा जोखिम विश्लेषण के संदर्भ के साथ वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार नहीं की थी।
- आंतरिक लेखापरीक्षण दिशानिर्देशों को निर्धारित करने वाली आंतरिक लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका तथा लेखापरीक्षण मानकों को तैयार नहीं किया गया था।
- अगस्त 2012 को 175 पैरा बकाया थे परंतु मंत्रालय ने इन बकाया पैराओं का निपटान करने हेतु प्रभावी शोधक उपाय नहीं किए थे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने बताया कि केवल 15 इकाइयां अर्थात् नौ ईकाइयां तथा छः स्वायत्त निकाय, लेखापरीक्षा योग्य है। उत्तर वास्तविक रूप से गलत है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के पास 30 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयां हैं फिर भी इसने नौ ईकाइयों को ही शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध 15 ईकाइयों के बजाए केवल नौ ईकाइयों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा योजना तैयार कर रहा था।

#### 5.47 बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

वित्त मंत्रालय ने भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (भा.स.ले.मा. ) 2- "सहायता अनुदान का लेखांकन तथा वर्गीकरण" को अधिसूचित किया (मई 2011)। भा.स.ले.मा.-2 का उद्देश्य भा.स.ले. का सरकार की वित्तीय विवरणियों में दोनों अनुदानदाता के साथ-साथ अनुदानग्राही के रूप में लेखांकन तथा वर्गीकरण हेतु उपयुक्त सिद्धांत निर्धारित करना है। इसके अतिरिक्त, इन मानकों के अनुसार, मंत्रालय को सहायता अनुदान के लेखांकन तथा वर्गीकरण के उपयुक्त सिद्धांतों की अनुपालना में अनुभव की गई

कठिनाईयों को समाप्त करने की दृष्टि से वित्तीय विवरणियों में उपयुक्त प्रकटन करना अपेक्षित है।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 212 (1) के अनुसार उद्देश्य, जिसके लिए यह संस्वीकृत थे, हेतु प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोग के प्रमाण-पत्रों को संबंधित संस्थान अथवा संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि अनुदान को उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया जिसके लिए यह संस्वीकृत था तथा जहां अनुदान को कुछ शर्तों के साथ जारी किया गया था तो निर्धारित शर्तें पूरी की गई थीं। जहां प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं किया गया है वहां मंत्रालय/राज्य सरकार को इस प्रकार की अनुदान, आर्थिक सहायता अथवा अन्य वित्तीय सहायता से ऐसे संस्थान अथवा संगठन को काली सूची में डालने की स्वतंत्रता होगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा अनुरक्षित बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों हेतु अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित उजागर किया:

- जबकि अधिकतर व्यय (99 प्रतिशत), जैसा पैरा 5.36 में चर्चा की गई है, सहायता अनुदान पर है फिर भी यह पाया गया था कि मंत्रालय भा.स.ले.मा.-2 की आवश्यकता के अनुसार अनुदानग्राही वर्ग के अभिलेखों का अनुसूक्षण नहीं कर रहा था तथा अभिलेखों में कोई प्रकटन, जैसा कि निर्धारित है, नहीं पाया गया था।
- अनुबंध V-अ के अनुसार 2011-12 तक मंत्रालय द्वारा जारी सहायता अनुदान के संबंध में ₹ 607.16 करोड़ की राशि के 5658 उ.प्र. बकाया थे। संस्वीकृत अनुदानों हेतु सबसे पहले की अवधि जिसके लिए उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया है, से पहले वर्ष 1986-87 से संबंधित है।
- इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने न तो चूककर्ता संस्थानों/संगठनों को काली सूची में डालने हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ की थी न ही बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र की विचाराधीनता को कम करने हेतु कोई प्रयास किए थे।


बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों के श्रेणीवार विवरणों ने प्रकट किया कि पांच प्रभागों नामतः स्टेप<sup>3</sup>, महिला विकास, महिला कल्याण, क्रैच तथा के.सा.क.बो.<sup>4</sup> में कुल बकाया

<sup>3</sup> प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम को सहायता



उपयोग प्रमाण-पत्रों का लगभग 77 प्रतिशत तथा बकाया उ.प्र. की राशि का 68 प्रतिशत दर्ज किया जैसा कि नीचे पाई-चार्ट में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.6: बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र



मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2012 तथा जनवरी 2013) कि लंबित बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों के समाधान हेतु सीधे प्रभागों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया था, फिर भी संबंधित ब्यूरो प्रमुखों से बकाया उ.प्र. के समाधान हेतु अनुरोध किया गया था।

<sup>4</sup> केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड

## अध्याय 6

### सहायता अनुदान : एक विश्लेषण

#### 6.1 प्रस्तावना


लोक प्रशासन के विवर्ती उदाहरण ने नई तथा सदा विकसित हो रही पद्धतियों के माध्यम से सार्वजनिक कल्याण को अपरिहार्य किया है। सहायता अनुदान संघ सरकार के व्यय को एक सार्थक रूप में सहारा देता है। वास्तव में वर्ष 2011-12 के दौरान, उन्होंने ऋण पुनर्भुगतानों की छूट सहित, सरकार के लिए व्यय की एकल सबसे बड़ी मद संघटित की हैं।

सहायता अनुदान एक सरकार द्वारा अन्य सरकार, निकाय, संस्थान अथवा व्यक्तिगत को प्रदान की गई सहायता, दानों अथवा अंशदानों के रूप में किए गए भुगतान हैं। सहायता अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों अथवा पंचायती राज संस्थानों को प्रदान की गई है। राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता अनुदानों के अतिरिक्त, संघ सरकार अन्य अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में पर्याप्त निधियां प्रदान करती हैं। इसी प्रकार, राज्य सरकारें अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों जैसे कि विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सहकारिता संस्थानों तथा अन्यो को भी सहायता अनुदान संवितरित करती है। जारी किए गए अनुदानों का उपयोग इन अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों द्वारा दिन-प्रतिदिन के संचालन व्ययों को पूरा करने तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु किया गया है।

#### 6.2 व्यय की प्रवृत्ति

सहायता अनुदान को रोकड़ अथवा जिस रूप में भी प्रदान किया गया हो, परंतु इसे उद्देश्य जिसके लिए यह प्रदान किया गया है, पर विचार किए बिना अनुदानग्राही के खातों में हमेशा राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाना होता है। 2007-08 तथा 2011-12 की अवधि के दौरान, सहायता अनुदान को संघ सरकार के राजस्व व्यय के 33 से 36 प्रतिशत तक दर्ज किया गया। राजस्व व्यय की तुलना में सहायता अनुदान पर व्यय को नीचे चार्ट में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.1: राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में सहायता अनुदान



नोट: डाटा स्रोत: ई-लेखा। इसमें जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है। उपरोक्त डाटा सिविल मंत्रालयों के लिए है अर्थात् डाक विभाग, रक्षा सेवाएं तथा रेलवे को छोड़कर।


2007-08 से 2011-12 तक पाँच वर्षों से सहायता अनुदान 80.1 प्रतिशत की कुल राजस्व व्यय की वृद्धि की तुलना में उच्चतर दर पर 85.5 प्रतिशत तक बढ़ा है।

सहायता अनुदान को असहमति के सबसे नीचे स्तर पर अर्थात् एक वस्तु शीर्ष के रूप में बजट तथा लेखों में दर्शाया गया है। 2008-09 तक सहायता अनुदान पर संघ सरकार के व्यय को एक ही वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा था। तथापि, वर्तमान में इस व्यय के प्रग्रहण हेतु अलग से तीन वस्तु शीर्ष संचालित किए जा रहे हैं। ये वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान सामान्य; 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान तथा 36-सहायता अनुदान वेतन हैं। वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' को वित्तीय वर्ष 2009-10 से खोला गया था, तथा विद्यमान वस्तु शीर्ष नाम से '31-सहायता अनुदान' को वित्तीय वर्ष 2010-11 से संशोधित कर '31-सहायता अनुदान सामान्य' पढ़ा जाने लगा। इसके अतिरिक्त, वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' को वित्तीय वर्ष 2011-12 से खोला गया था।

नीचे दिया गया ग्राफ पिछले पांच वर्षों में संघ सरकार द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के सहायता अनुदानों को दर्शाता है।



चार्ट 6.2: सहायता अनुदान के प्रकार




नोट: डाटा स्रोत: ई-लेखा। इसमें जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं। उपरोक्त डाटा सिविल मंत्रालयों के लिए है अर्थात डाक विभाग, रक्षा सेवाएं तथा रेलवे को छोड़कर।

### 6.2.1 प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदान

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कुल सहायता अनुदान व्यय में से प्रभारित व्यय ने लगभग 12.84 प्रतिशत संघटित किया। ये अनुदान, जो प्रकृति में गैर-योजनागत हैं, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अनुसार बनाए गए हैं। नीचे तालिका पांच वर्षों की अवधि के प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदानों के विवरण दर्शाती है।

चार्ट 6.3: प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदान




नोट: डाटा स्रोत: ई-लेखा। इसमें जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं। उपरोक्त डाटा सिविल मंत्रालयों के लिए है अर्थात् डाक विभाग, रक्षा सेवाएं तथा रेलवे को छोड़कर।

वर्ष 2011-12 के लिए प्रभारित सहायता अनुदान को मुख्य रूप से दो अनुदानों में अर्थात् राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण तथा जनजाति कार्य मंत्रालय को जारी किया गया था। राज्य सरकारों को प्रदान की गई ₹43,972 करोड़ की अनुदान तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित थी। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान मुख्य रूप से राज्यों के गैर-योजनागत राजस्व घाटे, प्रारम्भिक शिक्षा, पर्यावरण, परिणामों को सुधारने, सड़कों एवं पुलों के अनुसंधान, स्थानीय निकायों, आपदा राहत के लिए हैं। इसी प्रकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत जनजाति क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को सृजित करने तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है।

### 6.2.2 योजनागत एवं गैर-योजनागत अनुदान

संघ सरकार द्वारा दोनों योजनागत योजनाओं के निष्पादन तथा अन्य उद्देश्यों हेतु भी सहायता अनुदान प्रदान की जाती हैं। नीचे चार्ट योजनागत तथा गैर-योजनागत द्वारा सहायता अनुदानों के विवरण दर्शाता है। जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है, योजनागत योजनाओं के निष्पादन हेतु प्रदान की गई सहायता अनुदान को भारी मात्रा में सहायता अनुदानों के रूप में दर्ज किया गया है। 2007-08 से 2011-12 के दौरान योजनागत सहायता अनुदान का अंश कुल सहायता अनुदान के 77 से 80 प्रतिशत के बीच था।

चार्ट 6.4: योजनागत बनाम गैर-योजनागत सहायता अनुदान



नोट: डाटा स्रोत: ई-लेखा। इसमें जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है। उपरोक्त डाटा सिविल मंत्रालयों के लिए है अर्थात डाक विभाग, रक्षा सेवाएं तथा रेलवे को छोड़कर।

2007-08 से 2011-12 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान योजनागत अनुदानों ने 93 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की जबकि गैर-योजनागत अनुदान 61 प्रतिशत तक बढ़े हैं।

### 6.3 योजनागत सहायता अनुदान व्यय की बदलती प्रकृति


नब्बे के मध्य से संघ सरकार कुछ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित धन को कार्यान्वयन अभिकरणों, जो कि समितियां, स्वायत्त निकाय, गैर-सरकारी संगठन आदि हैं, के खातों में सीधे अंतरित करने की प्रक्रिया का अनुपालन कर रही है। अंतरण के इस पद्धति को अक्सर 'समिति पद्धति' के रूप में संदर्भित किया गया है। ऐसे अस्तित्व राज्य तथा जिला स्तर दोनों पर हैं तथा उनकी निधियां राज्य की समेकित निधि से बाहर हैं। संघ सरकार की अन्य पद्धति राज्य सरकार को अनुदानों का अंतरण करना है तथा यह "राजकोषीय पद्धति" के रूप में संदर्भित हैं, जो इस प्रकार अंतरण की गई राशि को राज्यों की संचित निधि में क्रेडिट करने पर जोर देता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुरूप है। क्रेडिट की गई राशि को फिर वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से समेकित निधि से विनियोजित किया जाता है। अंतरण की यह पद्धति एक संतुलित लेखांकन प्रणाली द्वारा समर्थित है जो व्यय के अंतिम शीर्ष, जिसमें प्रत्येक लेन-देन हेतु वाउचर राजकोष तथा राज्य महालेखाकार के पास उपलब्ध है, का पता लगाता है। यह सुविकसित लेखांकन ढांचा उचित वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करता है तथा व्यय की गुणवत्ता पर पर्यवेक्षण प्रदान करता है।

समिति पद्धति के माध्यम से अनुदानों के अंतरण की प्रमात्रा तेजी से बढ़ी है। प्रथम वर्ष से अर्थात वित्तीय वर्ष 2006-07, जिसके लिए तुलनीय डाटा उपलब्ध है, संघ सरकार



के लेखों में दर्ज व्यय ₹43,816 करोड़\* के क्रम का है। वर्ष 2011-12 के दौरान, यह आंकड़ा ₹1,09,173 करोड़\* तक बढ़ा है जो ढाई गुना वृद्धि है। नीचे चार्ट राजकोष पद्धति के माध्यम से सहायता अनुदान को राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को तथा कार्यान्वयन अभिकरणों एवं मंत्रालय के क्रियात्मक शीर्षों से अन्य निकाय/प्राधिकरणों को समिति पद्धति से सीधे निर्गमों को दर्शाता है।

चार्ट 6.5: राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों को सहायता अनुदान



<sup>5</sup> डाटा स्रोत: ई-लेखा। इसमें जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है।

<sup>#</sup> डाटा स्रोत: व्यय बजट की विवरणी सं. 18 का खण्ड-1।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधियों के अंतरण के लिए राज्यों की समेकित निधि के बाहर राज्य तथा जिला स्तरीय अभिकरणों को स्थापित करने की एक मुख्य अभिप्रेरणा ऐसे अंतरणों को राज्यों द्वारा अपने अर्थोपाय उद्देश्यों हेतु उपयोग किये जाने से बचाना था। राशियों का अर्थोपाय उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है के आधार पर समिति पद्धति के माध्यम से निर्गमों का औचित्य तर्कसंगत नहीं है। वास्तव में कई राज्य सरकारों ने हाल के वर्षों में बड़े रोकड़ आधिकार्यों का संचयन किया है। 31 मार्च 2012 को, 28 राज्यों के रोकड़ शेषों की समीक्षा ने प्रकट किया कि राज्य सरकारों के पास रोकड़ शेष के रूप में कुल ₹1,64,036 करोड़<sup>1</sup> उपलब्ध था।

इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली को कार्यक्रम उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु लोक निधियों का व्यय करने में कार्यान्वयन अभिकरणों को अधिक प्रत्यायोजन तथा नाम्यता प्रदान

\* वर्ष 2006-07 एवं 2011-12 में राजस्व वर्ग के अंतर्गत का का.अ. को क्रमशः ₹43,372 करोड़ तथा ₹1,08,480 करोड़ के प्रत्यक्ष निर्गम ।

<sup>1</sup> आंकड़े प्रावधानिक हैं तथा इसमें चिन्हित निधियों से निवेश शामिल है।

करने हेतु कार्यान्वित किया गया था। फिर भी जवाबदेही ढांचे का अनुकूल सुदृढीकरण नहीं किया गया है। विकेन्द्रित समिति/कार्यान्वयन अभिकरण पद्धति में प्राधिकार के फालतू तथा दुरुपयोग के नियंत्रण की जिम्मेदारी नाकाम हो गई है।

### 6.3.1 कार्यान्वयन अभिकरणों (का.अ.) के लेखों में अनिर्धारणीय अव्ययित शेष

वर्ष 2011-12 में, संघ सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सीधे ₹1,09,173<sup>2</sup> करोड़ जारी किए। चूंकि कार्यान्वयन अभिकरणों (का.अ.) द्वारा निधियों का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में नहीं किया जा रहा है इसलिए उनके लेखों में अव्ययित निधियों की पर्याप्त राशि बची है। सरकारी लेखों के बाहर रखे का.अ. के लेखों में अव्ययित शेषों की कुल राशि आसानी से निर्धारणीय नहीं है। इसलिए सरकारी व्यय, जैसा कि लेखों में दर्शाया गया है, को उस सीमा तक अधिक बताया गया है। सरकारी लेखे प्रत्यक्ष निर्गमों की यथार्थ राशि भी प्रकट नहीं करते।

लोक व्यय के दक्ष प्रबंधन पर रंगराजन समिति (समिति) ने समिति पद्धति के कार्यान्वयन में कुछ कमियाँ पाईं। कमियों में का.अ. हेतु लेखांकन कार्यढांचा का एक समान न होना, सृजित परिसम्पत्तियों के आश्वासन तथा लेखांकन की कमी, का.अ. द्वारा किए गए व्यय पर कोई केन्द्रित डाटा न होना, क्या उपयोग प्रमाणपत्र विश्वसनीय है पर कोई आश्वासन न होना, बड़े अव्ययित शेषों का प्रणाली के बाहर प्रवाह के रूप में रहना तथा नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्र का सभी उप-अनुदान ग्राहियों पर व्यापक न होना शामिल है।

समिति ने यह भी पाया कि राजकोष के माध्यम से राउटिंग निधियों के लाभों पर अधिक जोर नहीं डाला जा सकता। उसने यह भी बताया कि यह पद्धति सभी विपत्तियों का निपटान न कर पाए फिर भी यह बहु-अभिकरणों तथा संस्थान जिन पर 'राज्य' का कम नियंत्रण था, वाली प्रणाली से अच्छी थी। तेरहवें वित्त आयोग ने भी बताया था कि इष्टतम समाधान राज्य बजटों के माध्यम से निधियों को मार्ग पर लाना होगा जिससे कि राजकोष प्रणाली निधियों के उपयोग को सूचित कर सके तथा राज्य सरकार योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सके।

समिति ने आगे सिफारिश की कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना से सभी नई योजनाओं के साथ संभाव्य रूप से प्रारम्भ निधियों के अंतरण को पूर्णतः राजकोष पद्धति में सीधे परिवर्तन किया जाए। विद्यमान योजनाओं के लिए आवश्यक समायोजन हेतु लघु परवर्ती अवधि अपेक्षित थी। तथापि, जबकि राजकोष पद्धति में पूर्ण परिवर्तन कर दिया गया था,

<sup>2</sup> व्यय बजट 2013-14 (खण्ड-1), विवरणी 18 के अनुसार

फिर भी समिति पद्धति के अंतर्गत योजनाओं के लेखांकन, बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण तथा लेखापरीक्षण को तर्कसंगत किया जाना था।

इस वस्तु पर वर्ष 2007-08 के लिए नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं. सी.ए.-13, वर्ष 2008-09, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए प्रतिवेदन सं.1 में भी टिप्पणी की गई थी परंतु परिस्थिति का निपटान करने हेतु कोई विवेकपूर्ण कार्य नहीं किए गए थे।

### 6.3.2 सहायता अनुदान व्यय के मामले में नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रबंधन

सार्वजनिक सेवा वितरण मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र में, को गैर-सरकारी संगठनों सहित सरकारी अभिकरणों, सरकार के विभिन्न स्तरों तथा निजी क्षेत्र के बीच बढ़ते हुए जटिल अंतः संबंध द्वारा वर्णित किया गया है। हाल के वर्षों में, ध्वजपोत कार्यक्रमों तथा अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, जो योजनागत व्यय का सार्थक अनुपात संघटित करती हैं, के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकारी नीति में उदाहरणीय परिवर्तन है।

संघ सरकार, सरकार की योजनागत योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों को जारी सभी सहायता अनुदानों का एक डाटाबेस का अनुरक्षण करती है। डाटाबेस को केन्द्रीय योजनागत योजना मॉनीटरिंग प्रणाली अथवा के.यो.यो.मा.प्र. कहा जाता है। सहायता अनुदान व्यय की व्यापक श्रेणियों का विश्लेषण, के.यो.यो.मा.प्र. पोर्टल<sup>3</sup> की लेखापरीक्षा हेतु सीमित पहुँच उपलब्धता के आधार पर किया गया था। प्राप्तकर्ताओं के सैद्धांतिक श्रेणियों के अनुसार विद्यमान सार्वजनिक लेखापरीक्षा प्रबंधों सहित व्यय के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं।

<sup>3</sup> डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, सीपीएसएमएस.एनआईसी.इन



तालिका 6.1: श्रेणीवार योजनागत अनुदानों तथा लेखापरीक्षा अधिदेश को दर्शा रही

श्रेणी	2011-12 में जारी योजनागत अनुदान (₹करोड़ में)	कुल सहायता अनुदान (योजनागत) के प्रति प्रतिशतता	नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971) के संदर्भ में नि.म.ले.प. का लेखापरीक्षा अधिदेश
केन्द्रीय सरकारी निकाय/संस्थान	1,116.90	0.34%	धारा 14, 15 एवं 20
राज्य सरकार/सं.शा.क्षे.	1,42,156.11	43.47%	धारा 13
केन्द्रीय सा.क्षे.उ.	13,397.62	4.10%	धारा 19(1)
राज्य सा.क्षे.उ.	2,950.79	0.90%	धारा 19(1)
सांविधिक निकाय	21,157.63	6.47%	धारा 19(2) एवं (3)
स्थानीय निकाय	2,579.40	0.79%	धारा 14, 15 एवं 20 तथा तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता (प्र.भा.स.) के अंतर्गत
पंजीकृत समितियां (सरकारी स्वा.नि.)	1,38,934.66	42.49%	धारा 14, 15 एवं 20
पंजीकृत समितियां (गै.स.सं.) तथा ट्रस्ट	2,178.38	0.67%	धारा 14, 15 एवं 20
निजी क्षेत्र कम्पनियां#	1,546.46	0.47%	धारा 14, 15 एवं 20
राज्य सरकारी संस्थान	931.95	0.28%	धारा 13, 14, 19 एवं 20
अन्य	60.96	0.02%	—
<b>कुल योजना सहायता अनुदान</b>	<b>3,27,010.86</b>	<b>100.00</b>	

स्रोत: 18 जनवरी 2013 को के.यो.यो.मा.प्र. वेबसाइट से लिया गया डाटा।

# ऐसी कम्पनियाँ जो भारत की समेकित निधि से सहायता अनुदान की प्राप्ति में हैं, को संदर्भित है।

- 2011-12 के के.यो.यो.मा.प्र. वेब पोर्टल से निकाले गए डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे. को केवल 44 प्रतिशत योजनागत सहायता अनुदान प्रदान की गई थीं।
- उपरोक्त तालिका 6.1 में, प्रथम पांच श्रेणियां सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के अस्तित्वों को प्रदर्शित करती हैं। ऐसे मामलों में भा.नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा छूट सुस्पष्ट नहीं है। इन मामलों में अंतरण की पद्धति एक उच्च लेखांकन प्रणाली से समर्थित है। उपरोक्त पांच श्रेणियों में से राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों से संबंधित व्यय का 79 प्रतिशत को व्यय के अंतिम शीर्ष में लेखाबद्ध किया गया, जहाँ प्रत्येक लेन-देन से संबंधित वाउचर राज्य महालेखाकार के पास उपलब्ध है।
- योजनागत निधियों की पर्याप्त राशि (2011-12 में 43 प्रतिशत से अधिक अथवा ₹1,41,000 करोड़ से अधिक) को पंजीकृत समितियों/गैर-सरकारी संगठनों/ट्रस्टों को जारी की गई थी। इनमें से अधिकांश संस्थान नि.म.ले.प. के प्रत्यक्ष लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं हैं। नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 निर्धारित करता है कि नि.म.ले.प. द्वारा, सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से निधिबद्ध निकायों अथवा प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

तब की जा सकेगी अगर उस संस्थान के कुल व्यय का 75 प्रतिशत सरकार द्वारा निधिबद्ध किया गया है, तथा सहायता ₹25 लाख से अधिक होनी चाहिए। नि.म.ले.प. भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति से वैकल्पिक रूप से उन संस्थानों की लेखापरीक्षा कर सकेगा अगर उन संस्थानों को दी गई सहायता ₹1 करोड़ से अधिक हो। इस प्रकार, नि.म.ले.प. ऐसे निकायों की लेखापरीक्षा करेगा जो पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा निधिबद्ध हों तथा अनुदानग्राही संस्थान के कुल व्यय के विवरणों को यह संतोष दिलाना अपेक्षित है कि सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान/सहायता उन संस्थानों के कुल व्यय के 75 प्रतिशत से अधिक है। यह ऐसे अस्तित्वों के वार्षिक लेखों को नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना अपेक्षित करता है। वर्तमान में सरकार के पास अपने द्वारा पर्याप्त रूप से निधिबद्ध निकायों के वार्षिक लेखों को प्राप्त करने तथा इन लेखों को नि.म.ले.प. को प्रेषित करने हेतु कोई क्रियाविधि नहीं है। यह ऐसे अस्तित्वों की समय से लेखापरीक्षा करने तथा नि.म.ले.प. द्वारा संसद को लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समय पर सूचित करने को भी सीमित करता है।

- कुछ ध्वजपोत कार्यक्रम तथा योजना दिशानिर्देश वास्तविक व्यय तथा कार्यक्रम सुपुर्दगी हेतु उप-अनुदानग्राहियों को एक भाग अथवा पूर्ण राशि सौंपने वाले निकटतम निकाय अथवा प्राधिकरण के साथ के माध्यम से सरकारी सहायता को क्रम में करने का विचार करते हैं। सरकारी निधीयन प्राप्त कर रहे विभिन्न अभिकरण तथा समितियों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (क.श.से.श.) अधिनियम 1971 की धारा 14, 15, 19 तथा 20 के अंतर्गत की जाती है। तथापि, विद्यमान प्रावधानों में उप-अनुदानग्राहियों, कार्यान्वयन अभिकरणों, समितियों आदि जो समेकित निधि से या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, की लेखापरीक्षा हेतु कोई विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं है।
- मनरेगस जैसी कुछ योजनाओं के मामले में सरकार ने सभी कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए यह अधिदेशित किया है कि उनकी लेखा पुस्तिकाओं तक नि.म.ले.प. की पहुँच को अनुमत करें। तथापि, अधिकांश मामलों में वैधिक/सांविधिक अधिदेश को छोड़कर कोई ऐसा कार्यकारी आदेश नहीं है। इन संस्थानों की लेखापरीक्षा प्रारम्भिक रूप से उन संस्थानों के शासी निकायों द्वारा नियुक्त सनदी लेखापालों द्वारा की जा रही है। इस लेखापरीक्षा में संसद को सूचित करने की बाध्यताओं सहित स्वतन्त्रता की कमी की स्वाभाविक कमी थी। मामला लेखांकन नीतियों, लेखांकन विवरणियों के फार्मेट अथवा इन अधिकांश संस्थानों हेतु प्रकटन आवश्यकताओं को नियंत्रित करने वाले उपयुक्त संस्थागत प्रबंधनों की कमी के पृष्ठभूमि में अधिक महत्व ग्रहण करता है।



- इसके अतिरिक्त, इन पंजीकृत समितियों/गैर-सरकारी संगठनों/ट्रस्टों की पर्याप्त संख्या केवल प्रथम स्तरीय अनुदानग्राही हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से योजनागत योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल नहीं हैं। वह बदले में कार्यान्वयन अभिकरणों को अनुदान प्रदान करते हैं। ऐसे उप-अनुदानग्राही सीधे नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते।
- पंचायती राज संस्थानों जैसे स्थानीय निकायों तथा निगम एवं नगरपालिकाओं जैसे शहरी निकायों के में नि.म.ले.प. अधिकांश राज्यों में प्राथमिक लेखापरीक्षक नहीं हैं परंतु प्राथमिक लेखापरीक्षकों को तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण/सहायता प्रदान कर रहा है।

अतः सहायता अनुदान से संबंधित व्यय की पर्याप्त राशि के लिए नि.म.ले.प. ना ही उन्मुक्त और ना ही अप्रतिबंधित है। नि.म.ले.प. पर लगाए गए प्रतिबंध की सीमा का परिमाणन लेखापरीक्षा को प्रदत्त के.यो.यो.मा.प्र. डाटाबेस की सीमित पहुंच के दृष्टांत से संभव नहीं है। इससे सार्वजनिक व्यय के प्रति उत्तरदायित्व के बड़े मुद्दे पर प्रभाव पड़ता है।

यह विचार करते हुए कि सार्वजनिक लेखापरीक्षा का कार्य पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाना है इसलिए इन निकायों के नि.म.ले.प. अधिदेश पर विचार-विमर्श करने हेतु नि.म.ले.प. (क.श.से.श.) अधिनियम 1971 के विद्यमान प्रावधानों के लिए संशोधनों की सलाह दी गई थी (नवम्बर 2009)। यह अन्य बातों के साथ-साथ समेकित निधि से सीधे अनुदानें प्राप्त कर रहे सभी निकायों तथा प्राधिकरणों तथा अन्य ऐसे निकाय/प्राधिकरण, जो अनुदान प्राप्त कर रहे अनुदानग्राहियों द्वारा पर्याप्त रूप से निधिबद्ध है, को भी प्रस्तावित किया गया था। इसी प्रकार यह सुनिश्चित करने हेतु कि राजस्व, छूट आदि के बांटने के माध्यम से सरकार का ब्याज संरक्षित है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह प्रदान की गई थी, संशोधनों को संविदागत करार तथा अन्य साझेदारी प्रबंधन जैसेकि नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा के विस्तार क्षेत्र में पी.पी.पी. लाने हेतु प्रस्तावित किया गया था।

मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

### 6.3.3 योजनागत व्यय डाटा: समग्रता तथा उपलब्धता के मामले

सहायता अनुदान व्यय हाल के वर्षों में योजनागत व्यय का सबसे बड़ा घटक बन गया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सहायता अनुदान व्यय ने संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के कुल योजनागत व्यय का 76 प्रतिशत संघटित किया। योजनागत सहायता अनुदान व्यय में राज्यों, पंजीकृत समितियों, कार्यान्वयन अभिकरणों, निकायों तथा



संस्थानों को सहायता अनुदान व्यय की पर्याप्त प्रमात्रा संघटित करती हैं। केन्द्रीय मंत्रालय केन्द्र सरकार के मुख्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के माध्यम से निधियां सुपुर्द करने के बजाए कार्यान्वयन अभिकरणों (समितियों, स्वायत्त निकायों, गै.स.सं. आदि) को सीधे निधियां जारी कर रहे हैं।

सभी योजनागत योजनाओं के अंतर्गत निर्गमों को मॉनीटर करने तथा योजनाओं के अंतर्गत किए गए व्यय के संबंध में सूचना का प्रग्रहण करने के भी दृष्टांत से केन्द्रीय योजनागत योजना मॉनीटरिंग प्रणाली (के.यो.यो.मा.प्र.) स्थापित की गई थी। केन्द्रीय योजनागत योजना मॉनीटरिंग प्रणाली (के.यो.यो.मा.प्र.) का अभिप्रेत प्रत्येक केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के अंतर्गत निधि प्रवाह, व्यय तथा उपयोग की गई राशि पर राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम/कार्यान्वयन अभिकरण-वार रिपोर्ट तैयार करने के साथ केन्द्र सरकार द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन के अंतिम स्तर तक विभिन्न राज्यों/अभिकरणों को किए गए निर्गमों के प्रति व्यय किए गए व्यय का पता लगाना तथा सूचित करना है। यह भी बताया गया था कि के.यो.यो.मा.प्र., केन्द्र से राज्य तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को किए गए निर्गमों को अंतराबध करने हेतु बैंकिंग नेटवर्क को लाभ पहुँचाने तथा योजना कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर निधि की स्थिति पर डाटा तथा सूचना में विसंगतियों को कम करने तथा संभावित रूप से अंतिम अभिप्रेत लाभार्थी तक भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने पर भी लक्षित है।

केन्द्रीय सिविल मंत्रालयों में, के.यो.यो.मा.प्र. पूर्ण रूप से परिचालनात्मक है तथा सभी निर्गमों का एकल संस्वीकृति आई.डी. के सृजन के माध्यम से प्रग्रहण किया जा रहा है। सभी 785 सक्रिय योजनागत योजनाओं (अर्थात् राज्य योजनाओं से संयोजित केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) हेतु वास्तविक समय आधार पर योजना-वार, राज्य-वार, अभिकरण-वार तथा भौगोलिक योजना-वार निर्गमों पर समय श्रृंखला रिपोर्ट को उपलब्ध बताया गया था।

इसके अतिरिक्त, भारतीय सरकारी लेखांकन मानक-2 के अनुसार, सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों के विवरणों को संबंधित वर्षों के वित्त लेखों में प्रकट करना अनिवार्य है। तदनुसार वर्ष 2011-12 में वित्त लेखे की विवरणी सं.9 के परिशिष्ट के माध्यम से ऐसे प्रकटन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सहायता अनुदान सूचना का ई-लेखा पोर्टल के माध्यम से भी अनुरक्षण किया गया है।

इन तीन डाटा सेटों में सरकार द्वारा अनुरक्षित तथा प्रकट सूचना की तुलना ने सरकार द्वारा सहायता अनुदान के कुल निर्गमों में पर्याप्त भिन्नता प्रकट की। निम्न तालिका तीन विभिन्न डाटा स्रोतों में अंतर को स्पष्ट करती है।

तालिका 6.2: वित्तीय वर्ष 2011-12 में तीन डाटा स्रोतों में अंतर

(₹करोड़ में)

	वित्त लेखे की विवरणी सं. 9 की परिशिष्ट के अनुसार	ई-लेखा डाटा ढेर के अनुसार	के.यो.यो.मा.प्र. वैबसाईट के अनुसार
राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे. को जारी योजनागत सहायता अनुदान	1,25,902	1,34,635	1,42,156
जारी कुल योजनागत अनुदान	2,41,668	2,93,481	3,27,011

तथ्य कि डाटा के तीन स्रोत योजनागत व्यय से संबंधित मुख्य योग में बड़ी भिन्नता को दर्शाता है जो सूचना के संकलन तथा इसे प्रकट करने में गम्भीर कमियों को इंगित करता है।

अंतरणों का महत्व देते हुए लेखापरीक्षा ने महालेखा नियंत्रक से के.यो.यो.मा.प्र. डाटा ढेर की मांग की (मई 2012) जिससे कि योजनागत योजनाओं के अंतर्गत अंतरित राशियों के लेखांकन में निष्पक्षता के संबंध में आश्वासन प्राप्त किया जा सके। दीर्घकालिक पत्राचार के पश्चात, फरवरी 2013 में नौ महीनों के पश्चात के.यो.यो.मा.प्र. का अपूर्ण डाटा प्रदान किया गया था। निधियां प्राप्त कर रहे अभिकरण की श्रेणी, ऐसे अभिकरण की भौगोलिक स्थिति, निर्गम की वास्तविक तिथि आदि जैसे आवश्यक विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा योजनागत कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किए गए राज्य-वार तथा अभिकरण प्रकार-वार निर्गमों का विश्लेषण करने में असमर्थ थी। उपलब्ध कराए गए डाटा से डाटा का समय विश्लेषण भी संभव नहीं था। इस प्रकार के.यो.यो.मा.प्र. डाटा के यथार्थता को भी सत्यापित नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्रालय में महालेखा नियंत्रक द्वारा संकलित डाटा के तीन सैटों में अंतर दिए जाने से योजनागत व्यय पर लेखापरीक्षा को प्रदत्त डाटा की समग्रता संदेहपूर्ण थी।

महालेखा नियंत्रक ने बताया (अप्रैल 2013) कि ई-लेखा के अनुसार लेखापरीक्षा के योजनागत सहायता अनुदान के आंकड़ों में राज्यों को दिए गए कर्जों के आंकड़े शामिल हो सकते हैं। के.यो.यो.मा.प्र. के अनुसार राज्य/सं.शा.क्षे. सरकार को जारी योजनागत सहायता अनुदान हेतु आंकड़ों के संबंध में महालेखा नियंत्रक ने यह भी बताया कि आंकड़े में वस्तु शीर्ष 'निवेश' तथा 'कर्ज एवं पेशगियां' शामिल हैं।

राज्य/सं.शा.क्षे. सरकारों को योजनागत सहायता अनुदान से संबंधित आंकड़ों को वित्त लेखों से पुनः सत्यापित किया गया था। ई-लेखा के अनुसार राज्य सरकारों को कर्जों से उत्पन्न हो रहे ₹ 8,732.51 करोड़ के उच्च आंकड़े हेतु प्रस्तावित युक्तियुक्त

स्पष्टीकरण वास्तविक रूप से गलत है क्योंकि राज्य सरकारों को योजनागत कर्जे के मामले में लेखे के माध्यम से सृजित आंकड़ा ₹ 10,016 करोड़ है।

महालेखा नियंत्रक का उत्तर यह सुनिश्चित करता है कि इसके संगठन के अंतर्गत भिन्न स्रोतों से उजागर हो रहा डाटा यथार्थता का आश्वासन प्रदान नहीं करता है। वास्तव में डाटा का उपयोग करना, जिसमें सार्वजनिक व्यय के प्रबंधन तथा निर्णय लेने के उद्देश्य हेतु समग्रता की कमी है, गम्भीर जोखिमों से भरा हुआ है।

#### 6.4 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

वित्तीय वर्ष 2009-10 से केन्द्र सरकार ने नया वस्तु शीर्ष (विनियोग की प्राथमिक इकाई) नामतः 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' खोला था। इस वस्तु शीर्ष में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु जारी अनुदानों पर व्यय को दर्ज किया जाना था। इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज व्यय तेजी से बढ़ रहा है- 2010-11 में लगभग ₹57,000 करोड़ से यह 2011-12 में ₹1,32,000 करोड़ से अधिक तक बढ़ा।

लेखों के लिए मूलभूत सिद्धांत यह है कि अस्तित्वों के खातों में दर्ज की जाने वाली परिसम्पत्ति के लिए परिसम्पत्ति का स्वामित्व अस्तित्व के साथ होना चाहिए। तथापि, कुछ मामलों में यह पाया गया है कि इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज अनुदानों का परिणाम पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में नहीं हुआ है अथवा परिसम्पत्ति का स्वामित्व सरकार के पास नहीं रहता है। विषय में एक मामला मनरेगा के अंतर्गत प्रदान की गई अनुदानों का है।

अनुदान 'ग्रामीण विकास' तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगस) से संबंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ₹29,189.77 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के परिचालन के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत दर्ज किया।

इस संबंध में निम्नलिखित मामले पाए गए थे:

- क) मनरेगा के अंतर्गत प्रारम्भ निर्माण कार्यों का बड़ी संख्या में परिणाम लाभप्रद परिसम्पत्तियों के सृजन में नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें बीच में ही छोड़ दिया गया था। मनरेगस की निष्पादन लेखापरीक्षा (2013 की प्रतिवेदन सं.6) में, जिसमें 2007-12 की अवधि शामिल है, यह देखा गया कि ₹209.57 करोड़ की राशि के निर्माण कार्यों को बीच में छोड़ दिया गया था। इसके अतिरिक्त ₹4070.76 करोड़ की राशि के निर्माण कार्य अपूर्ण थे तथा उनका परिणाम



परिसम्पत्तियों के सृजन में नहीं हुआ था।

- ख) मनरेगा की सारणी-1 के अनुसार, लाभार्थियों की भूमियों पर कुछ निर्माण कार्य करना अनुमत है - अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित परिवारों द्वारा स्वामित्व भूमि अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि, अथवा इंदिरा गांधी आवास योजना/ ग.रे.नी. परिवारों के अंतर्गत लाभार्थियों की भूमि पर सिंचाई सुविधा, वृक्षरोपण, बागवानी, भूमि विकास का प्रावधान। लाभार्थियों की भूमि पर प्रारम्भ निर्माण कार्य अथवा निर्माण कार्य जिनका परिणाम परिसम्पत्तियों के सृजन में हुआ हो के मामले में परिसम्पत्ति का स्वामित्व सरकार के पास नहीं था।
- ग) निर्माण कार्य की बड़ी संख्या का परिणाम परिसम्पत्तियों के सृजन में नहीं हुआ था क्योंकि ध्यान रोजगार सृजन अथवा विद्यमान परिसम्पत्तियों के लघु सुधारों पर था। मनरेगा की निष्पादन लेखापरीक्षा (2013 का प्रतिवेदन सं. 6) में, जिसमें 2007-12 की अवधि शामिल है, यह देखा गया था कि ₹6547.35 करोड़ की राशि के निर्माण कार्य का परिणाम स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन में नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने बताया (जून 2012) कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन के परिणामस्वरूप सामाजिक एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन हुआ तथा इसलिए पूरे बजट को पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रकाश में, इस ध्वजपोत योजना के अंतर्गत पूरी राशि को “पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के अधीन वर्गीकृत न करना एक बड़ा मामला है। सभी मामलों में, जहाँ राशियाँ पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में वर्गीकृत की जा रही हैं, व्यय की प्रकृति का पता लगाना चाहिए।

#### 6.5 उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र.)

केन्द्र सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदानों की प्रभावकारिता तथा उपयोग को उपयोग प्रमाणपत्रों के साधन के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है। वित्तीय नियमावली 2005 का नियम 209 किसी भी अनुदानग्राही को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है तथा संस्वीकृति देने वाले प्राधिकरण को सा.वि.नि. 39 के प्रावधान में अनुदानों की पंजिका का अनुक्षण करना अपेक्षित है। सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 का नियम 212 सा.वि.नि. 19क में निर्धारित उपयोग प्रमाणपत्र के साधन के माध्यम से जारी किए गए अनुदानों के उपयोग की मॉनीटरिंग को शामिल करता है। अनुदानग्राही को वित्तीय वर्ष समाप्ति से बारह माह के अन्दर उपयोग प्रमाणपत्र जमा कराना अपेक्षित है। सा.वि.नि. का नियम 212(3) अनुदानग्राही

सहायता अनुदान : एक विश्लेषण

निकायों द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग को उपलब्धि-सह-निष्पादन रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रावधान करता है।


मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई लंबित उ.प्र. की स्थिति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 6.3: बकाया उ.प्र. के विवरण

मंत्रालय का नाम	बकाया उ.प्र. की सं.	उ.प्र. की राशि (₹ लाख में)
कृषि मंत्रालय	1085	3,60,779.98
परमाणु ऊर्जा विभाग	312	3,370.22
विद्युत विभाग	12	16,195.08
खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	3195	55,399.30
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग	21	135.26
पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण	3	1.80
उपभोक्ता कार्य विभाग	45	150.62
खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	66	5,066.97
पंचायती राज मंत्रालय	248	77,531.56
सांस्कृतिक मंत्रालय	3316	27,081.76
युवा मामले विभाग	4083	11,201.06
खेल-कूद विभाग	2183	62,309.56
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	5110	31,151.71
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	74	599.95
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	9792	99,650.02
ग्रामीण विकास मंत्रालय	1439	2,79,533.00
सार्वजनिक उद्यम विभाग	5	126.58
भारी उद्योग विभाग	15	39,690.00
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	33	5,633.00
औषधीय विभाग	10	908.00
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	235	16,789.63
उच्चतर शिक्षा विभाग	2328	1,13,175.34
स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	1369	5,28,535.25
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	682	2,693.27
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय	3	6,072.02
पोत परिवहन मंत्रालय	9	568.42
शहरी विकास मंत्रालय	204	43,795.40
आवासीय तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	246	57,881.11
खान मंत्रालय	8	164.06
अंतरिक्ष विभाग	302	1,993.34
<b>कुल</b>	<b>36433</b>	<b>18,48,183.27</b>

31 मार्च 2012 को 30 मंत्रालयों/विभागों में ₹18,481.83 करोड़ के 36,433 उ.प्र. बकाया थे। मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह प्रदान किया गया था, उ.प्र. एकमात्र साधन हैं। लंबित उ.प्र. की बड़ी संख्या मंत्रालयों में खराब मॉनीटरिंग तथा अनुपालन क्रियाविधि को दर्शाते हैं।

नई दिल्ली  
दिनांक : 22 अप्रैल 2013



(रॉय मथरानी)  
महानिदेशक लेखापरीक्षा,  
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक : 22 अप्रैल 2013



(विनोद रॉय)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



अनुबंध



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध I -क  
(पैराग्राफ 1.3.7 के संदर्भ में)

योजनागत व्यय के घटकों का अनुदान-वार विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

विषय शीर्ष संख्या	31	35	36	33	53	54	55	अन्य	कुल योग
विषय शीर्ष की नामावली	सहायता अनुदान	पूँजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	इमदाद	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
<b>001 कृषि एवं सहकारिता विभाग</b>									
व्यय	15051.38	49.15	0	0	15.50	0	30.24	1410.39	16556.66
कुल योजना व्यय का %	90.91%	0.30%	-	-	0.09%	-	0.18%	8.52%	100.00%
<b>002 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग</b>									
व्यय	2430.02	400.59	0	0	0	0	0	0.99	2831.60
कुल योजना व्यय का %	85.82%	14.15%	-	-	-	-	-	0.04%	100.00%
<b>003 पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग</b>									
व्यय	1077.12	0.01	0	0	10.27	0	0	155.72	1243.12
कुल योजना व्यय का %	86.65%	-	-	-	0.83%	-	-	12.53%	100.00%
<b>004 परमाणु ऊर्जा</b>									
व्यय	120.37	929.26	0	0	695.87	0	0	1166.31	2911.81
कुल योजना व्यय का %	4.13%	31.91%	-	-	23.90%	-	-	40.05%	100.00%
<b>005 नाभकीय शक्ति योजना</b>									
व्यय	0	0	0	0	3.11	875.00	0	499.92	1378.03
कुल योजना व्यय का %	-	-	-	-	0.23%	63.50%	-	36.28%	100.00%
<b>006 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग</b>									
व्यय	12.60	48.24	0	875.44	0	0	0	0.35	936.63
कुल योजना व्यय का %	1.35%	5.15%	-	93.47%	-	-	-	0.04%	100.00%
<b>007 उर्वरक विभाग</b>									
व्यय	1.35	0	0	0	0	0	217.49	3.46	222.30
कुल योजना व्यय का %	0.61%	-	-	-	-	-	97.84%	1.56%	100.00%



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

योजनागत व्यय के घटकों का अनुदान-वार विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

विषय शीर्ष संख्या	31	35	36	33	53	54	55	अन्य	कुल योग
विषय शीर्ष की नामावली	सहायता अनुदान	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	इमदाद	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
<b>008 औषधीय विभाग</b>									
व्यय	12.32	22.61	0	0	0	0	5.21	0.19	40.33
कुल योजना व्यय का %	30.55%	56.06%	-	-	-	-	12.92%	0.47%	100.00%
<b>009 नागरिक उड्डयन विभाग</b>									
व्यय	0	124.41	0	0	16.34	1200.95	0.95	14.79	1357.44
कुल योजना व्यय का %	-	9.17%	-	-	1.20%	88.47%	0.07%	1.09%	100.00%
<b>010 कोयला मंत्रालय</b>									
व्यय	0	0	0	143.11	0	0	0	184.46	327.57
कुल योजना व्यय का %	-	-	-	43.69%	-	-	-	56.31%	100.00%
<b>011 वाणिज्य विभाग</b>									
व्यय	420.38	32.33	0	587.39	736.08	0	0	28.02	1804.20
कुल योजना व्यय का %	23.30%	1.79%	-	32.56%	40.80%	-	-	1.55%	100.00%
<b>012 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग</b>									
व्यय	150.30	219.35	0	629.50	1.24	0	0	45.72	1046.11
कुल योजना व्यय का %	14.37%	20.97%	-	60.18%	0.12%	-	-	4.37%	100.00%
<b>014 दूरसंचार विभाग</b>									
व्यय	1744.88	126.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	1875.47
कुल योजना व्यय का %	93.04%	6.72%	-	-	-	0.24%	-	-	100.00%
<b>015 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग</b>									
व्यय	1113.88	57.54	0	0	0.83	0	0	858.85	2031.10
कुल योजना व्यय का %	54.84%	2.83%	-	-	0.04%	-	-	42.29%	100.00%
<b>016 उपभोक्ता मामले विभाग</b>									
व्यय	5.86	26.07	0	0	15.06	0	0	128.63	175.62
कुल योजना व्यय का %	3.34%	14.84%	-	-	8.58%	-	-	73.25%	100.00%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

योजनागत व्यय के घटकों का अनुदान-वार विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

विषय शीर्ष संख्या	31	35	36	33	53	54	55		
विषय शीर्ष की नामावली	सहायता अनुदान	पूँजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	इमदाद	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
<b>017</b> खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग									
व्यय	2.81	11.96	1.20	0	0	61.94	0	13.26	91.17
कुल योजना व्यय का %	3.08%	13.12%	1.32%	-	-	67.94%	-	14.54%	100.00%
<b>018</b> कार्पोरेट कार्य मंत्रालय									
व्यय	3.00	0	0	0	24.99	0	0	0	27.99
कुल योजना व्यय का %	10.72%	-	-	-	89.28%	-	-	-	100.00%
<b>019</b> संस्कृति मंत्रालय									
व्यय	424.09	58.12	0	0	20.81	0	0	245.99	749.01
कुल योजना व्यय का %	56.62%	7.76%	-	-	2.78%	-	-	32.84%	100.00%
<b>028</b> उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय									
व्यय	114.50	1360.63	0	0	138.89	30.00	60.00	29.63	1733.65
कुल योजना व्यय का %	6.60%	78.48%	-	-	8.01%	1.73%	3.46%	1.71%	100.00%
<b>029</b> भू-विज्ञान मंत्रालय									
व्यय	633.69	15.00	0	0	45.01	0	0	125.02	818.72
कुल योजना व्यय का %	77.40%	1.83%	-	-	5.50%	-	-	15.27%	100.00%
<b>030</b> पर्यावरण एवं वन मंत्रालय									
व्यय	1113.88	478.42	0	0	94.30	0	0	198.79	1885.39
कुल योजना व्यय का %	59.08%	25.38%	-	-	5.00%	-	-	10.54%	100.00%
<b>031</b> विदेश मंत्रालय									
व्यय	0	0	0	0	0	0	791.00	312.78	1103.78
कुल योजना व्यय का %	-	-	-	-	-	-	71.66%	28.34%	100.00%
<b>032</b> आर्थिक कार्य विभाग									
व्यय	0	0	0	0	1059.56	0	0	300.00	1359.56
कुल योजना व्यय का %	-	-	-	-	77.93%	-	-	22.07%	100.00%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

योजनागत व्यय के घटकों का अनुदान-वार विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

विषय शीर्ष संख्या	31	35	36	33	53	54	55		
विषय शीर्ष की नामावली	सहायता अनुदान	पूँजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	इमदाद	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
<b>033</b> वित्त सेवाएं विभाग									
व्यय	200.00	0	0	0	0	14297.43	0	0	14497.43
कुल योजना व्यय का %	1.38%	-	-	-	-	98.62%	-	-	100.00%
<b>035</b> राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण									
व्यय	35989.85	34090.58	0	0	0	0	9995.36	0	80075.79
कुल योजना व्यय का %	44.94%	42.57%	-	-	-	-	12.48%	-	100.00%
<b>038</b> व्यय विभाग									
व्यय	2.45	0	0	0	1.03	0	0	0	3.48
कुल योजना व्यय का %	70.40%	-	-	-	29.60%	-	-	-	100.00%
<b>039</b> पेंशन									
व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
कुल योजना व्यय का %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>045</b> खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय									
व्यय	418.96	80.00	0	0	0	0	0	19.88	518.84
कुल योजना व्यय का %	80.75%	15.42%	-	-	-	-	-	3.83%	100.00%
<b>046</b> स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग									
व्यय	16890.46	1326.85	186.03	4.42	952.44	28.00	0	1277.05	20665.25
कुल योजना व्यय का %	81.73%	6.42%	0.90%	0.02%	4.61%	0.14%	-	6.18%	100.00%
<b>047- आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग</b>									
व्यय	294.14	190.08	70.69	0	0	24.00	0	32.56	611.47
कुल योजना व्यय का %	48.10%	31.09%	11.56%	-	-	3.93%	-	5.32%	100.00%
<b>048</b> स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग									
व्यय	404.49	70.00	81.10	0	0	0	0	8.91	564.50
कुल योजना व्यय का %	71.66%	12.40%	14.37%	-	-	-	-	1.58%	100.00%



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

योजनागत व्यय के घटकों का अनुदान-वार विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

विषय शीर्ष संख्या	31	35	36	33	53	54	55	अन्य	कुल योग
विषय शीर्ष की नामावली	सहायता अनुदान	पूँजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	इमदाद	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
<b>049 एड्स नियंत्रण विभाग</b>									
व्यय	747.83	0	0	0	0.18	0	0	556.95	1304.96
कुल योजना व्यय का %	57.31%	-	-	-	0.01%	-	-	42.68%	100.00%
<b>050 भारी उद्योग विभाग</b>									
व्यय	355.38	0	0	0	0	0	0	1.66	357.04
कुल योजना व्यय का %	99.53%	-	-	-	-	-	-	0.47%	100.00%
<b>051 सार्वजनिक उद्यम विभाग</b>									
व्यय	8.40	0	0	0	0	0	0	0.58	8.98
कुल योजना व्यय का %	93.49%	-	-	-	-	-	-	6.51%	100.00%
<b>052 गृह मंत्रालय</b>									
व्यय	131.43	0	0	0	2.00	0	0	1371.18	1504.61
कुल योजना व्यय का %	8.74%	-	-	-	0.13%	-	-	91.13%	100.00%
<b>054 पुलिस</b>									
व्यय	400.38	0	0	0	3796.01	0	0	119.13	4315.52
कुल योजना व्यय का %	9.28%	-	-	-	87.96%	-	-	2.76%	100.00%
<b>055 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय</b>									
व्यय	13.94	69.85	0	0	0	0	0	15.55	99.34
कुल योजना व्यय का %	14.04%	70.31%	-	-	-	-	-	15.66%	100.00%
<b>056 संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण</b>									
व्यय	848.39	0	0	0	0	0	0	0	848.39
कुल योजना व्यय का %	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
<b>057 आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</b>									
व्यय	887.6	30.04	0	5.09	0	0	0	31.10	953.83
कुल योजना व्यय का %	93.06%	3.15%	-	0.53%	-	-	-	3.26%	100.00%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

योजनागत व्यय के घटकों का अनुदान-वार विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

विषय शीर्ष संख्या	31	35	36	33	53	54	55		
विषय शीर्ष की नामावली	सहायता अनुदान	पूँजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	इमदाद	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
<b>058</b> स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग									
व्यय	25075.62	12927.13	0	0	0	0	0	119.76	38122.51
कुल योजना व्यय का %	65.78%	33.91%	-	-	-	-	-	0.31%	100.00%
<b>059</b> उच्च शिक्षा विभाग									
व्यय	5387.87	7092.24	0	0	0	0	0	236.26	12716.37
कुल योजना व्यय का %	42.37%	55.77%	-	-	-	-	-	1.86%	100.00%
<b>060</b> सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय									
व्यय	17.85	142.75	0	0	101.89	8.63	329.46	171.03	771.61
कुल योजना व्यय का %	2.31%	18.50%	-	-	13.20%	1.12%	42.70%	22.17%	100.00%
<b>061</b> श्रम एवं रोजगार मंत्रालय									
व्यय	1269.06	70.29	0	0	0	0	517.50	115.40	1972.25
कुल योजना व्यय का %	64.35%	3.56%	-	-	-	-	26.24%	5.85%	100.00%
<b>063</b> विधि एवं न्याय									
व्यय	590.20	0	0	0	0	0	0	87.82	678.02
कुल योजना व्यय का %	87.05%	-	-	-	-	-	-	12.95%	100.00%
<b>065</b> सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय									
व्यय	1465.67	58.66	0	268.22	1.46	155.00	1.00	68.28	2018.29
कुल योजना व्यय का %	72.62%	2.91%	-	13.29%	0.07%	7.68%	0.05%	3.38%	100.00%
<b>066</b> खनन मंत्रालय									
व्यय	10.67	0	0	0	0.01	0	0	357.81	368.49
कुल योजना व्यय का %	2.90%	-	-	-	-	-	-	97.10%	100.00%
<b>067</b> अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय									
व्यय	1363.79	779.55	0	0	0	115.00	0	25.07	2283.41
कुल योजना व्यय का %	59.73%	34.14%	-	-	-	5.04%	-	1.10%	100.00%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

योजनागत व्यय के घटकों का अनुदान-वार विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

विषय शीर्ष संख्या	31	35	36	33	53	54	55		
विषय शीर्ष की नामावली	सहायता अनुदान	पूँजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	इमदाद	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
<b>068</b> नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय									
व्यय	880.48	0	0	366.84	15.3	55.00	0	34.62	1352.24
कुल योजना व्यय का %	65.11%	-	-	27.13%	1.13%	4.07%	-	2.56%	100.00%
<b>070</b> पंचायती राज मंत्रालय									
व्यय	4027.96	49.00	0	0	0	0	0	30.08	4107.04
कुल योजना व्यय का %	98.07%	1.19%	-	-	-	-	-	0.73%	100.00%
<b>072</b> कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय									
व्यय	1.66	3.00	0	0	51.62	0	0	104.80	161.08
कुल योजना व्यय का %	1.03%	1.86%	-	-	32.05%	-	-	65.06%	100.00%
<b>074</b> योजना मंत्रालय									
व्यय	13.70	2.18	0	0	26.07	0	0	1215.87	1257.82
कुल योजना व्यय का %	1.09%	0.17%	-	-	2.07%	-	-	96.67%	100.00%
<b>075</b> विद्युत मंत्रालय									
व्यय	180.68	18.83	0	2237.31	0.38	192.43	2161.57	56.21	4847.41
कुल योजना व्यय का %	3.73%	0.39%	-	46.15%	0.01%	3.97%	44.59%	1.16%	100.00%
<b>081</b> सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय									
व्यय	17.58	2202.21	0	0	8302.84	8879.89	0	87.50	19490.02
कुल योजना व्यय का %	0.09%	11.30%	-	-	42.60%	45.56%	-	0.45%	100.00%
<b>082</b> ग्रामीण विकास विभाग									
व्यय	6540.89	54951.92	0	0	0	0	0	2726.16	64218.97
कुल योजना व्यय का %	10.19%	85.57%	-	-	-	-	-	4.25%	100.00%
<b>083</b> भूमि संसाधन विभाग									
व्यय	2398.85	3.01	0	0	0	0	0	16.98	2418.84
कुल योजना व्यय का %	99.17%	0.12%	-	-	-	-	-	0.70%	100.00%



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

योजनागत व्यय के घटकों का अनुदान-वार विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

विषय शीर्ष संख्या	31	35	36	33	53	54	55	अन्य	कुल योग
विषय शीर्ष की नामावली	सहायता अनुदान	पूँजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	इमदाद	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
<b>084</b> पेयजल एवं स्वच्छता विभाग									
व्यय	9914.64	0	0	0	0	0	0	78.24	9992.88
कुल योजना व्यय का %	99.22%	-	-	-	-	-	-	0.78%	100.00%
<b>085</b> विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग									
व्यय	1274.12	730.51	91.17	0	9.57	0	27.29	34.68	2167.34
कुल योजना व्यय का %	58.79%	33.71%	4.21%	-	0.44%	-	1.26%	1.60%	100.00%
<b>086</b> वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग									
व्यय	960.04	844.65	16.70	0	0.68	2.5	2.5	1.53	1828.60
कुल योजना व्यय का %	52.50%	46.19%	0.91%	-	0.04%	0.14%	0.14%	0.08%	100.00%
<b>087</b> जैव तकनीकी विभाग									
व्यय	730.82	437.02	0	0	0	0	0	14.55	1182.39
कुल योजना व्यय का %	61.81%	36.96%	-	-	-	-	-	1.23%	100.00%
<b>088</b> पौत परिवहन मंत्रालय									
व्यय	2.81	113.33	0	1.00	152.97	0	0	60.66	330.77
कुल योजना व्यय का %	0.85%	34.26%	-	0.30%	46.25%	-	-	18.34%	100.00%
<b>089</b> सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय									
व्यय	4627.38	106.98	0	0	0	245.00	0	30.35	5009.71
कुल योजना व्यय का %	92.37%	2.14%	-	-	-	4.89%	-	0.61%	100.00%
<b>090</b> अंतरिक्ष विभाग									
व्यय	70.82	0	0	0	143.62	0	0	2577.16	2791.60
कुल योजना व्यय का %	2.54%	-	-	-	5.14%	-	-	92.32%	100.00%
<b>091</b> सांख्यिकी एवं कार्यक्रमबद्ध कार्यान्वयन मंत्रालय									
व्यय	154.09	2516.68	0	0	4.36	0	0	95.03	2770.16
कुल योजना व्यय का %	5.56%	90.85%	-	-	0.16%	-	-	3.43%	100.00%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

योजनागत व्यय के घटकों का अनुदान-वार विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

विषय शीर्ष संख्या	31	35	36	33	53	54	55	अन्य	कुल योग
विषय शीर्ष की नामावली	सहायता अनुदान	पूँजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	इमदाद	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
<b>092</b> इस्पात मंत्रालय									
व्यय	9.63	0	0	0	0	0	0	0	9.63
कुल योजना व्यय का %	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
<b>093</b> कपड़ा मंत्रालय									
व्यय	859.55	388.63	0	2934.09	19.40	0	0	73.81	4275.48
कुल योजना व्यय का %	20.10%	9.09%	-	68.63%	0.45%	-	-	1.73%	100.00%
<b>094</b> पर्यटन मंत्रालय									
व्यय	30.18	705.63	0	0.01	1.00	0	0	316.72	1053.54
कुल योजना व्यय का %	2.86%	66.98%	-	-	0.09%	-	-	30.06%	100.00%
<b>095</b> जनजातीय मामले मंत्रालय									
व्यय	2084.00	1460.05	5.50	0	0	70.00	0	4.33	3623.88
कुल योजना व्यय का %	57.51%	40.29%	0.15%	-	-	1.93%	-	0.12%	100.00%
<b>096</b> अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह									
व्यय	86.33	76.31	0	3.42	339.52	0.19	0	799.29	1305.06
कुल योजना व्यय का %	6.61%	5.85%	-	0.26%	26.02%	0.01%	-	61.25%	100.00%
<b>097</b> चंडीगढ़									
व्यय	25.54	0	0	0.01	443.85	0.06	0	158.79	628.25
कुल योजना व्यय का %	4.07%	-	-	-	70.65%	0.01%	-	25.27%	100.00%
<b>098</b> दादरा एवं नागर हवेली									
व्यय	43.43	26.85	0	0.66	107.80	0	0.17	53.03	231.94
कुल योजना व्यय का %	18.72%	11.58%	-	0.29%	46.48%	-	0.07%	22.86%	100.00%
<b>099</b> दमन एवं दीव									
व्यय	73.87	25.00	0	0.11	108.95	4.7	0.05	112.08	324.76
कुल योजना व्यय का %	22.75%	7.70%	-	0.03%	33.55%	1.45%	0.01%	34.51%	100.00%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

योजनागत व्यय के घटकों का अनुदान-वार विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

विषय शीर्ष संख्या	31	35	36	33	53	54	55		
विषय शीर्ष की नामावली	सहायता अनुदान	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	इमदाद	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
<b>100 लक्षद्वीप</b>									
व्यय	33.70	0	0	3.91	131.18	0.15	0.29	213.65	382.88
कुल योजना व्यय का %	8.80%	-	-	1.02%	34.26%	0.04%	0.07%	55.80%	100.00%
<b>101 शहरी विकास विभाग</b>									
व्यय	35.88	337.54	0	0	347.53	1715.09	3483.04	93.41	6012.49
कुल योजना व्यय का %	0.60%	5.61%	-	-	5.78%	28.53%	57.93%	1.55%	100.00%
<b>102 लोक निर्माण-कार्य</b>									
व्यय	0	0	0	0	134.02	0	0	10.91	144.93
कुल योजना व्यय का %	0.00%	-	-	-	92.48%	-	-	7.52%	100.00%
<b>104 जल संसाधन मंत्रालय</b>									
व्यय	186.40	0	0	0	163.43	0	0	236.34	586.17
कुल योजना व्यय का %	31.80%	-	-	-	27.88%	-	-	40.32%	100.00%
<b>105 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>									
व्यय	15535.88	11.57	17.58	0	0	0	0	32.12	15597.15
कुल योजना व्यय का %	99.61%	0.07%	0.11%	-	-	-	-	0.21%	100.00%
<b>106 युवा मामले एवं खूल-कूद मंत्रालय</b>									
व्यय	848.33	0	0	0	1.15	0	0	32.28	881.76
कुल योजना व्यय का %	96.21%	-	-	-	0.13%	-	-	3.66%	100.00%
<b>कुल</b>									
व्यय	167111.20	125772.60	469.97	8060.53	18238.09	27960.96	17623.10	19640.41	384876.86
कुल योजना व्यय का %	43.42%	32.68%	0.12%	2.09%	4.74%	7.26%	4.58%	5.10%	100.00%

\*डाटा ई-लेखा से लिया गया है, मार्च 2012 के डाटा में अनुपूरक लेखांकन माह के डाटा सम्मिलित है, डाटा में आंतरिक लेखा अंतरण (वस्तु शीर्ष 63) तथा घटाई गई वसूलियों (वस्तु शीर्ष 70) के अंतर्गत लेखांकित राशियां सम्मिलित नहीं हैं।



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध I-ख  
(पैराग्राफ 1.4 के संदर्भ में)  
व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्टूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11	जनवरी 12	फरवरी 12	मार्च 12	कुल
<b>001- कृषि एवं सहकारिता विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	31	1551	3185	930	548	2460	501	748	2348	1076	1193	2180	16751
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	9%	19%	6%	3%	15%	3%	4%	14%	6%	7%	13%	100%
<b>002- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	815	0	974	0	378	390	172	917	21	20	642	658	4987
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	16%	0%	20%	0%	8%	8%	3%	18%	0%	0%	13%	13%	100%
<b>003- पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	71	101	132	138	115	359	40	60	190	53	235	164	1658
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	6%	8%	8%	7%	22%	2%	4%	11%	3%	14%	10%	100%
<b>004- परमाणु ऊर्जा</b>													
माह के दौरान व्यय	613	507	487	677	565	606	804	489	679	686	637	1288	8038
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8%	6%	6%	8%	7%	8%	10%	6%	8%	9%	8%	16%	100%
<b>005- नाभकीय शक्ति योजना</b>													
माह के दौरान व्यय	87	187	6153	172	120	448	148	122	195	177	116	1553	9478
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	2%	65%	2%	1%	5%	2%	1%	2%	2%	1%	16%	100%
<b>006- रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	35	64	425	1	2	197	257	21	207	31	23	12	1275
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3%	5%	33%	0%	0%	15%	20%	2%	16%	2%	2%	1%	100%
<b>007- उर्वरक विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	3340	5896	6378	4882	7121	5498	7975	6295	11230	7183	538	8474	74810
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	8%	9%	7%	10%	7%	11%	8%	15%	10%	1%	11%	100%
<b>008- औषधीय विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	1	12	4	3	1	2	10	19	12	5	1	7	77
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	15%	5%	4%	1%	3%	12%	24%	16%	7%	1%	9%	100%
<b>009- नागरिक उड्डयन मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	10	5	257	260	708	228	19	312	16	12	15	198	2040
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	13%	13%	35%	11%	1%	15%	1%	1%	1%	10%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्तूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11	जनवरी 12	फरवरी 12	मार्च 12	कुल
<b>010- कोयला मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	2	2	2	51	94	2	2	20	1	33	97	96	402
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	0%	0%	13%	23%	0%	1%	5%	0%	8%	24%	24%	100%
<b>011- वाणिज्य विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	61	252	642	148	178	582	203	156	1250	287	268	451	4478
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	6%	14%	3%	4%	13%	5%	3%	28%	6%	6%	10%	100%
<b>012- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	21	249	74	190	29	95	23	50	156	42	134	174	1237
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	20%	6%	15%	2%	8%	2%	4%	13%	3%	11%	14%	100%
<b>014- दूर संचार विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	762	587	1837	779	1275	1231	860	695	-1312	620	490	923	8747
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9%	7%	21%	9%	15%	14%	10%	8%	-15%	7%	6%	11%	100%
<b>015- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	58	51	89	55	47	462	44	66	410	64	170	559	2075
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3%	2%	4%	3%	2%	22%	2%	3%	20%	3%	8%	27%	100%
<b>016- उपभोक्ता मामले विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	8	18	36	46	28	40	22	51	107	25	46	81	508
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	3%	7%	9%	5%	8%	4%	10%	21%	5%	9%	16%	100%
<b>017- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	22081	315	3217	12019	1119	14388	29	1478	2617	11548	2626	12986	84423
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	26%	0%	4%	14%	1%	17%	0%	2%	3%	14%	3%	15%	100%
<b>018- कार्पोरेट कार्य मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	12	14	17	19	20	32	10	18	14	8	19	46	229
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5%	6%	7%	8%	9%	14%	4%	8%	6%	4%	8%	20%	100%
<b>019- संस्कृति मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	73	189	158	111	70	111	50	56	109	89	81	213	1310
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6%	14%	12%	8%	5%	8%	4%	4%	8%	7%	6%	16%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्टूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11	जनवरी 12	फरवरी 12	मार्च 12	कुल
<b>020- रक्षा मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	226	199	1854	2208	1084	1581	1	1091	1428	993	931	3324	14920
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	1%	12%	15%	7%	11%	0%	7%	10%	7%	6%	22%	100%
<b>021- रक्षा पेंशन</b>													
माह के दौरान व्यय	3183	2939	3355	3417	3099	3049	0	2333	157	2672	4039	9326	37569
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8%	8%	9%	9%	8%	8%	0%	6%	0%	7%	11%	25%	100%
<b>028- उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	3	187	325	100	143	119	169	43	223	93	60	292	1757
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	11%	18%	6%	8%	7%	10%	2%	13%	5%	3%	17%	100%
<b>029- भू-विज्ञान मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	43	45	41	108	152	173	73	123	44	105	83	184	1174
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	4%	4%	9%	13%	15%	6%	10%	4%	9%	7%	16%	100%
<b>030- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	48	39	104	120	97	224	286	244	521	110	76	401	2270
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	2%	5%	5%	4%	10%	13%	11%	23%	5%	3%	18%	100%
<b>031- विदेश मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	532	869	633	451	600	574	674	496	454	1038	612	938	7871
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	11%	8%	6%	8%	7%	9%	6%	6%	13%	8%	12%	100%
<b>032- आर्थिक कार्य विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	12	48	762	1242	169	2356	364	128	2770	19	953	12632	21455
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	4%	6%	1%	11%	2%	1%	13%	0%	4%	59%	100%
<b>033- वित्त सेवाएं विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	9	186	6	35	41	127	411	2144	26	49	2098	15692	20824
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	1%	0%	0%	0%	1%	2%	10%	0%	0%	10%	75%	100%
<b>034- विनियोग-ब्याज भुगतान</b>													
माह के दौरान व्यय	15395	22080	14525	19325	33872	22842	22553	22008	14402	13	62097	37421	286533
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5%	8%	5%	7%	12%	8%	8%	8%	5%	0%	22%	13%	100%



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्तूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11	जनवरी 12	फरवरी 12	मार्च 12	कुल
<b>035- राज्य एवं संघ शासित सरकार को अंतरण</b>													
माह के दौरान व्यय	4354	5260	5904	8686	11895	11578	8936	10417	12066	11552	11056	35191	136895
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3%	4%	4%	6%	9%	8%	7%	8%	9%	8%	8%	26%	100%
<b>036- सरकारी कर्मचारियों, आदि को ऋण</b>													
माह के दौरान व्यय	1	3	10	15	25	25	9	14	11	10	10	27	160
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	2%	6%	9%	16%	16%	6%	9%	7%	6%	6%	17%	100%
<b>038- व्यय विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	14	5	12	5	12	6	5	6	14	6	9	26	120
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	11%	4%	10%	4%	10%	5%	4%	5%	11%	5%	7%	22%	100%
<b>039- पेंशन</b>													
माह के दौरान व्यय	1210	1202	1689	1396	1515	1218	1262	1396	1358	1760	1358	2604	17968
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	7%	9%	8%	8%	7%	7%	8%	8%	10%	8%	14%	100%
<b>040- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	321	183	196	188	183	197	207	189	181	187	186	134	2352
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	14%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	8%	8%	8%	8%	6%	100%
<b>041- राजस्व विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	174	30	95	239	230	401	519	36	3326	49	47	114	5260
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3%	1%	2%	5%	4%	8%	10%	1%	63%	1%	1%	2%	100%
<b>042- प्रत्यक्ष कर</b>													
माह के दौरान व्यय	299	234	287	230	268	328	239	239	227	238	263	387	3239
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9%	7%	9%	7%	8%	10%	7%	7%	7%	7%	8%	12%	100%
<b>043- अप्रत्यक्ष कर</b>													
माह के दौरान व्यय	417	247	245	257	242	263	293	249	279	264	284	200	3240
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13%	8%	8%	8%	7%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	6%	100%
<b>044- विनिवेश विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	1	8	1	5	3	1	3	1	0	5	2	5	35
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	23%	2%	13%	10%	3%	9%	2%	1%	14%	7%	14%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्टूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11	जनवरी 12	फरवरी 12	मार्च 12	कुल
<b>045- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	1	13	31	23	32	16	16	102	126	7	50	110	527
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	2%	6%	4%	6%	3%	3%	19%	24%	1%	9%	21%	100%
<b>046- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	421	854	5055	1687	661	2733	1309	1664	4000	647	3658	3160	25849
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	3%	20%	7%	3%	11%	5%	6%	15%	3%	14%	12%	100%
<b>047- आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	9	42	50	45	7	85	29	28	227	16	90	155	783
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	5%	6%	6%	1%	11%	4%	4%	29%	2%	12%	20%	100%
<b>048- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	0	283	0	110	0	0	0	114	15	43	95	86	746
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	38%	0%	15%	0%	0%	0%	15%	2%	6%	13%	12%	100%
<b>049- एड्स नियंत्रण विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	1	182	318	37	16	293	14	28	127	10	105	174	1305
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	14%	24%	3%	1%	22%	1%	2%	10%	1%	8%	13%	100%
<b>050- भारी उद्योग विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	2	1	2	357	52	3	86	1	40	6	117	17	684
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	52%	8%	1%	13%	0%	6%	1%	17%	2%	100%
<b>051- सार्वजनिक उद्यम विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	1	1	6	1	1	2	1	1	1	1	1	2	19
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5%	5%	36%	3%	3%	11%	6%	3%	3%	3%	9%	12%	100%
<b>052- गृह मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	49	49	1148	43	72	62	42	38	711	60	515	335	3124
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	2%	37%	1%	2%	2%	1%	1%	23%	2%	16%	11%	100%
<b>053- मंत्रिमंडल</b>													
माह के दौरान व्यय	37	45	24	24	32	192	98	229	27	33	46	243	1030
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	4%	2%	2%	3%	19%	10%	22%	3%	3%	4%	24%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्टूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11	जनवरी 12	फरवरी 12	मार्च 12	कुल
<b>054- पुलिस</b>													
माह के दौरान व्यय	4401	3347	3279	3331	2967	3416	3518	2993	3038	3253	3002	3376	39921
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	11%	8%	8%	8%	7%	9%	9%	7%	8%	8%	8%	8%	100%
<b>055- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय</b>													
माह के दौरान व्यय	82	135	140	87	112	140	187	114	104	111	102	318	1632
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5%	8%	9%	5%	7%	9%	11%	7%	6%	7%	6%	19%	100%
<b>056- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण</b>													
माह के दौरान व्यय	0	0	119	191	58	189	22	94	89	291	87	349	1489
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	8%	13%	4%	13%	1%	6%	6%	20%	6%	23%	100%
<b>057- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	1	4	1	15	174	102	19	25	422	9	63	126	961
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	2%	18%	11%	2%	3%	44%	1%	7%	13%	100%
<b>058- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	12	8979	5830	5602	1625	3037	1104	1686	15479	1966	2528	11303	59151
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	15%	10%	9%	3%	5%	2%	3%	26%	3%	4%	19%	100%
<b>059- उच्च शिक्षा विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	12	55	3106	1464	670	3783	1600	408	2688	117	1949	3795	19647
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	16%	7%	3%	19%	8%	2%	14%	1%	10%	19%	100%
<b>060- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	35	35	57	1097	118	237	57	98	268	30	382	171	2585
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	1%	2%	42%	5%	9%	2%	4%	10%	1%	15%	7%	100%
<b>061- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	43	323	263	94	1452	113	96	94	174	396	212	751	4011
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	8%	7%	2%	36%	3%	2%	2%	4%	10%	5%	19%	100%
<b>062- निर्वाचन आयोग</b>													
माह के दौरान व्यय	4	3	2	3	2	2	2	2	6	3	2	4	35
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	11%	9%	6%	8%	5%	6%	7%	6%	18%	7%	6%	10%	100%



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्टूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11	जनवरी 12	फरवरी 12	मार्च 12	कुल
<b>063- विधि एवं न्याय</b>													
माह के दौरान व्यय	14	9	13	154	72	164	34	20	94	88	196	167	1025
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	1%	1%	15%	7%	16%	3%	2%	9%	9%	19%	16%	100%
<b>064- विनियोग-भारतीय सर्वोच्च न्यायालय</b>													
माह के दौरान व्यय	15	9	9	11	8	9	10	9	9	8	9	4	110
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	14%	8%	8%	10%	7%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	3%	100%
<b>065- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	16	410	54	202	202	353	34	15	365	176	254	238	2319
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	18%	2%	9%	9%	15%	1%	1%	16%	8%	11%	10%	100%
<b>066- खनन मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	70	50	60	65	51	125	52	48	58	53	46	126	804
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9%	6%	7%	8%	6%	16%	6%	6%	7%	7%	6%	16%	100%
<b>067- अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	3	267	48	158	142	149	70	202	382	85	340	450	2296
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	12%	2%	7%	6%	6%	3%	9%	17%	4%	15%	20%	100%
<b>068- नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	81	79	116	117	105	186	49	40	97	91	213	192	1366
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6%	6%	8%	9%	8%	14%	4%	3%	7%	7%	16%	14%	100%
<b>069- प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	2	6	3	2	4	12	2	5	4	2	15	21	78
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3%	7%	4%	3%	5%	16%	3%	6%	5%	2%	20%	27%	100%
<b>070- पंचायती राज मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	2	8	629	341	123	81	373	168	456	300	682	943	4106
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	15%	8%	3%	2%	9%	4%	11%	7%	17%	23%	100%
<b>071- संसदीय कार्य मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	8%	9%	6%	13%	8%	7%	7%	9%	8%	8%	7%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्तूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11	जनवरी 12	फरवरी 12	मार्च 12	कुल
<b>072- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	55	52	47	57	53	57	59	66	68	48	62	97	721
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8%	7%	7%	8%	7%	8%	8%	9%	9%	7%	9%	13%	100%
<b>073- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	2	2	208	20550	281	1678	241	339	8498	15096	466	22740	70101
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	29%	0%	2%	0%	0%	12%	22%	1%	32%	100%
<b>074- योजना मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	18	20	24	30	58	82	49	180	79	317	36	437	1330
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	2%	2%	2%	4%	6%	4%	14%	6%	24%	3%	33%	100%
<b>075- विद्युत मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	14	158	174	149	8	1117	384	67	1738	27	68	3187	7091
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	2%	2%	2%	0%	16%	5%	1%	25%	0%	1%	45%	100%
<b>076- विनियोग-कर्मचारी, आवास एवं राष्ट्रपति के भत्ते</b>													
माह के दौरान व्यय	4	3	2	2	2	2	3	2	2	0	5	2	29
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13%	9%	8%	7%	8%	7%	9%	7%	8%	0%	16%	8%	100%
<b>077- लोक सभा</b>													
माह के दौरान व्यय	42	29	35	29	31	29	30	36	36	32	30	56	415
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	7%	8%	7%	7%	7%	7%	9%	9%	8%	7%	13%	100%
<b>078- राज्य सभा</b>													
माह के दौरान व्यय	21	14	15	16	16	19	15	19	18	19	18	31	221
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9%	6%	7%	7%	7%	9%	7%	8%	8%	9%	8%	14%	100%
<b>079- विनियोग-सं.लो.से.आ.</b>													
माह के दौरान व्यय	17	14	9	12	10	12	11	9	9	12	8	23	146
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	11%	10%	6%	8%	7%	8%	7%	6%	6%	8%	5%	16%	100%
<b>080- उप-राष्ट्रपति सचिवालय</b>													
माह के दौरान व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	11%	7%	7%	7%	8%	9%	10%	8%	8%	9%	9%	6%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्टूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11	जनवरी 12	फरवरी 12	मार्च 12	कुल
<b>081- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	3660	1368	3118	4848	1509	2696	4121	825	3784	1021	1411	9919	38280
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	4%	8%	13%	4%	7%	11%	2%	10%	3%	4%	26%	100%
<b>082- ग्रामीण विकास विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	7101	4327	6133	2674	2242	8307	2482	3294	9386	1440	6847	52608	106841
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	4%	6%	3%	2%	8%	2%	3%	9%	1%	6%	49%	100%
<b>083- भू-संसाधन विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	2	3	148	295	142	834	164	35	360	105	106	233	2427
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	6%	12%	6%	34%	7%	1%	15%	4%	4%	10%	100%
<b>084- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	1	11	451	778	597	2751	69	73	2763	-41	664	1881	9998
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	5%	8%	6%	28%	1%	1%	28%	0%	7%	19%	100%
<b>085- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	128	45	342	108	104	514	279	87	275	82	201	358	2523
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5%	2%	14%	4%	4%	20%	11%	3%	11%	3%	8%	14%	100%
<b>086- विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	1	422	411	1	824	16	1	10	827	6	586	111	3216
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	13%	13%	0%	26%	0%	0%	0%	26%	0%	18%	3%	100%
<b>087- जैव-तकनीकी विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	2	38	164	52	37	370	39	30	84	52	89	252	1209
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	3%	14%	4%	3%	31%	3%	2%	7%	4%	7%	21%	100%
<b>088- पोत परिवहन मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	19	23	25	42	34	41	47	148	426	64	37	758	1664
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	1%	1%	3%	2%	2%	3%	9%	26%	4%	2%	46%	100%
<b>089- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	5	902	365	172	197	1061	60	175	920	134	405	697	5093
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	18%	7%	3%	4%	21%	1%	3%	18%	3%	8%	14%	100%



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्तूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11	जनवरी 12	फरवरी 12	मार्च 12	कुल
<b>090- अंतरिक्ष विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	319	246	269	288	265	288	254	293	361	317	340	552	3792
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8%	6%	7%	8%	7%	8%	7%	8%	10%	8%	9%	15%	100%
<b>091- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	36	94	375	178	136	461	342	156	260	208	172	706	3124
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	3%	12%	6%	4%	15%	11%	5%	8%	7%	5%	23%	100%
<b>092- इस्पात मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	4	3	16	3	3	18	4	3	12	3	1	8	78
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5%	4%	20%	4%	4%	22%	5%	4%	15%	4%	2%	10%	100%
<b>093- कपड़ा मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	76	488	1139	46	83	338	618	63	527	291	163	1225	5057
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	10%	23%	1%	2%	7%	12%	1%	10%	6%	3%	24%	100%
<b>094- पर्यटन मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	4	69	163	103	83	122	65	93	163	15	116	119	1115
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	6%	15%	9%	7%	11%	6%	8%	15%	1%	10%	11%	100%
<b>095- जनजातीय मामले मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	2	303	273	37	356	1019	18	32	586	80	232	702	3640
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	8%	7%	1%	10%	28%	0%	1%	16%	2%	6%	19%	100%
<b>096- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह</b>													
माह के दौरान व्यय	187	203	149	260	224	196	214	192	162	181	260	403	2631
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	8%	6%	10%	9%	7%	8%	7%	6%	7%	10%	15%	100%
<b>097- चंडीगढ़</b>													
माह के दौरान व्यय	228	177	181	260	387	261	190	188	156	238	111	252	2629
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9%	7%	7%	10%	15%	10%	7%	7%	6%	9%	4%	10%	100%
<b>098- दादरा एवं नागर हवेली</b>													
माह के दौरान व्यय	142	103	123	136	157	190	173	178	17	210	357	203	1989
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	5%	6%	7%	8%	10%	9%	9%	1%	11%	18%	10%	100%

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण\*

(₹ करोड़ में)

	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्टूबर 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11	जनवरी 12	फरवरी 12	मार्च 12	कुल
<b>099- दमन एवं दीव</b>													
माह के दौरान व्यय	58	67	71	89	88	133	88	102	152	97	125	141	1211
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5%	6%	6%	7%	7%	11%	7%	8%	13%	8%	10%	12%	100%
<b>100- लक्षद्वीप</b>													
माह के दौरान व्यय	24	167	50	55	74	47	37	55	93	38	39	215	894
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3%	19%	6%	6%	8%	5%	4%	6%	10%	4%	4%	24%	100%
<b>101- शहरी विकास विभाग</b>													
माह के दौरान व्यय	91	504	517	111	622	1623	258	90	1118	443	386	1099	6862
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	7%	8%	2%	9%	24%	4%	1%	16%	6%	6%	16%	100%
<b>102- लोक निर्माण कार्य</b>													
माह के दौरान व्यय	166	121	141	124	143	144	155	130	136	120	125	186	1691
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	7%	8%	7%	8%	9%	9%	8%	8%	7%	7%	11%	100%
<b>103- लेखन सामग्री एवं मुद्रण</b>													
माह के दौरान व्यय	27	16	16	18	16	21	18	15	16	17	18	40	238
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	11%	7%	7%	8%	7%	9%	7%	6%	7%	7%	8%	17%	100%
<b>104- जल संसाधन मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	97	66	78	101	84	80	78	103	67	90	60	162	1066
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9%	6%	7%	10%	8%	8%	7%	10%	6%	8%	6%	15%	100%
<b>105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	22	1027	1794	80	2186	1580	1821	38	3016	354	1305	2454	15677
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	7%	11%	1%	14%	10%	12%	0%	19%	2%	8%	16%	100%
<b>106- युवा मामले एवं खेल-कूद मंत्रालय</b>													
माह के दौरान व्यय	2	6	284	34	18	73	41	115	144	75	110	84	986
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	1%	29%	3%	2%	7%	4%	12%	15%	8%	11%	9%	100%
<b>कुल व्यय</b>	<b>68041</b>	<b>66319</b>	<b>84738</b>	<b>99108</b>	<b>80421</b>	<b>107995</b>	<b>67568</b>	<b>64078</b>	<b>120731</b>	<b>65833</b>	<b>115755</b>	<b>263945</b>	<b>1204532</b>
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6%	5%	7%	8%	7%	9%	6%	5%	10%	5%	10%	22%	100%

\* डाटा ई-लेखा से लिया गया है। मार्च 2012 के डाटा में अनुपूरक लेखांकन महीनों के डाटा सम्मिलित हैं। डाटा में कटौती वसूलियों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध II -क

(पैराग्राफ 2.1.2 के संदर्भ में)

2011-12 में लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के ब्यौरे

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघुशीर्ष - '800- अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय	"कुल व्यय" की तुलना में "अन्य व्यय" की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
1.	2079-रक्षा सेवाएं- आयुध कारखाने	1126.72	658.77	58
2.	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	48.65	48.48	100
3.	2416- कृषि वित्तीय संस्थान	2176.81 <sup>1</sup>	3402.70	156
4.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3694.08	2778.76	75
5.	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	167.33	165.97	99
6.	2801- विद्युत	12109.24	8565.95	71
7.	2803-कोयला एवं लिग्नाइट	333.27	173.17	52
8.	3053- नागरिक उड्डयन	934.14	827.22	89
9.	3454-जनगणना सर्वेक्षण एवं आंकड़े	4024.67	2511.66	62
10.	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	13.40	12.37	92
11.	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	0.44	0.32	73
12.	4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	11.75	5.84	50
13.	4408-खाद्य, भण्डारण एवं गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय	63.48	61.24	96
14.	4853- अलौह खनन एवं धातु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	202.46	198.46	98
15.	4859- दूरसंचार एवं इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	7.55	5.05	67
16.	5275-अन्य संचारी सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	57.87	54.01	93
17.	5403- समुद्रविज्ञान अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5.87	3.84	65
18.	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	53.41	33.13	62
19.	5453- विदेश व्यापार पर पूंजीगत परिव्यय	735.19	682.65	93
20.	5455- मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	93.00	61.92	67
21.	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	734.82	476.99	65
	<b>योग</b>	<b>23241.97</b>	<b>20728.50</b>	

<sup>1</sup> लघुशीर्ष '912' के अंतर्गत ₹ 1265.66 करोड़ के अव्ययित शेषों के समायोजन के कारण मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत दर्ज व्यय से कम है।



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध III -ख  
(पैराग्राफ 2.3.4 के संदर्भ में)  
निष्क्रिय आरक्षित निधियों/जमा को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31.03.2012 को शेष ( ₹ हजारों में)	निम्न से निष्क्रिय
1.	8116-राजस्व आरक्षित निधि	आरक्षित	82,68,94	2001-02
2.	8118.105- दूरसंचार पूंजीगत आरक्षित निधि	आरक्षित	6	2001-02
3.	8121.119- स्टाफ लाभ निधि (रेलवे)-निवेश लेखे	आरक्षित	1,00	1999-2000
4.	8121.111-आकस्मिक आरक्षित निधि-बिजली	आरक्षित	1,30,75	2006-07
5.	8223.101-आकाल राहत निधि	आरक्षित	3	2008-09
6.	8229.101-शैक्षणिक उद्देश्य हेतु विकास निधि	आरक्षित	7	2002-03
7.	8229.102- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य उद्देश्य हेतु विकास निधि	आरक्षित	60	2002-03
8.	8229.103- कृषि उद्देश्य हेतु विकास निधि	आरक्षित	6	2002-03
9.	8229.106-औद्योगिक विकास निधि	आरक्षित	1,28	2006-07
10.	8229.108- खनन क्षेत्र विकास निधि	आरक्षित	1,02	2002-03
11.	8229.117 राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी कोर निधि	आरक्षित	3,25,13	2002-03
12.	8230.101- विशेष रेल सुरक्षा निधि (वाणिज्यिक)	आरक्षित	581,12,02	2008-09
13.	8230.102- विशेष रेल सुरक्षा निधि (सामरिक)	आरक्षित	16,66,24	2007-08
14.	8235.101- सरकारी वाणिज्यिक विभाग/उपक्रम की सामान्य आरक्षित निधि	आरक्षित	75,86	2008-09
15.	8235.104-रेल सुरक्षा कार्य निधियां	आरक्षित	40,74,41	2003-04
16.	8235.105- सामान्य बीमा निधि	आरक्षित	261,32,01	2005-06
17.	8235.113-राष्ट्रीय नवीकरण निधि	आरक्षित	17,70,20	2008-09
18.	8235.110- खाद्य अनाज आरक्षित निधि	आरक्षित	14	2002-03
19.	8337.103-अंशदायी भारतीय रेल सम्मेलन संघ कर्मचारी भविष्य	जमा	65,12	2001-02

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

	निधि- निवेश लेखा			
20.	8337.104- गैर-अंशदायी भारतीय रेल सम्मेलन संघ कर्मचारी भविष्य निधि- निवेश लेखा	जमा	50	2001-02
21.	8342.104-कोयला खान पेंशन योजना, 1998	जमा	294,68,46	2006-07
22.	8342.107-सम्पत्ति शुल्क के भुगतान के प्रति जमा	जमा	1,31	2008-09
23.	8342.110-टेलीफोन अनुप्रयोग जमा	जमा	223,98,01	2005-06
24.	8342.111- टेलेक्स अनुप्रयोग जमा	जमा	7,93,06	2003-04
25.	8342.114- किराये की दूसंचार सुविधा जमा	जमा	1,69,47	2001-02
26.	8342.108- आयकर, सुपर कर, आधिक्य लाभ, कर एवं सरचार्ज जमा	जमा	1,21,61	2001-02
27.	8443.114- निर्यात व्यापार जमा	जमा	15,25,27	1988-89.
28.	8443.122- खान श्रमिक कल्याण जमा	जमा	23,35	1988-89.
29.	8443.127- ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेंशन- भोगियों आदि, जो पाकिस्तान चले गये हैं, के दावों को पूरा करने हेतु स्थानिय निकायों को जमा	जमा	21,07	1996-97
30.	8443.130- परिसमापन समितियां भुगतान लेखे	जमा	13	2008-09
31.	8445.102- ब्रांच लाइन कम्पनियों का जमा	जमा	65	1992-93
32.	8447- दूसंचार जमा 800- अन्य जमा	जमा	49,82,05	2005-06
33.	8448.103- छावनी निधियां	जमा	1	2000-01
34.	8448.111- चिकित्सा एवं धर्मार्थ निधियां	जमा	52	1988-89
35.	8448- स्थानीय निधियों का जमा 120- अन्य निधियां	जमा	2,26	2004-05
36.	8449.104- खान भविष्य निधियों का जमा	जमा	16,01	1988-89
37.	8449.106-भारत-अमेरिका करार 1974 के अंतर्गत लेखे	जमा	16	1991-92
38.	8449.107-आयकर, सुपर कर, आधिक्य लाभ, कर एवं सरचार्ज जमा	जमा	1,33,93	1991-92
39.	8449.108-कर्जों को अदा करने	जमा	32,97	2000-01

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

	हेतु स्थानीय निकायों का जमा			
40.	8449.113-तेल बीज तथा वनस्पति तेल विकास निधि	जमा	3,66,13	1999-2000
41.	8449.118-जापान से अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अग्रिम जमा	जमा	1,03,60	1995-96
42.	8449.119- ए.डी.बी. सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अग्रिम जमा	जमा	84,05,30	2004-05
43.	8450.101-पांडीचेरी का शेष	जमा	40,12,90	2008-09
44.	8450.102-गोवा, दमन एवं दीव का शेष	जमा	16,30,26	1988-89
45.	8450.104-अरुणाचल प्रदेश का शेष	जमा	56,82,51	1988-89
46.	8450.105 मिजोरम का शेष	जमा	124,41,38	1988-89
47.	8009.01.103-आई.सी.एस. भविष्य निधि	देयता	2,01	1999-2000
48.	8009.03.102-आंतरिक रेलवे कार्मिक भविष्य निधि	देयता	35,36	2000-01
49.	8010.105-अन्य न्यास	देयता	19,23	1999-2000
50.	8010.102-उद्ध के स्वर्गवासी राजा द्वारा दान	देयता	91,04	1992-93
51.	8010.104-धर्मार्थ तथा शैक्षणिक संस्थानों हेतु दान	देयता	12	2008-09
52.	8011.102-परिवार पेंशन निधि	देयता	6,10	2008-09
53.	8011.106- अन्य बीमा एवं पेंशन निधि	देयता	62,86	2008-09
54.	8012.103-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को जारी विशेष प्रतिभूतियां	देयता	162,83,05	1988-89
55.	8012.115-सामान्य बीमा निगम तथा इसके सहायकों द्वारा जमा	देयता	708,40,75	2006-07



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध II -ग  
(पैराग्राफ 2.3.10 (च) के संदर्भ में)  
वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे के बीच विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष/के.सा.क्षे.उ. का नाम	2011-12 के दौरान किए गए निवेश की राशि/आरक्षित निधि		अभ्युक्तियां
		वित्त लेखे के अनुसार	विनियोग लेखे	
<b>विवरणी सं. 11</b>				
1.	प्रत्यावर्तित सहकारिता वित्त एवं विकास बैंक	शून्य	13.18	सहकारिताओं में निवेश हेतु व्यय का प्रावधान प्राप्त करने/दर्ज हेतु सही लघु शीर्ष '195-सहकारिताओं में निवेश' होना चाहिए। अनुदान सं. 55 में ₹13.18 करोड़ का निवेश (शीर्ष 4235.01.105.02.54) प्रत्यावर्तित सहकारिता वित्त एवं विकास बैंक में किया गया है जो लेखे के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची को सामान्य निर्देशन के पैरा 4.2 के उल्लंघन में था।
2.	भारतीय खाद्य निगम	61.94	2.00	₹ 59.94 करोड़ की आधिक्य राशि को वित्त लेखों में गलती से निवेश के रूप में दर्शाया गया था क्योंकि वह गोदाम के निर्माण से संबंधित थे।
3.	भारतीय राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम	0.00	147.43	
4.	राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त विकास, निगम	0.00	70.00	
5.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	304.00 (वित्त लेखों के अनुसार 31 मार्च 2012 को प्रगामी निवेश)	301.99 (सी.जी.डी.ए. के अनुसार 31 मार्च 2012 को प्रगामी निवेश)	₹ 2.01 करोड़ के अंतरण हेतु सी.जी.डी.ए. ने उत्तर दिया (अगस्त 2012) कि प्राधिकृत पूंजी 304 करोड़ थी तथा प्रदत्त पूंजी ₹ 301.99 करोड़ थी तथा यह घरेलू म.ले.नि. का स्पष्ट कर दिया गया था (अक्टूबर 2011)

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध II-घ

(पैराग्राफ 2.4.1 के संदर्भ में)

विदेश में की गई खरीद हेतु उचित लेखे की बकाया राशि (2003 से)

(₹ हजार में)

क्र. सं.	आयातक का नाम	मामलों की सं.	राशि
1.	सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात	1	1104
2.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	1	5198
3.	परिवार स्वास्थ्य आपूर्ति महाराष्ट्र	1	218
4.	मैसूर सीमेन्ट लिमिटेड	1	4326
5.	रेल मंत्रालय	2	8399
6.	पाईराइट्स, फोस्फेट्स एवं रसायन लिमिटेड	2	249513
7.	रेल बोगी कारखाना (कपूरथला)	1	1895
8.	रेलवे बोर्ड	1	13138
9.	रेल क्वायल स्प्रिंग	1	7111
10.	जल संसाधन मंत्रालय	2	5233
11.	पवन हंस लिमिटेड	1	574384
12.	दूरसंचार विभाग	6	14737
13.	उर्वरक एवं रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड	1	341
14.	भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड	3	14257
15.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सहयोगी अस्पताल	1	9962
16.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1	136
17.	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	1	2255
18.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4	290762
19.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय - तकनीकी	4	16094
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	48297
21.	कोचीन पत्तन न्यास	1	3648
22.	दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम, दिल्ली	1	78009
23.	भिलाई इस्पात संयंत्र	1	1200
24.	भारतीय कोयला लिमिटेड (प.ब.)	3	231832
25.	सी.एम.ए.एल.-डी.एल.	1	348
26.	झांजरा भिलाई इस्पात संयंत्र	1	906
27.	आ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड, आ.प्र.	1	47476
28.	भारतीय हेलीकॉप्टर निगम	1	672356
29.	कृभको वर्षा कृषि एवं पूर्वी एवं पश्चिमी घाट परियोजना	1	7079
30.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	2	59427
31.	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग	1	4560
32.	जिला गरीबी प्रारम्भिक परियोजना	1	14630
	योग	51	2388831

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध II-ड

(पैराग्राफ 2.4.2 के संदर्भ में)

ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

(₹ हजार में)

क्र. सं.	लेखे का शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)	31.3.2012 को शेष	अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हुए
<b>विवरणी सं. 13</b>			
1.	8115.00.101 मूल्यहास आरक्षित निधि-रेलवे वाणिज्यिक लाईनें	डेबिट 26190496	2009-10
2.	8117.00.101 रेलवे विकास निधि-वाणिज्यिक लाईनें	डेबिट 7801049	2009-10
3.	8118-00-106 रेलवे पूंजी निधि	डेबिट 3252349	2010-11
4.	8121-00-103 रेलवे पेंशन निधि - वाणिज्यिक लाईनें	डेबिट 16198029	2009-10
5.	8229.00.200 अन्य विकास एवं कल्याण निधि	डेबिट 2057429	2007-08
6.	8231.00.102 रेल सुरक्षा निधि (सामरिक)	डेबिट 1	2004-05
7.	8336.00.101 प्रतिभूति जमा	डेबिट 6488	2007-08
8.	8443.00.111 अन्य विभागीय जमा	डेबिट 527667	2006-07
9.	8445.00.104 रेल जमा- ट्रस्ट ब्याज लेखा	डेबिट 198265	2005-06
10.	8445.00.800 रेल जमा- अन्य जमा	डेबिट 7698329	2005-06
11.	8446.00.800 डाक जमा- अन्य जमा	डेबिट 158661	2005-06
12.	8448.00.102 स्थानीय निधियों का जमा- नगरपालिका निधियां	डेबिट 3	2007-08
13.	8448.00.104 स्थानीय निधियों का जमा- भारतीय बीमा संघ की निधियां	डेबिट 291	1976-77 से पूर्व
14.	8451.00.101 भोपाल गैस रिसाव विपदा सहायता निधि- दावे एवं राहत निधि	डेबिट 9304657	2005-06
15.	8451.00.102 दावे एवं राहत निधि निवेश लेखा	क्रेडिट 9202162	2005-06
16.	8550.00.101 सिविल पेशगी- वन पेशगी	क्रेडिट 373	1995-96
<b>विवरणी सं. 14</b>			
17.	6002.00.207 यूरोपियन आर्थिक समुदाय से कर्जे	डेबिट 692709	2000-01
18.	6002.00.208 फ्रांस सरकार से कर्जे	डेबिट 24027706	2000-01
19.	6002.00.223 स्विस् परिसंघ सरकार एवं स्विस् बैंक से कर्जे	डेबिट 55237	2010-11
20.	6002.00.226 अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सं.रा.अ. से कर्जे	डेबिट 5601446	1995-96
21.	6002.00.227 पी.एल. -480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिटों के अंतर्गत सं.रा.अ. सरकार से ऋण	डेबिट 4372093	1995-96
22.	8013.01.101 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों हेतु जमा योजना, 1989	डेबिट 649014	2007-08



**नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12**

<b>विवरणी सं. 15</b>					
23.	6202.01.203	विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	क्रेडिट	1568	2004-05
24.	6215.02.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट	17710	2001-02
25.	6216-80-190	लोक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को कर्जे	क्रेडिट	2	2008-09
26.	6216-80-800	अन्य कर्जे	क्रेडिट	11844	2010-11
27.	6225.01.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट	829	1994-95
28.	6245.01.101	धर्मार्थ सहायता	क्रेडिट	830	1986-87
29.	6245.02.101	धर्मार्थ सहायता	क्रेडिट	2157	1997-98
30.	6402.00-102	भू-संरक्षण	क्रेडिट	7496	1995-96
31.	6402.00.203	भूमि उद्धार एवं विकास	क्रेडिट	592	2007-08
32.	6404.00.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट	4642331	2004-05
33.	6405.00.106	मत्स्य शिल्प का यंत्रीकरण	क्रेडिट	532	2006-07
34.	6425.00.108	अन्य सहकारिताओं को कर्जे	क्रेडिट	3963690	2003-04
35.	6515.00.102	सामुदायिक विकास	क्रेडिट	99	1986-87
36.	6801.00.201	हाइड्रल उत्सर्जन	क्रेडिट	3068415	2004-05
37.	6801.00.205	ट्रांसमिशन एवं संवितरण	क्रेडिट	1145323	2005-06
38.	6851.00.102	लघु स्तरीय उद्योग	क्रेडिट	3222	2006-07
39.	7053.00.190	लोक क्षेत्र एवं अन्य उद्यमों को कर्जे	क्रेडिट	377537	2010-11
40.	7052.02.101	एस.डी.एफ.सी. को कर्जे	क्रेडिट	2941224	2002-03
41.	7425.00.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट	3074	2005-06
<b>विदेश सरकारों को पेशगियां</b>					
42.	7610.00.203	अन्य वाहनों की खरीद हेतु पेशगी	क्रेडिट	374513	2004-05
<b>विवरणी सं. 16</b>					
43.	8002-00-103	खजाना बचत जमा प्रमाणपत्र	डेबिट	6962	1976-77
44.	8002-00-105	बैंक श्रंखला बचत प्रमाणपत्र	डेबिट	189	2007-08

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध II-च  
(पैराग्राफ 2.4.5 के संदर्भ में)

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम 2011-12

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
<b>कृषि मंत्रालय</b>										
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	2011-12	4168.24	23363.67	3037.70	(-)2423.71	75.15	(-)2348.56	उ.न.	उ.न.
2.	आइसक्रीम फ्रीजिंग संयंत्र, कोच्ची	2009-10	448.00	1775.86	81.30	-25.14	51.52	108.06	शून्य	
<b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>										
3.	नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद	2010-11	63526.59	36936.74	25024.97	6586.55	7963.12	14549.67	23.58	प्रावधानिक
4.	भारी जल संयंत्र, मुम्बई	2010-11	102351.11	37617.72	116572.73	-25128.01	91504.52	66376.51	5.74	प्रावधानिक
<b>रक्षा मंत्रालय</b>										
5.	कैन्टीन भण्डारण विभाग	2008-09	48.00	2797.59	3782.67	10781.50	9587.59	20369.09	19.14	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम 2011-12

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
<b>वित्त मंत्रालय</b>										
6.	सरकारी ऐल्केलोइड कार्य, नीमच्च	2010-11	1818.75	1003.74	808.72	2088.00	130.20	2088.00	126.85	1646.02*
7.	सरकारी ऐल्केलोइड कार्य, गाजीपुर	2009-10	654.08	297.61	358.59	36.04	121.87	157.91	10.91	1447.43*
8.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	2009-10	444.26	145.25	316.00	-306.97	240.47	(-)66.5	-2.33	2855.89*
9.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच्च	2010-11	677.72	396.27	281.45	954.39	473.42	954.39	15.95	5985.10*
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>										
10.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2006-07	987.19	287.49	127.61	(-)177.02	129.69	396.82	25.70	

\* माध्य पूंजीगत

\* माध्य पूंजीगत



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम 2011-12

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
11.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, कोलकाता	2007-08	1972.85	48.87	35.79	(-) 40.99	67.18	26.19	2.75	952.84*
12.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, हैदराबाद	2009-10	3403.52	113.69	6.94	-94.57	-	4087.59	120.09	
13.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, नई दिल्ली	2008-09	29.86	21.19	133.74	(+)527.97		(+)527.97	1768.31	
14.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, मुंबई	2006-07	16.18	7.21	-	121.52	-	-	-	
15.	केन्द्रीय मनोरोग संस्थान का वनस्पति उद्यान, कांके, रांची	2011-12	0.31	0.25	0.0024	0.737	0.081	1.32	74.46	
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय										
16.	फिल्म प्रभाग, मुंबई	2009-10	8478.59	6550.72	4445.19	(-)4984.07	944.18	-	-	
विद्युत मंत्रालय										
17.	विद्युत विभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2010-2011	42708.30	34826.26	242.68	(-) 208686.32	3221.46	(-)205464.86	(-)504.50	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम 2011-12

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
18.	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	2008-09	11599.68	9307.29	2292.38	(-)4670.00	941.29	614.82		
पोत परिवहन मंत्रालय										
19.	प्रकाशस्तंभ एवं दीप-नौका महानिदेशालय, नोएडा	2009-10	21308.00	21308.00	9840.00	4105.00	527.00	4632.00	43.48	
20.	अण्डमान नौका सेवा	2002-03	26092.38	3373.67	5486.23	(-) 32.74	(-) 2553.32	(-) 2586.06	(-) 9.91	
21.	जहाजरानी सेवाएं, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2003-04	28873.79	10613.10	1695.94	(-) 32275.33	21953.38	(-) 10321.95	35.75	
22.	नौसैनिक विभाग (गोदी) अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2003-04	2884.55	205.10	61.60	(-) 4166.22	(-) 289.41	(-) 4455.63	(-)154.47	
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय										
23.	चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम	2008-09	12694.35	4568.71	2420.39	(-)2415.46	670.94	(-)1744.52	(-)14.93	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम 2011-12

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
24.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2008-09	3438.25	1209.27	1848.35	(-9917.87)	3426.79	(-2491.08)	(-)6.11	
शहरी विकास मंत्रालय										
25.	प्रकाशन विभाग	2000-01 से आगे								प्रोफार्मा लेखों की बजाए, प्रकाशन विभाग ने भण्डार लेखे तैयार किए जिनकी 1999-2000 तक लेखापरीक्षा की गई है। मंत्रालय ने नवम्बर 2001 में लेखांकन प्रणाली को लेखे के वाणिज्यिक प्रारूप में बदलने का निश्चय किया। विभाग ने इसे अभी तक नहीं बदला है।
26.	भारत सरकार प्रेस, मिन्टों रोड नई दिल्ली	2010-11	445.00	-	1119.00	-	21.00	1174.00	263.97	
27.	भारत सरकार प्रेस, रिंग रोड नई दिल्ली	2010-11	365.00	-	28.00	-	18.00	उ.न.	उ.न.	



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम 2011-12

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
28.	भारत सरकार प्रेस, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली	2010-11	54.00	-	3.00		3.00			
29.	भारत सरकार प्रेस, निलोखेरी	2011-12	99.00	-	139.00	0	0	0	0	
30.	भारत सरकार प्रेस, फरीदाबाद	2010-11	682.00	418.00	35.00	-	23.00	1636.00	239.71	बेकार कागजों/रद्दी के विक्रय को लाभ के रूप में दर्शाया गया है
31.	भारत सरकार प्रेस, शिमला	2011-12	196.00	53.00	8.00	-	-	8.00	4.00	
32.	भारत सरकार प्रेस, कोयम्बतूर	2010-11	--	-	177.00	0	0	0	0	
33.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रेस, भुवनेश्वर	2011-12	306.00	3.00	1.00	-	-	72.00	23.64	
34.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रेस, मैसूर	2010-11	53.00	57.00	2.00	-	-	223.00	414.00	
35.	भारत सरकार प्रेस, कोलकाता	2009-10	75.00	17.00	5.00	-	6.00	7.00	9.11	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

विभागीय-रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम 2011-12

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्यक्तियां
36.	भारत सरकार प्रैस, कोराट्टी	2010-11	338.00	115.00	14.00	-	36.00	755.00	225.00	
37.	भारत सरकार प्रैस, नासिक	2011-12	1077.00	642.00	390.00	-	55.00	1679.00	-	
38.	भारत सरकार प्रैस, अलीगढ़	2010-11	241.00	142.00	187.00	-	12.00	1219.00	-	
39.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रैस, चण्डीगढ़	2010-11	28.00	30.00	96.00	-	1.00	601.00	1036.00	
40.	भारत सरकार प्रैस, गैंगटोक	2007-08	4.00	7.00	-	-	-	4.00	5.00	
41.	भारत सरकार प्रैस, संतरागाची	2010-11	356.00	3.00	48.00	-	43.00	1491.00	418.00	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध II-छ

(पैराग्राफ 2.4.6 के संदर्भ में)

2011-12 के दौरान बट्टे खाते में डाली/अस्थगित हानियों तथा अवसूलनीय देयों का विवरण

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	निम्न के कारण हानियों तथा अवसूलनीय देयों को बट्टे खाते में डालना									
	प्रणाली की विफलता		उपेक्षा/धोखाधड़ी आदि		अन्य कारण		वसूली का अधित्याग		सानुग्रह भुगतान	
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
परमाणु ऊर्जा	0	0	0	0	25	8.00	0	0	0	0
शहरी विकास					0	0	0	0	16	92.07
अंतरिक्ष	0	0	0	0	3	0.20	0	0	2	2.00
डाक एवं दूरसंचार			13	4.61	21	6.37	8	10.72	75	20.34
रक्षा सेवाएं	2	1.24	26	37.58	70	187.50	0	0	0	0
लोक सभा सचिवालय	0	0	0	0	2	0.12	0	0	0	0
राज्य सभा सचिवालय	0	0	0	0	0	0	1	0.01	0	0
जल संसाधन मंत्रालय	0	0	0	0	4	0.26	1	24.78	0	0
प्रभागीय वन अधिकारी दक्षिण अण्डमान	0	0	0	0	03	3.91	0	0	02	1.13
के.सी.उ.बो.	0	0	0	0	1	10.00	0	0	0	0
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					1	557.84				
<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>1.24</b>	<b>39</b>	<b>42.190</b>	<b>130</b>	<b>774.20</b>	<b>10</b>	<b>35.51</b>	<b>95</b>	<b>115.54</b>
बट्टे खाते में हानियों : 171 मामले ; राशि ₹ 817.63							अस्थगित वसूली एवं किया गया सानुग्रह भुगतान : 105 मामले ; ₹ 151.05			



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध-III-क  
(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)  
प्राधिकरण तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत आधिक्य (+)
<b>क- सिविल</b>					
<b>दत्तमत</b>					
I. राजस्व	830435.92	101993.96	932429.88	830932.62	101497.26
II. पूंजीगत	76475.34	11763.20	88238.54	63966.25	24272.29
III. ऋण एवं अग्रिम	29917.22	9709.29	39626.51	26381.43	13245.08
<b>योग</b>	<b>936828.48</b>	<b>123466.45</b>	<b>1060294.93</b>	<b>921280.30</b>	<b>139014.63</b>
<b>प्रभारित</b>					
IV. राजस्व	325521.27	11941.15	337462.42	334982.38	2480.04
V. पूंजीगत	36.20	16.61	52.81	33.34	19.47
VI. लोक नामे	3155216.93	369496.27	3524713.20	3495928.70	28784.50
VII. ऋण एवं अग्रिम	13.00	13020.20	13033.20	10015.53	3017.67
<b>योग</b>	<b>3480787.40</b>	<b>394474.23</b>	<b>3875261.63</b>	<b>3840959.95</b>	<b>34301.68</b>
<b>कुल योग</b>	<b>4417615.88</b>	<b>517940.68</b>	<b>4935556.56</b>	<b>4762240.25</b>	<b>173316.31</b>
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			147847.68	101947.89	45899.79
<b>कुल निवल प्रावधान</b>			<b>4787708.88</b>	<b>4660292.36</b>	<b>127416.52</b>
<b>कुल निवल संवितरण</b>				<b>4660292.36</b>	
<b>ख - डाक</b>					
<b>दत्तमत</b>					
I. राजस्व	13522.26	240.07	13762.33	14162.37	(+)400.04
II. पूंजीगत	518.12	0.02	518.14	200.63	317.51
<b>योग</b>	<b>14040.38</b>	<b>240.09</b>	<b>14280.47</b>	<b>14363.00</b>	<b>(+)82.53</b>
<b>प्रभारित</b>					
III. राजस्व	0.10	1.49	1.59	1.54	0.05
IV. पूंजीगत	--	9.60	9.60 <sup>#</sup>	9.60 <sup>#</sup>	(+) <sup>#</sup>
<b>योग</b>	<b>0.10</b>	<b>11.09</b>	<b>11.19</b>	<b>11.14</b>	<b>0.05</b>
<b>कुल योग</b>	<b>14040.48</b>	<b>251.18</b>	<b>14291.66</b>	<b>14374.14</b>	<b>(+)82.48</b>
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			695.11	458.64	
<b>कुल निवल प्रावधान</b>			<b>13596.55</b>		
<b>कुल निवल संवितरण</b>				<b>13915.50</b>	

# वास्तविक आधिक्य ₹ 24,413/=

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

(₹ करोड़ में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत आधिक्य (+)	
<b>ग- रक्षा सेवाएं</b>						
<b>दत्तमत</b>						
I. राजस्व	99715.50	9858.57	109574.07	107961.10	1612.97	
II. पूंजीगत	69148.01	-	69148.01	67843.96	1304.05	
<b>योग</b>	<b>168863.51</b>	<b>9858.57</b>	<b>178722.08</b>	<b>175805.06</b>	<b>2917.02</b>	
<b>प्रभारित</b>						
III. राजस्व	35.23	32.24	67.47	34.46	33.01	
IV. पूंजीगत	50.80	50.71	101.51	58.42	43.09	
<b>योग</b>	<b>86.03</b>	<b>82.95</b>	<b>168.98</b>	<b>92.88</b>	<b>76.10</b>	
<b>कुल योग</b>	<b>168949.54</b>	<b>9941.52</b>	<b>178891.06</b>	<b>175897.94</b>	<b>2993.12</b>	
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			362.88	371.85	(+)8.97	
<b>कुल निवल प्रावधान</b>			<b>178528.18</b>			
<b>कुल निवल संवितरण</b>				<b>175526.09</b>	<b>3002.09</b>	
<b>घ-रेलवे</b>						
<b>दत्तमत</b>						
	197279.90	7641.05	204920.95	194736.32	10184.63	
<b>प्रभारित</b>						
	221.78	70.25	292.03	260.76	31.27	
<b>योग</b>	<b>197501.68</b>	<b>7711.30</b>	<b>205212.98</b>	<b>194997.08</b>	<b>10215.90</b>	
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			65047.92	65738.36	(+) 690.44	
<b>कुल निवल प्रावधान</b>			<b>140165.06</b>			
<b>कुल निवल संवितरण</b>				<b>129258.72</b>		
<b>योग</b> <b>भा.स.नि.</b>	<b>दत्तमत</b>	<b>1317012.27</b>	<b>141206.16</b>	<b>1458218.43</b>	<b>1306184.68</b>	<b>152033.75</b>
	<b>प्रभारित</b>	<b>3481095.31</b>	<b>394638.52</b>	<b>3875733.83</b>	<b>3841324.73</b>	<b>34409.10</b>
<b>कुल योग भा.स.नि.</b>		<b>4798107.58</b>	<b>535844.69</b>	<b>5333952.26</b>	<b>5147509.41</b>	<b>186442.85</b>
व्यय की कटौती में कुल वसूलियां			213953.59	168516.74	45436.85	
विनियोग लेखे (भा.स.नि.) के अनुसार कुल व्यय			5119998.67	4978992.67	141006.00	
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता				0.01		
वित्त लेखे के अनुसार भा.स.नि. से कुल संवितरण				4978992.68		

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण में, यह अनुदान कहलाता है।

भा.स.नि.: भारत की समेकित निधि

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध -III-ख  
(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)  
अनुदानों/विनियोगों में निवल बचत

(₹ करोड़ में)

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल बचत निवल आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व		राजस्व	पूंजीगत
<b>क - सिविल</b>						
दत्तमत	105067.51	37524.60	3570.25	7.23	101497.26	37517.37
अनुदानों की संख्या	91	70	2	1	-	-
प्रभारित	5447.89	31821.64	2967.85	-	2480.04	31821.64
विनियोगों की संख्या	32	10	3	-	-	-
<b>ख - डाक</b>						
दत्तमत	-	317.51	400.04	-	(+) 400.04	317.51
अनुदानों की संख्या	-	1	1	-	-	-
प्रभारित	0.05	-	-	-	0.05	-
विनियोगों की संख्या	1	-	-	-	-	-
<b>ग- रक्षा सेवाएं</b>						
दत्तमत	2180.88	1304.05	567.91	-	1612.97	1304.05
अनुदानों की संख्या	4	1	1	-	-	-
प्रभारित	33.01	43.01	-	-	33.01	43.01
विनियोगों की संख्या	5	1	-	-	-	-
<b>घ-रेलवे</b>						
दत्तमत	5457.19	5775.26	1047.83	-	4409.36	5775.26
अनुदानों की संख्या	13	1*	2	-	-	-
प्रभारित	10.16	21.43	0.31	-	9.85	21.43
विनियोगों की संख्या	9	1*	2	-	-	-

\* एक अनुदान के चार खण्ड



अनुबंध-III- ग

(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालयों/ विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का वर्ष-वार समानुपात

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्राधिकरण			संवितरण			प्रतिशतता	
		दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित
1.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
2.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
3.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
4.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
5.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
6.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590086	19	81
7.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
8.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78
9.	2008-09	780316	2440552	3220868	744116	2404957	3149073	24	76
10.	2009-10	830706	3525606	4356312	768458	3349254	4117712	19	81
11.	2010-11	986064	3697775	4683839	918675	3104657	4023332	23	77
12.	2011-12	1060295	3875262	4935557	921280	3840960	4762240	19	81

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध-III-घ

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण  
(₹ पांच करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
<b>सिविल</b>				
<b>14- दूरसंचार विभाग</b>				
1.	2071.01.101.01- साधारण पेंशन	मू. सं. 1799.02 820.16	2670.08	50.90
<b>21-रक्षा पेंशन</b>				
2.	2071.02.101.01-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. सं. 29649.34 27.29	32929.45	3252.82
3.	2071.02.101.03-अवकाश नकदीकरण	मू. सं. 1074.19 (-) 18.50	1070.94	15.25
4.	2071.02.102.01- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. सं. 964.81 (-) 35.74	1049.74	120.67
5.	2071.02.102.03-अवकाश नकदीकरण	मू. सं. 92.31 35.84	137.01	8.86
6.	2071.02.103.01- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. सं. 2053.03 (-) 44.55	2182.05	173.57
<b>31- विदेश मंत्रालय</b>				
7.	2061.00.101.01-प्रबंधन एवं स्थापना	मू. सं. 1364.97 25.83	1499.46	108.66
<b>34- विनियोग-ब्याज भुगतान</b>				
8.	2049.01.101-बाजार ऋण पर ब्याज	मू. अ. सं. 179290.19 3000.00 (+)3020.76	189416.34	4105.39
9.	2049.02.230- स.स.ज.सं. सरकार से ऋणों पर ब्याज	मू. सं. 233.85 (+)41.52	281.13	5.76
10.	2049.03.104.04- राज्य रेलवे भविष्य निधि	मू. सं. 1654.39 (-)43.45	1765.13	154.19
<b>37-विनियोग - ऋण का पुनर्भुगतान</b>				
11.	6001.00.115- 14 दिनों के राजकोषीय बिल	मू. सं. 2500566.00 (-) 397758.00	2109690.77	6882.77
<b>39-पेंशन</b>				
12.	2071.01.101.01- साधारण पेंशन	मू. अ. सं. 8800.57 452.43 145.49	9482.97	84.48
13.	2071.01.104.01- साधारण पेंशन	मू. सं. 2216.85 (-) 150.00	2107.37	40.52
14.	2071.01.105.02- परिवार पेंशन	मू. अ. सं. 1895.45 124.15 230.40	2340.33	90.33
<b>54-पुलिस</b>				
15.	2055.00.103.01-स्थापना व प्रशासन	मू. अ. सं. 2451.58 240.00 (-) 8.93	2723.59	40.94

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण  
(₹ पांच करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
16.	2055.00.105.01-महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल	मू. अ. सं.	7367.65 511.03 34.01	7894.51 18.18
17.	4055.00.202.04-सामान्य	मू.	65.00	76.33 11.33
<b>55-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय</b>				
18.	2235.60.107.03-केन्द्र सरकार पेंशन	मू. सं.	717.00 0.08	821.03 103.95
<b>97-चण्डीगढ़</b>				
19.	2014.00.102.02-स्थापना	मू. अ. सं.	86.17 4.03 0.72	110.90 19.98
20.	4406.01.101.01-भूमि अधिग्रहण	मू. सं.	1.00 0.10	23.65 22.55
<b>101-शहरी विकास विभाग</b>				
21.	2216.07.053.05-अन्य अनुरक्षण व्यय	मू.	42.00	48.56 6.56
<b>102-लोक निर्माण विभाग</b>				
22.	2059.01.053.04-अन्य अनुरक्षण व्यय	मू.	177.53	185.73 8.20
<b>डाक विभाग</b>				
<b>13-डाक सेवाएं</b>				
23.	3201.01.101.01 - परिमंडल कार्यालय		192.00	203.81 11.81
24.	3201.01.101.03 -डाक विभाग (दत्तमत)		342.61	387.18 44.57
25.	3201.02.101.01- विद्यमान डाक घर		4829.58	5074.62 245.04
26.	3201.02.101.04- विशिष्ट उत्पादन सेवाएं		104.47	112.12 7.65
27.	3201.02.102.01- डाक छटाई		836.67	894.24 57.57
28.	3201.02.103.04-एम.एम.एस. हेतु सामान्य सेवाएं (दत्तमत)		82.10	91.25 9.15
29.	3201.03.101.01 - एस.बी.सी.ओ.		109.91	115.10 5.19
30.	3201.04.102.02 - डाक लेखा कार्यालय क्षेत्र		259.96	268.13 8.17
31.	3201.07.101.01 - अधिवर्षता एवं सेवानिवृत्ति		1578.85	1697.91 119.06
32.	3201.07.102.01 - परिवर्तित		280.87	314.54 33.67
33.	3201.07.104.01 - इ.डी.ए. को उपदान		3.40	49.01 45.61
34.	3201.07.110.01 -परिभाषित नई पेंशन योजना को सरकार का सहयोग		56.24	86.33 30.09
35.	3201.08.101.01 - रिजर्व स्टेम्प कार्यालय, कोलकाता को प्रभारों का भुगतान		0.00	6.61 6.61



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण  
(₹ पांच करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
<b>रक्षा सेवाएं</b>				
<b>22-रक्षा सेवाएं - थल सेना</b>				
36.	2076.00.104-नागरिकों वेतन एवं भत्ते	मू. अ. सं. 3237.85 156.19 (-) 59.66	3361.21	26.83
37.	2076.00.106- सेना फार्म	मू. अ. सं. 237.06 5.00 (+) 69.01	316.40	5.33
38.	2076.00.111- निर्माण कार्य	मू. अ. सं. 5114.72 397.06 (+) 167.64	5708.68	29.26
<b>23 - रक्षा सेवाएं - जल सेना</b>				
39.	2077.00.105- परिवहन	मू. सं. 434.58 (-) 92.71	352.64	10.77
40.	2077.00.112 - संयुक्त स्टाफ	मू. अ. सं. 1082.06 99.39 (-) 11.67	1214.19	44.41
41.	2077.00.800-अन्य व्यय	मू. अ. सं. 271.37 0.01 (-) 12.26	280.23	21.11
<b>24 - रक्षा सेवाएं - वायु सेना</b>				
42.	2078.00.101-वायु सेना के वेतन एवं भत्ते	मू. सं. 6344.06 (+) 43.41	6740.69	353.22
43.	2078.00.104- नागरिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. अ. सं. 790.80 15.00 (-) 42.50	791.11	27.81
44.	2078.00.110- गोदाम	मू. सं. 6696.42 (+) 40.36	6930.74	193.96
<b>27 - रक्षा सेवाओं पूंजी परिव्यय</b>				
45.	4076.01.101- वायु विमान एवं एरो- इंजन	मू. सं. 2291.60 (-) 724.11	1604.94	37.45
46.	4076.01.102- भारी एवं मध्यम वाहन	मू. सं. 952.88 (+) 1268.31	2273.52	52.33
47.	4076.01.103- अन्य उपकरण	मू. सं. 10855.96 (-) 3938.10	6960.18	42.32
48.	4076.02.101-वायुयान एवं एरो-इंजन	मू. सं. 2974.96 (+) 1245.06	4335.85	115.83
49.	4076.02.103- अन्य उपकरण	मू. सं. 2108.69 (+) 343.86	2582.81	130.26
50.	4076.02.204- नौसेनिक बेड़े	मू. सं. 7320.02 (+) 2035.35	10320.62	965.25
51.	4076.02.205- नौसेनिक डॉकयार्ड	मू. सं. 720.26 (-) 144.50	647.75	71.99
52.	4076.03.101- वायुयान एवं एरो-इंजन	मू. सं. 22055.61 (-) 2230.37	20229.21	403.97

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण  
(₹ पांच करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
53.	4076.03.103- अन्य उपकरण	मू. सं. 6279.81 (+) 380.38	6787.64	127.45
			योग	18,609.65

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध-III- ड

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों की विवरणी

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	आवंटित बजट	बचते	आवंटित बजट की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
<b>सिविल</b>				
<b>राजस्व- दत्तमत</b>				
1.	1- कृषि और सहकारिता विभाग	17450.74	745.54	4
2.	3-पशुपालन, डेरी कार्य तथा मतस्यकी विभाग	2021.25	373.79	18
3.	4- परमाणु ऊर्जा	5636.46	242.10	4
4.	6-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	1419.83	145.26	10
5.	8-औषध विभाग	190.51	117.92	62
6.	9- नागरिक उड्डयन मंत्रालय	1010.70	191.22	19
7.	11-वाणिज्य विभाग	5629.41	1891.18	34
8.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	1481.05	247.33	17
9.	14-दूरसंचार विभाग	8745.83	111.54	1
10.	15- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2871.23	936.08	33
11.	16- उपभोक्ता मामले विभाग	588.40	104.04	18
12.	20-रक्षा मंत्रालय	13403.35	107.09	1
13.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास का मंत्रालय	1631.58	107.71	7
14.	29-भू-विज्ञान मंत्रालय	1284.96	211.33	16
15.	30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2661.36	500.85	19
16.	32- आर्थिक कार्य विभाग	8070.63	984.86	12
17.	33- वित्तीय सेवाएं विभाग	16391.96	9880.35	60
18.	35 -राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण	91403.62	8476.79	9
19.	41- राजस्व विभाग	13339.02	8082.07	61
20.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	26912.38	2130.62	8
21.	47-आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष)	1064.08	303.75	29
22.	49-एड्स नियंत्रण विभाग	1699.00	385.32	23
23.	52-गृह मंत्रालय	4921.61	1828.47	37
24.	54-पुलिस	34802.56	369.33	1
25.	56- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	2058.29	641.90	31
26.	57- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1107.63	147.14	13
27.	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	60158.65	1009.08	2
28.	59-उच्चतर शिक्षा विभाग	21981.74	2335.60	11
29.	61- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	3789.20	299.77	8
30.	63-कानून एवं न्याय	1417.28	391.64	28
31.	65- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2834.54	672.31	24
32.	67-अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय	2751.01	568.23	21
33.	70 - पंचायती राज मंत्रालय	5250.66	1143.21	22
34.	75- विद्युत मंत्रालय	12018.97	7281.05	61
35.	81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	20026.47	651.83	3
36.	82- ग्रामीण विकास विभाग	149209.75	42368.46	28
37.	83-भू-संसाधन विभाग	2706.20	280.44	10
38.	84-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	11005.24	1007.54	9



विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों की विवरणी

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	आवंटित बजट	बचतें	आवंटित बजट की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
39.	85-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2695.91	212.00	8
40.	86-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	3378.52	169.50	5
41.	87-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1426.96	218.53	15
42.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	2086.54	653.89	31
43.	89- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	5183.05	333.97	6
44.	90-अंतरिक्ष विभाग	3676.97	916.54	25
45.	91- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4880.83	1761.88	36
46.	92-इस्पात मंत्रालय	236.52	155.54	66
47.	93- कपड़ा मंत्रालय	6099.24	1220.55	20
48.	101-शहरी विकास विभाग	1232.54	151.30	12
49.	104- जल संसाधन मंत्रालय	1150.06	166.20	14
50.	105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	16183.04	506.98	3
51.	106- युवा मामले एवं खेल-कूद मंत्रालय	1117.01	132.30	12
<b>राजस्व- प्रभारित</b>				
52.	35-राज्य एवं सं.शा..सरकारों को अंतरण	49298.62	5325.95	11
53.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	3311.25	100.01	3
<b>पूंजीगत- दत्तमत</b>				
54.	4-परमाणु ऊर्जा	3448.86	818.98	24
55.	5- नाभिकीय शक्ति योजनाएं	1087.40	190.12	17
56.	9- नागरिक उड्डयन मंत्रालय	1393.00	172.59	12
57.	11-वाणिज्य विभाग	930.98	194.90	21
58.	14- दूरसंचार विभाग	1027.96	970.09	94
59.	29-भू-विज्ञान मंत्रालय	284.20	183.23	64
60.	32-आर्थिक कार्य विभाग	25804.18	11998.50	46
61.	35-राज्य एवं सं.शा..सरकारों को अंतरण	10000.00	10000.00	100
62.	42-प्रत्यक्ष कर	905.70	644.70	71
63.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1989.13	916.16	46
64.	50-भारी उद्योग विभाग	439.92	148.05	34
65.	53-मंत्रीमण्डल	186.25	115.04	62
66.	54-पुलिस	8464.47	2983.03	35
67.	60- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	596.17	150.32	25
68.	61- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	746.00	223.53	30
69.	74- योजना मंत्रालय	731.62	480.12	66
70.	75- विद्युत मंत्रालय	3041.81	687.43	23
71.	81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	22221.38	3282.64	15
72.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	623.68	392.46	63
73.	90-अंतरिक्ष विभाग	2948.19	1918.03	65
74.	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	604.33	136.97	23
<b>पूंजीगत- प्रभारित</b>				
75.	35-राज्य एवं सं.शा..सरकारों को अंतरण	13000.00	3004.64	23
76.	37-विनियोग - ऋण का पुनर्भुगतान	3524713.20	28784.50	1

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों की विवरणी

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	आवंटित बजट	बचतें	आवंटित बजट की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
<b>रेलवे</b>				
<b>राजस्व - दत्तमत</b>				
77.	2-विविध व्यय (सामान्य)	683.03	121.63	18
78.	3-सामान्य अधीक्षक एवं सेवाएं	4996.02	330.96	7
79.	4-स्थायी मार्ग एवं निर्माण कार्यों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	8154.65	360.09	4
80.	7-संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण	4672.96	251.96	5
81.	9-परिचालन व्यय-यातायात	13440.32	146.84	1
82.	10-परिचालन व्यय- ईंधन	18980.79	134.73	1
83.	14-निधियों का विनियोग - भविष्य निधि, मूल्य ह्रास रिजर्व निधि, विकास निधि, पेंशन निधि, पूंजीगत निधि	28068.41	2802.84	10
84.	15-सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान तथा अतिपूंजीकरण का परिशोधन	6734.72	1078.69	16
<b>पूंजीगत- दत्तमत</b>				
85.	16- परिसम्मतियां - अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन - पूंजीगत	54215.47	1510.81	3
86.	16-परिसम्मतियां - अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन - रेलवे सुरक्षा निधि	1998.40	669.87	34
87.	16-रेलवे निधियां (मूल्य ह्रास रिजर्व निधि, पूंजीगत निधि, विकास निधि)	15137.70	3565.24	24
<b>रक्षा सेवाएं</b>				
<b>राजस्व - दत्तमत</b>				
88.	22-रक्षा सेवाएं थल सेना	73174.45	1341.79	02
89.	23-रक्षा सेवाएं - नौसेना	12335.02	277.20	02
90.	25- रक्षा आयुध कारखाने	1651.81	223.87	14
91.	26-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	5659.26	338.02	06
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>				
92.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	69148.01	1304.05	02
<b>डाक विभाग</b>				
<b>पूंजीगत- दत्तमत</b>				
93.	13-डाक सेवाएं	518.14	317.51	61
<b>योग</b>			<b>192470.01</b>	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध-III-च

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों की विवरणी

अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	वर्ष	बजट आवंटन	वर्ष के दौरान बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
सिविल				
राजस्व (दत्तमत)				
1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	2009-10	12045.53	155.13	01
	2010-11	17776.21	471.03	03
	2011-12	17450.74	745.54	04
3-पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	2009-10	1564.99	333.09	21
	2010-11	1749.63	265.53	15
	2011-12	2021.25	373.79	18
4-परमाणु ऊर्जा	2009-10	4719.57	150.80	03
	2010-11	5096.90	257.71	05
	2011-12	5636.46	242.10	04
15- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2009-10	2484.02	883.56	36
	2010-11	3558.03	578.06	16
	2011-12	2871.23	936.08	33
32-आर्थिक कार्य मंत्रालय	2009-10	5636.44	308.66	05
	2010-11	6845.63	674.55	10
	2011-12	8070.63	984.86	12
33-वित्तीय सेवाएं विभाग	2009-10	36471.54	1872.72	05
	2010-11	36686.98	1812.23	05
	2011-12	16391.96	9880.35	60
35 – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	2009-10	77266.11	5708.01	07
	2010-11	83988.83	12463.68	15
	2011-12	91403.62	8476.79	09
46 – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2009-10	21024.27	603.64	03
	2010-11	24142.17	875.44	04
	2011-12	26912.38	2130.62	08
54 – पुलिस	2009-10	27094.73	285.92	01
	2010-11	29125.04	248.67	01
	2011-12	34802.56	369.33	01
57-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2009-10	857.97	276.21	32
	2010-11	1007.07	178.83	18
	2011-12	1107.63	147.14	13
58 – स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2009-10	43090.62	4767.74	11
	2010-11	53330.83	783.89	01
	2011-12	60158.65	1009.08	02
59-उच्चतर शिक्षा विभाग	2009-10	15516.17	1552.60	10
	2010-11	18783.34	3216.58	17
	2011-12	21981.74	2335.60	11
61 – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2009-10	2702.67	185.26	07
	2010-11	3435.68	377.43	11
	2011-12	3789.20	299.77	08
65- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2009-10	2023.04	335.07	17
	2010-11	2667.18	110.37	04



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों की विवरणी

अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	वर्ष	बजट आवंटन	वर्ष के दौरान बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
	2011-12	2834.54	672.31	24
75- विद्युत मंत्रालय	2009-10	10851.66	2325.67	21
	2010-11	11418.97	3837.54	34
	2011-12	12018.97	7281.05	61
81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2009-10	16895.19	3098.99	18
	2010-11	18474.45	589.81	03
	2011-12	20026.47	651.83	03
82-ग्रामीण विकास विभाग	2009-10	122505.30	11142.92	09
	2010-11	148217.71	17918.55	12
	2011-12	149209.75	42368.46	28
88-पोत परिवहन मंत्रालय	2009-10	1442.46	613.26	43
	2010-11	1654.44	489.53	30
	2011-12	2086.54	653.89	31
91- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2009-10	2104.75	150.04	07
	2010-11	2287.84	308.66	13
	2011-12	4880.83	1761.88	36
93- कपड़ा मंत्रालय	2009-10	11858.22	298.08	03
	2010-11	13300.24	482.83	04
	2011-12	6099.24	1220.55	20
<b>राजस्व (प्रभारित)</b>				
35 - राज्य एवं सं.शा.क्षे. की सरकारों को अंतरण	2009-10	34394.08	4800.00	14
	2010-11	32639.01	1124.81	03
	2011-12	49298.62	5325.95	11
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>				
04-परमाणु ऊर्जा	2009-10	2605.55	109.10	04
	2010-11	3008.05	512.07	17
	2011-12	3448.86	818.98	24
32-आर्थिक कार्य विभाग	2009-10	16899.91	12280.57	73
	2010-11	13177.56	2451.67	19
	2011-12	25804.18	11998.50	46
42-प्रत्यक्ष कर	2009-10	618.00	608.70	98
	2010-11	1679.01	106.73	06
	2011-12	905.70	644.70	71
54 - पुलिस	2009-10	7521.81	2252.10	30
	2010-11	7426.59	2466.59	33
	2011-12	8464.47	2983.03	35
75 - विद्युत मंत्रालय	2009-10	1916.00	336.24	18
	2010-11	5139.49	1959.76	38
	2011-12	3041.81	687.43	23
81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2009-10	16153.00	1987.90	12
	2010-11	20418.53	945.36	05
	2011-12	22221.38	3282.64	15
90-अंतरिक्ष विभाग	2009-10	2050.76	764.67	37
	2010-11	2676.88	752.16	28
	2011-12	2948.19	1918.03	65

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों की विवरणी

अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	वर्ष	बजट आवंटन	वर्ष के दौरान बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
<b>पूँजीगत (प्रभारित)</b>				
35-राज्य एवं सं.शा.क्षे. की सरकारों को अंतरण	2009-10	8825.00	1000.94	11
	2010-11	11413.44	1199.69	11
	2011-12	13000.00	3004.64	23
37- विनियोग - ऋण का पुनर्भुगतान	2009-10	3248205.07	162413.18	05
	2010-11	3398559.15	583785.03	17
	2011-12	3524713.20	28784.50	01
<b>डाक विभाग -</b>				
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>				
13- डाक सेवाएं	2009-10	388.81	127.19	33
	2010-11	474.55	200.90	42
	2011-12	518.14	317.51	61
<b>रेलवे</b>				
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>				
14- निधियों का विनियोग - डी.आर.एफ., डी.एफ., पी.एफ. एवं सी.एफ.	2009-10	21417.26	4301.51	20
	2010-11	25283.09	2533.20	10
	2011-12	28068.41	2802.84	10
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>				
16- सम्पत्ति- अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन -पूँजीगत	2009-10	45101.76	2020.71	04
	2010-11	48528.08	745.58	02
	2011-12	54215.47	1510.81	03
16- सम्पत्ति - अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थान -रेलवे निधि	2009-10	16983.14	2815.59	17
	2010-11	15465.19	856.19	06
	2011-12	15137.70	3565.24	24
16- सम्पत्ति - अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थान - रेलवे सुरक्षा निधि	2009-10	1456.88	649.98	45
	2010-11	1698.40	596.96	35
	2011-12	1998.40	669.87	34
<b>रक्षा सेवाएं</b>				
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>				
25 - रक्षा आयुध कारखाने	2009-10	3833.02	553.04	14
	2010-11	1998.34	924.92	46
	2011-12	1651.81	223.87	14

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध-III-छ

(पैराग्राफ 3.8 के संदर्भ में)

उन मामलों के उदाहरण जिनमें बचत से अधिक की राशियां अभ्यर्पित की गई थी  
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/ विनियोग	अनुभाग के अंतर्गत बचतें	अभ्यर्पित राशि
<b>सिविल</b>			
<b>राजस्व- दत्तमत</b>			
1.	5 – परमाणु शक्ति योजनाएं	40.25	40.81
2.	21 – रक्षा पेंशन	@	0.29
3.	31- विदेश मंत्रालय	38.99	140.36
4.	55 – गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	75.92	116.29
5.	100 – लक्षद्वीप	*	0.29
<b>पूँजीगत- दत्तमत</b>			
6.	18 – कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	1.91	2.00
7.	31 – विदेश मंत्रालय	#	1.60
8.	72 – कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	17.49	20.97
9.	102 – लोक निर्माण कार्य	66.13	66.26
<b>पूँजीगत- प्रभारित</b>			
10.	37 – ऋण का पुनर्भुगतान	28784.50	33982.53
<b>रक्षा सेवाएं</b>			
<b>पूँजीगत- दत्तमत</b>			
11.	27-रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1304.05	3105.71

@ ₹ 3,568.81 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

\* ₹ 1.44 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

# ₹ 7.23 करोड़ का अतिरिक्त व्यय



अनुबंध-III-ज  
(पैराग्राफ 3.9 के संदर्भ में)

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2011 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2011 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि (₹ करोड़ में)
				(₹ करोड़ में)		
सिविल						
राजस्व (दत्तमत)						
1.	1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	745.54	690.16	690.16	92.57	55.38
2.	6-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	145.26	145.22	145.22	99.97	0.04
3.	8-औषध विभाग	117.92	117.84	117.84	99.93	0.08
4.	11-वाणिज्य विभाग	1891.18	1882.96	1882.96	99.57	8.22
5.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	247.33	238.81	238.81	96.56	8.52
6.	14- दूरसंचार विभाग	111.54	शून्य	शून्य	--	111.54
7.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास का मंत्रालय	107.71	101.27	101.27	94.02	6.44
8.	30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	500.85	416.84	36.84	7.36	84.01
9.	31 - विदेश मंत्रालय	38.99	140.36	140.36	359.99	उ.न.
10.	32 - आर्थिक कार्य विभाग	984.86	415.86	415.86	42.23	569.00
11.	33- वित्तीय सेवाएं विभाग	9880.35	9878.06	9878.06	99.98	2.29
12.	35 - राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण	8476.79	7949.70	7949.70	93.78	527.09
13.	41-राजस्व विभाग	8082.07	8058.83	8058.83	99.71	23.24
14.	46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2130.62	1642.07	1642.07	77.07	488.55
15.	49- एड्स नियंत्रण विभाग	385.32	324.36	324.36	84.18	60.96
16.	52- गृह मंत्रालय	1828.47	1698.11	1698.11	92.87	130.36
17.	56- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	641.90	571.07	571.07	88.97	70.83
18.	58 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1009.08	966.32	966.32	95.76	42.76
19.	59 - उच्चतर शिक्षा विभाग	2335.60	2283.24	2283.24	97.76	52.36
20.	65 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	672.31	587.85	587.85	87.44	84.46

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2011 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2011 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि (₹ करोड़ में)
				(₹ करोड़ में)		
21.	70-पंचायती राज मंत्रालय	1143.21	1142.64	1142.64	99.95	0.57
22.	75- विद्युत मंत्रालय	7281.05	7270.61	7270.61	99.86	10.44
23.	82- ग्रामीण विकास विभाग	42368.46	42342.11	42342.11	99.94	26.35
24.	83-भू-संसाधन विभाग	280.44	278.27	278.27	99.23	2.17
25.	84- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	1007.54	1006.57	1006.57	99.90	0.97
26.	85- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	212.00	190.88	190.88	90.04	21.12
27.	89- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	333.97	327.72	327.72	98.13	6.25
28.	92-इस्पात मंत्रालय	155.54	155.44	155.44	99.94	0.10
29.	106- युवा मामले एवं खेल-कूद मंत्रालय	132.30	126.05	126.05	95.28	6.25
<b>राजस्व- प्रभारित</b>						
30.	35 - राज्य एवं सं.शा..सरकारों को अंतरण	5325.95	5325.95	5325.95	100	-
<b>राजस्व - दत्तमत</b>						
31.	11-वाणिज्य विभाग	194.90	192.02	177.02	90.83	2.88
32.	14- दूरसंचार विभाग	970.09	962.23	962.23	99.19	7.86
33.	32 - आर्थिक कार्य विभाग	11998.50	10238.52	10238.52	85.33	1759.98
34.	35 - राज्य एवं सं.शा..सरकारों को अंतरण	10000.00	10000.00	10000.00	100.00	-
35.	42-प्रत्यक्ष कर	644.70	641.73	641.73	99.54	2.97
36.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	916.16	765.22	765.22	83.52	150.94
37.	54 - पुलिस	2983.03	2512.69	2512.69	84.23	470.34
38.	60 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	150.32	149.66	149.66	99.56	0.66

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2011 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2011 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि (₹ करोड़ में)
				(₹ करोड़ में)		
39.	74- योजना मंत्रालय	480.12	303.58	303.58	63.23	176.54
40.	75- विद्युत मंत्रालय	687.43	686.59	686.59	99.88	0.84
<b>पूंजीगत- प्रभारित</b>						
41.	35 – राज्य एवं सं.शा..सरकारों को अंतरण	3004.64	3004.64	3004.64	100.00	-
42.	37 – विनियोग - ऋण का पुनर्भुगतान	28784.50	33982.53	33982.53	118.06	उ.न.
<b>रक्षा सेवाएं</b>						
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>						
43.	26-अनुसंधान एवं विकास	338.02	238.65	238.65	70.60	99.37
44.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1304.05	3105.71	3105.71	238.16	उ.न.



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध III-झ  
(पैराग्राफ 3.10 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे  
(रूपांच करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
सिविल				
1.	4-परमाणु ऊर्जा	2852.09.800.06-प.ऊ.वि. - परियोजना	19.99	20.00
2.	20-रक्षा मंत्रालय	2055.00.104.02-जम्मू एवं कश्मीर लाईट इनफेन्ट्री (ज.क.ला.इ.) के संबंध में भुगतान किए गए प्रभार	16.81	38.58
3.	29-भू-विज्ञान मंत्रालय	3403.00.102.01-ध्रुवीय विज्ञान	13.00	31.12
4.	34-ब्याज भुगतान	2049.03.108.02-परिवार पेंशन - सह - औद्योगिक कार्यकर्ताओं हेतु आश्वासन निधियां	140.61	542.66
5.		2049.03.108.03-केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी वर्ग बीमा योजना	8.75	21.18
6.	54-पुलिस	2055.00.114.01-अंतरराज्य पुलिस बेतार योजना	6.00	6.28
7.		4055.00.216.10-आसूचना ब्यूरो	57.19	65.83
8.	57-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	3601.04.435.01-स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनो	6.55	13.34
9.	81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3054.02.337.05-सीमा सड़क स्कंध द्वारा अनुरक्षण	8.64	14.57
10.		3054.02.337.06-राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा सड़कों का अनुरक्षण	5.21	67.61
11.	93-कपड़ा मंत्रालय	2852.08.796.02-तकनीकी उन्नयन निधि योजना	8.10	8.10
12.	22-रक्षा सेवाएं -थल सेना	2076.00.101- सेना के वेतन एवं भत्ते	43.79	1106.89
13.		2076.00.112-राष्ट्रीय राइफल	44.41	147.74
14.	23-रक्षा सेवाएं -जल सेना	2077.00.101-जल सेना के वेतन एवं भत्ते - दत्तमत	53.17	93.32
15.		2077.00.111-निर्माण कार्य - दत्तमत	12.15	21.07
16.	25-रक्षा आयुध कारखाने	2079.00.054-विनिर्माण - दत्तमत	72.65	106.07
17.		2079.105-परिवहन - दत्तमत	12.00	12.02
योग			529.02	

अनुबंध III-ज

(पैराग्राफ 3.11 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष/लघु-शीर्ष से मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि उप-शीर्ष के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त व्यय के कारण अविवेकपूर्ण थे

(रूपांच करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

(रू करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
<b>सिविल</b>				
1.	21-रक्षा पेंशन	2071.02.102.01-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	35.74	120.67
2.		2071.02.103.01- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	44.55	173.58
3.	31-विदेश मंत्रालय	2061.00.798.03-संयुक्त राष्ट्र संस्थान	7.54	8.60
4.	34-विनियोग-ब्याज भुगतान	2049.03.104.04-राज्य रेलवे भविष्य निधि	43.45	154.19
5.	54-पुलिस	2055.00.103.01-स्थापना एवं प्रशासन	8.93	40.94
<b>रक्षा सेवाएं</b>				
6.	23-रक्षा सेवाएं -जल सेना	2077.00.112 – संयुक्त स्टाफ	11.67	44.41
7.		2077.00.800 – अन्य व्यय	12.26	21.11
		<b>योग</b>	<b>164.14</b>	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध III-ट  
(पैराग्राफ 3.12 के संदर्भ में)  
मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		पूंजीगत					योग
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत		प्रभारित			
				पूंजीगत	कर्ज एवं पेशगियां	लोक ऋण	पूंजीगत	कर्ज एवं पेशगियां	
2005-06	मूल	260249	164936	25972	6302	601477	53	1179	1060168
	अनुपूरक	34784	612	1101	1643	420204	4	4674	463022
	प्रतिशतता	13	-	4	26	70	8	396	44
2006-07	मूल	310212	176989	33434	5517	1098308	80	5174	1629714
	अनुपूरक	90637	5146	8800	577	349582	6	702	455450
	प्रतिशतता	29	3	26	10	32	8	14	28
2007-08	मूल	360510	195865	75302	4831	1611646	4322	238	2252714
	अनुपूरक	89998	16937	17730	2744	62573	35	3134	193151
	प्रतिशतता	25	9	24	57	4	1	1317	9
2008-09	मूल	437377	243991	38329	5019	1745575	38	5073	2475402
	अनुपूरक	285013	113	10158	4419	442593	7	3162	745465
	प्रतिशतता	65	-	27	88	25	18	62	30
2009-10	मूल	667430	268467	52991	8667	1880843	42	6642	2885082
	अनुपूरक	81044	49	17953	2621	1367362	1	2200	1471230
	प्रतिशतता	12	-	34	30	73	2	33	51
2010-11	मूल	729198	287617	67432	22739	3382665	35	8180	4497866
	अनुपूरक	135176	131	20496	11023	15895	2	3259	185973
	प्रतिशतता	19	-	30	48	-	6	40	4
2011-12	मूल	830436	325521	76476	29917	3155217	36	13	4417616
	अनुपूरक	101994	11941	11763	9709	369496	17	13020	517940
	प्रतिशतता	12	4	15	32	12	47	100154	12



अनुबंध III-ठ

(पैराग्राफ 3.14 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाती हुई विवरणी

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक सवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
1.	20-रक्षा मंत्रालय	4047.00.037.01- तटरक्षण संरक्षण	1600.00	0.01	1575.38	24.63	डी.पी.पी. आदि के अंतर्गत आर.इ.पी. प्रारूप को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण 06 ओ.पी.वी. की नई अधिग्रहण योजना विफल रही
2.	37- विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान	6001.00.105.06- अफ्रीकी विकास निधि	22.12	1.82	14.71	9.23	प्रतिभूतियों का कम नकदीकरण
3.		6001.00.106.15- 9% राहत बॉन्ड, 1987	0.43	1.58	0.06	1.95	भुगतान हेतु कम दावे
4.		6001.00.106.18- 9% राहत बॉन्ड, 1993	0.20	0.57	0.01	0.76	भुगतान हेतु कम दावों की प्राप्ति
5.		-वही -	6001.00.106.19- 10% राहत बॉन्ड, 1995	3.44	2.40	0.43	5.41
6.	-वही --	6001.00.106.22- 8.5% राहत बॉन्ड, 2001	17.59	23.07	5.37	35.29	भुगतान हेतु कम दावों की प्राप्ति
7.	-वही -	6001.00.106.24- 8% राहत बॉन्ड, 2002	29.25	27.64	9.31	47.58	भुगतान हेतु कम दावों की प्राप्ति
8.	-वही -	6001.00.106.28- 7% बचत बॉन्ड, 2002 (कर रहित)	5.81	8.16	3.04	10.93	भुगतान हेतु कम दावों की प्राप्ति
9.	-वही -	6001.00.106.30- 8% बचत बॉन्ड, 2003 (कर सहित)	13000.00	163.25	12862.79	300.46	भुगतान हेतु कम दावों की प्राप्ति
10.	-वही --	6001.00.106.31- 6.5% बचत बॉन्ड, 2003 (कर रहित)	46.28	32.36	20.03	58.61	भुगतान हेतु कम दावों की प्राप्ति
11.	-वही -	6001.00.112-10% राहत बॉन्ड, 1993	0.67	0.09	0.02	0.74	भुगतान हेतु कम दावों की प्राप्ति
12.	39-पेंशन	2071.01.115.01- साधारण पेंशन	1210.00	100.00	1172.44	137.56	कम दावों की प्राप्ति
13.	53-मंत्रिमण्डल	4055.00.206.03- सामान्य	84.11	82.18	62.25	104.04	संचार प्रणाली तथा विशिष्ट जांच इकाई हेतु उपकरण, मशीनरी के क्रय हेतु वसूली प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना
14.	54-पुलिस	2055.00.001.04- राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड	39.69	139.21	10.98	167.92	रिक्त पदों को न भरा जाना तथा विभिन्न योजनाओं को अंतिम रूप न दिया जाना

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाती हुई विवरणी

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
				(₹ करोड़ में)			
15.		2055.00.001.06-आसूचना ब्यूरो	909.62	75.00	857.14	127.48	रिक्त पदों को भरा न जाना तथा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना, 'आर एवं टी' परियोजना को स्थापित करने हेतु कोडल औपचारिकताओं को पूरा न किया जाना तथा संशोधित अनुमानों के चरण पर प्रावधान में कमी।
16.	81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3054.02.337.05-सीमा सड़क स्कंध द्वारा अनुस्क्षण	176.34	3.33	173.74	5.93	अनुस्क्षण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राज्य लोक निर्माण विभाग को राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ विस्तारों को सौंपने के कारण बाढ़ क्षति मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लक्ष्य में कमी।
17.		5054.01.190.01-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	10342.89	731.37	8879.89	2194.37	अव्ययित शेषों की उपलब्धता, अवसंरचना बॉन्ड तथा आर्थिक उपाय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निधियों की उगाही।
18.	अनुदान सं. 91 - सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	3454.02.800.04-कार्यक्रम कार्यान्वयन	5.40	5.00	2.91	7.49	व्यावसायिक सेवा अध्ययन के प्रति प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना तथा कम सम्मेलनों, संगोष्ठी तथा यात्राओं को संचालित करना।
19.	अनुदान सं. 92 - इस्पात मंत्रालय	2852.01.105.33-बिसरा चूना पत्थर कम्पनी लिमिटेड	-	119.81	-	119.81	आयकर देयता के निपटान हेतु सहायता अनुदान से माफी परिवर्तन हेतु मंत्रिमण्डल से अनुमोदन की प्राप्ति न होना।
20.	अनुदान सं. 103 - स्टेशनरी एवं मुद्रण विभाग	4058.00.103.02-मुद्रणालय	0.13	3.55	0.02	3.66	एम्बुलेंस (मोटर वाहन) के क्रय हेतु प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिया जाना।
<b>रक्षा सेवाएं</b>							
21.	22-रक्षा सेवाएं - थल सेना	2076.00.110 - गोदाम	12688.10	206.00	12442.20	451.90	प्रत्याशित से कम न्यायालय मामलों का निपटान।
22.		2076.00.800-अन्य व्यय (प्रभारित)	12.00	6.50	9.60	8.90	प्रत्याशित से कम न्यायालय मामलों का निपटान।

अनुबंध III-ड

(पैराग्राफ 3.15 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत निरन्तर बचतों की विवरणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बजट प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
				(₹ करोड़ में)		
<b>15-सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग</b>						
1.	2852.07.202.60- इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशासन	2009-10	810.00	328.05	481.95	60
		2010-11	927.00	264.15	662.85	72
		2011-12	865.14	199.89	665.25	77
<b>17- खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग</b>						
2.	2408.01.800.01 - चीनी के प्रतिरोधक भण्डार के रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता	2009-10	300.00	123.94	176.06	59
		2010-11	200.00	88.00	112.00	56
		2011-12	50.00	11.49	38.51	77
<b>अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग</b>						
3.	5475.00.800.12-अवसंरचना विकास सहायता- व्यवहार्यता अंतर निधीयन	2009-10	150.00	45.85	104.15	69
		2010-11	480.26	125.00	355.26	74
		2011-12	499.37	300.00	199.37	40
<b>अनुदान सं. 35-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण</b>						
4.	3601.02.101.26- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	2009-10	9700.00	8524.39	1175.61	12
		2010-11	11500.00	8757.53	2742.47	24
		2011-12	12620.00	7459.01	5160.99	41
<b>अनुदान सं. 41- राजस्व विभाग</b>						
5.	3601.01.113.05 - वेट संबंधित व्यय हेतु राज्यों को अनुदान	2009-10	418.50	149.00	269.50	64
		2010-11	375.00	203.99	171.01	46
		2011-12	224.00	120.36	103.64	46
<b>अनुदान सं. - 42 - प्रत्यक्ष कर</b>						
6.	4059.01.800.01- तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण	2009-10	602.00	7.42	594.58	99
		2010-11	1663.00	1527.23	135.77	08
		2011-12	877.70	256.53	621.17	71
<b>अनुदान सं. 53- मंत्रीमण्डल</b>						
7.	4055.00.206.03- सामान्य	2009-10	68.00	38.96	33.04	49
		2010-11	92.00	13.83	78.17	85
		2011-12	166.29	62.25	104.04	63
<b>अनुदान सं. 55- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय</b>						
8.	2245.80.102.04 - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	2009-10	88.06	36.92	51.14	58
		2010-11	190.42	43.78	146.64	77
		2011-12	348.22	110.62	237.60	68
<b>अनुदान सं. 81- सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</b>						
9.	3601.02.105.01-राज्य सड़क हेतु अनुदान	2009-10	1988.55	1340.26	648.29	33
		2010-11	2635.52	2396.57	238.95	09
		2011-12	2159.26	1924.50	234.76	11



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

उप-शीर्ष के अंतर्गत निरन्तर बचतों की विवरणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बजट प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
				(₹ करोड़ में)		
<b>अनुदान सं. 88-पोत परिवहन मंत्रालय</b>						
10.	2852.06.102.21-गैर-केन्द्रीय सा.क्षे.उ. शिपयार्डों तथा निजी क्षेत्र शिपयार्डों का आर्थिक सहायता	2009-10	370.53	77.06	293.47	79
		2010-11	588.30	128.19	460.11	78
		2011-12	542.11	122.42	419.69	77
<b>अनुदान सं. 93-कपड़ा मंत्रालय</b>						
11.	2852.08.202.27-समेकित कपड़ा पार्क	2009-10	377.00	260.80	116.20	31
		2010-11	350.00	158.78	191.22	55
		2011-12	287.00	77.43	209.57	73

अनुबंध III-द  
(पैराग्राफ 3.16 के संदर्भ में)

₹ 10 करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी  
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचते
<b>सिविल</b>				
<b>अनुदान सं. 1- कृषि एवं सहकारिता विभाग</b>				
1.	2425.00.108.21 – एन.सी.डी.सी. द्वारा सहकारिताओं को प्रदत्त कर्जों पर ब्याज आर्थिक सहायता	80.00	-	80.00
2.	2425.00.108.22 – सहकारिताओं का पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण	25.00	-	25.00
3.	3601.04.451.02 – राष्ट्रीय बीज मिशन	16.50	-	16.50
<b>अनुदान सं. 3 - पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य-पालन विभाग</b>				
4.	2404.00.789.03- राष्ट्रीय डेरी योजना	20.00	-	20.00
<b>अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा</b>				
5.	4861.60.190.02-भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड	154.00	-	154.00
6.	4861.60.203.60-अतिरिक्त खर्च ईंधन भण्डारण सुविधा, तारापुर	10.00	-	10.00
7.	4861.60.203.44-फास्ट रियेक्टर फ्यूल साईकल फैसेलेटी(एफ.आर.एफ.सी.एफ.)	150.00	-	150.00
<b>अनुदान सं. 5-नाभिकीय शक्ति योजना</b>				
8.	4801. 3.800.40-उन्नत भारी जल रियेक्टर (उ.भा.ज.रि.-I)	10.00	-	10.00
9.	6801.00.206.01-भारतीय नाभिकीय शक्ति निगम लिमिटेड	24.00	-	24.00
<b>अनुदान सं. 6-रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग</b>				
10.	6857.01.190.03-हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	20.01	-	20.01
<b>अनुदान सं. 9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय</b>				
11.	3053-80-800-17 उ.पू. क्षेत्र हेतु भा.वि.प्रा. को सहायता अनुदान	73.48	-	73.48
<b>अनुदान सं.10-कोयला मंत्रालय</b>				
12.	2803-00-800-02 पर्यावरणीय उपाय तथा अवतलन नियंत्रण	50.58	-	50.58
<b>अनुदान सं. 11-वाणिज्य मंत्रालय</b>				
13.	4407-01-800-03 एस.पी.टी.एफ. अंशदान को पूंजीगत योगदान	15.00	-	15.00
<b>अनुदान सं.17- खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग</b>				
14.	2408.01.102.08-राज्य सरकार तथा सं.शा.क्षे. प्रशासन को टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सुपुर्दगी पर आधारित स्मार्ट कार्ड के प्रारम्भ पर पायलट योजना की आर्थिक सहायता	36.18	-	36.18

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

₹ 10 करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी  
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
<b>अनुदान सं. 28- उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>				
15.	3601.05.101.05-उत्तर पूर्वी सड़क परियोजना	68.00	-	68.00
16.	4552.00.214.02-असम के कोकराझार तथा बोंगाईगांव जिले में निवासी कैम्प को सहत तथा पुनर्वास	15.00	-	15.00
<b>अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग</b>				
17.	5465-02-190-09 भारतीय सुरक्षा मुद्रण तथा टकसाल निगम लिमिटेड (भा.स.मु.ट.नि.लि.)	400.00	-	400.00
18.	5466-00-207-04 आई.एम.एफ. के ऋण संसाधनों के प्रति भारत का योगदान	50.00	-	50.00
<b>अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवाएं विभाग</b>				
19.	2235-60-797-01 ऋण अधित्याग तथा किसानों हेतु ऋण सहत योजना-2008 के कार्यान्वयन के लिए किसान ऋण सहत निधि (कि.ऋ.रा.नि.)	2000.00	-	2000.00
20.	2416-00-800-07 दीर्घ अवधि सहकारिता क्रेडिट अवसंरचना का पुनरुद्धार	1000.00	-	1000.00
21.	3465-01-190-04 प्रतिपूर्ति विमोचन निधि	625.00	-	625.00
22.	3465-01-190-05 वित्तीय समावेशन योजना (वि.स.यो.) के भाग के रूप में स्वभिमान योजना के अंतर्गत 'नो फ्रिल्स' खाते खोलने के लिए बैंकों को वित्तीय सहायता	50.00	-	50.00
23.	5465-01-190-32 विश्व बैंक सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्त परियोजना के अंतर्गत भारत में सूक्ष्म वित्त तक पहुँच को सुधारन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता	14.00	-	14.00
<b>अनुदान सं. 34-विनियोग- ब्याज भुगतान</b>				
24.	2048.00.200.13-सरकारी प्रतिभूतियों को वापस खरीदने पर प्रीमियम का भुगतान	100.00	-	100.00
25.	2049.01.126- बैंक धन जमा बजार स्थिरीकरण योजना पर अदा किया ब्याज/छूट	946.48	-	946.48
26.	2049.05.105.04-रेलवे पूंजीगत आरक्षित निधि पर ब्याज	30.84	-	30.84
27.	2049.60.101.09- कोयला खान जमा योजक बीमा निधि	12.99	-	12.99
<b>अनुदान सं. 35-राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण</b>				
28.	7601.06.200-अन्य अर्थोपाय अग्रिम (प्रभारित)	3000.00	-	3000.00
<b>अनुदान सं. 45-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय</b>				
29.	4408.01.103.15-संस्थान सुदृढीकरण योजना	95.50	-	95.50
<b>अनुदान सं. 46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>				
30.	2210.06.789.02- स्वास्थ्य बीमा	15.00	-	15.00



₹ 10 करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी  
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
31.	2210.06.796.04- स्वास्थ्य बीमा	10.00	-	10.00
32.	2210.06.800.29-आपातकालीन चिकित्सा राहत (एवीयन फ्लू)	22.00	-	22.00
33.	2210.06.800.32- स्वास्थ्य बीमा (शहरी स्वास्थ्य मिशन)	65.00	-	65.00
34.	4210.04.200.10-पैरामेडीकल संस्थान का सुदृढीकरण/सृजन	73.00	-	73.00
35.	4216.01.700.57-पैरामेडीकल संस्थान का सुदृढीकरण/सृजन	12.00	-	12.00
<b>अनुदान सं. 47-आर्युवेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग(आयुष)</b>				
36.	2210.02.789.03-आयुष अस्पताल तथा औषधालयों का विकास तथा आयुष को मुख्य धारा में लाना	15.00	-	15.00
<b>अनुदान सं. 48- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग</b>				
37.	2210.06.003.13-औषधी तथा स्वास्थ्य में अनुसंधान	15.00	-	15.00
<b>अनुदान सं. 50- भारी उद्योग विभाग</b>				
38.	2852.06.103.28 स्वै.से.यो. के कार्यान्वयन हेतु सा.क्षे.उ. को बैंक वित्त सहायता पर ब्याज इमदाद	14.00	-	14.00
39.	6854.60.800.01 सा.क्षे.उ. की पुनरुद्धार योजना का कार्यान्वयन	150.00	-	150.00
40.	6858.60.190.07 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (स्वै.से.यो.) का कार्यान्वयन तथा सांविधिक देयों का भुगतान	250.00	-	250.00
<b>अनुदान सं. 54-पुलिस</b>				
41.	2055.00.001.10-प्रशिक्षण एवं विकास	44.98	-	44.98
42.	4055.00.201.04- आधुनिकीकरण	15.79	-	15.79
<b>अनुदान सं. 55- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय</b>				
43.	4250.00.101.07-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	12.50	-	12.50
<b>अनुदान सं. 57 – आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</b>				
44.	2216.02.789.01 शहरी गरीबों हेतु आवास योजना	11.25	-	11.25
<b>अनुदान सं. 58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग</b>				
45.	3601.04.789.32-प्रारम्भिक शिक्षा-अन्य अनुदानें	34.50	-	34.50
46.	3601.04.796.22- प्रारम्भिक शिक्षा-अन्य अनुदानें	18.62	-	18.62
<b>अनुदान सं. 59-उच्चतर शिक्षा विभाग</b>				
47.	2202.03.800.16-न्यायाधिकरण, प्रत्यायन प्राधिकरण, एन.सी.एच.ई.आर. तथा राष्ट्रीय वित्त की स्थापना	50.00	-	50.00
48.	2203.00.112.38-नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	22.48	-	22.48
49.	3601.01.166.01-विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमानों में सुधार	2250.00	-	2250.00

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

₹ 10 करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी  
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें
<b>अनुदान सं. 61-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</b>				
50.	3601.04.321.04-निपुणता विकास पहल	39.82	-	39.82
<b>अनुदान सं. 65-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय</b>				
51.	2851-00-105-06 खादी सुधार विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. सहायता)	128.25	-	128.25
52.	2851-00-200-10 परम्परागत उद्योग पुनरुद्धार निधि योजना	13.36	-	13.36
53.	2851-00-200-14 खादी उद्योग तथा कारीगरों के उत्पादन तथा प्रतियोगितात्मकता को बढ़ाने हेतु योजना	14.05	-	14.05
54.	2851-00-789-13 खादी सुधार विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. सहायता) एस.सी. उप योजना	28.80	-	28.80
55.	2851-00-796-13 खादी सुधार विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. सहायता) जनजातीय उप योजना	15.75	-	15.75
<b>अनुदान सं. 67 - अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय</b>				
56.	2235.02.200.16- अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व विकास योजना	13.48	-	13.48
<b>अनुदान सं. 73 - रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग</b>				
57.	2802.80.800.09 राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	39.00	-	39.00
<b>अनुदान सं. 75--विद्युत मंत्रालय</b>				
58.	2801.06.789.01 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रा.गां.ग्रा.वि.यो.)	600.00	-	600.00
59.	2801.80.797.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	52.00	-	52.00
60.	2801.80.800.29 राष्ट्रीय विद्युत निधि (रा.वि.नि.)	249.57	-	249.57
<b>अनुदान सं. 82- ग्रामीण विकास विभाग</b>				
61.	2216.03.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	8448.00	-	8448.00
62.	2515.00.105.01-लोक कार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद को अनुदानें	100.00	-	100.00
63.	3601.03.456.07-ग.रे.नी. सर्वेक्षण	19.99	-	19.99
<b>अनुदान सं. 85-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग</b>				
64.	3425.60.600.03-अ.एवं वि. के अंतर्गत प्राप्ति के प्रति भुगतान	25.00	-	25.00
65.	3425.60.789.02-अनुसंधान एवं विकास सहायता	15.00	-	15.00
66.	3425.60.796.03- अनुसंधान एवं विकास सहायता	14.00	-	14.00
67.	3425.06.796.05- राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी मिशन	10.00	-	10.00
<b>अनुदान सं. 88-पोत परिवहन मंत्रालय</b>				
68.	5051-01-104-07 अन्य व्यय	35.01	-	35.01

₹ 10 करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी  
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें
69.	5075-60-800-06 सेतुसमुद्रम जहाज नहर परियोजना	10.00	-	10.00
70.	7051-01-190-02 पत्तन न्यास को कर्जें	193.70	-	193.70
<b>अनुदान सं.89- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय</b>				
71.	2225.01.789.10- हाथ से झाड़ू लगाने वालों के पुर्नवास हेतु स्वयं रोजगार योजना	98.00	-	98.00
72.	2225.01.789.20- राष्ट्रीय डा. बी.आर. अम्बेडकर केन्द्र	10.00	-	10.00
<b>अनुदान सं.90- अंतरिक्ष विभाग</b>				
73.	3252.00.053.05- इनसेट 3 प्रारंभ सेवाएं	75.00	-	75.00
74.	3402.00.101.44- भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.अं.वि.प्रौ.सं.)	100.00	-	100.00
75.	3402.00.101.48-जी.एस.एल.वी. एम.के. III परिचालन	75.00	-	75.00
76.	5402.00.101.29- जी.एस.ए.टी.4/जी.एस.ए.टी.4आर./जी.एस.ए.टी.11 ई.एम.	49.00	-	49.00
77.	5402.00.101.30- ओसिनसेट 2 एवं 3	47.25	-	47.25
<b>अनुदान सं. 92- इस्पात मंत्रालय</b>				
78.	2852.01.105.33 बिसरा चूना पत्थर कम्पनी लिमिटेड	119.81	-	119.81
<b>अनुदान सं. 93 – कपड़ा मंत्रालय</b>				
79.	2852.08.202.31 विदेशी निवेश प्रोत्साहन योजना	10.00	-	10.00
80.	2852-08-789-01 भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	10.00	-	10.00
81.	2852-08-789-03 समेकित कपड़ा पार्क योजना	10.00	-	10.00
82.	2852-08-789-04 जूट प्रौद्योगिकी मिशन	10.00	-	10.00
83.	2852-08-789-09 जूट सहित तकनिकी कपड़े	10.00	-	10.00
<b>अनुदान सं. 101 – शहरी विकास विभाग</b>				
84.	2217-05-191-09- राष्ट्रीय वहनीय परिधान मिशन (रा.व.प.मि.)	50.00	-	50.00
85.	2217-80-191-33 विश्व बैंक-शहरी विकास क्षमता निर्माण	20.25	-	20.25
86.	7601-04-318-01 उत्तर पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास परियोजना (उ.पू.क्ष.श.वि.प.)	20.20	-	20.20
<b>योग</b>		<b>22,972.97</b>		



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध III-ग

(पैराग्राफ 3.17 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण  
(₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक है)

क्र. सं.	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 1- कृषि एवं सहकारिता विभाग</b>					
1.	2401.00.110.05-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (रा.कृ.बी.यो.) के कार्यान्वयन के लिए जी.आई.सी./ए.आई.सी. को भुगतान	400.00	300.00	100.00	कम प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति।
2.	2401.00.800.02- एम.आई.एस./पी.एस.एस. के लिए (नेफेड) को अनुदान	200.00	1.66	198.34	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन फेडरेशन लिमिटेड से प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होना।
<b>अनुदान सं. 4-प्रमाणु ऊर्जा</b>					
3.	3401.00.004.05- टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान	510.39	359.08	151.31	मदों के प्रापण सलाहकारों की नियुक्ति तथा वैधानिक अनुमति की प्राप्ति में विलम्ब।
4.	3401.00.004.15- प्लाजमा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर	564.48	451.64	112.84	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलम्ब।
<b>अनुदान सं. 5-नाभिकीय शक्ति योजना</b>					
5.	4801.03.190.02- भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	1025.00	875.00	150.00	विनिर्माण तथा संकलन के दौरान अनुभव की गई तकनीकी कठिनाईयों के कारण मुख्य गतिविधियों का 2012-13 में पहुंच जाना।
<b>अनुदान सं. 7-उर्वरक विभाग</b>					
6.	2401-00-105-15 आयातित विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री हेतु भुगतान	21864.94	16164.94	5700.00	नवम्बर 2011 तक कम आयात।
7.	2852.03.129.02- उर्वरक प्रतिधारण मूल्य योजना के अंतर्गत उर्वरक बंद पत्रों के बिक्री पर हानि हेतु क्षतिपूर्ति	200.00	77.44	122.56	बॉन्ड वार/कंपनी वार समाशोधित बिलों पर आधारित बॉन्डों पर लेखों पर हानि हेतु प्रतिपूर्ति के प्रति निधियों की कम आवश्यकता।
<b>अनुदान सं. 9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय</b>					
8.	5053-80-800-01 नागरिक उड्डयन सुरक्षा	107.00	6.39	100.61	नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु शहरी विकास मंत्रालय से कोई आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होना तथा उन्नत इमेजिंग तकनीकी तथा विकिरणधर्मी उपकरण के क्रय से संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप न मिलना।
<b>अनुदान सं. 11-वाणिज्य विभाग</b>					
9.	3453-00-194-03 निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास संगठन को सहायता	3050.00	1071.20	1978.80	नीति व्याख्या समिति, महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के कारण अयोग्य दावों की प्राप्ति।
10.	5453-80-800-08 निर्यात अवसंरचना तथा अन्य संबद्ध गतिविधियों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए योजना	730.96	619.54	111.42	परियोजना के कार्यान्वयन अभिकरणों की धीमी गति तथा इनका वर्ष के दौरान समाप्त हो पाना अपेक्षित न होने के कारण संशोधित अनुमानों के चरण पर प्रावधानों में कमी।

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण  
(₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक है)

क्र. सं.	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 14-दूरसंचार विभाग</b>					
11.	3275.00.103.01- सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	1882.44	1687.96	194.48	बेतार ब्रॉडबैंड योजना को अंतिम रूप न दिया जाना तथा अनावृत ग्राम सार्वजनिक दूरभाष (अ.ग्रा.सा.दू.) चरण-II हेतु दावों को अनुमति न देना, सौर फोटो वोल्टेक (सौ.फो.बो.) मॉड्यूल तथा प्रभासी संकेतकों तथा रोल आउट में कमी।
12.	3275.00.797.01- सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में अंतरण	2100.00	1687.96	412.04	बेतार ब्रॉडबैंड योजना को अंतिम रूप न दिया जाना तथा रोल आउट में कमी के कारण अनावृत ग्राम सार्वजनिक दूरभाष चरण- II हेतु दावों पर पाबंदी सौर फोटो वोल्टेज (सौ.फो.बो.) माड्यूलों तथा प्रभार सूचकों का प्रावधान न होना।
13.	5275.00.800.03- रक्षा सेवा हेतु ऑ.फा.के. आधारित नैटवर्क	900.00	50.00	850.00	थल सेना तथा जल सेना खण्ड द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल योजना का गैर-कार्यान्वयन।
<b>अनुदान सं. 15-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग</b>					
14.	2852.07.202.60- इलैक्ट्रॉनिक प्रशासन	865.14	199.89	665.25	रिक्त पदों को न भरा जाना, व्यवहार्य प्रस्तावों उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्राप्त न किया जाना, तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों के चरण पर लागू की गई कटौती।
<b>अनुदान सं. 31-विदेश मंत्रालय</b>					
15.	2061.00.800.11- संस्थानों को अनुदान	142.83	5.56	137.27	संस्थानों हेतु नए उप-शीर्षों के प्रारंभ तथा कुछ परियोजनाओं हेतु निर्धारित निर्माणों की शुरुआत में विलम्ब।
16.	3605.00.101.12- श्रीलंका- अन्य सहायता प्राप्त कार्यक्रम	290.00	181.94	108.06	आवासीय परियोजना से संबंधित विनियामक अनुमोदनों में विलम्ब।
17.	3605.00.101.14- म्यांमार को सहायता	190.00	67.40	122.60	ट्रेक्टरों की आपूर्ति से संबंधित परियोजना में विलम्ब तथा री-टिड्डीम सड़क परियोजना हेतु म्यानमार सरकार के साथ स.ज्ञा.पर हस्ताक्षर होने में विलम्ब।
<b>अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग</b>					
18.	3075-60-101-01-रेलवे को भुगतान	3022.61	2034.37	988.24	प्रगति में पूंजी कार्य पर आधारित लाभांश हेतु रेलवे को कम आर्थिक सहायता।
19.	4046-00-208-01- सिक्के	1584.80	1225.00	359.80	भारतीय सुस्का मुद्रण तथा मिंटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (भा.सु.मु.मि.कॉ.लि.) के सलाहकारों द्वारा बताई गई लागतों को सिक्कों की लागत पर प्रतिबंध लगाना।
20.	5466-00-207-01 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंशदान	11729.41	2444.53	9284.88	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (अ.मु.को.) (प्रतिभूतियों में) को कम अंशदान।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण  
(₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक है)

क्र. सं.	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
21.	5475-00-800-12 अवसंरचना विकास हेतु सहायता व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण	499.37	300.00	199.37	मुम्बई मेट्रो लाइन 2 परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब।
<b>अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवाएं विभाग</b>					
22.	2235-04-101-02 कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 के प्रति उधार देने वाले संस्थानों के माध्यम से राहत/ऋण की माफी	6000.00	1176.39	4823.61	नोडल अभिकरणों से कम दावों की प्राप्ति क्योंकि योजना की कार्यान्वयन अवधि समाप्त हो चुकी थी।
23.	2235-04-101-03 कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 के प्रति उधार देने वाले संस्थानों को ब्याज का भुगतान	287.00	178.46	108.54	नोडल अभिकरणों से कम दावों की प्राप्ति क्योंकि योजना की कार्यान्वयन अवधि समाप्त हो चुकी थी।
24.	2235-60-102-03 असंगठित क्षेत्रों से लोगों को नई पेंशन योजना (न.पें.यो.) से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलंबन योजना	220.00	40.00	180.00	योजना के अंतर्गत धीमी गति से नामांकन।
25.	2416-00-800-02 किसानों को कम अवधि वाले उधार प्रदान करने के लिए ब्याज पर आर्थिक सहायता	4868.00	3282.70	1585.30	नोडल अभिकरणों से प्रतिपूर्ति हेतु कम दावों की प्राप्ति क्योंकि दावे अगले वर्ष तक विस्तारित कर दिए गए थे।
26.	2885-01-101-06 आवास ऋणों पर 1% की ब्याज आर्थिक सहायता	500.00	300.00	200.00	नोडल अभिकरणों से कम दावों की प्राप्ति।
27.	4885-01-190-15 भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लि. (भा.अ.वि.क.लि.) को इक्विटी सहायता	1000.00	500.00	500.00	कम्पनी की वित्तीय स्थिति में सुधार के कारण संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी।
<b>अनुदान सं. 34-विनियोग- निवेश भुगतान</b>					
28.	2049-01-116 14 दिवसीय राजकोषीय बिल पर ब्याज	4900.00	3795.52	1104.48	राज्य सरकारों द्वारा मध्यवर्ती राजकोषीय बिलों से नीलामी आधारित राजकोषीय बिलों में निवेश का स्थानांतरण।
29.	2049-01-125 शेष केन्द्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के विमोचन पर प्राप्त राशि के पुर्ननिवेश के प्रति एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष भा.स. बंधपत्र	9698.49	7408.13	2290.36	भारत सरकार प्रतिभूतियों में कम निवेश।
30.	2049-01-200-03 क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	4221.04	3601.93	619.11	योजना धारकों से कम दावों की प्राप्ति।
31.	2049-02-216 आईबीआरडी से ऋण पर ब्याज	600.92	350.02	250.90	विनिमय दर में विविधता।
32.	2049-02-249 एशियाई विकास बैंक से ऋण पर ब्याज	352.83	234.50	118.33	विनिमय दर में विविधता।
33.	2049-03-108-06 डाक बीमा तथा जीवन वार्षिकी निधि	1742.59	989.96	752.63	कम भुगतान।
34.	2049-03-110-01 भारतीय रैंक के असंवितरित वेतन पर लाभांश	253.45	83.73	169.72	भारतीय रैंकों के वेतन में कम अभिवृद्धि।
35.	2049-60-109-04 7.00 % उर्वरक कम्पनियां भा.स. विशेष बंधपत्र, 2022	700.00	514.70	185.30	उर्वरक कम्पनियों को जारी किए गए विशिष्ट बॉन्डों को वापस न खरीदे जाना।



उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण  
(₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक है)

क्र. सं.	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
36.	2049-60-109-05 6.20 % उर्वरक कम्पनियां भा.स. विशेष बंधपत्र, 2022	248.00	78.91	169.09	उर्वरक कम्पनियों को जारी किए गए विशिष्ट बॉन्डों को वापस न खरीदे जाना।
37.	2049-60-109-06 6.65% उर्वरक कम्पनियां भा.स. विशेष बंधपत्र, 2023	399.00	186.67	212.33	उर्वरक कम्पनियों को जारी किए गए विशिष्ट बॉन्डों को वापस न खरीदे जाना।
<b>अनुदान सं. 35- राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण</b>					
38.	2075.00.795.03- बट्टे खाते लिखे गए राज्य सरकार के ऋण	500.00	38.00	462.00	कुछ राज्य सरकारों द्वारा ऋण छूट को दिए जाने हेतु निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा न किया जाना।
39.	2245.80.103.02- गम्भीर प्रकृति के आपदों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से राज्य को सहायता	4525.00	2458.92	2066.08	राज्य के सी.आर.एफ./रा.आ.रा.नि. के खातों में निधियों की उपलब्धता तथा गंभीर प्रवृत्ति की कम आपदाओं के घटित होने के कारण कम निधियों को जारी किया जाना।
40.	2245.80.797.02-राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंतरण	4525.00	3997.92	527.08	यह तथ्य कि आर.इ-2011-12 का अनुसरण करते हुए रिजर्व निधियों तथा जमा खाते में वास्तविक उपार्जित राशि का अंतरण कर दिया गया है।
41.	3601.01.104.18- प्रशासन हेतु सहायता-अनुदान	2028.82	723.23	1305.59	कुछ राज्य सरकारों द्वारा तेहरवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न किया जाना।
42.	3601.02.101.26- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	12620.00	7459.01	5160.99	राज्य सरकारों द्वारा निधियों को धीमा ऑफ - टेक।
43.	3601.02.101.27- राष्ट्रीय ई-प्रशासन कार्य योजना (रा.ई.प्र.का.यो.)	190.00	41.37	148.63	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
44.	3601.02.797.01- राष्ट्रीय निवेश निधि	7732.00	3976.48	3755.52	वि-निवेश से कम आगम।
45.	3601.02.101.36- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	12522.00	7337.78	5184.22	राज्य सरकारों द्वारा मेल खाने वाले शेरों को जारी न किया जाना, परियोजनाओं की वापसी तथा योजनाओं की शुरुआत में विलंब।
<b>अनुदान सं. 37- ऋणों पुनर्भुगतान</b>					
46.	6001.00.105.02- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	2592.87	1403.00	1189.87	प्रतिभूतियों का कम नकदीकरण
47.	6001.00.115- 14 14 दिवसीय राजकोषीय बिल	2500566.00	2109690.77	390875.23	राज्य सरकारों द्वारा आइ.टी.बी. से नालामी राजकोषीय बिलों में निवेश का स्थानांतरण
<b>अनुदान सं. 39- पेंशन</b>					
48.	2071.01.102.01- साधारण पेंशन	1875.00	1540.45	334.55	कम स्कॉलों/दावों की प्राप्ति।
49.	2071.01.115.01- साधारण पेंशन	1310.00	1172.44	137.56	कम दावों की प्राप्ति।
<b>अनुदान सं. 41- राजस्व विभाग</b>					
50.	3601.01.110.07- सीएसटी की समाप्ति के कारण राजस्व हानि हेतु राज्यों को अनुदान	12000.00	4172.58	7827.42	राज्य सरकारों से सी.एस.टी. प्रतिपूर्ति के प्रति कम दावों की प्राप्ति।
51.	3601.01.113.05- मू.व.क. से संबंधित व्यय हेतु राज्यों को अनुदान	224.00	120.36	103.64	राज्य सरकारों द्वारा एम.एम.पी.-सी.टी. के कार्यान्वयन की कम प्रगति।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण  
(₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक है)

क्र. सं.	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 42- प्रत्यक्ष कर</b>					
52.	4059.01.800.01- तैयार - बने आवास का अधिग्रहण	877.70	256.53	621.17	सम्पत्ति के क्रय हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना।
<b>अनुदान सं. 46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b>					
53.	2211.00.109.07- औषधियों एवं उपकरणों (टीका इत्यादि के अलावा) की अधिप्राप्ति	250.00	21.53	228.47	दवाइयों एवं उपकरणों के प्रापण हेतु योजना का अनुमोदन न किया जाना।
54.	3601.04.246.01- आरसीएच औषधियों एवं उपकरणों की आपूर्ति	160.50	3.44	157.06	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा आर.सी.एच. दवाइयों तथा उपकरणों का कम प्रापण।
55.	3601.04.246.02- नियमित टीकाकारण कार्यक्रम	356.00	239.43	116.57	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता।
<b>अनुदान सं. 47- आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) विभाग</b>					
56.	2210.02.200.30- आयुष अस्पतालों व औषधालयों का विकास एवं आयुष को मुख्य धारा में लाना	228.00	93.43	134.57	राज्य से उपयोगिता प्रमाण पत्र की कम प्राप्ति।
<b>अनुदान सं. 52- गृह मंत्रालय</b>					
57.	3454.02.800.08- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर	2731.16	1328.60	1402.56	योजना नीतियों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा राज्य सरकार से दावों की कम प्राप्ति तथा कम दौरे किए गए।
<b>अनुदान सं. 54- पुलिस</b>					
58.	2055.00.115.08- राज्य पुलिस संगठन को वस्तु में सहायता	400.00	250.00	150.00	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना।
59.	2055.00.800.11- अपराध एवं आपराधिक नैटवर्क प्रणाली	384.50	193.80	190.70	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी।
60.	4055.00.201.02- आवासीय भवन	538.00	244.53	293.47	इ.पी.सी. परियोजनाओं का विलंबित अधिग्रहण तथा सलाहकारों की भर्ती न किए जाना।
61.	4055.00.202.02- आवासीय भवन	250.00	106.99	143.01	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना।
62.	4055.00.203.01- महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल	1182.21	839.67	342.54	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना।
63.	4055.00.213.02- आवासीय भवन	313.00	102.67	210.33	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना।
64.	4055.00.216.09- अनुसंधान	1885.00	623.00	1262.00	प्रस्तावों/योजनाओं को अंतिम रूप न दिया जाना।
<b>अनुदान सं. 55- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय</b>					
65.	2245.80.102.04- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	348.22	110.62	237.60	परियोजना प्रबंधन इकाई के रिक्त पदों को न भरा जाना, कुछ योजना नीतियों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा "वीडियो वॉल" का प्रापण।
<b>अनुदान सं. 56- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण</b>					
66.	3602.02.101.01- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1192.73	582.30	610.43	कार्यान्वयन मंत्रालयों द्वारा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन परियोजना हेतु कम निधि जारी करने की अनुशंसा।

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण  
(₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक है)

क्र. सं.	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 59- उच्चतर शिक्षा विभाग</b>					
67.	2202.80.800.40- आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन	657.74	295.41	362.33	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति।
68.	2203.00.112.52- भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी)	165.00	34.55	130.45	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या में, प्राप्ति तथा पात्र संस्थानों के चयन में विलंब।
<b>अनुदान सं. 63-विधि एवं न्याय</b>					
69.	2014.00.800.09- जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	265.00	86.41	178.59	संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी तथा राज्य सरकारों को जारी की गई कम निधियां।
70.	2014.00.800.16- ग्राम न्यायालयों की स्थापना परिचालन हेतु राज्यों सरकारों को सहायता	145.00	4.46	140.54	संशोधित अनुमान पर प्रावधान में कमी तथा कम मांग एवं राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण पत्रों की कम प्राप्ति।
<b>अनुदान सं.-73- पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>					
71.	2802-80-102-04 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु तेल कम्पनियों को इमदाद	564.00	458.00	106.00	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का धीमा विकास।
<b>अनुदान सं. 74-योजना मंत्रालय</b>					
72.	5475.00.112.38- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	700.00	245.75	454.25	योजनाबद्ध एवं प्रक्षेपित मर्दों का प्रापण न किया कुछ परियोजनाओं की पूर्ण न किया जाना।
<b>अनुदान सं. 75 -विद्युत मंत्रालय</b>					
73.	2801-06-797-01 राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	5000.00	2086.04	2913.96	विनिवेश हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न कर पाना।
74.	2801-06-800-03 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	4726.70	2237.31	2489.39	उत्तर पूर्वी तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब तथा लंबित वन एवं रेलवे मंजूरियां।
75.	6801-00-190-06 - राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम	812.61	398.44	414.17	नींबू बाजगो एवं किशनगंगा परियोजनाओं के प्रति कम निधियों की आवश्यकता।
<b>अनुदान सं. 82-ग्रामीण विकास विभाग</b>					
76.	2501.06.101.21- महिला सशक्तिकरण परियोजना	180.00	75.43	104.57	परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा दावों प्रस्तुतीकरण न किया जाना।
77.	2505.02.101.02- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों तथा अन्य को सहायता	39974.08	29189.77	10784.31	पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा राज्य सरकारों से पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों की प्राप्ति न होना।
78.	2505.02.797.02- राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	18768.00	7831.53	10936.47	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों में विनिवेश प्राप्ति के अनुमानित संग्रह में संशोधन।
<b>अनुदान सं. 88-पोत परिवहन मंत्रालय</b>					
79.	2852-06-102-21 गैर केन्द्रीय सा.क्षे.उ. शिपयार्डों तथा निजी क्षेत्रीय शिपयार्डों को इमदाद	542.11	122.42	419.69	आर्थिक सहायता का दावा करने हेतु अधूरे प्रस्तावों की प्राप्ति।
<b>अनुदान सं. 89-सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय</b>					
80.	3601.03.789.08- अनुसूचित जाति कल्याण - आर्थिक विकास	757.00	656.40	100.60	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण  
(₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक है)

क्र. सं.	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 90-अंतरिक्ष विभाग</b>					
81.	3252.00.053.06- इन्सैट 4/जीसेट उपग्रह	227.44	94.26	133.18	ट्रांसपॉन्डर्स को लीजींग तथा जीसेट -6, जीसेट-6क, जीसेट-9 एवं जीसेट-10 क निर्धारित परियोजना पर आधारित व्यय को चरणबद्ध किए जाना।
82.	3402.00.800.01 विशेष स्वदेशीकरण /आदेश अग्रिम	218.76	8.98	209.78	घटकों/सामग्री के प्रापण का स्थगित होना तथा लॉन्च वाहन कार्यक्रमों हेतु उप प्रणालियां।
83.	5252.00.203.03- इन्सैट 4/जीसेट उपग्रह	629.66	135.33	494.33	कार्यक्रम संबंधी विचारों पर आधारित उपग्रहों (जीसेट-15 एवं 16) पर इनसेट/जीसेट अनुसरण से संबंधित कार्य शुरू नहीं किया जाना।
84.	5402.00.101.01- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वि.सा.अं.के.)	228.67	126.00	102.67	सुविधा प्रतिस्थापन तथा उन्नत थर्मोवैक सुविधा, 200 कि.वा. परीक्षण इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप, सी.वी.आई. भट्टी, कंपन मशीन तथा प्रापण स्थिति पर आधारित नोजल एवं कमबस्टर निष्पादन मूल्यांकन, आदि हेतु सुविधा विकास के प्रति व्यय को चरणबद्ध करना।
85.	5402.00.101.17- सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र - एस एच ए आर (स.ध.अं.के.- एस एच ए आर)	182.96	78.08	104.88	बहु वस्तु ट्रेकिंग राडार (ब.व.ट्रे.रा) तथा द्वितीय वाहन असेम्बली निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब तथा वास्तविक वितरण कार्यक्रम पर आधारित लॉन्च सुविधा अवसंरचना पर व्यय का स्थगन।
86.	5402.00.101.33- उन्नत संचार उपग्रह (जी सेट-11 प्रक्षेपण सेवाओं सहित)	402.45	37.71	364.74	लॉन्च सेवाएं कान्ट्रैक्ट के प्रति भुगतान को आगे बढ़ाया जाना, जांच तथा फेब्रीकेशन सुविधाओं तथा अंतरिक्षयान सामग्री तथा घटक आधारित निर्धारित संवितरण पर व्यय का स्थगन।
87.	5402.00.101.38- पृथ्वी पर्यवेक्षण - नवीन मिशन (टीईएस हाइपर स्पेक्ट्रल, डी एम एस ए आर -1, कार्टोसेट-3, एनवीसेट, एस सी ए टी सेट, रिसैट-3, भावी पृ.प. मिशन तथा जी आई सेट)	181.25	9.69	171.56	टी.ई.एस. - हाइपर स्पेक्ट्रल, डी.एम.एस.ए.आर.-1 एवं कार्टोसेट - 3 परियोजनाओं के अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब।
88.	5402.00.102.01- अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र	182.34	56.70	125.64	चरण-2 सुविधाओं तर्क उपकरणों के फेब्रीकेशन, साइट, बाधा, तथा भोपाल कैंपस पर साइट विकास की भौतिक प्रगति के अनुसार तथा भविष्य माइक्रोवेव पेलोड की वसूली के प्रति उन्नत कार्रवाई हेतु चिन्हित व्यय।
<b>अनुदान सं. 91-सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय</b>					
89.	2553.00.101.01- अनुदान सहायता	3950.00	2507.68	1442.32	संसद सदस्य स्थायनीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जिला प्राधिकरणों द्वारा कार्य की कम मांग/पूर्ण न किया जाना।
90.	3601.03.432.02- आर्थिक जनगणना	143.58	10.99	132.59	सामाजिक- आर्थिक एवं जाति सर्वेक्षण के समापन में विलंब के कारण आर्थिक जनगणना में विलंब।
<b>अनुदान सं. 93-कपड़ा मंत्रालय</b>					
91.	2852-08-202-13 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	3062.80	2768.53	294.27	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति तथा कम दावों की प्राप्ति के कारण थी।

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण  
(₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक है)

क्र. सं.	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
92.	2852-08-202-16 मूल्य समर्थन के अंतर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति	200.00	21.50	178.50	कपास उद्योगों से समर्थन मूल्य पर कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति।
93.	2852-08-202-27 समेकित कपड़ा पार्क	287.00	77.43	209.57	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति तथा कपड़ा पार्क की अवसंरचना का समापन न किया जाना।
<b>अनुदान सं. 101-शहरी विकास विभाग</b>					
94.	6217-60-191-17 अन्य महानगर परियोजना को माध्यम सहायता	1451.00	1290.00	161.00	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग की प्राप्ति तथा नई परियोजनाओं को संस्वीकृत न किया जाना।
<b>रक्षा सेवाएं</b>					
<b>अनुदान सं. 22 – रक्षा सेवाएं-थल सेना</b>					
95.	2076.00.113 – रा.के.कॉ.	956.29	711.66	244.63	मदों के अंतर्गत कम व्यय क्योंकि कुछ प्रापण को कार्यान्वित न किया जा सका।
96.	2076.00.800 –अन्य व्यय	1891.08	1644.18	246.90	सफाई प्रभागों, सफाई स्टाफ के वेतन एवं भत्तों को कम दर्ज कराया जाना।
<b>अनुदान सं. 23 – रक्षा सेवाएं-नौसेना</b>					
97.	2077.00.104 –नागरिकों को वेतन एवं भत्ते	2360.43	1702.26	658.17	समय उपरी भत्ता बकाया जोकि एम.ए.चरण पर के प्रति भुगतान को अंतिम रूप न दिया जाना।
<b>अनुदान सं. 26 – रक्षा सेवाएं -अनुसंधान तथा विकास</b>					
98.	2080.00.004 –अनुसंधान/अनुसंधान विकास	1116.00	983.91	132.09	विभिन्न अ.एवं वि. बोर्डों से बचतों का संचयी प्रभाव।
<b>अनुदान सं. 27 –रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय</b>					
<b>01- थल सेना</b>					
99.	4076.01.050 –भूमि	147.00	15.69	131.31	मंत्रालय द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया।
100.	4076.01.101 –वायुयान तथा कृषि इंजन	2291.60	1604.94	686.66	मंत्रालय द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया।
101.	4076.01.103 –अन्य उपकरण	10855.96	6960.18	3895.78	मंत्रालय द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया
102.	4076.01.202 –निर्माण कार्य	4707.20	4050.32	656.88	एम.ए.पी. परियोजनाओं का धीमी गति पर व्यय तथा प्रगति।
<b>02- नौसेना</b>					
103.	4076.02.104 –संयुक्त स्टाफ	928.71	778.31	150.40	तकनीकी चूकें तथा निर्माण कार्यों का समापन न होना/धीमी प्रगति।
<b>03 – वायु सेना</b>					
104.	4076.03.202 – निर्माण कार्य	1342.50	1152.44	190.06	सामग्री की कमी, शामिल जनसंख्या के पुनर्वास, अनुमोदन प्रक्रिया में विलंब, कार्रवाई शुरू करने में विलंब आदि के कारण निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण  
(₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक है)

क्र. सं.	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण (₹ करोड़ में)	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
<b>04 - रक्षा आयुध कारखाने</b>					
105.	4076.04.052 -मशीनरी तथा उपकरण	187.26	(-) 13.14	200.40	सी.एन.सी. जल जेट कटिंग मशीन तथा पी.डी.आई.में छह टन साइड लिफ्ट ट्रक कोसवीकृत न किया जाना तथा इसके अंतिम संस्थापन में विलंब के कारण नालंदा परियोजना पर एन.सी. संयंत्र तथा एसिड संयंत्रों का संस्थापन न होना।
<b>डाक विभाग</b>					
<b>13- डाक सेवाएं</b>					
106.	3201.02.101.10 -ग्रामीण डाक सेवक	2407.00	2120.49	286.51	कारण की प्रावधान परिमण्डलों से प्राप्त मांगों तथा जनवरी 2012 के वास्तविक के आधार पर किए गए थे।



अनुबंध III-त

(पैराग्राफ 3.18 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक की बचतें जो एक उप-शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)			
<b>सिविल</b>					
<b>अनुदान सं. 1- कृषि एवं सहकारिता विभाग</b>					
1.	2401.00.110.09- संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	150.00	62.15	87.85	59
2.	2401.00.796.13-उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन	125.00	70.17	54.83	44
3.	2401.00.800.38-राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना-कृषि	50.50	0.48	50.02	99
<b>अनुदान सं. 3 - पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य-पालन विभाग</b>					
4.	2403.00.101.25-एवीयान इन्फ्रैस्ट्रक्चर की तैयारी, नियंत्रण तथा संरोधन	60.23	0.0023	60.23	100
5.	2404.00.102.15-राष्ट्रीय डेरी योजना	68.96	4.00	64.96	94
<b>अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा</b>					
6.	4861.60.204.01-विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	73.20	11.23	61.97	85
7.	5401.00.201.84-अतिरिक्त बी.ए.आर.सी. परिसर	80.00	6.47	73.53	92
<b>अनुदान सं. 8-औषधी विभाग</b>					
8.	2852-05-206-02-राष्ट्रीय औषधी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (रा.औ.शि.अ.सं.)	132.32	58.57	73.75	56
<b>अनुदान सं. 12-औद्योगिक नीति तथा उन्नयन विभाग</b>					
9.	2852-80-800-14 औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना	115.00	28.06	86.94	76
10.	2875-60-190-01 दिल्ली मुम्बई औद्योगिक मार्ग विकास निगम	175.00	87.00	88.00	50
<b>अनुदान सं. 14-संचार विभाग</b>					
11.	3275.00.102.01-मॉनीटरिंग सेवाएं	71.71	19.15	52.56	73
<b>अनुदान सं. 17-खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग</b>					
12.	6860.04.190.03- चीनी की मिलों के पुर्नवास/आधुनिकीकरण हेतु कर्जे	200.00	117.56	82.44	41
<b>अनुदान सं.29- भूविज्ञान मंत्रालय</b>					
13.	5455.00.102.02-विमानन मौसम विज्ञान	55.50	1.39	54.11	97
<b>अनुदान सं.37-ऋण का पुनर्भुगतान</b>					
14.	6001.00.106.31- 6.5 % बचत बंधपत्र, 2003 (गैर-कर योग्य)	78.64	20.03	58.61	75
<b>अनुदान सं.39- पेंशन</b>					
15.	2071.01.111.01-सांसद	152.10	75.38	76.72	50

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण  
(उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक की बचतें जो एक उप-शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>					
16.	2210.06.800.08- स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारियां एवं प्रबंधन	58.50	0.02	58.48	100
<b>अनुदान सं. 54-पुलिस</b>					
17.	2055.00.001.07-आप्रवास ब्यूरो	206.46	124.55	81.91	40
18.	2055.00.119.14-दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक एवं संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण	95.00	19.52	75.48	79
19.	4055.00.214.07- समेकित चैक-पोस्ट का संस्थापन	140.00	79.85	60.15	43
20.	4055.00.215.03-समुद्र तटीय सुरक्षा हेतु राज्य/सं.शा.क्ष. को सहायता	170.00	92.64	77.36	46
21.	4055.00.216.04-केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला	60.35	7.67	52.68	87
<b>अनुदान सं. 57-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</b>					
22.	2217-05-191-04 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	80.00	21.51	58.49	73
<b>अनुदान सं. 58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग</b>					
23.	3601.04.789.34-माध्यमिक शिक्षा-अन्य अनुदाने	65.87	12.39	53.48	81
<b>अनुदान सं. 59-उच्चतर शिक्षा विभाग</b>					
24.	2202.03.789.07-शैक्षणिक ऋण ब्याज आर्थिक सहायता	96.00	37.99	58.01	60
25.	2202.80.789.05- आई.सी.टी. के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन	127.30	56.42	70.88	56
<b>अनुदान सं. 75-विद्युत मंत्रालय</b>					
26.	2801-80-004-02 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	163.41	64.00	99.41	61
27.	2801-80-800-15 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	123.80	62.00	61.80	50
28.	2801-80-800-27 ऊर्जा संरक्षण	130.80	49.99	80.81	62
<b>अनुदान सं. 88- पोत परिवहन मंत्रालय</b>					
29.	3051-01-108-02 कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा नदी निष्कर्षण तथा हुगली नदी का अनुसंधान	129.78	41.96	87.82	68
30.	5051-02-200-05पश्च सुनामी निर्माण कार्य	96.00	43.74	52.26	54
<b>अनुदान सं.89-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय</b>					
31.	3601.03.359.03-अपंग व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन हेतु योजना	75.00	14.49	60.51	81
<b>अनुदान सं.90-अंतरिक्ष विभाग</b>					
32.	3402.00.101.43-मानवित मिशन पहल/मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम	65.64	9.23	56.41	86
33.	3402.00.101.45-अर्ध हिमकारी इंजन विकास	89.41	18.80	70.61	79
34.	3402.00.102.02- विकास एवं शैक्षणिक संचार इकाई (वि.शै.सं.इ.)	83.34	16.93	66.41	80
35.	3402.00.102.05-राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (रा.प्रा.सं.प्र.प्र.)	74.82	23.60	51.22	68

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण  
(उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक की बचतें जो एक उप-शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)			
36.	5252.00.203.04-इनसैट -4/जी सैट प्रारम्भ सेवाएं	55.90	2.26	53.64	96
37.	5402.00.101.31-मार्गदर्शन उपग्रह प्रणाली	186.23	97.49	88.74	48
38.	5402.00.101.37-अर्ध हिमकारी इंजन विकास	60.59	9.49	51.10	84
<b>अनुदान सं. 91- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय</b>					
39.	3454.02.204.23-आर्थिक जनगणना	54.43	3.93	50.50	93
<b>अनुदान सं. 93- कपड़ा मंत्रालय</b>					
40.	2852-08-202-02 अनुसंधान एवं विकास हेतु सहायता	170.65	83.08	87.57	51
<b>अनुदान सं. 101- शहरी विकास विभाग</b>					
41.	2217-05-800-23 उपग्रह/प्रति चुंबक नगरों में शहरी अवसंरचना विकास	135.00	69.57	65.43	48



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध IV-क  
(पैरा सं. 4.6 तथा तालिका 4.5 के संदर्भ में)  
सहायता अनुदान सामान्य में संवर्धन के मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान	शीर्ष	राशि
1.	4-परमाणु ऊर्जा	3401.00.004.08.01.31-विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्था समितियों तथा गैर सरकारी संगठनों को सहायता	1.99
2.		3401.00.004.08.02.31- विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्था समितियों तथा गैर सरकारी	13.69
3.	19 संस्कृति मंत्रालय	2205.00.102.03.15.31 -केन्द्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान	5.70
4.		2205.00.102.04.02.31 -नृत्य, नाटक तथा थियेटर समूह की सहायता	2.07
5.		2205.00.102.04.18.31 -सांस्कृतिक संगठन का विकास	1.61
6.	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2225.02.796.05.00.31 गृह मंत्रालय- अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति को अनुदान	0.99
7.		ग्रामीण विकास मंत्रालय-2215.01.196.01.00.31 जिला परिषद	0.92
8.		ग्रामीण विकास मंत्रालय-2215.02.198.01.00.31 ग्राम पंचायत को सहायता	0.34
9.	97- चण्डीगढ़	कृषि मंत्रालय-2401.00.109.05.00.31-प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण	0.04
10.		लघु, छोटे तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय -2851.00.105.01.00.31-सं.शा.क्षे. खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड को सहायता अनुदान	0.07
11.		पर्यटन मंत्रालय-3452.80.104.09.00.31-फूड क्रॉफ्ट उद्योग	1.80
12.	99 -दमन व दीव	शहरी विकास मंत्रालय-2217.05.192.01.00.31 - दमन व दीव नगर परिषद	0.06
13.		कृषि मंत्रालय -2405.00.196.02.00.31 - पंचायत	0.06
14.		ऊर्जा मंत्रालय-2801.05.192.01.00.31 - नगर पालिका	0.10
15.		सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय -3054.04.196.04.00.31 - पंचायतें	2.65
16.	100 -लक्षद्वीप	उच्चतर शिक्षा विभाग-2202.80.001.03.00.31 - शिक्षा निदेशालय	4.58
17.		युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय-2204.00.102.07.00.31 - राष्ट्रीय छात्र सेना	0.15
18.		स्वास्थ्य एवं पा.क. मंत्रालय-2210.06.198.01.00.31 -पंचायतें	0.12
19.		सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय-2235.02.190.01.00.31 - राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड	0.03
20.		सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 2235.02.198.01.00.31 - पंचायतें	0.05
21.		महिला एवं बाल विकास मंत्रालय-2236.02.101.07.00.31 - अधिप्रापण एवं वितरण	0.67
22.		ग्रामीण विकास मंत्रालय -2402.00.198.01.00.31 - पंचायतें	0.02
23.		पर्यावरण तथा वन मंत्रालय-3435.60.198.01.00.31 - पंचायतें	0.18

अनुबंध IV-ख

(पैरा सं. 4.12 तथा तालिका 4.8 के संदर्भ में)

प्रमुख निर्माणकार्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों में आवर्धन के मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	नामावली	राशि
	<b>4-परमाणु ऊर्जा</b>		
1.	4861.02.201.01.08.52	सर्वेक्षण एवं पूर्वक्षण	0.49
2.	4861.60.105.11.00.52	ट्रॉम्बे में थोरियम भण्डारण सुविधा	1.60
3.	4861.60.105.16.00.52	अपशिष्ट निपटान सुविधा	5.00
4.	4861.60.201.39.00.52	तारापुर में बी.ए.आर.सी.एस.ओ. सेवाओं का उन्नयन	0.75
5.	4861.60.203.29.00.52	थिरापियूटिक रेडियो कामीस्टीकल्स तथा बन्द स्रोतों के लिए सैल/पद्धति गजेट्स में विकास	0.15
6.	4861.60.203.42.00.52	एक आर.एफ.सी.एफ. की परियोजना पूर्व गतिविधियां	3.01
7.	4861.60.203.43.00.52	कॉरात सुविधा को चमकाने के लिए डी.एफ.आर.पी. हेतु स्वत्रत सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध करना	0.94
8.	4861.60.203.46.00.52	सोडियम बांडिड मैटालिक क्यूल फेब्रिकेशन हेतु प्रदर्शन सुविधा	3.05
9.	4861.60.203.47.00.52	कल्पककम में 2 एम.जी.डी.आर.ओ.डी सेलिनेशन संयंत्र	1.25
10.	4861.60.203.52.00.52	ट्रॉम्बे एवं तारापुर में फ्यूल संसाधन सुविधाओं का उन्नयन	0.50
11.	4861.60.203.55.00.52	अपशिष्ट प्रबंधन तथा पुनः संसाधन संयंत्रों में प्रौद्योगिकी तथा अधिग्रहण में विकास	0.51
12.	4861.60.203.57.00.52	कल्पककम में पुनः संसाधन तथा अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों के लिए नियंत्रण प्रणालियों तथा उपयोगिता एवं सेवाओं तथा अपकरण बनाने का केन्द्रीयकरण तथा उन्नयन	3.02
13.	4861.60.204.01.15.52	रेडिएशन तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	0.26
14.	4861.60.204.01.18.52	रेडिएशन तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	1.00
15.	4861.60.204.01.19.52	रेडिएशन तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	0.97
16.	4861.60.204.01.20.52	रेडिएशन तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	0.20
17.	5401.00.201.01.03.52	रिएक्टर विकास कार्यक्रम	0.34
18.	5401.00.201.02.01.52	फ्रंट एंड फ्यूल साइकल निष्पादन	2.06
19.	5401.00.201.02.02.52	फ्रंट एंड फ्यूल साइकल निष्पादन	1.70
20.	5401.00.201.03.01.52	बैंक एंड फ्यूल साइकल निष्पादन	1.62
21.	5401.00.201.05.01.52	सुरक्षा तथा पर्यावरणीय संबंधित कार्यक्रम	4.68
22.	5401.00.201.06.01.52	जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	0.74
23.	5401.00.201.06.02.52	जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	1.02
24.	5401.00.201.10.01.52	त्वरित तथा विज्ञापन कार्यक्रम	6.26
25.	5401.00.201.13.01.52	विशेष सामग्री विकास तथा अन्य विशेष कार्यक्रम	40.82
26.	5401.00.201.14.01.52	स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा साइनकोट्रान कार्यक्रम	1.84
27.	5401.00.201.17.01.52	उच्च तापमान सामग्री विकास कार्यक्रम	1.03
28.	5401.00.201.17.03.52	उच्च तापमान सामग्री विकास कार्यक्रम	0.42
29.	5401.00.201.25.01.52	शारीरिक विज्ञान कार्यक्रम	0.71
30.	5401.00.201.70.00.52	लिविड हीलियम/हीलियम रेफ्रिजेशन सिस्टम तथा फ्यूलसैल विकास	1.25

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	नामावली	राशि
31.	5401.00.201.78.00.52	मोलीक्यूल बायोलॉजी में उन्नत अनुसंधान तथा मानव स्वास्थ्य पर रेडिएशन प्रभाव का अध्ययन	0.06
32.	5401.00.202.47.00.52	एफ.बी.टी.आर. परिसर में एस.एन.एम. भण्डारण एवं फ्यूल एस्म्बली के लिए अवसंरचना उपलब्ध करना	0.83
33.	5401.00.202.51.00.52	कामनी एवं पी.एफ.बी.आर. प्रयोग तथा सहयोग	0.17
34.	5401.00.202.53.00.52	एफ.बी.आर. के सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन	0.65
35.	5401.00.202.54.00.52	कला स्थिति तथा आधुनिक डिजाइन कार्यालय	0.12
36.	5401.00.202.55.00.52	सामग्री विकास तथा विशेषता	0.80
37.	5401.00.202.57.00.52	एफ.बी.आर. हेतु आई. एवं सी. सिस्टम का डिजाइन तथा विकास	2.07
38.	5401.00.202.62.00.52	तीव्र रिएक्टर फ्यूल रसायन	0.46
39.	5401.00.202.64.00.52	एफ.बी.आर. के लिए रिमोट संचालन, निरीक्षण, प्रदीपन प्रयोग तथा फ्यूल साइकल सुविधाओं हेतु प्रौद्योगिकी का विकास	6.27
40.	5401.00.202.65.00.52	रेडियोलोजिकल सुरक्षा अध्ययन	0.91
41.	5401.00.202.66.00.52	इंजीनियरिंग सुरक्षा	0.45
42.	5401.00.202.67.00.52	पर्यावरणीय तथा औद्योगिक सुरक्षा	0.44
43.	5401.00.202.69.00.52	कामिनी रिएक्टर के सुरक्षा संकटकालीन उपकरण का आधुनिकीकरण	0.46
44.	5401.00.202.73.00.52	स्पन्दमान सेंसर सहित प्रक्रिया नियंत्रण	0.08
45.	5401.00.202.74.00.52	उन्नत मानसदर्शन तथा अभिकलनात्मक आसूचना केन्द्र	0.65
46.	5401.00.202.75.00.52	भौतिक विज्ञान तथा संघटित भौतिक विज्ञान पदार्थ	0.32
47.	5401.00.202.77.00.52	जीन अभिव्यक्ति अध्ययन	0.34
48.	5401.00.202.81.00.52	तीव्र रिएक्टर प्रशिक्षण	0.19
49.	5401.00.202.82.00.52	उन्नत अंकीय लाइब्रेरी	1.84
50.	5401.00.202.83.00.52	सॉफ्टवेयर सिस्टम के स्वचालन तथा एकीकरण के माध्यम से व्यापक परियोजनाएं, सामाग्रियां, वित्त तथा मानव संसाधन प्रबंधन	0.42
51.	5401.00.206.25.00.52	औद्योगिकी एप्लीकेशन के लिए त्वरित तथा लेजर विकास	1.81
52.	5401.00.206.36.00.52	औद्योगिकी त्वरित में सुधार	1.15
53.	5401.00.206.40.00.52	प्रोटोन साइनोकोटोन सब-सिस्टम	0.70
54.	5401.00.206.41.00.52	उन्नत त्वरित सब-सिस्टम के मूल्यांकन तथा योग्यता हेतु अवसंरचना	1.22
55.	5401.00.206.42.00.52	उन्नत अंतराष्ट्रीय त्वरित कार्यक्रम जैसे एक्सरे फ्री इलेक्ट्रान लेजर (ए.फ.इ.ले.) तथा अंतर्राष्ट्रीय लाइनर कोलीडर (अं.ला.को.)	1.12
56.	5401.00.206.43.00.52	नेरोलाइन विद्युत टनऐबल लेजर सिस्टम तथा एप्लीकेशन का विकास	4.46
57.	5401.00.206.46.00.52	इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हेतु हाई पावर लेजर	2.05
58.	5401.00.206.47.00.52	लेजर सहित भौतिक विज्ञान के फ्रंटियर क्षेत्रों में अनुसंधान	2.29
59.	5401.00.206.48.00.52	पद्धति हेतु सामग्री अनुसंधान तथा विकास	0.85
60.	5401.00.400.02.29.52	परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र	0.71
61.	5401.00.400.02.45.52	परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र	0.64
62.	5401.00.400.02.47.52	परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र	0.18
63.	5401.00.400.02.50.52	परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र	0.26



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	नामावली	राशि
64.	5401.00.400.02.52.52	परिवर्ती ऊर्जा साईक्लोट्रोन केन्द्र	0.03
65.	5401.00.400.03.05.52	ए.एम.डी.-प्रयोगशालाएं तथा अन्य योजनागत योजनाएं	1.68
66.	5401.00.400.03.06.52	ए.एम.डी.-प्रयोगशालाएं तथा अन्य योजनागत योजनाएं	0.20
67.	5401.00.400.03.07.52	ए.एम.डी.-प्रयोगशालाएं तथा अन्य योजनागत योजनाएं	1.20
68.	5401.00.400.03.08.52	ए.एम.डी.-प्रयोगशालाएं तथा अन्य योजनागत योजनाएं	1.64
69.	5401.00.400.03.10.52	ए.एम.डी.-प्रयोगशालाएं तथा अन्य योजनागत योजनाएं	0.02
70.	5401.00.800.17.00.52	एनुनेट तथा डी.ए.ई. ग्रिड को बढ़ाना	1.26
71.	4861.01.208.61.00.53	मानागुरु में एच.डब्ल्यू.पी. की पुनः मरम्मत तथा आधुनिकीकरण	7.76
72.	4861.01.208.62.00.53	थाल वशिष्ट में	1.86
73.	4861.01.208.65.00.53	नई गतिविधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तलचर में वर्तमान सुविधाओं का आवर्धन	0.06
74.	4861.60.105.14.00.53	तारापुर में एच.एल.डब्ल्यू प्रबंधन सुविधाओं का आवर्धन	0.49
75.	4861.60.201.38.00.53	ट्रॉम्बे, तारापुर, कल्पक्कम में एन.आर.जी. सुविधाओं के लिए भौतिक संरक्षण प्रणाली	0.41
76.	4861.60.201.39.00.53	तारापुर में बी.ए.आर.सी.जी.एस.ओ. सेवा का उन्नयन	1.80
77.	4861.60.202.32.00.53	एन.एफ.सी. सुविधाओं का उन्नयन	1.47
78.	4861.60.202.34.00.53	एन.जैड.ओ.एस.पी. हेतु डी. सेलीनेशन प्लाट	0.07
79.	4861.60.203.42.00.53	एफ.आर.एफ.सी.एफ.सी.एफ. की परियोजना पूर्व की गतिविधियां	3.37
80.	4861.60.203.45.00.53	एफ.आर.एफ.सी.एफ. पर निर्माण कार्य करने के लिए पहुँच सड़क एवं सेवाओं का पुनः मार्ग बनाना	1.45
81.	4861.60.203.47.00.53	कल्पक्कम में 2 एम.जी.डी.आर.ओ. डी. सेलीनेशन प्लांट	0.92
82.	4861.60.203.48.00.53	कल्पक्कम परिसर के लिए प्यापक सुरक्षा प्रणाली	11.86
83.	4861.60.203.52.00.53	ट्रॉम्बे एवं तारापुर में फ्यूल संसाधन सुविधाओं का उन्नयन	8.36
84.	4861.60.203.57.00.53	कल्पक्कम में अपशिष्ट प्रबंधन सयंत्रों तथा पुनःसाधन हेतु उपयोगिता एवं सेवाओं तथा उपकरणों तथा नियंत्रण प्रणालियों का केन्द्रीयकरण तथा उन्नयन	3.73
85.	4861.60.203.59.00.53	तारापुर तथा कल्पक्कम में नाभिकीय पुनचक्र सुविधाओं का एकीकरण तथा सहायक प्रणालियों का नवीकरण	1.00
86.	5401.00.201.06.02.53	जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	0.12
87.	5401.00.201.06.03.53	जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	0.78
88.	5401.00.201.10.01.53	त्वरित तथा विज्ञापन कार्यक्रम	1.02
89.	5401.00.201.26.02.53	अवसंरचना विकास कार्यक्रम	2.16
90.	5401.00.201.49.00.53	बैंक एंड फ्यूल साइकिल विकास अध्ययन	2.08
91.	5401.00.202.44.00.53	सिविल अवसंरचना तथा विकित्सा सुविधाएं बढ़ाना	2.01
92.	5401.00.202.55.00.53	सामग्री विकास तथा अभिलक्षण	0.52
93.	5401.00.202.56.00.53	फ्यूल फेब्रिकेशन	0.13
94.	5401.00.202.57.00.53	एफ.बी.आर. हेतु आई. एवं सी. सिस्टम का डिजाइन तथा विकास	0.26
95.	5401.00.202.66.00.53	इंजीनियरिंग सुरक्षा	0.12
96.	5401.00.202.67.00.53	पर्यावरणीय तथा औद्योगिक सुरक्षा	0.18
97.	5401.00.202.82.00.53	उन्नत अंकीय पुस्तकालय	0.66
98.	5401.00.202.85.00.53	आई.जी.सी.ए.आर. प्लांट स्थल पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराना	1.40

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	नामावली	राशि
99.	5401.00.202.86.00.53	आई.जी.सी.ए.आर. के लिए विद्युत सेवाओं का आवर्धन	5.69
100.	5401.00.206.25.00.53	औद्योगिक एप्लीकेशन के लिए त्वरित तथा लेजर विकास	2.30
101.	5401.00.206.42.00.53	उन्नत अंतर्राष्ट्रीय त्वरित कार्यक्रम जैसे एकसरे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर (ए.फ्री.इ.ले.) तथा अंतर्राष्ट्रीय लाइनर कोलीडर (आई.एल.सी.) में सहभागिता	0.24
102.	5401.00.206.44.00.53	लेजर से संबंधित प्रकाशविज्ञान तथा साधन	0.25
103.	5401.00.206.46.00.53	इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हेतु उच्च ताप लेजर	2.35
104.	5401.00.206.47.00.53	लेजर सहित भौतिकविज्ञान के फ्रंटियर क्षेत्र में अनुसंधान	0.16
105.	5401.00.206.48.00.53	पद्धति हेतु सामग्री अनुसंधान तथा विकास	0.89
106.	5401.00.206.49.00.53	वैज्ञानिक संकलन अवसंरचना	0.05
107.	5401.00.283.08.00.53	राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र	0.25
108.	5401.00.283.15.02.53	निर्माण सेवा तथा सम्पदा प्रबंधन निदेशालय	0.03
109.	5401.00.283.15.22.53	निर्माण सेवा तथा सम्पदा प्रबंधन निदेशालय	5.89
110.	5401.00.400.02.31.53	परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र	0.51
111.	5401.00.400.02.32.53	परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र	8.65
112.	5401.00.400.03.05.53	ए.एम.डी प्रयोगशाला तथा अन्य योजनागत योजनाएं	0.05
113.	5401.00.400.03.07.53	ए.एम.डी प्रयोगशाला तथा अन्य योजनागत योजनाएं	0.32
114.	5401.00.400.03.10.53	ए.एम.डी प्रयोगशाला तथा अन्य योजनागत योजनाएं	0.30
115.	5401.00.800.12.00.53	ए.ई.आर.बी. विस्तार परियोजना	0.38
	<b>13-डाक विभाग</b>		
116.	5201.00.104.23.99.52	व्यापार विस्तार (स्पीड पोस्ट)	1.81
117.	5201.00.104.28.99.52	पार्सल पोस्ट केन्द्र हेतु अवसंरचना	0.89
118.	5201.00.104.33.99.52	डाक लेखा प्रबंधन	2.66
	<b>90-अंतरिक्ष विभाग</b>		
119.	3402.00.101.04.00.52	पोलर सेटलाइट लॉच वाहन (पो.से.ला.व.)	2.08
120.	3402.00.101.10.00.52	इसरो सेटलाइट के (इ.से.के.)	1.39
121.	3402.00.101.11.00.52	इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला (इ.आ.सि.प्र.)	0.24
122.	3402.00.101.33.00.52	जी.एस.एल.वी. संचालन (जी.एस.एल.वी.)परियोजना	0.22
123.	3402.00.101.45.00.52	सेती क्रायोजेनिक इंजिन विकास	1.03
124.	5402.00.101.07.00.52	लिक्विड प्रोपलशन सिस्टम केन्द्र (लि.प्रा.सि.के.)	13.60
125.	5402.00.101.20.00.52	पोलर सेट लाइट लॉच वाहन (पो.स.लो.वा.) परियोजना	5.92
126.	5402.00.101.40.00.52	सरल	0.49
127.	5402.00.103.02.00.52	एस्ट्रोसेट 1 व 2	0.45
128.	5402.00.103.04.00.52	मेघा ट्रॉपिक्स	0.38
129.	5402.00.101.02.00.53	इसरो अवस्थितत्व प्रणाली इकाई (अ.प्र.ई.)	1.65
130.	5402.00.101.18.00.53	इसरो टेलीमेट्री, ट्रकिंग तथा कमांड नेटवर्क (इ.टे.ट्रै.क.ने.)	1.46
131.	5402.00.283.01.00.53	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वि.सा.अं.के.)	1.93
	<b>96-अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह</b>		
132.	शहरी विकास मंत्रालय	4055.00.207.05.00.53-प्रमुख निर्माणकार्य अन्य सिविल निर्माण कार्य	4.86
133.		4055.00.208.05.00.53 -भारतीय रिजर्व बटालियन	6.00
134.		4059.80.051.02.00.53 - अन्य विभाग	2.50
135.		4059.80.051.04.00.53 - सामान्य प्रशासन	3.14
136.		4216.01.106.05.00.53 - भवन	5.11

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	नामावली	राशि
137.		4401.00.800.12.00.53 - भवन	1.74
138.		5052.80.800.01.00.53 - भवन	4.95
139.	पर्यावरण वन मंत्रालय	4406.01.070.01.00.53 - भवन	2.82
140.		4406.01.105.01.00.53 - अन्य योजनाएं	1.41
141.	जल संसाधन मंत्रालय	4711.02.103.01.00.53 - सी. वॉल का निर्माण	1.04
142.	जहाजरानी विभाग	5051.02.200.01.00.53 - घाट निर्माण	2.60
143.		5051.02.796.01.00.53 - घाट निर्माण	4.10
144.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	5054.04.337.02.02.53 - ग्रामीण सड़कें	5.58
145.	संचार तथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	5225.04.209.01.00.53 - महाद्वीप क बीच समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाना	22.00
<b>97-चण्डीगढ़</b>			
146.	गृह कार्य विभाग	4059.60.051.20.00.53-न्याय प्रशासन	6.21
147.	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	4406.01.101.01.00.53-भूमि अधिग्रहण	22.65
148.	उच्चतर शिक्षा विभाग	4202.01.202.05.00.53-भवन	3.18
149.	युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय	4202.03.800.05.00.53-भवन	1.32
150.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	4250.00.203.01.00.53-भवन	0.32
151.	शहरी विकास मंत्रालय	4217.01.051.01.00.53-अन्य योजनाएं	5.42
<b>98-दादर और नगर हवेली</b>			
152.	उच्चतर शिक्षा विभाग	4202.01.202.05.00.53- भवन	1.30
153.	लघु, छोटे और मध्यम	4851.00.101.02.00.53-नए औद्योगिक सम्पदा का विकास	0.65
154.	शहरी विकास मंत्रालय	4216.01.106.05.00.53- भवन	0.40
<b>100-लक्षद्वीप</b>			
155.	शहरी विकास मंत्रालय	4055.00.208.01.00.53 - भवन	2.53
156.		4055.00.211.01.00.53 - भवन	0.36
157.		4059.80.051.26.00.53 - भवन	3.88
158.		4202.01.203.02.00.53 - भवन	1.22
159.		4235.02.103.03.00.53 - कामकाजी महिला छात्रावास	0.43
160.		4851.00.800.06.00.53 - भवन	0.47
161.	स्वास्थ्य एवं प.क. मंत्रालय	4210.02.800.01.00.52 - मुख्यालय तथा अस्पताल	5.35
162.	कृषि मंत्रालय	4405.00.105.02.00.52 - मछली बाजार	1.86
163.	जहाजरानी मंत्रालय	5052.02.201.02.00.53 - लंगरगाह की सुविधाएं	4.95
164.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	5054.04.337.03.00.53 -लैंक सड़कों का निर्माण	4.67



अनुबंध IV-ग  
(पैरा सं. 4.19 के संदर्भ में)  
विषय शीर्षों के विवरण

विषय शीर्ष	विवरण
01- वेतन	यात्रा खर्चों (छुट्टी यात्रा रियायत के अलावा) के अतिरिक्त मानदेय तथ अवकाश नकदीकरण सहित इसमें कार्मिकों के सभी प्रकार के वेतन तथा भत्ते शामिल होंगे। यह विषय शीर्ष वर्गीकरण साकार भत्तों सहित राज्यों के प्रमुखों और अन्य उच्चाधिकारियों के भत्तों तथा परिलाभ पर हुए व्यय को दर्ज करने के लिए भी उपयोग किया जाएगा।
13- कार्यालयी खर्च	इसमें एक कार्यालय को चलाने के लिए सभी आकस्मिक खर्च जैसे फर्नीचर, डाक टिकट, कार्यालयी मशीनों तथा उपकरणों की खरीद तथ्दा अनुरक्षण विर्दियों, ग्रीष्म तथा शीत ऋतु प्रभार (आकस्मिक निधि से दी गई स्टाफ के वेतन को छोड़कर), टेलीफोन, विद्युत से दी गई स्टाफ के वेतन को छोड़कर, टेलीफोन, विद्युत तथा जल प्रभार, स्टेशनरी, फार्मों का मुद्रण, स्टाफ कार की खरीद तथा अनुरक्षण तथा क्रियात्मक उद्देश्यों जैसे शामिल होंगे। इसमें कार्यालयी उपयोग हेतु वाहनों पर पी.ओ.एल खर्च भी शामिल होंगे।
20- अन्य प्रशासनिक खर्च	इसमें विभागीय कैंटीन/आवभगत/मनोरंजन खर्च, उपहार तथा किए गए दौरो पर व्यय, सम्मेलनों/सेमीनारों/कार्यशालाओं आदि पर व्यय तथा उपन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय शामिल होगा।
21-आपूर्तियां तथा सामग्रियां	इसमें सामग्रियों तथा आपूर्तियों, भण्डार तथा उपकरण आदि पर व्यय शामिल होगा।
27- लघु निर्माण कार्य	इसमें निर्माणकार्यों, मशीनरी तथा उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर किया गया दर्ज होगा
28- व्यवसायिक सेवाएं	इसमें कानूनी सेवाओं के प्रभार, परामर्श शुल्क, स्टाफ कलाकारों को शुल्क, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षकों, निरीक्षकों आदि को परिश्रमिक, आकाशवाणी, दूरसंचार, दूरदर्शन द्वारा नैमित्तिक कलाकारों को परिश्रमिक तथा अन्य सभी प्रकार के परिश्रमिक के प्रभार शामिल होंगे। इसमें की गई सेवाओं अन्य विभागों जैसे रेलवे, पुलिस आदि द्वारा की गई आपूर्तियों के भुगतान शामिल होंगे, की गई आपूर्तियों तथा एक कार्यालय को चलाने के लिए की गई सेवाओं को पृथक करते हुए उन मामलों में व्यय खर्च के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
31- सहायता अनुदान सामान्य	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
32- अंशदान	इसमें अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर व्यय शामिल होगा
33-आर्थिक सहायता	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
34-छात्रवृत्ति/वृत्तिछात्र	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	इसमें पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होगी।
36- सहायता अनुदान	इसमें वेतन के भुगतान हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होगी।
44- विनिमय विभिन्नता	विदेशी स्रोतों से ऋण। अग्रिम की प्राप्ति तथा उसके पुनर्भुगतान के समय विनिमय की दर में विभिन्नता को संबंधित सेवा व्यय शीर्ष के अंतर्गत इस विषय शीर्ष के अंतर्गत डेबिट किया जाएगा।
45-ब्याज	इसमें पूँजीगत पर ब्याज तथा ऋण पर छूट शामिल होंगी।
50-अन्य प्रभार	इसमें विवेकाधिकार अनुदानों में से भुगतान शामिल होगा। अन्य शुल्क, क्षतिपूर्ति, एवार्ड तथा पुरस्कार आदि तथा अन्य व्यय जो इन विशिष्ट विषय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किये जा सकते, वे इस शीर्ष में डेबिट किए जाएंगे
52- मशीनरी तथा उपकरण	इसमें एक कार्यालय को चलाने के लिए आवश्यक के अलावा मशीनरी उपकरण औजार आदि तथा विशिष्ट निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित विशेष औजार तथा संयंत्र शामिल होंगे
53 मुख्य निमर्सन कार्य	इसमें भूमि तथा ढांचों के अधिग्रहण का लागत भी शामिल होगी
54-निवेश	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
55-ऋण तथा अग्रिम	इसमें अन्य सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों आदि को दिए गए सभी ऋण तथा अग्रिम शामिल होंगे
60- अन्य पूँजीगत व्यय	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
64- बट्टे खाते/हानियां	बट्टे खाते डाली गई अवसूली योग्य ऋण, हानिया, व्यापारिक हानियां शामिल होगी।

अनुबंध IV-घ  
(पैरा सं. 4.21 के संदर्भ में)  
उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	विषय शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग से पूर्व प्रावधान से अधिक व्यय
1.	4861.60.105.11.00	52	2.30	3.90	1.60
2.	4861.60.105.14.00	53	1.00	1.49	0.49
3.	4861.60.105.16.00	52	10.00	15.00	5.00
4.	4861.60.201.39.00	53	3.20	5.00	1.80
5.	4861.60.202.32.00	53	1.70	3.17	1.47
6.	4861.60.203.29.00	52	0.05	0.20	0.15
7.	4861.60.203.47.00	52	1.00	2.25	1.25
8.	4861.60.203.47.00	53	2.90	3.82	0.92
9.	4861.60.203.48.00	53	11.36	23.22	11.86
10.	4861.60.203.52.00	53	5.95	14.31	8.36
11.	4861.60.203.57.00	21	10.00	12.75	2.75
12.	4861.60.203.57.00	52	11.00	14.02	3.02
13.	4861.60.203.57.00	53	3.00	6.73	3.73
14.	4861.60.203.58.00	21	0.50	24.47	23.97
15.	5401.00.201.02.01	21	5.00	13.66	8.66
16.	5401.00.201.02.02	52	5.51	7.21	1.70
17.	5401.00.201.03.01	21	2.70	4.03	1.33
18.	5401.00.201.06.04	21	1.00	2.13	1.13
19.	5401.00.201.09.01	21	3.00	5.90	2.90
20.	5401.00.201.10.01	21	3.50	6.55	3.05
21.	5401.00.201.10.01	52	4.16	10.42	6.26
22.	5401.00.201.10.01	53	2.00	3.02	1.02
23.	5401.00.201.13.01	21	6.00	16.02	10.02
24.	5401.00.201.13.01	52	11.85	52.67	40.82
25.	5401.00.201.14.01	52	5.89	7.73	1.84
26.	5401.00.201.15.01	53	1.98	5.88	3.90
27.	5401.00.201.25.01	52	1.78	2.49	0.71
28.	5401.00.202.50.01	52	3.70	4.55	0.85
29.	5401.00.202.64.01	52	2.50	8.77	6.27
30.	5401.00.202.65.01	52	0.90	1.81	0.91
31.	5401.00.202.82.01	53	0.74	1.40	0.66
32.	5401.00.206.25.01	53	2.50	4.80	2.30
33.	5401.00.206.36.01	52	2.50	3.65	1.15
34.	5401.00.206.41.01	52	1.75	2.97	1.22
35.	5401.00.206.42.01	21	1.35	3.21	1.86
36.	5401.00.206.42.01	52	1.00	2.12	1.12
37.	5401.00.206.43.01	52	1.00	5.46	4.46
38.	5401.00.206.46.01	21	2.50	8.80	6.30
39.	5401.00.206.46.01	53	1.20	3.55	2.35
40.	5401.00.206.47.01	52	11.50	13.79	2.29
41.	5401.00.206.47.01	53	0.16	0.32	0.16
42.	5401.00.283.15.19	27	5.80	11.63	5.83
43.	5401.00.400.02.43	53	0.85	2.85	2.00
44.	5401.00.400.03.05	52	12.00	13.68	1.68
45.	5401.00.400.03.08	52	1.60	3.24	1.64
	योग				192.76

अनुबंध IV-ड  
(पैरा सं. 4.25 के संदर्भ में)  
अंतरिक्ष विभाग द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश की स्कैन की गई प्रति

No. C.12031/1/2007-Sec.III  
Government of India  
Department of Space

Antariksh Bhavar,  
New BEL Road,  
Bangalore - 560 231.

July 13, 2011.

The Director,  
Vikram Sarabhai Space Centre,  
Trivuvananthapuram.

Sir,

Subject: Projects - Pre-Project activities for Indian Manned Mission Initiative - enhancement of funding to sustain the development of critical technologies - reg

I am directed to convey sanction of the President to an additional expenditure not exceeding ₹ 50 Crores (Rupees Fifty Crores only) with an FE element of ₹ 13 crores towards enhancement of funding to sustain the development of critical technologies for Pre-Project activities for Indian Manned Mission Initiative, as per the cost break-up given below:

Sl. No.	Description	Amount (₹ in lakhs)	
		FE	TOTAL
1.	Crew module System	900	3050
2.	ECLSS & Flightsuit	100	600
3.	Crew Escape System	300	1350
TOTAL		1300	5000

1.2 The above sanction is in addition to ₹ 95 crores financial sanction of even number dated 09.05.2007 and thereby the total sanctioned amount for Pre-Project activities for Indian Manned Mission Initiative will become ₹ 145 crores with an FE component of ₹ 60 crores.

2. The expenditure involved is debitabte to "3402.00.101.43 - Space Research - Space Technology - Manned Mission Initiatives" under Revenue and "5402.00.101.35" - Capital Outlay on Space Research - Space Technology - Manned Mission Initiatives" for which the grant number for the current financial year is '30 - Department of Space'.

This issues with the approval of Space Commission.

Yours faithfully,

(Sardhya Venugopal Sharma)  
Director (Projects)

BANGALORE

Forward No.

Date

0-150

20-7-11



C.12013/1/2011-Sec. 3  
Government of India  
Department of Space  
\*\*\*

115 P-2  
Antariksh Bhavan,  
New BEL Road,  
Bangalore 560 231.

January 27, 2012

The Director,  
ISRO Satellite Centre,  
Bangalore - 560 017.

Sir,

Subject : GSAT – 14 Communication Satellite Project – Financial Sanction – reg.  
\*\*\*

I am directed to convey sanction of the President for incurring an expenditure not exceeding ₹ 45 Crores (Rupees Forty Five Crores only) with a foreign exchange component of ₹ 18 Crores (Rupees Eighteen Crores Only) for GSAT-14 Spacecraft as per the break-up given below :-


₹ in Crores

SL. NO.	PROJECT ELEMENT	TOTAL	FE
1.	Thermal	2.00	1.00
2.	Propulsion	4.00	2.00
3.	Composite Elements	2.00	1.00
4.	Power Systems	8.00	4.00
5.	TTC-BB	1.50	0.50
6.	TTC-RF	1.00	1.00
7.	AOCE	1.50	0.50
8.	Inertial Systems	2.00	1.00
9.	Sensors	2.00	1.00
10.	AIT	3.00	1.00
11.	Mission	2.00	1.00
12.	Project Management	8.00	4.00
13.	Salary & Administration	8.00	0.00
Total		45.00	18.00

-:2:-

2. GSAT-14 Spacecraft is a low cost experimental communication satellite which is envisaged to be launched onboard Geo-Synchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV), using indigenous Cryogenic Upper Stage. The spacecraft will have 6 Ku-Band and 6 extended C-band transponders.
3. The expenditure involved is debitible to "3252.00.053.06 - Satellite Systems - Operation & Maintenance - INSAT-4/GSAT Satellites" under Revenue and "5252.00.203.03 - Capital Outlay on Satellite Systems - Spacecrafts - INSAT-4/GSAT Satellites" under Capital for which the grant number during the current financial year is "90 - Department of Space".
4. This issues with the approval of Space Commission.

Yours faithfully,



(K. Hariharan)  
Under Secretary (Projects)

Copy forwarded to :-

1. Principal Director of Audit, Scientific Departments, DGACR Building, Indraprastha New Delhi.
2. Deputy Director, O/o Principal Director of Audit, Scientific Departments, Branch Office, Bangalore.
3. Directors of all ISRO Centres/Units.
4. Scientific Secretary, ISRO, Bangalore.
5. Project Director, GSAT-14, ISAC, Bangalore.
6. Director, SCNPO, ISRO HQ, Bangalore.
7. Director, BEA, ISRO HQ, Bangalore.
8. Chief Controller of Accounts, DOS, Bangalore.
9. Head Accounts & IFA of all Centres.
10. Sr. Accounts Officer, ISRO HQ.
11. Director (Budget), DOS/DS(Vig.)/DS(Par.).
12. Sr. Head, Internal Audit, ISRO HQ.
13. AO, Section-II, DOS, Bangalore.
14. Guard File.

अनुबंध V-क  
(पैराग्राफ 5.6 के संदर्भ में)  
रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत निरंतर बचतें

क्र. सं.	उप-मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	मंत्रालय द्वारा आरोपित कारण
1.	01-थल सेना 050-भूमि	2009-10	51.99	40.95	11.04	भूमि अधिग्रहण मामलों को अंतिम रूप न देना, प्रभावित निधियां आदि।
		2010-11	352.54	44.72	307.82	मंत्रालय ने कोई कारण नहीं दिए हैं।
		2011-12	147.00	15.69	131.31	-वही-
2.	103-अन्य उपकरण	2009-10	11121.24	10089.54	1031.70	-वही-
		2010-11	10463.55	9587.66	875.89	-वही-
		2011-12	10855.96	6960.18	3895.78	-वही-
3.	105-सैनिक फार्म	2009-10	7.50	6.33	1.17	संस्वीकृति की अप्राप्ति।
		2010-11	7.50	5.58	1.92	मंत्रालय ने कोई कारण नहीं दिए हैं।
		2011-12	7.50	5.33	2.17	प्लॉट एवं संयंत्र की खरीद को अंतिम रूप न देना।
4.	107-ई.सी.एच.एस.	2009-10	37.00	5.91	31.09	मंत्रालय ने कोई कारण नहीं दिए हैं।
		2010-11	37.00	2.82	34.18	अंतिम अनुमानित स्तर पर प्रक्षेपित से कम व्यय।
		2011-12	37.00	2.96	34.04	मंत्रालय ने कोई कारण नहीं दिए हैं।
5.	113-रा.कै.को.	2009-10	27.30	3.60	23.70	कैम्प व्यय के कारण राज्य महालेखाकार द्वारा कम डेबिट प्रस्तुत करना तथा म.नि.रा.कै.को. की सीमित वित्तीय शक्तियों के कारण मामलों की संस्वीकृति में विलम्ब।
		2010-11	28.79	3.12	25.67	वांछित समय में कार्य का निष्पादन न करना तथा माईक्रोलाइट के प्रापण में विलम्ब।
		2011-12	25.50	3.15	22.35	प्रत्याशित से कम व्यय
6.	202-निर्माण कार्य	2009-10	4718.20	3087.09	1631.11	मुख्य लेखांकन अधिकारियों का निधियाँ अभ्यर्पण करना तथा मु.पश्चिमी कमान द्वारा निधियों का अंतरण।
		2010-11	4981.20	4074.65	906.55	मंत्रालय ने कोई कारण नहीं दिए हैं।
		2011-12	4707.20	4050.32	656.88	एम.ए.पी. परियोजना के व्यय तथा प्रगति की धीमी गति।



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

7.	02-नौ सेना 104-संयुक्त स्टाफ	2009-10	408.13	272.81	135.32	वरिष्ठ वित्त नियंत्रक द्वारा निधियों का गैर उपयोग, केन्द्रीय वाहन डिपो, दिल्ली छावनी द्वारा वाहनों की गैर-आपूर्ति।
		2010-11	798.70	389.11	409.59	हल्के ग्राहकों के आंशिक भुगतान को रोकना तथा समय पर निर्माण कार्यों की गैर-समाप्ति।
		2011-12	928.71	778.31	150.40	तकनीकी चूक तथा कार्य की गैर-समाप्ति/धीमी गति।
8.	03-वायु सेना 202-निर्माण कार्य	2009-10	1100.00	904.59	195.41	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी गति, वायु भवन हेतु वी.आर.एफ. के साथ सेन्द्रल ए.सी. परियोजना का गैर-प्रारम्भ, कार्य के उद्देश्य में परिवर्तन तथा निविदाओं में विलम्ब।
		2010-11	1425.54	1156.20	269.34	मंत्रालय ने कोई कारण नहीं दिए हैं।
		2011-12	1342.50	1152.44	190.06	कार्य की धीमी प्रगति, सम्मिलित आवादी का पुर्नवास, निविदा करने में विलम्ब, निर्माण गतिविधियों को प्रारम्भ करने हेतु नए निर्माण कार्यों के लिए लम्बा निर्देशन समय।

अनुबंध V-ख

(पैराग्राफ 5.7 के संदर्भ में)

एक लघु शीर्ष के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें

वर्ष/क्र.सं.	लघु शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	कारण
		(₹ करोड़ में)			
2009-10 1.	मुख्य शीर्ष 4076 उप-मुख्य शीर्ष 01-थल सेना 101-वायुयान तथा विमान इंजन	1020.62	138.09	882.53	मंत्रालय ने कोई कारण नहीं दिए हैं।
2.	103-अन्य उपकरण	11121.24	10089.54	1031.70	पुनर्विनियोग को ध्यान में रखने के पश्चात से मंत्रालय ने बचतों हेतु कोई कारण नहीं दिए थे। वो अधिक आकड़ों पर पहुँच गए।
3.	202-निर्माण कार्य	4718.20	3087.09	1631.11	मंत्रालय ने ₹ 22.55 करोड़ हेतु आवंटित निधियों के अभ्यर्पण, पूंजीगत निर्माण कार्य को बढ़ाने हेतु किए गए पूंजीगत निर्माण कार्य से निधियों का आंतरिक अंतरण आपूर्ति आदेशों के कार्यान्वयन में विलम्ब, ठेकेदार द्वारा वर्ष की अंतिम तिमाही में संग्रहण अग्रिमों को लेने से इंकार के कारण दिए।
4.	उप मुख्य शीर्ष 02-नौसेना 205-नौ सैनिक गोदी	1036.67	719.63	317.04	मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया।
5.	उप मुख्य शीर्ष 03-वायु सेना 103-अन्य उपकरण	6891.53	5317.39	1574.14	-वही -
6.	उप-मुख्य शीर्ष 04-रक्षा आयुद्ध कारखाने 052-मशीनरी एवं उपकरण	445.13	97.39	347.74	मंत्रालय ने नालंदा परियोजना में कटौती के कारण तथा वर्ष के अंत तक सयंत्र तथा मशीनरी की गैर-आपूर्ति के कारण के ₹20.73 करोड़ हेतु कारण दिए थे।
2010-11 7.	उप-मुख्य शीर्ष 01-थल सेना 050-भूमि	(वा) 52.54 (अ) 300.00 352.54	44.72	307.82	मंत्रालय ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था जबकि वह पुनर्विनियोजन को ध्यान में रखने के पश्चात अधिक्त्य पर पहुँचे।
8.	101वायुयान एवं विमान-इंजन	586.59	61.85	524.74	अमानवित एरियल वाहन वक की वा.अ.सं. के गैर कार्यान्वयन के कारण मंत्रालय ने केवल ₹49.74 करोड़ हेतु कारण दिए।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

वर्ष/क्र.सं.	लघु शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक	बचतें	कारण
			संवितरण		
			(₹ करोड़ में)		
9	103-अन्य उपकरण	10463.55	9587.66	875.89	मंत्रालय द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
10	202-निर्माण कार्य	(वा)4718.20	4074.65	906.55	मंत्रालय द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
		(अ) 263.00			
		4981.20			
11	उप-मुख्य शीर्ष 02-नौ सेना 104-संयुक्त स्टाफ	798.70	389.11	409.59	हल्के ग्राहकों हेतु आंशिक भुगतान को रोकना तथा कुछ निर्माण कार्यों की समय पर गैर-समाप्ति।
12	उप-मुख्य शीर्ष 03 वायु सेना 103-अन्य उपकरण	8241.53	6039.07	2202.46	कुछ नई योजनाओं की प्रगति में कमी।
13	202-निर्माण कार्य	1425.54	1156.20	269.34	कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
14	उप-मुख्य शीर्ष 04-रक्षा आयुद्ध कारखाने 052-मशीनरी एवं उपकरण	556.30	315.79	240.51	मशीनरी एवं उपकरण की बिक्री के कारण अधिक प्राप्तियां।
2011-12 15	उप-मुख्य शीर्ष 01-थल सेना 050-भूमि	147.00	15.69	131.31	कोई कारण नहीं दिए गए क्योंकि मंत्रालय ने पुनर्विनियोजन को ध्यान में लिया तथा अधिक्त्य पर पहुँचा।
16.	103-अन्य उपकरण	10855.96	6960.18	3895.78	वही -
17.	202- निर्माण कार्य	4707.20	4050.32	656.88	एम.ए.पी. परियोजनाओं के व्यय तथा प्रगति की धीमी गति।
18	उप-मुख्य शीर्ष 02-नौ सेना 104-संयुक्त स्टाफ	928.71	778.31	150.40	तकनीकी चूक तथा निर्माण कार्यों की गैर-समाप्ति/धीमी समाप्ति
19	उप-मुख्य शीर्ष 03-वायु सेना 202- निर्माण कार्य	1342.50	1152.44	190.06	कार्य की धीमी प्रगति, पुर्नवास कार्य स्वीकृत प्रक्रिया में विलम्ब, तथा निर्माण प्रारंभ करने हेतु नए निर्माण कार्य के लिए लम्बा निर्देशन समय।



अनुबंध V-ग  
(पैराग्राफ 5.16 के संदर्भ में)  
निरंतर बचतें

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान (वा.+अ.)	वास्तविक व्यय	बचतें	बजट प्रावधान के प्रतिवेदनों की प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा आरोपित बचतों हेतु कारण
			(₹ करोड़ में)				
1.	3054.01.052.01- मशीनरी एवं उपकरण का अनुक्षण	2009-10	2.00	0.37	1.63	82	राज्य सरकार से कम प्रस्ताव की प्राप्ति तथा अपने राज्य म.ले. को केन्द्रीय मशीनों की मरम्मत हेतु आवश्यक वाउचरों सहित व्यय बिलों का देरी से प्रस्तुतीकरण।
		2010-11	0.50	0.19	0.31	62	-वही -
		2011-12	2.00	-	2.00	100	राज्य सरकार से प्रस्ताव की अप्राप्ति।
2.	3054.01.101.01- राज्यों/सं.शा.क्षे. को देय शुल्कों के संग्रहण की लागत	2009-10	0.50	0.07	0.43	86	केवल पिछले वर्षों हेतु राज्य सरकारों से दावे की प्रतिपूर्ति।
		2010-11	0.50	0.02	0.48	96	नहीं दिया गया
		2011-12	0.50	-	0.50	100	नहीं दिया गया
3.	5054.01.052.02- मशीनरी एवं उपकरण	2009-10	15.00	0.35	14.65	98	प्रापण योजना को अंतिम रूप न देना तथा ड्रम मिक्स प्लान तथा हायड्रोलिक एक्सावेटर के प्रापण हेतु बिलों की अप्राप्ति।
		2010-11	15.00	0.01	14.99	100	प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति तथा कुछ मशीनों हेतु निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न देना।
		2011-12	5.00	-	5.00	100	कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा प्रापण योजना को अंतिम रूप न देना।
4.	3054.04.337.07- बिना विधानमण्डल की सं.शा.क्षे. सरकारों को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	2009-10	12.11	-	12.11	100	उ.प्र. तथा सं.शा.क्षे. सरकारों से नए प्रस्तावों की अप्राप्ति।
		2010-11	11.09	2.18	8.91	80	प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति।
		2011-12	13.15	2.89	10.26	78	कार्य की धीमी प्रगति तथा प्राप्त उ.प्र. की कम संख्या।
5.	3055.00.004.21- राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क	2009-10	56.00	0.02	55.98	100	अध्यनों को सौंपने हेतु प्रक्रिया की गैर-समाप्ति तथा रा.सू.के. से कम मांग।
		2010-11	30.00	0.20	29.80	99	-वही -
		2011-12	50.00	6.00	44.00	88	रा.सू.के. द्वारा कम मांग तथा नए अध्ययन परियोजना को न सौंपा जाना।
6.	3055.00.004.24- निरीक्षण एवं अनुक्षण केन्द्र	2009-10	10.00	-	10.00	100	योजना को अंतिम रूप न देना।
		2010-11	54.00	2.55	51.45	95	प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति/अंतिम रूप देना।
		2011-12	84.01	12.43	71.58	85	राज्य सरकार द्वारा कम मांग तथा समय पर योजना की गैर-स्वीकृति।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान (वा.+अ.)	वास्तविक व्यय	बचतें	बजट प्रावधान के प्रतिवेदनों की प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा आरोपित बचतों हेतु कारण
			(₹ करोड़ में)				
7.	3055.00.004.25-सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार एवं सुदृढीकरण	2009-10	35.00	-	35.00	100	वित्त मंत्रालय द्वारा योजना की गैर स्वीकृति।
		2010-11	35.00	17.44	17.56	50	कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा योजना की गैर-स्वीकृति।
		2011-12	40.00	19.84	20.16	50	राज्य सड़क परिवहन निर्माण की खराब वित्तीय स्थिति के कारण कई राज्यों से खराब प्रतिक्रिया तथा अनिवार्य 50% राज्य अंश, जैसा कि योजना के अंतर्गत प्रावधान है, के अंशदान हेतु अनिच्छा।
8.	3054.01.337.03-राष्ट्रीय राजमार्ग-न्यायाधिकरण	2009-10	2.40	0.34	2.06	86	खाली पदों को न भरना।
		2010-11	1.77	0.34	1.43	81	-वही -
		2011-12	1.77	0.33	1.44	81	खाली पदों को न भरना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग न्यायाधिकरणों द्वारा कम मांग।
9.	3054.80.004.01-राजमार्ग अनुसंधान	2009-10	7.00	4.23	2.77	40	अनुसंधान अभिकरणों द्वारा प्रत्याशित प्रगति की अप्राप्ति तथा कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
		2010-11	7.50	0.98	6.52	87	अनुसंधान अभिकरणों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति।
		2011-12	7.00	0.64	6.36	91	चालू अनुसंधान योजना की धीमी प्रगति तथा कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
10.	3055.00.004.20-सड़क सुरक्षा	2009-10	79.00	21.04	57.96	73	मोडल चालक प्रशिक्षण स्कूल के संस्थापन की योजना की स्वीकृति में विलम्ब, सड़क सुरक्षा उपकरण तथा एम्बुलेन्स की विशिष्टता को अंतिम रूप न देना।
		2010-11	180.00	60.49	119.51	66	-वही -
		2011-12	225.00	77.61	147.39	66	माडल चालक प्रशिक्षण स्कूल के संस्थापन की योजना की गैर-स्वीकृति तथा प्रापण हेतु निविदाओं को अंतिम रूप न देना।
11.	5054.01.337.01-सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य (प्रभारित)	2009-10	6.00	5.32	0.68	11	कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति।
		2010-11	6.00	0.21	5.79	97	कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति।
		2011-12	7.00	0.45	6.55	94	-वही -

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान (वा.+अ.)	वास्तविक व्यय	बचतें	बजट प्रावधान के प्रतिवेदनों की प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा आरोपित बचतों हेतु कारण
			(₹ करोड़ में)				
12.	5054.02.337.03- बी.आर.डी. के अंतर्गत निर्माण कार्य (प्रभासित)	2009-10	3.62	1.44	2.18	60	न्यायालिक मामलों का निर्णय न होना।
		2010-11	2.20	0.43	1.77	80	-वही -
		2011-12	2.20	1.05	1.15	52	भूमि अधिग्रहण तथा निवल वर्तमान मूल्य भुगतान को अंतिम रूप न देना।



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध V-घ  
(पैराग्राफ 5.17 के संदर्भ में)  
पूर्ण प्रावधान का गैर-उपयोग

वर्ष	क्र.स.	उप-शीर्ष/योजनाएं	बजट प्रावधान	बचते	कारण
			(₹ करोड़ में)		
2009-10	1.	3054.04.337.07-विधान मंडल के बिना सं.शा.क्षे. सरकारों को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदाने	12.11	12.11	उ.प्र. की अप्राप्ति तथा सं.शा.क्षे. सरकार से नए प्रस्ताव।
	2.	3054.04.798.01-अंतरराष्ट्रीय स्थायी सड़क कांग्रेस संघ, पेरिस	0.06	0.06	नहीं दिया गया।
	3.	3055.00.004.24-निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्र	10.00	10.00	योजना को अंतिम रूप न देना।
	4.	3055.00.004.25- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार तथा सुदृढीकरण	35.00	35.00	वित्त मंत्रालय द्वारा योजना की गैर-स्वीकृति।
	5.	3055.00.004.26-राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड	72.00	72.00	मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव की गैर-स्वीकृति।
	6.	3601.04.106.01-आर्थिक महत्व की सड़कें	53.00	53.00	उपयोग प्रमाणपत्र की अप्राप्ति तथा निधियन पेटर्न में परिवर्तन।
	7.	3602.02.105.01-दिल्ली में सड़कें	60.00	60.00	उपयोग प्रमाणपत्र की अप्राप्ति।
	8.	3602.02.105.02-पांडीचेरी में सड़कें	9.40	9.40	उपयोग प्रमाणपत्र की अप्राप्ति।
	9.	3602.04.105.01-अंतरराज्य अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें	16.03	16.03	संघ शासित क्षेत्रों से प्रस्ताव की अप्राप्ति।
2010-11	1.	3054.01.337.04-राजमार्ग प्रशासन	2.00	2.00	राजमार्ग प्रशासन कार्य अभी भी प्रारम्भ किया जाना है।
	2.	3054.04.798.01-अंतरराष्ट्रीय स्थायी सड़क कांग्रेस संघ, पेरिस	0.06	0.06	नहीं दिया गया।
	3.	3055.00.004.26-राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड	1.00	1.00	योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
	4.	3601.04.106.01-आर्थिक महत्व की सड़कें	20.00	20.00	उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति।
	5.	3601.03.821.01-सड़क स्क्वैड के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य	5.00	5.00	लक्ष्यों में कमी तथा रक्षा मंत्रालय को सड़क नीति के अंतरण के कारण।
	6.	3602.04.105.01-अंतरराज्य अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें	14.67	14.67	प्रस्ताव की अप्राप्ति।
2011-12	1.	3054.01.052.01-मशीनरी एवं उपकरणों का अनुरक्षण	2.00	2.00	राज्य सरकार से उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति।
	2.	3054.01.101.01-राज्यों/सं.शा.क्षे. को देय शुल्कों के संग्रहण की लागत	0.50	0.50	नहीं दिया गया।
	3.	3054.01.337.04-राजमार्ग प्रशासन	2.00	2.00	राज्य सरकार से कोई दावा प्राप्त नहीं किया गया क्योंकि राजमार्ग प्रशासन कार्य अभी भी प्रारम्भ किया जाना है।
	4.	3055.00.004.26-राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड	1.00	1.00	बोर्ड का गैर संस्थान।
	5.	3602.02.105.01-दिल्ली में सड़कें	65.13	65.13	राज्य सरकार से उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति।
	6.	3602.02.105.02-पांडीचेरी में सड़कें	10.21	10.21	राज्य सरकार से उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति।
	7.	5054.01.052.02- मशीनरी एवं उपकरण	5.00	5.00	प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा प्रापण योजना को अंतिम रूप न देना।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध V-ड

(पैराग्राफ 5.19 के संदर्भ में)

एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट		व्यय	बचतें
			वास्तविक	अनुपूरकक		
2009-10	1.	3054.80.797.02-केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण हेतु ब्लॉक निधि	10878.51	-	9389.76	1488.75
	2.	3601.01.821.02-बी.आर.डी. के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	1618.01	-	1173.27	444.74
	3.	3601.02.105.01-राज्य सड़क हेतु अनुदान	1988.55	-	1340.26	648.29
	4.	3601.04.105.01- अंतर्राज्य अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें	213.97	-	104.35	109.62
	5.	5054.01.190.01-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	8578.45	-	7404.70	1173.75
	6.	5054.02.337.03-बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	1460.00	156.00	1304.26	311.74
2010-11	1.	3054.01.337.01-सड़क स्क्वेंड द्वारा अनुरक्षण	1032.86	1000.00	1876.38	156.48
	2.	3055.00.004.20-सड़क सुरक्षा	180.00	-	60.49	119.51
	3.	3601.02.105.01-राज्य सड़क हेतु अनुदान	1819.17	816.35	2396.57	238.95
	4.	5054.02.337.03-बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	3005.48	-	2541.92	463.56
2011-12	1.	3055.00.004.20- सड़क सुरक्षा	225.00	-	77.61	147.39
	2.	3601.02.105.01-राज्य सड़क हेतु अनुदान	2159.26	-	1924.50	234.76
	3.	5054.01.190.01-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	10342.89	731.37	8879.89	2194.37
	4.	5054.01.337.01- सड़क स्क्वेंड के अंतर्गत निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	4853.47	-	4289.16	564.31
	5.	5054.02.337.03-बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	2611.77	-	2207.77	404.00

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध V-च  
(पैराग्राफ 5.38 के संदर्भ में)  
निरंतर बचतें

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें/ (प्रतिशत)	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण
			(₹ करोड़ में)			
1	2235.02.102.18- समेकित बाल विकास सेवाएं (स.बा.वि.से.)	2009-10	34.59	15.39	19.20 (56)	राज्यों एवं सं.शा.क्षे. से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु पुरस्कार समारोह का आयोजन न करना तथा जीवन बीमा निगम के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता।
		2010-11	25.20	19.13	6.07 (24)	चण्डीगढ़ तथा दादर एव नागर हवेली संघ शासित क्षेत्रों से आंतरिक दावों की देरी से प्राप्ति।
		2011-12	28.52 (अ) 2.00	20.05	10.47 (34)	दिल्ली तथा दादर एवं नागर हवेली संघ शासित क्षेत्रों से दावों की प्राप्ति में विलम्ब।
2	2235.02.102.35- समेकित बाल संरक्षण योजना (स.बा.सं.यो.)	2009-10	12.00	9.33	2.67 (22)	राज्यों द्वारा स.ज्ञा. को अंतिम रूप देने में विलम्ब।
		2010-11	22.00	18.29	3.71 (17)	केन्द्रीय परियोजना सहायता इकाई का गैर-संस्थापन तथा केन्द्रीय प्रग्रहण संस्थान अभिकरण तथा एन.आईपी.सी.सी.डी. से मांग की अप्राप्ति।
		2011-12	39.00	23.53	15.47 (40)	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति।
3	2235.02.102.36- बीमा कवर सहित कन्या हेतु सोपाधिक रोकड़ अंतरण योजना	2009-10	10.00	5.00	5.00 (50)	कुछ राज्यों से प्रस्तावों की अप्राप्ति।
		2010-11	10.00	1.83	8.17 (82)	कुछ ब्लॉकों, जहाँ योजना कार्यान्वित की जा रही है, से उपयोग प्रमाण पत्र तथा बैंक विवरणों की अप्राप्ति।
		2011-12	10.00	शून्य	10.00 (100)	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति।
4	2235.02.103.57- प्रियदर्शनी	2009-10	27.00	0.04	26.96 (100)	अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि के साथ कर्जे करार का देरी से आपैपचारिकरण तथा वार्षिक कार्य योजना-1 नाबार्ड की गैर-समाप्ति।
		2010-11	29.79	5.90	23.89 (80)	योजना के कार्यान्वयन हेतु ब्लॉकों तथा संसाधन गै.स.सं. एवं फील्ड गै.स.सं. के चयन में विलम्ब।
		2011-12	26.10	0.15	25.95 (99)	योजना आयोग से अंतिम स्वीकृति की अप्राप्ति।



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत/ (प्रतिशत)	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण
			(₹ करोड़ में)			
5	2235.02.103.61- महिला अधिकारिता मिशन	2009-10	1.00	शून्य	1.00 (100)	योजना को अंतिम रूप देने में विलम्ब।
		2010-11	40.00	शून्य	40.00 (100)	योजना को अंतिम रूप देने में विलम्ब।
		2011-12	13.00	2.08	10.92 (84)	राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला संसाधन केन्द्र (रा.म.सं.के.) हेतु श्रमशक्ति की गैर-नियुक्ति।
6	2235.02.800.21- सूचना जनसाधारण शिक्षा तथा प्रकाशन	2009-10	45.00	18.21	26.79 (60)	मुख्य कार्य नामतः 'वातसल्य मेला' का गैर-संगठन।
		2010-11	45.00	29.80	15.20 (34)	कुछ कार्यक्रमों को प्रारम्भ न करना जो उत्पादित ऑडियो विजुअल्स की खराब गुणवत्ता का कारण बना।
		2011-12	45.00	17.53	27.47 (61)	मीडिया योजना 2010-11 का गैर-कार्यान्वयन।
7	3601.04.356.06- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (सी.एम.बी. योजना)	2009-10	3.00	शून्य	3.00 (100)	सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति को अंतिम रूप न देना/गैर-प्राप्ति।
		2010-11	344.00	111.60	232.40 (68)	योजना आयोग से योजना की स्वीकृति की प्राप्ति में विलम्ब।
		2011-12	376.60	244.72	131.88 (35)	राज्य सरकार द्वारा नई योजना का गैर-कार्यान्वयन।
8	3601.04.358.07- समेकित बाल संरक्षण योजना (स.बा.सं.यो.)	2009-10	35.00	33.30	1.70 (5)	राज्यों द्वारा सं.ज्ञा. को अंतिम रूप देने में विलम्ब।
		2010-11	240.00	93.37	146.63 (61)	समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर करने में विलम्ब तथा राज्यों से विस्तृत प्रस्तावों की अप्राप्ति।
		2011-12	196.00	150.17	45.83 (23)	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति।
9	3601.04.358.08- राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना (रा.गां.कि.क.अ.यो.)	2009-10	97.00	शून्य	97.00 (100)	योजना को अंतिम रूप न देना जो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति की अप्राप्ति।
		2010-11	882.00	325.65	556.35 (63)	राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति में विलम्ब जो नवम्बर 2010 में योजना के देशी से प्रारम्भ में हुआ।
		2011-12	533.60	483.99	49.61 (9)	कारण कि नई योजना होने से राज्य, उनको जारी निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग करने में समर्थ नहीं थे क्योंकि वह कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग हेतु प्रणाली स्थापित कर रहे थे।
10	3602.04.358.06- समेकित बाल संरक्षण योजना (स.बा.सं.यो.)	2009-10	7.00	शून्य	7.00 (100)	राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने में विलम्ब।
		2010-11	8.00	3.45	4.55 (57)	समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर करने तथा सं.शा.क्षे. से विस्तृत प्रस्तावों की

नि.म.ले.पं. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचते/ (प्रतिशत)	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण
			(₹ करोड़ में)			
						प्राप्तियों में विलम्ब।
		2011-12	8.00	3.60	4.40 (55)	संघ शासित क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति
11	3602.04.358.07- राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना (रा.गां.कि.क.अ.यो.)	2009-10	1.40	शून्य	1.40 (100)	योजना को अंतिम रूप न देना जो सक्षम प्राधिकारी से प्रस्ताव की गैर प्राप्ति का कारण बना।
		2010-11	15.00	3.64	11.36 (76)	संघ शासित क्षेत्रों से मांग की प्राप्ति में विलम्ब जो नवम्बर 2010 में योजनाओं के देशी से प्रारम्भ का कारण बना।
		2011-12	8.20	3.95	4.25 (52)	राज्य सरकारों द्वारा एक नई योजना का गैर-कार्यान्वयन।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2011-12

अनुबंध V-छ  
(पैराग्राफ 5.39 के संदर्भ में)  
पूर्ण प्रावधान का गैर-उपयोग  
(एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ अथवा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	बचते	मंत्रालय द्वारा आरोपित कारण
<b>2009-10</b>				
	2235.02.103.55-बलात्कार पीड़ितों को राहत तथा स्वास्थ्य लाभ	53.10	53.10	योजना को अंतिम रूप न देना।
	3601.04.356.04-स्वयंसिद्ध	13.55	13.55	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की अप्राप्ति।
	3601.04.358.08-राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना (रा.गां.कि.क.अ.यो.)	97.00	97.00	योजना को अंतिम रूप न देना सक्षम प्राधिकारी से संवीकृति की अप्राप्ति का कारण बना।
<b>2010-11</b>				
	2235.02.103.28-राष्ट्रीय महिला क्रेडिट निधि (रा.म.क्रे. नि.)	15.00	15.00	निधियों के पुर्नगठन के कारण कॉर्पर्स की सीमा को नहीं बढ़ाया जा सका।
	2235.02.103.55-बलात्कार पीड़ितों को राहत तथा स्वास्थ्य लाभ	36.00	36.00	योजना आयोग से योजना की स्वीकृति की प्राप्ति में विलम्ब।
	2235.02.103.61-राष्ट्रीय महिला अधिकारिता मिशन	40.00	40.00	योजना को अंतिम रूप देने में विलम्ब।
	3601.04.358.01-विश्व बैंक स.बा.वि.से. IV परियोजना	37.98	37.98	सक्षम प्राधिकारी से अंतिम स्वीकृति की अप्राप्ति।
	3601.04.358.02-विश्व बैंक स.बा.वि.से. IV परियोजना-बाह्य सहायता प्राप्त संघटक	88.00	88.00	-वही -
<b>2011-12</b>				
	2235.02.102.24-विश्व बैंक स.बा.वि.से. IV परियोजना	75.00	75.00	योजना आयोग से अंतिम स्वीकृति की अप्राप्ति।
	2235.02.102.36- बीमा कवर सहित कन्या हेतु सोपाधिक रोकड़ अंतरण योजना	10.00	10.00	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव की अप्राप्ति।
	2235.02.103.28-राष्ट्रीय महिला क्रेडिट निधि (रा.म.को.)	90.00	90.00	निधियों का पुर्नगठन क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों प्रक्रियाधीन थी।
	2236.80.800.05-राष्ट्रीय पोषण मिशन	43.00	43.00	योजना आयोग से अंतिम स्वीकृति की अप्राप्ति।
	3601.04.356.07-बलात्कार पीड़ितों को राहत तथा स्वास्थ्य लाभ	122.70	122.70	योजना आयोग से अंतिम स्वीकृति की अप्राप्ति।
	3601.04.358.01-विश्व बैंक स.बा.वि.से. IV परियोजना	78.00	78.00	योजना आयोग से अंतिम स्वीकृति की अप्राप्ति।
	3601.04.358.02-विश्व बैंक स.बा.वि.से. IV परियोजना-बाह्य सहायता प्राप्त संघटक	175.00	175.00	योजना आयोग से अंतिम स्वीकृति की अप्राप्ति।
	3601.04.561.01-राष्ट्रीय पोषण मिशन	46.00	46.00	योजना आयोग से अंतिम स्वीकृति की अप्राप्ति।



अनुबंध V-ज  
(पैराग्राफ 5.40 के संदर्भ में)  
एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	वास्तविक प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण
1	3601.04.356.06-इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (सी.एम.बी. योजना)	2010-11	344.00	111.60	232.40	योजना आयोग से योजना की स्वीकृति की प्राप्ति में विलम्ब।
2	3601.04.358.07-समेकित बाल संरक्षण योजना (स.बा.सं.यो.)	2010-11	240.00	93.37	146.63	समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर करने में विलम्ब तथा राज्यों से विस्तृत प्रस्तावों की अप्राप्ति।
3	3601.04.358.08-राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना (रा.गां.कि.क.अ.यो.)	2010-11	882.00	325.65	556.35	राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति में विलम्ब नवम्बर 2010 में योजना के देशी से प्रारम्भ का कारण बना।
4	3601.04.356.06-इन्दिरा मातृत्व सहयोग योजना (सी.एम.बी. योजना)	2011-12	376.60	244.72	131.88	राज्य सरकार द्वारा नई योजना का गैर-कार्यान्वयन।

अनुबंध V-झ  
(पैराग्राफ 5.47 के संदर्भ में)  
बकाया उपयोग प्रमाण पत्र  
अगस्त 2012 को प्रभाग-वार लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के विवरण

क्र.सं.	प्रभाग	बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की सं.	बकाया उ.प्र. की राशि (₹ करोड़ में)
1.	स्टैप	452	99.01
2.	स्वाधार	419	27.10
3.	स्वशक्ति	12	13.44
4.	स्वावलम्बन	22	0.81
5.	स्वसिद्ध	20	2.84
6.	महिला विकास	2769	66.61
7.	महिला छात्रावास	62	19.33
8.	महिला कल्याण	696	63.17
9.	अनुसंधान	225	1.94
10.	बाल संरक्षण	198	13.91
11.	राष्ट्रीय महिला कोष (रा.म.को.)	4	0.49
12.	कारा	62	9.45
13.	क्रैच	362	98.04
14.	सी डब्ल्यू-I	101	20.17
15.	सी डब्ल्यू -II	165	33.23
16.	एन.आई.पी.सी.सी.डी.	13	22.21
17.	लिंग बजटीकरण	4	0.17
18.	देखभाल तथा डब्ल्यू.एफ.पी. परियोजनाएं	3	3.17
19.	आई.एम.वाई.	2	0.05
20.	एम.ई.	1	0.51
21.	सी.डब्ल्यू.	8	0.53
22.	सी.एस.डब्ल्यू.बी.	55	85.83
23.	एस.एस.एच.	2	24.97
24.	एस.एस.एच-II	1	0.18
	<b>योग</b>	<b>5658</b>	<b>607.16</b>

### शब्दावली

- 14 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 14 दिवसीय माध्यमिक खजाना बिल** : राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य विशिष्ट निकायों को अपनी अस्थायी अधिशेष निधियाँ निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र।
- 364 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : 364 दिवसीय अवधि का उधार लेने का यह साधन अप्रैल 1992 से आरम्भ किया गया था। इस साधन की नीलामी पाक्षिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : उधार के लिए जनवरी 1993 से आरम्भ किया गया साधन। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- तदर्थ खजाना बिल** : जब कभी सरकार का नकद शेष ₹50 करोड़ के स्तर से कम हो जाए, संघ सरकार की ओर से भा.रि.बैं. द्वारा उसके पक्ष में सृजित किया गया 91 दिवसीय प्रपत्र। जब भी सरकार का नकद शेष अधिक हो जाए सम्मत स्तर को बनाए रखने के लिए ऐसी राशियों के तदर्थ रद्द कर दिए गये थे। 1 अप्रैल 1997 से यह प्रपत्र बन्द कर दिया गया था।
- विनियोग** : विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
- विनियोग लेखे** : विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) और साथ साथ प्रत्येक के सामने वास्तविक व्यय तथा विनियोग के प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अधीन बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं।
- विनियोग अधिनियम** : संसद द्वारा विनियोग बिल पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।
- विनियोग विधेयक** : लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित किन्तु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनाधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित समस्त धन के विनियोग के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।



- पूंजीगत व्यय** : इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिए अदायगी, अंश-पूंजी में निवेश और सरकार द्वारा दिए गए उधार एवं अग्रिम आते हैं।
- पूंजीगत प्राप्तियां** : पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा जनता से लिए गए उधार, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की पुनर्प्राप्ति, विनिवेश की प्राप्ति आदि शामिल है।
- प्रभारित विनियोग** : संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अधीन समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।
- भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)** : भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जों का प्रवाह होता है। समस्त व्यय भा.स.नि. से विनियोग द्वारा दत्तमत्त अथवा प्रभारित किया जाता है। इसमें राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्ज इत्यादि) नामक दो प्रभाग हैं।
- भारत की आकस्मिकता निधि** : विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में, संसद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है जिसमें ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जाएंगी तथा अनपेक्षित व्यय का संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी हैं।
- ऋण सेवा** : देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।
- अनुदानों की मांग** : अनुदानों की मांग किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए है तथा व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से पाद टिप्पणियों के रूप में दर्शाकर संसद को दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान के लिए मुख्य मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण सहित प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें उस सदन में सम्बद्ध मंत्रालय की मांग के लिए चर्चा होने के कुछ दिन पहले सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा लोक सभा के पटल पर रखी जाती है।
- जैसा कि अनुदानों की मांग सकल व्यय के लिए होती है और वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय को बताता है, अतः दोनों का योग, खातों में सकल व्यय की कटौती की प्राप्तियों को समायोजित करने के बाद का मिलान होना चाहिए।

- अधिक अनुदान** : ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक 'खण्ड' अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत) में अनुमोदन से बढ़ जाते हैं, इस प्रकार के अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
- बाह्य ऋण** : सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अर्थात् अधिकतर विश्व बैंक, अ.पु.वि.बैं., आई.डी.ए. आदि से कर्जा अनुबन्धित ऋण।
- राजकोषीय घाटा** : यह राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि को शामिल करते हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार के कुल उधार तथा लम्बित ऋणों की वृद्धि दर को भी दर्शाता है।
- उपादान लागत पर स.घ.उ.** : उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद उत्पादन साधनों की उस मूल्य का मापक है जिस पर स.घ.उ. होता है अर्थात् उन साधनों द्वारा अर्जित आय पर। यह बाजार मूल्य पर स.घ.उ. में अप्रत्यक्ष करों की कटौती तथा रियायतों के योग से प्राप्त होता है।
- बाजार मूल्य पर स.घ.उ.** : बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। यह एक निश्चित समय में देश में उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। इसका माप चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान की कीमतों पर की जाती है।
- आन्तरिक ऋण** : भारत में जनता से लिए गए नियमित कर्जे, आन्तरिक ऋण होते हैं, इसे "भारत में लिया गया ऋण" भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जों तक सीमित होता है।
- एम-3** : यह व्यापक मुद्रा है जिसे जनता के पास मुद्रा, मांग-जमा और बैंकों में सावधि जमा तथा अन्य भारतीय रिजर्व बैंक में जमा मुद्रा, के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- मुख्य शीर्ष** : लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड निर्धारित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष का संबंध प्राप्ति शीर्ष से है अथवा राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष अथवा ऋण शीर्ष से है।
- लघु शीर्ष** : लघु शीर्ष को तीन अंकों वाले कोड दिए गए हैं, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत "001" से प्रारंभ होते हैं।
- नई सेवा** : का अभिप्राय नई नीति निर्णय जो पूर्व में संसद के संज्ञान में न लाया गया हो, से उद्भूत निर्धारित सीमा से बाहर किए गए व्यय से है, जिसमें एक नई गतिविधि या एक नए निवेश का तरीका शामिल है।
- सेवा का नया साधन** : वर्तमान गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उद्भूत निर्धारित सीमा से बाहर किया गया एक वृहत व्यय।

- मूल अनुदान** : किसी वित्त वर्ष में किसी सेवा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
- प्रारंभिक घाटा** : राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घाटा आ जाता है। इसकी सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके अब्याजी व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्या की जा सकती है।
- लोक लेखा** : भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में शामिल धन से इतर सभी धन भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है [भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)]। इसमें भारत की समेकित निधि में शामिल ऋण से भिन्न 'ऋण' से संबंधित लेन-देन शामिल होता है। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रणीत किए जाते हैं।
- लोक ऋण (भारत का)** : भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।
- पुनर्विनियोजन** : इसका अर्थ है विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
- आरक्षित धन** : यह मौद्रिक आधार है। यह सरकार को भा.रि.बैं. के निवल क्रेडिट, वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावों, वाणिज्यिक क्षेत्र में भा.रि.बैं. के क्रेडिट, भा.रि.बैं. का निवल विदेशी विनिमय, लोक लेखे में सरकार की मुद्रा देयता में घटा भा.रि.बैं. की निवल अमौद्रिक देयताओं की राशि है।
- राजस्व घाटा** : यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर है।
- राजस्व व्यय** : यह सरकार के सामान्य संचालन, अनुसंधान व्यय, ब्याज भुगतानों आर्थिक सहायता तथा अंतरण आदि करने के लिए है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के लिए बनाए गए हों।
- राजस्व प्राप्तियां** : इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
- स्टॉक** : स्टॉक, प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय न हो बल्कि लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके तथा हस्तांतरण दर्ज करके हो।



- अनुपूरक अनुदान** : यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबन्धों के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त करेगी।
- बचत का अभ्यर्पण** : केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में बचतों को, जैसे ही ये प्रत्याशित हों, वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की स्वीकृति लेखापरीक्षा अधिकारी/या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करेगा।
- टैप खजाना बिल** : 91 दिवसीय अवधि का प्रपत्र जिसके द्वारा सरकार धन उधार लेती है। इस प्रपत्र का अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके अधिशेष का निवेश करना था। यह प्रपत्र 1 अप्रैल 1997 से बन्द कर दिया गया था।
- खजाना बिल** : खजाना बिल ऐसे साधन हैं जो संघ सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थायी संसाधन अंतराल को पूरा करने के इरादे से अल्प अवधि कर्जों को उगाहने के लिए जारी किए जाते हैं।
- बचत** : जब व्यय, बजट प्रावधान से कम होता है, तब बचत होती है।
- दत्तमत्त अनुदान** : अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।